(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

[अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 18 वां दिवस [संख्या 14

बृहस्पतिवार

6 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा, अकाल सहायता, खनिज, आयुर्वेद, पर्यटन, गृह, विद्युत्, उद्योग, यातायात, सार्वजनिक निर्माण, श्रम एवं आयोजना विभाग।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रश्न संख्या 353

श्री अध्यक्ष : आथोराइज्ड हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

पर्यटन विकास योजना

353. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) [श्री जनार्दनसिंह गहलोत की अनुपस्थिति में]: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार ने पर्यटन विकास के लिये अब तक क्या क्या कदम उठाये और गत 3 वर्षों में किस किस कार्य के लिये खर्चे किये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) पर्यटन की दृष्टि से राज्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं और उनके विकास के लिये क्या क्या योजना बनाई गई है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने नाहरगढ़ से जयगढ़ (जयपुर) तक 4 मील लम्बे क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्क बनाने के लिये एक योजना तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ? कृपया तैयार योजना का स्वरूप सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री जुझारसिंह) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पर्यटन की दृष्टि से राज्य में महत्वपूर्ण स्थान निम्न प्रकार हैं:-

1. जयपुर, 2. जोधपुर, 3. अजमेर व पुष्कर, 4. अलवर, 5. भरतपुर, 6. चित्तौड़, 7. कोटा, 8. जैसलमेर, 9. उदयपुर व नाथद्वारा, 10. आबू पर्वत, 11. राणकपुर।

(श्री जुझारसिंह)
पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में उपरोक्त स्थानों के विकास हेतु निम्न योजनायें बनाई गई हैं:—

1. पर्यटक विश्रामगृहों का निर्माण:—

उपरोक्त स्थानों के पर्यटन विश्रामगृहों में प्रावास की सुविधा को बढ़ाने हेतु एक एक नये पर्यटक विश्रामगृह बनाने के लिये 75-00 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है। विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

2. पर्यटक केन्द्रों का सौन्दर्यकरण एवं विकास:—

पर्यटक केन्द्रों के सौन्दर्यकरण एवं विकास हेतु योजना काल में 60 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है। स्थानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

3. जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट संख्या 1 देखें)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग तीन में जो उत्तर दिया है 'जी नहीं' तो क्या अभिप्राय यह माना जाय कि आपने कोई राष्ट्रीय पार्क बनाने की योजना केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजी है तथा इस बारे में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, नेशनल पार्क बनाने की योजना ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, नेशनल पार्क बनाने के बारे में काफी विस्तृत चर्चा हुई है।

श्री अध्यक्ष : कल ही हुई है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हां, अध्यक्ष महोदय, कल ही हुई है। मैं स्पेसिफिक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं क्या राष्ट्रीय पार्क बनाने का राज्य सरकार का कतई कोई इरादा नहीं है, यह माना जाय। अगर इरादा होता तो निश्चित रूप से राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह योजना भेजी होती क्या इस योजना को बनाने या न बनाने का और केन्द्रीय सरकार को योजना भेजने का इरादा है या नहीं है?

श्री जुझारसिंह : इस प्रश्न पर कल ही जवाब दे दिया गया है, अध्यक्ष महोदय। यह प्रश्न फॉरेस्ट विभाग से सम्बन्धित है। इस विभाग से कोई योजना नहीं भेजी गई है।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्य स्थानों पर भी ....

श्री अध्यक्ष : सन्तोष होना चाहिये आपको।

श्री रामगोपाल : माननीय अध्यक्ष जी, सन्तोष है कि पर्यटन विभाग कोटा से रिप्रेजेन्ट करने वाले मंत्री महोदय के पास है, लेकिन जो प्रतिक्रिया होती है उसके अनुसार कहना चाहिये। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो कोटा क्षेत्र से सम्बन्धित हैं उसमें आने वाले वर्षों में कौन कौनसी योजना लागू की है। सीताबाड़ी, शाहबाद जैसे स्थान, जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान हैं उनको शामिल किया गया है क्या?

Page No 3

(3)

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है उसमें कोटा में पर्यटन बंगला बनाने का प्रावधान है। वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाने का है। आगे क्या होगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री रामगोपाल : सीताबाड़ी, शाहबाद, अध्यक्ष महोदय, धार्मिक स्थान है और कपिलमुनी का आश्रम है और सीताबाड़ी में सीताजी को बनवास दिया था उसके बारे में आप विचार करिये और सदन में आश्वासन दीजिए।

श्री दलपतसिंह (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया है कि पर्यटन विश्राम गृह बनेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कौन कौनसे स्थान पर ये पर्यटन विश्राम गृह बनेंगे और क्या इसमें फाइव स्टार होटल जैसी सुविधा रहेगी ?

श्री जुझारसिंह : मैंने निवेदन किया पर्यटन विश्राम गृह हैं वह एक जगह पर बनेगा नहीं–किसी जगह एक्सटेन्शन होने वाला है और किसी जगह नया बनने वाला है। कुल 75 लाख की पर्यटन विश्राम गृह की योजना है।

श्री दलपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इसमें क्या सुविधा रहेगी, किस स्तर के होटल की सुविधा रहेगी ?

श्री रामगोपाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं मंत्री महोदय बीच में ही रोक दिया है·····

श्री अध्यक्ष : किसने रोका है ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, सारे हमारे साधनों पर निर्भर करता है। अभी फिलहाल शाहबाद और सीताबाड़ी की कार्यवाही करना सम्भव नहीं है क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं।

श्री रामगोपाल : साधन उपलब्ध होने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया है न ?

नेक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर जिले की जल प्रदाय योजना

354. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :** क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा नीमला नलकूप से सोनड़ी, बेसाला, सुरा, कनोड़ा, केरावर, नान्द, दूधाबेरी, सोखरू, बसरा, जायडू एवं सीवणी तक क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना तैयार कर ली है ? यदि हां, तो उक्त योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त योजना की स्वीकृति अब तक न होने के क्या कारण हैं और उक्त योजना की स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि जन-स्वास्थ्य विभाग ने सन् 74–75 में बाड़मेर जिले में कोई नई ग्रामीण जल-प्रदाय योजना की स्वीकृति नहीं दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No 4

(3)

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) क्षेत्रीय योजना नीमला सुरा बायदव 26.42 लाख रु. को बन चुकी है। क्योंकि यह योजना लगभग 41 पृष्ठों में है अत: इसकी प्रतियां कराने में समय लगेगा अत: फिलहाल सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

(2) इस वित्तीय वर्ष में नई जल-प्रदाय योजनायें स्वीकृत करने हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण नई योजनायें स्वीकृत नहीं की जा सकीं। इस योजना को स्वीकृत करने हेतु जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है अत: इस योजना का वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिए स्वीकृत हो जाने की सम्भावना है।

(3) जी हां, नई जल-प्रदाय योजनायें हेतु वित्तीय वर्ष 74–75 में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण योजनायें स्वीकृत नहीं की जा सकीं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह योजना तैयार हो चुकी है और आयोजना समिति से भी स्वीकृति हो चुकी है। अब मेरा यही निवेदन है कि 75-76 के लिये इस योजना के लिये प्रावधान कर दिया जाय। इस बारे में मैं स्पष्ट घोषणा चाहता हूं।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, जवाब में यह कहा गया है कि 75-76 में स्वीकृत होने की सम्भावना है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सम्भावना की अलग चीज है। 75-76 में इस योजना को ले लिया जाय।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, अगले साल इसके स्वीकृत होने की सम्भावना है जब तक स्वीकृत नहीं हो जाय तब तक कैसे कहूं?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, इसी से संबन्धित प्रश्न है। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 74–75 में इस योजना मद में कोई योजना स्वीकार नहीं की किन्तु क्या अन्य योजनाओं में कोई इस प्रकार की योजनायें मंजूर हुई हैं?

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान में सन् 74–75 में कोई योजना मंजूर नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल): थ्री डबल फाइव।

(विराम)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अंग्रेजी में बोल गये साहब इसलिये .....

श्री गिरधारी लाल भार्गव [श्री भानु-कुमार शास्त्री (उदयपुर) की अनुपस्थिति में] : तीन पांच पांच। हिन्दी में तीन पांच को बुरा कहते हैं इसलिये।

राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन

355. क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अब तक कौन कौन व्यक्ति राजनैतिक पीड़ित घोषित हुए हैं और उन्हें कितनी कितनी पेंशन स्वीकृत होकर मिल रही है? कृपया जिलेवार सूची सदन के टेबल पर रखने की कृपा करें।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(2) उपर्युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त क्या अन्य व्यक्तियों के भी नाम राज्य सरकार ने पेन्शन के लिये स्वीकृत किये थे जिनका अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं किया गया ? यदि हां, तो इनकी भी सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) राजनैतिक पीड़ित घोषित करने के सम्बन्ध में कौन कौन से आधार निश्चित हैं तथा इनके चयन के लिए कोई समिति बनी हुई है ? यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) वांछित सूचियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी माने जाने के आधार राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी सहाय्य नियम, 1959 में दिये हुए हैं। केन्द्रीय योजनान्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी माने जाने सम्बन्धी आधार स्वतन्त्रता, सेनानियों की पेंशन सम्बन्धी योजना, 1972 में दिये हुये हैं। उक्त योजना की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

केन्द्रीय योजनान्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों को सहायता दिये जाने हेतु केन्द्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है जिसके सदस्यों की सूची भी सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से स्वतन्त्रता सैनानी हैं जिनको अभी तक पेन्शन नहीं दी जा रही है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो प्रार्थना-पत्र हमारे पास आये हैं और जिन प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में हमें जिलाधीशों से या अन्य तरह से जानकारी प्राप्त करना है ऐसे मामले जरूर विचाराधीन हैं, बाकी मामले सब निपटा दिए गये हैं।

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या यह सच है कि सरदार शिवदानसिंह, चक 2 एफ. एफ. ए. सन् 1915 से स्वतंत्रता संग्राम में काम करते रहे और उनके चाचा को फांसी हुई और उनको डेढ़ साल के लिए कैद हुई; उनका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है और उनको आज तक कोई सहायता नहीं दी गई है?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : आप इसके बाबत मुझ से अलग से बात कर लें। जहां तक स्वतंत्रता सेनानियों का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सहायता चाहते हैं और सहायता नहीं दी हो ऐसी बात नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसे लोग जो आपके समक्ष प्रार्थी के रूप में आना नहीं चाहते और जिनको पूरे राजस्थान के लोग जानते हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, क्या ऐसे लोगों को आप कोग्नीजेंस लेकर सहायता देने को तैयार हैं?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां, ऐसे अनेक मौके आए हैं जब कि किसी ने एप्लीकेशन देना नहीं चाही किन्तु दूसरे व्यक्ति जानते हैं उन्होंने एप्लाई किया या सरकार ने भी सुप्रोमोटो स्वयं ने जानकारी करके सहायता दी है और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की यह भावना है कि यह पीढ़ी तो चली लेकिन ऐसे जो लोग उनमें से कोई भी हों, वे कष्ट में नहीं रहें इसको हम गवारा नहीं करना चाहते।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो उनकी स्टेट में स्वतंत्रता सेनानी निवास कर रहे हैं काफी सुविधा दे रखी है, चिकित्सा की सुविधा है, उनके बच्चों को वजीफे दिए जाते हैं, एजुकेशन की सुविधा वहां पर है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानकारी चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर आपने फ्रीडम फाईटर्स को क्या-क्या सुविधायें दे रखी हैं और उसके साथ-साथ क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी इस पर भी विचार करेंगे कि आज भी बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको 75 रुपया, 100) रुपया पेंशन मिल रही है। आज की इस मंहगाई के जमाने के अन्दर क्या यह पर्याप्त है और क्या आप उनकी दरख्वास्त आने से पूर्व ही पेंशन को रिवाइज करने का विचार रखते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न····

श्री हरिदेव जोशी : पहले मैं इसका जवाब दे दूं। अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं होगा हमारी ओर से कहना कि हम ज्यादा देते हैं और वो क्या देते हैं और क्या नहीं देते हैं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि भारत सरकार भी ऐसा मानती है और हमारा अध्ययन भी यह है कि राजस्थान इन मामलों में पिछड़े हुए प्रांतों में से नहीं है। वह बल्कि इस चीज के सेंटीमेंट्स को अधिक महत्व देता है कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों को हम उचित सहायता करें। हम स्वयं मेडिकल एड देते हैं, पेंशन देते हैं और इस प्रकार के जो लोग हैं उनके बारे में बच्चों की शादी वगैरा में भी सहायता करते हैं। चिकित्सा के लिए भी सहायता देते हैं, और उनके लिए एक प्रकार का होम भी बनाने का विचार कर रहे हैं। जिनका कोई वारिस नहीं हो, जिनको कोई संभालने वाला नहीं हो उन लोगों को उसमें रख सकें, ऐसी चीज की व्यवस्था की जाकर। जैसा निवेदन किया माननीय सदस्यों से कि ऐसे लोग कोई उनके इलाके में रहते हों, कोई ऐसे व्यक्ति जिनको सहायता देने की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से हम सहायता देंगे, वे हमारी जानकारी में लावें।

रहा सवाल पेंशन बढ़ाने का, इसको हमने पिछली मीटिंग में भी सोचा था लेकिन हर आदमी के केस को अलग 2 ढंग से लेना होगा उस रूप से क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको सहायता मिलती है और दूसरों को करने वाली बात है उसको हम उसी रूप में देखेंगे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अभी तक रियासती आन्दोलन का इतिहास नहीं लिखा गया है इसका क्या कारण है ?

श्री हरिदेव जोशी : वह लिखा जाना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी इसको पिछले छः माह से इस प्रोजेक्ट को ले रखा है और हमने उन मित्रों से जो रियासती आन्दोलन के अन्दर सम्मिलित थे, और जो अच्छे लेखक भी हैं उनको मोटिवेट किया है कि इसकी शुरूआत कर दें और इसकी शुरूआत हो चुकी है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य केशरीमलजी सन् 30 से बराबर संघर्ष करते रहे हैं और उनकी सिफारिश पर बहुतों को पेंशन मिल भी गई है, ताम्र-पत्र मिल गए हैं लेकिन उनकी स्वयं की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है इसी तरह से हमारे दूसरे मित्र राधावल्लभजी जो इतिहास में सबसे पुराने सेनानी हैं, अभी तक उनकी दरख्वास्त डिस्पोज आफ नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : इण्डीवीजुअल केस पर आप अलग से बात कर लें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं इसकी ओर उनकी तवज्जोह दिलाना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में कोई गलतफहमी न रह जाय इसलिए निवेदन कर देना चाहता हूं।

ऐसा है कि अपनी सहायता के जो रूल्स हैं उनमें भावना यह है कि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी कठिनाई में न रहे। मायने, जो अर्निंग मेम्बर्स हैं उनका रिकोग्नीशन एक बात होती है और सहायता देना दूसरी बात है। जो कठिनाई में हों उनको सहायता देना चाहिए यह तो एक प्रश्न है। लेकिन जो कठिनाई में नहीं है और अर्निंग हैं, हैं, उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाय वह जरूरी नहीं है।

श्री दीपंकर (लाडनू) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सप्लीमैंट्री करना चाहता हूं। दूसरे महायुद्ध के समय जिन सैनिकों ने आजाद हिन्द फौज के लिए सेना को छोड़ दिया सेवारत रहते हुए, जोधपुर के ऐसे बहुत से सैनिक थे उनको विद्रोही मान कर नौकरी से निकाल दिया गया और जबरदस्ती उनके शस्त्र छीन लिए, आप क्या...

श्री हरिदेव जोशी : आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी मान लिया गया है और सैंकड़ों लोगों को राजस्थान में सहायता दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, कई इस प्रकार के राजनैतिक सेनानी हैं उनके गलत नाम दर्ज हो गए और उनके केसेज चल रहे हैं, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है यह बता दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : हम मानते हैं कि इस प्रकार की कोई गलती कर दें तो क्षम्य है किन्तु किसी डुप्लीकेट की रिकमण्डेशन प्रोपर्ली स्क्रूटिनाइज होकर आवें उसमें ढिले नहीं करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह।

छबड़ा में हायर सैकेन्ड्री स्कूल

356. **श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि छबड़ा तहसील, जिला कोटा जिसकी आबादी करीब डेढ़ लाख है वहां अभी तक एक भी हायर सैकेंड्री स्कूल नहीं खोला गया है और सारी तहसील में सिर्फ एक सैकेण्ड्री स्कूल कस्बा छबड़ा में है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(2) छबड़ा सैकेन्ड्री स्कूल को हायर सैकेन्ड्री में कब तक क्रमोन्नत किया जावेगा?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां, गत दो वर्षों में राज्य सरकार ने वित्तीय स्थिति ठीक न होने से माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने का प्रावधान नहीं रखा था।

(2) इस विषय पर राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया है।

श्री जगमोहनसिंह : क्या राज्य सरकार को मालूम है कि अभी तक बीस बाईस टाऊन, म्युनिसिपल टाउन्स ऐसे हैं जहां पर अभी तक हायर सैकेन्डरी का प्रावधान नहीं कर पाये हैं। यह पांचवीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष चल रहा है और जो डेढ़ लाख दो लाख की आबादी के क्षेत्र हैं वहां पर अभी तक सैकेन्डरी स्कूल ही चल रहे हैं। तो उनके बारे में निवेदन करूंगा कि इस वर्ष आप मिडिल स्कूल काफी खोल चुके हैं, अब उनको रिवाइज करके सैकेन्ड्री स्कूल से हायर सैकेन्ड्री स्कूल के रूप में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की शिक्षा नीति के अनुसार हम 10 प्लस 2 और 10 प्लस 3 के फार्मूले को फार्मूलेट कर रहे हैं। अब वह हमको कितनी असिस्टेंस देंगे और हमारा इस बारे में यह विचार रहेगा कि हम हायर सैकेन्ड्री न खोल करके और सैकेन्ड्री के बाद में इण्टरमीजियेट 10 प्लस 2 के फार्मूले पर इण्टरमीजियेट कालेज बनायेंगे, और उस पर विचार कर रहे हैं। जब यह योजना क्रियान्वित करेंगे उस वक्त निश्चित तौर पर छबड़ा और प्रश्नकर्ता दोनों को हमारे सामने रखेंगे।

श्री जगमोहनसिंह : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि ये 'जब' और 'शीघ्र' ही शब्द तो वेग हैं उनकी कोई डेफिनिटनेस नहीं है। क्या इस वर्ष या अगले वर्ष में या पांच वर्ष बाद कब तक कर देंगे, यह बता दें। क्योंकि करीब 20–22 टाऊन ऐसे हैं, म्युनिसिपल टाऊन्स जहां पर कि सैकेन्ड्री स्कूल हैं, सन् 50 से हाई स्कूल के रूप में आज तक वही हैं। छबड़ा में सन् 50 का हाई स्कूल है इसी तरह से लाखेरी केशोरायपाटन वगैरा कोई 20–22 टाऊन ऐसे हैं। मेरा निवेदन है कि 'जब भी' और 'शीघ्र ही' नहीं कह कर डेफिनेट बता दें तो अच्छा हो।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बन्दी) : अध्यक्ष महोदय...,

श्री खेतसिंह : मैं पहले छबड़ा का जवाब दे दूं फिर बूंदी को ले लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक छबड़ा के स्कूल के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो ग्राउण्ड बताये हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं आपकी परेशानी को समझता हूं। और जनता की परेशानी को भी समझता हूं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हम इस ओर प्रयत्नशील हैं और जैसे ही हम भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार हम फाईनल स्टेज पर आ जायेंगे उस वक्त निश्चित तौर पर इन स्कूलों का पूरा खयाल रखा जाएगा।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने फरमाया, जहां तक मेरी जानकारी है गत वर्ष ही रामगंज मण्डी टाऊन के अन्दर हायर सैकेण्डरी स्कूल खोला गया और इसके अतिरिक्त भी खुद उदयपुर में हायर सैकेण्डरी स्कूल खोला गया। इसलिए जो तथ्य माननीय मंत्रीजी ने सदन के समक्ष रखे हैं वे सही नहीं हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वे स्थिति को स्पष्ट करें।

श्री खेतसिंह : तथ्य बिल्कुल सही हैं। आपकी कुछ ऐसी आदत पड़ गई है–हर मामले में सही नहीं कहने की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष रामगंज मंडी में हायर सैकण्डरी स्कूल किया है। वहां के लोगों ने कन्ट्रीब्यूशन करके 60 हजार रुपये जमा कराये हैं। हमारी नीति यह है कि वहां की जनता दो वर्ष का खर्चा दे तो हम क्रमोन्नत किया करते हैं, उसके तहत हमने क्रमोन्नत किया है। जो यह नीति लागू की है वह इस वर्ष से भारत सरकार के और सभी शिक्षा-मंत्रियों ने मिलकर इस जनवरी से यह तय किया है दस प्लस दो प्लस तीन के फार्मूला पर चलेंगे और इस प्रिन्सीपल को हमने मान लिया है। इसलिए जो आपने कहा वह सही नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आपके प्रथम जवाब में यह स्पष्ट नहीं था। आपने कहा था कि दो साल से कोई नहीं खोला है। मैं जानकारी के लिए यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रिन्सीपल पर आपने रामगंज मंडी में खोला है तो और स्थानों पर भी यदि ऐसे साधन जुटाये जा सकते हैं तो आप खोल सकते हैं? राज्य सरकार इसका जवाब दे।

श्री खेतसिंह : यह हमारी नीति बदल गई है भारत सरकार से विचार-विमर्श करके कि कितना पैसा लेने पर इन्टरमीजियेट कालेज खोल सकते हैं। जनता का कन्ट्रीब्यूशन मान लें कि एक लाख या डेढ़ लाख जमा करा देंगे तो विचार करेंगे। ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजय सिंह : आपकी नियत बदल गई है या नीति बदल गई है?

श्री जगमोहन सिंह : मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : आप इधर-उधर की बात में मुद्दे की बात भूल जाते हैं।

श्री जगमोहन सिंह : आपकी ऐसी नीति है और जो आपकी स्कीम्स हैं और नीति बदलने वाली बात कही है तो यह नीति कब तक लागू करेंगे ? इस बारे में स्पष्ट बता दें कि साल भर में या 6 महीने में ?

श्री खेतसिंह : नीति तो, माननीय सदस्य, फाइनेलाइज हो चुकी है। उसको क्रियान्वयन करने का प्रश्न है। भारत सरकार से इसमें असिस्टेन्स मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलने वाली है उस पर हम परामर्श कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या 357

श्री अध्यक्ष : श्री झाबरमल सुण्डा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा।

ग्राम बकानी की जल-प्रदाय योजना

358. **श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)** : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बकानी (जिला झालावाड़) ग्राम की जल-प्रदाय योजना की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और इस पर कितनी धन-राशि खर्च होनी है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के लिए टेण्डर आमन्त्रित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो इसकी प्रगति क्या है ?

(3) क्या यह योजना 74-75 में पूरी हो जावेगी ? यदि नहीं, तो कब तक पूरी होगी ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां। ग्राम बकानी की जल-प्रदाय योजना 4 लाख 87 हजार रुपये की अनुमानित लागत के लिए दिनांक 25-2-74 को स्वीकृत की गई।

(2) जी हां। क्वार्टर, जल-भण्डार एवं पाइप लाइन बिछाने के लिए आदेश दिये जा चुके हैं व कार्य प्रगति पर है। प्रिट्रीटमेंट प्लांट के लिए निविदाएं मांगी गई हैं।

(3) जी नहीं। योजना वर्ष 75-76 में पूरी होने की आशा है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, इस गांव के अन्दर पानी की बड़ी भारी कमी आ जाती है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने इसको मन्जूर करके तो वहां के लोगों के साथ बहुत अच्छा किया है, लेकिन पानी की अत्यन्त कमी के कारण अगर इसी साल पूरी हो जाय, जून तक तो ज्यादा लाभदायक हो सकती है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जल्दी से जल्दी हम इन योजनाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आम तौर से पूरा होने में तीन साल लगते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि इसको दो साल में ही पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : और भी कई जल-प्रदाय योजनाएं बन्द पड़ी हैं उनको कब तक चालू करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : आप इसके लिए अलग से प्रश्न पूछिये। कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो तो उसका जवाब दे सकता हूं कि कौनसी बंद है ? इस पर एटरेन्डम जवाब देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री अमृतलाल गहलोत।

इंजीनियर्स के स्थानान्तरण का आधार

359. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार पुरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल में असिस्टेंट इन्जीनियर्स, जूनियर इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में क्या कोई आधार तय है? यदि हाँ, तो उस आधार–पत्र को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें और यदि कोई आधार तय नहीं है तो क्यों?

(2) जोधपुर नगर में उपरोक्त मण्डल में कार्य करने वाले असिस्टेंट इन्जीनियर्स, जूनियर इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स की पूर्ण सूची मय उनके नाम और जब से वहां कार्य कर रहे हैं उस दिनांक के, अलग-अलग सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) मण्डल द्वारा प्रसारित 3 जनवरी, 1975 के आदेशानुसार कनिष्ठ अभियन्ता। ओवरसियर्स से लेकर अधिशासी अभियन्ता तक के स्तर के अधिकारियों को उनके निवास स्थान के जिले में नियुक्त नहीं किया जाय, सिवाय उन पदों के जिनमें जनता से सीधा सम्पर्क नहीं हो, जैसे ग्रिड सबस्टेशन, प्रोजेक्ट्स व निर्माण कार्य आदि। चूंकि यह निर्णय अभी कुछ समय पूर्व ही लिया गया है, इसे शनैः शनैः क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि कार्य के सुचारु रूप से संचालन में बाधा न हो।

(2) जोधपुर नगर में कार्य कर रहे सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व ओवरसियरों के बारे में पूरी सूचना देते हुए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची मुझे प्राप्त हुई है तो पहले प्रश्न के उत्तर में आपने यह फरमाया है कि जुनियर इन्जीनियर्स, ओवरसियर्स, और असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स वह अपने जिले में पोस्ट नहीं किये जायेंगे। यह नीति कब से लागू की गई है, मंत्री महोदय?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 3 जनवरी, 75 से यह फैसला किया है और उस नीति को लागू करना शुरू कर दिया है 3 जनवरी से। सब के सब अभी नहीं हो सकते हैं। चालू है वह, प्रोसेस में है।

श्री अमृतलाल गहलोत : कब तक कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : समयानुसार।

श्री हीरालाल देवपुरा : जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। नीति ही इसलिए बनाई है कि इसको अपनाया जाय।

श्री अमृतलाल गहलोत : दूसरा प्रश्न यह है कि आपने कहा है कि किसी इन्जीनियर को होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट नहीं करते हैं।

(श्री अमृतलाल गहलोत)
यह तरीका आपने सोचा है तो इसी आधार पर यदि आपने कोई अधिकृत समय मुकर्रर नहीं किया है कि तीन साल तक या दो साल तक कोई इन्जिनिअर होम डिस्ट्रिक्ट में न रहते हुए भी वहां पर होम डिस्ट्रिक्ट बना लेता है तो क्या इसके बारे में अधिकृत समय मुकर्रर कर सकते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जैसा कि पहले प्रश्न पूछा गया था उसमें बताया गया था कि आमतौर पर 3 साल तक स्थानान्तरण नहीं किया जाता है। यह एक आम सिद्धान्त है जिसको कोई भी स्वीकार करता है और जिसको मानकर चलता है, और खास बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से जब तक कहीं-कहीं ट्रांसफर किये जाते हैं नहीं तो तीन साल में ट्रान्सफर किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय।

माही बाढ़ राहत घोटाला काण्ड की जांच

360. श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि माही बाढ़ राहत घोटाला काण्ड की जांच पूरी हो गई है ? यदि हां, तो उक्त जांच से कौन-कौन व्यक्ति अपराधी प्रमाणित हुए और कुल कितनी धन-राशि का घोटाला हुआ ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : जी हां। जांच रिपोर्ट 1 मार्च को प्राप्त हो गई है और उसका विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय: जांच रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है और इसी प्रश्न में मैंने पूछा है कि कौन व्यक्ति दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। माननीय मंत्री महोदय इसका जवाब देने का कष्ट करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि जो रिपोर्ट है जांच की वह 1 मार्च को ही हमें प्राप्त हुई है, और यह जांच रिपोर्ट कम से कम 60 पृष्ठ की है। उसका अध्ययन करने में एक दो दिन का समय नहीं लगता है। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद ही यह कहा जा सकता है कि कौन दोषी हैं, कौन नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मार्च को आज कितने दिन हो गये हैं और राज्य सरकार कितना बड़ा दल-बादल लिये हुए बैठी है वह कहे कि एक मार्च के बाद में जांच रिपोर्ट का अध्ययन करना मुश्किल है। जहां तक नाम बताने का सवाल है मशीनरी कितनी सुस्ती से वर्क कर रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस क्वेश्चन को पोस्टपोन किया जाए ताकि यह जवाब दे सकें। एक पर्टीक्यूलर मकसद इस प्रश्न का है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय कहें उतना समय उनको दिया जाय।

श्री जगमोहनसिंह : कितने का घोटाला हुआ है यह तो मालूम पड़ सकता है।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, शिकायत यह थी कि बाढ़ के सिलसिले में जिन लोगों के मकान कहां पर बाढ़ से गिरे अथवा बरसात से गिरे तो इस प्रकार की शिकायत थी कि बाढ़ से नहीं और बरसात से गिर गये उनको भी पेमेन्ट कर दिया। इस प्रकार की शिकायत थी। एन्टीकरप्शन ने एन्क्वायरी के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक एलिगेशन्स नहीं होने के कारण वह नहीं कर सकते हैं। डिपार्टमेंटली इसकी एन्क्वायरी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट से एन्क्वायरी कराई गई तो उसके अन्दर एलिगेशन्स के ख्याल से तहसीलदार और एक प्रधान के खिलाफ और एकाध किसी और ऑफिसर के खिलाफ वह सब्स्टेन्शियेट होते हैं अथवा नहीं होते हैं तो उसमें टाईम लगेगा किसी नतीजे पर पहुंचने में।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, कितना एमाउन्ट उसमें मिसयूज हुआ है ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : इसीलिये मैंने समय का कहा है।

श्री हरिदेव जोशी : सुन लें। मैंने निवेदन किया है गवर्नमेंट विदिन ए फोर्टनाइट विल कम टू ए डिसीजन कि क्या है क्या नहीं। यह तो प्रेलिमिनेरी एन्क्वायरी है मगर उसमें उन्होंने पिन पाइंट किया है तहसीलदार को या प्रधान को तो कुछ एन्क्वायरी करके उन्हें डिटेल्ड चार्जशीट दी जायगी। उसका जवाब आयेगा तब जाकर हम सब्स्टेन्शियेट करेंगे।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ के समान ही बरसात से मकान गिर गये तो उनका डिस्क्रीमिनेशन क्या होगा ? मेरी तहसील में सैंकड़ों मकान बरसात से गिर गये टेम्पोरेरी झौंपड़े थे बरसात ज्यादा आई 4-5 इंच एक दिन में तो वह मकान गिर गये और उसमें बह गये तो उनको कोई कम्पेन्सेशन नहीं है। यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाय ? मकान बह गये हों चाहे बरसात में या वाटर फ्लड में। It was flooded with heavy rains.

श्री हरिदेव जोशी : यह एक पाइंट है इस में कोई दो राय नहीं है। जब तक रूल्स फ्रेम नहीं करेंगे एलीगेशन्स उन्हीं रूल्स के तहत है इस लिए उनकी एन्क्वायरी तो करना ही होगा इसके अन्दर गवर्नमेंट के समक्ष यह प्रश्न है और कई लोगों ने कहा भी है कि मारा उस आदमी का सत्यानाश हो गया, नदी नहीं आई तो बरसात के पानी से गिर गया, लेकिन कष्ट तो उसको उतना ही होता है जितना कि बाढ़ का पानी आये और वह बहाकर ले जाय तो इन्हें भी इसी रूप में सहायता देना चाहिए। तो यह प्रश्न तो देने की बात का है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय अध्यक्ष मेरा एक और प्रश्न है ..

श्री अध्यक्ष : How many more ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया कि उस रिपोर्ट को देखने में 15 दिन लगेंगे तो एक महीने तक एसेम्बली चलने वाली है तो इस क्वेश्चन को पोस्टपोन करने की मेरी इल्तिजा है इसको पोस्टपोन किया जाय क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जवाब नहीं आया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार) : एक ही सवाल तो किया है सम्माननीय विधायक ने, इसलिए पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

राक फास्फेट के खनन के संबंध में भेजा गया प्रस्ताव

361. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को राक फास्फेट के खनन के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजे हैं? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस संबंध में राज्य सरकार को भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां, राज्य सरकार ने झामरकोटड़ा राक फास्फेट के खनन एवं शोधन के हेतु अपने द्वारा करीब 60 करोड़ की लागत के विचार गीन परियोजना हेतु आवश्यक 24 करोड़ की शेयर पूंजी में से 6 करोड़ प्रिफरेन्स शेयर के रूप में भारत सरकार को प्रस्तावित किये हैं।

(2) प्रतीक्षा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : किस की प्रतीक्षा है, भारत सरकार की प्रतिक्रिया की?

श्री जुझारसिंह : भारत सरकार को 6.00 करोड के शेयर देने के लिए राज्य-सरकार ने प्रस्ताव भेजे हैं। इस पर उनके जवाब की, रिप्लाई की प्रतीक्षा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या राज्य-सरकार राक फास्फेट के बेनीफिशियरी प्लान्ट लगाने के बारे में इन्ट्रेस्टेड है? यदि भारत सरकार की ओर से कोई मदद नहीं आती है, या भारत सरकार इसमें पार्टनर नहीं बनती है, तो क्या राज्य सरकार की ओर से इसके लिए कोई-योजना है या नहीं है?

श्री जुझारसिंह : बेनीफीशियरी प्लान्ट लगाना तो इनएवीटेबल है। इसके लगाये बिना रॉक फास्फेट का एक्सप्लान्टेशन नहीं हो सकता है। जो रॉक फास्फेट मिला है वह लो ग्रेड का मिला है। बेनीफीशियरी प्लान्ट लगाये बिना वह हाई ग्रेड का नहीं हो सकता इसलिए प्लान्ट तो लगाया ही जायेगा। राज्य सरकार ने भारत सरकार को प्रिफरेंस शेयर करीब 6 करोड़ के खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की है। उनके जवाब की प्रतीक्षा है। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं किया जाना चाहिए कि बेनीफिशियरी प्लान्ट नहीं लगाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभोतसिंह।

टोंक लघु उद्योग संस्थान

362. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टोंक में नवनिर्मित लघु उद्योग संस्थान (इन्डस्ट्रियल एस्टेट) का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? कितने उद्योग लगाने हेतु प्लाट्स काटे जायेंगे? कितनों की स्वीकृति हो गई और किस-किस को?

(2) उक्त एस्टेट निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु जल-प्रदाय योजना पर कार्य कब शुरू किया जायेगा और कब से मिलने लगेगा?

(3) 1975 में वित्त निगम 'टोंक लघु-उद्योग संस्थान' में लगने वाले उद्योगों को कितना कर्ज देने का विचार रखता है?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) राजस्थान राज्य और औद्योगिक खनिज विकास निगम द्वारा बनाये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम चरण का विकास कार्य वर्ष 1975 के अंत तक पूर्ण होने की आशा है। प्रथम चरण में 29 भू-खंड उद्योग लगाने हेतु काटे गये हैं, जिनमें से 16 भूखंडों का आवंटन कर दिया गया है। आवंटित भू-खंडों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जल-प्रदाय योजना का प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है और इस वर्ष (1975) के अन्त तक मिलने की संभावना है।

(3) राजस्थान वित्त निगम द्वारा उद्यम कर्ताओं से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर ही औद्योगिक कार्यों हेतु ऋण सहायता दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 3 देखिये)

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इन्डस्ट्रियल एस्टेट बड़ी मुश्किल से बन पाया है। आपने जो कमेटी बनायी है एलाटमेन्ट के लिए उसमें एम. एल. ए. को नहीं रखा गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें एम. एल. ए. को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा जो 16 नामों की लिस्ट दी गई है इनमें से अधिकांश ने केवल जमीन लेने के लिए ही आवेदन-पत्र दिये हैं। वे भू-खंड लेकर बैठे रहेंगे और वहां पर उद्योग लगाने वाले नहीं हैं और राज्य सरकार ने इस पर जो पैसा खर्च किया है वह वेस्ट जाएगा। इसलिए, मेरा निवेदन है कि जो रिपोर्ट है उसके अनुरूप ही इन्डस्ट्री लगाई जानी चाहिए ताकि वह एस्टेट उपयोगी सिद्ध हो सके।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब फरमाएंगे?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। हाजी जान मोहम्मद।

तहसील पिड़ावा के ग्रामों में बिजली

363. श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील पिड़ावा में किन-किन गांवों को 3 वर्ष के अरसे में बिजली दी गई है?

(श्री हाजी जान मोहम्मद)

(2) क्या राजस्थान की बिजली दूसरे प्रान्तों को भी दी जा रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या पिड़ावा तहसील के लिए ऐसी कोई विद्युत की स्कीम विचाराधीन है, जिससे कि किसानों को लाभ हो सके ? अगर हां, तो वह स्कीम कब और कितने गांवों के लिए लागू होगी ?

विद्युत मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) पिड़ावा तहसील में गत 3 वर्षों में 2 ग्राम सुवास एवं घटखेड़ा खुर्द विद्युतिकृत घोषित किये गये हैं।

(2) जब जब राजस्थान को आवश्यकता से अधिक बिजली उपलब्ध होती रही है राज्य के बाहर दी गई है।

(3) जी हां, तहसील पिड़ावा के लिए एक ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना बनाने के लिए निगम को आदेश दे दिये गये हैं। इस योजना में कितने गांव सम्मिलित किये जायेंगे, अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका सर्वेक्षण अभी तैयार हो रहा है। शीघ्र इसको निगम द्वारा स्वीकृत कराने की कार्यवाही चल रही है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : सदरे मोअज्तरम, मैं मंत्री महोदय को अर्ज करूंगा कि वे अपने कर्मचारियों को आदेश फरमावें कि वे हमारे गांवों को भी बिजली दें ......

श्री अध्यक्ष । शुक्रिया आपको।

श्री हाजी जान मोहम्मद : सदरे मोअज्तरम तीन वर्षों के अन्दर कोई बिजली हमारे एरिया को नहीं दी गई है। मेरे ख्याल से मन्जूरी हो गई होगी, किन्तु बिजली नहीं दी गई है अब आपने पिड़ावा के लिए आदेश दे दिये हैं, शुक्रिया है आपको, परन्तु यह जानना चाहता हूं कि यह स्कीम कब शुरू करेंगे आप ? दूसरे प्रान्तों को आप बिजली दे रहे हैं, उनके नाम भी बता दीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रश्न के भाग दो में आपने पूछा है कि "राजस्थान की बिजली दूसरे प्रान्तों को दी जा रही है ? अगर हां, तो क्यों ?" मैंने इसका जवाब दिया है कि "जब-जब राजस्थान को आवश्यकता से अधिक बिजली उपलब्ध रही है, वह बिजली राज्य के बाहर दी गई है।" प्रान्तों के नाम आपने नहीं पूछे हैं, इसलिए नाम देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : अब बता दीजिए ?

श्री हीरालाल देवपुरा । जो विद्युतिकरण की योजना स्वीकृत की गई है, उसका सर्वे हो रहा है। सर्वे होने के बाद करीब 40-50 गांव आ जायेंगे। यह अभी कम्पलीट नहीं हो पाया है। कम्पलीट होते ही उसको दिल्ली स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। एक आध महीने का समय इसमें और लगेगा और अगले वित्तीय वर्ष में काम चालू कर दिया जायेगा।

श्री हाजी जान मोहम्मद : लोग परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष : जल्दी फरमाएंगे।

श्री पी. के. चौधरी : सर्वे कब तक होगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : फीजिकल सर्वे हो चुका है। सर्वे का प्रतिवेदन तैयार हो रहा है। ज्यादा समय लगने का सवाल नहीं है। अब तो प्रोसेसिंग का काम है। कार्पोरेशन की मिटिंग महीने में एक बार होती है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : सर्वे कब तक हो जायेगा ? सर्वे नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अब तो इतमिनान फरमाइये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : जो सवाल पूछा है, उसके बारे में जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया है, स्पेसिफिक नेम्स आफ प्राविन्सेज नहीं बताये हैं···

श्री अध्यक्ष : यह पूछा ही नहीं गया है ?

श्री राजेन्द्र भारतीय : किस-किस प्रांत को बिजली दी है यह बतादें।

अध्यक्ष : इस वक्त के प्रश्न में यह नहीं पूछा गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : सरप्लस बिजली कब-कब, किन-किन प्रान्तों को दी गई है यह इन्फार्मेशन मंत्री महोदय को देनी चाहिए। ज्यादा पावर होते हुए हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाये, इसका कारण बताया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है क्या राजस्थान की बिजली दूसरे प्रान्तों को दी जा रही है? अगर हां, तो क्यों ? इसमें नाम नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अब नाम बता दीजिए।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। सर्वे के दौरान किन विलेजेज को इन्क्लूड किया जाता है और किनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ऐसा करने का प्रिन्सीपल क्या है ? क्या मंत्री महोदय यह फरमाने की कृपा करेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आर. एस. ई. बी. की सर्वे करने की योजना क्षेत्र के हिसाब से की जाती है। ग्रामों के हिसाब से नहीं। विलेजेज के आधार पर यह नहीं है। लगभग 40 से 60 क्षेत्र से इसमें आते हैं। यह दो तरीके का होता है। एक तो वह रेग्युलर है, जहां पानी का पोटेंशियल है। जहां बिजली गई हुई है वहां और भी बढ़ाना चाहते हैं। जहां पानी का पोटेंशियल नहीं है, उसको बिजली देना है तो उसके लिए सर्वे होती है। गांवों के हिसाब से यह नहीं बनाते हैं। ऐरिया के हिसाब से बनाते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मेरा सप्लीमेण्ट्री तो समाप्त ही हो गया है। उसका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मेरा उत्तर नहीं आया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

राज्य पथ परिवहन निगम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

364. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में पिछले दो वर्षों में कुल कितनी

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
भर्ती की गई और उनमें से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का क्या प्रतिशत रहा ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती नहीं की गई ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या अल्पमत के लोगों को भी नियुक्तियां दी गई है ? यदि हां, तो इनका क्या प्रतिशत रहा ?

यातायात मंत्री (श्री मोहन लाल छंगाणी) : (1) निगम में गत दो वर्षों में कुल भर्ती 3570 की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत 8.48 और जनजाति का 2.54% रहा।

(2) जी नहीं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यार्थी समुचित संख्या में न्यूनतम योग्यता की पूर्ति नहीं करते थे अतः निर्धारित कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका।

(3) जी हां। उनका प्रतिशत 2.94 है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके पास ऐसी कौन-सी मशीनरी है जिससे आप यह पता चला लेते हैं कि दरख्वास्त देहन्दा फलां क्वालिफिकेशन के लायक नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज आप शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या मापदण्ड रखते हैं ? जो मापदण्ड आप उनके लिए रखते हैं, क्या वही दूसरों के लिए भी रखते हैं ?

दूसरी बात यह है कि यह मैट्रिक पास है या नहीं है तो इसमें तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स तो आ नहीं पायेगा। तो मेरा सवाल यह है कि क्या यह उनके साथ में इन्जस्टिस नहीं है ? इसके लिए क्या आप कोई डिपार्टमेण्टवाइज कमेटी निर्माण करने वाले हैं ? मेरा चौथा सवाल यह है कि अल्पमत को सर्विसेज में उपयुक्त स्थान नहीं मिलता है। उसका उपयोग जमाते इस्लामी और मुस्लिम लीग के लोग जिस ढंग से करते हैं, क्या यह सही है ? वेस्ट बंगाल में अल्पमत को जो रिजर्वेशन दिया है, उसको वहां की मुस्लिम लीग खत्म करना चाहती है। वह लोग वहां के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय से मिले तो उन्होंने कहा है कि आप इतनी जल्दी क्यों करते हैं ?

श्री मोहनलाल छगाणी : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां मोस्टली पोस्टें टेक्निकल, होती हैं, जैसे वाल्केनाइजर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन हैं। जहां तक अनुसूचित जाति और जनजाति के केण्डीडेट मिलते हैं, उनको अलग रखते हैं उनका क्वालीफाइंग टेस्ट उनके ही अन्दर होता है न कि दूसरी जातियों के साथ। सवाल यह है कि जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, उसका अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का केण्डीडेट नहीं मिलता है तो उन पोस्टों को हम खाली नहीं रख सकते हैं। तो उनका जब तक स्किल्ड लेवल नहीं होगा, तब तक उनकी क्वालीफिकेशन कम है। मैट्रिक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसमें ट्रेण्ड ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर होते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप यह दूसरा फरमा रहे हैं। जो अनुसूची में दिया हुआ है। वह क्या पूरा हो गया है। हम उनको प्रमोशन दे सकते है।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेज लाने की जरूरत है वैसे रिक्रूटमेण्ट के लिए क्वालिफकेशन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर सामाजिक स्थिति यह है, उनका जो परसेण्टेज है 27% तो हम ऐसा करें कि 28% ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करें। इतनी ट्रेनिंग तो देंगे ही। इस क्वेश्चन और उत्तर में ऐसा लगता है कि इसमे चेंज लाना होगा। आज की सामाजिक स्थिति के अन्दर, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लोग देखते है उनके साथ उनको ट्रेनिंग भी देनी होगी। तभी उनको एम्प्लायमेण्ट मिल सकता है। मैं इस दिशा में यह सोचूंगा। एक नया चेंज देने की आवश्यकता है। दूसरी चीज मैं यह मानता हूं कि माइनोरीटीज को भी दूसरे ढंग से तैयार करने की आवश्यकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह बहुत जरूरी है।

श्री हरिदेव जोशी : हमने राणा प्रताप सागर कैम्प में तेजी से स्थायी फैसले लिये हैं, इसको करने के लिए। टीचर्स में हमने कर लिया है। पुलिस में और दूसरों में हम देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए रिजर्वेशन है। वह बात अलग है। माइनोरिटीज का जो रिजर्वेशन है, उसे राजस्थान भी आगे बढ़ायेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : रिजर्वेशन कहीं नहीं है। वेस्ट बंगाल में 18% कर दिया है। चीफ मिनिस्टर लिस्ट मंगवाते हैं। अगर कहीं 18% नहीं है तो वह करते हैं। 6 या 7% पापुलेशन है।

श्री हरिदेव जोशी : माइनोरिटीज को प्रोटेक्शन देने की बात है। अगर पापुलेशन को पर्सेन्टेज से ज्यादा भी प्रोटेक्शन मिलता है तो कोई बात नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इस बारे में मैं कहूंगा···

श्री हरिदेव जोशी : आप उसको क्यों बिगाड़ने की कोशिश करते हैं।

मैं इस चीज को इस ढंग से देखूंगा। क्योंकि ओवर रिजर्वेशन को हाईकोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया है। मैं इसको इनफार्मल वे में इम्प्लीमेण्ट करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री संधु।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय,···

श्री अध्यक्ष : (श्री शंकरलाल से) आप क्यों प्रयत्न कर रहे है ?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, माइनोरिटीज में होने के कारण से (व्यवधान) उनको सर्विसेज से निकाला जा रहा है, जैसा कि गंगानगर में है, बीकानेर में है। वहां पर उनको जानबूझ कर निकाल रहे हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, ने कहा है कि रावत भाटा कैम्प के बाद शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी है। मैं आंकड़े दे रहा हूं। जो ड्राइवर रहे हैं, उनको सारे के सारे ले लिये हैं। एल. डी. सी 225, शिड्यूल्ड कास्ट्स 28, शिड्यूल्ड ट्राइब्स 25। इस प्रकार से रावतभाटा कैम्प के बाद जितने केण्डीडेट्स क्वालीफाइंग करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जगह दे दी जाये, ऐसा किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री पी. के चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो गवर्नमेण्ट का सरक्यूलर आया है उसमें जो 50% पोस्ट होती है, ग्रेजुएट पोस्ट में और इन्जीनियरिंग सर्विसेज में और प्रमोशन सर्विसेज में वह 25% का है। उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई रिजर्वेशन नहीं रखा जायगा। इस सम्बन्ध में क्या विचार हैं?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे ठीक से जानकारी नहीं हैं। मैं समझूंगा उसके बाद ही कह सकूंगा।

श्री शंकरलाल : माननीय मुख्य मंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जन जाति के बारे में विचार करने की बात कही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो समाज कल्याण विभाग से घोषित हैं। उनके बारे में भी ध्यान रखने की कृपा करेंगे ? क्या इस प्रकार का आश्वासन देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री करनसिंह (डीग) : क्या यह सही है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो ड्राईवर प्राईवेट बसों पर चलते थे उन को एक साल डिपार्टमेंट के दरवाजे खटखटाते हो गया; लेकिन उनको आज तक जगह नहीं मिली है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : करनसिंह, डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके साथ ही इसका भी जवाब दे दें कि नेशनेलाइजेशन के बाद, पहले जो प्राईवेट बसें चलती थीं, उनके ड्राइवरों की हालत दयनीय हो गई है, सैंकड़ों की संख्या में ड्राइवर, खास तौर पर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के, एक एक साल से इधर-उधर फिर रहे हैं। उनकी बीस-पच्चीस साल की नौकरी हो गई है, उनको दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल सकती है, क्या उनको रोडवेज के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी जायगी ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : साठ-सत्तर जो अपरूटेड बस आपरेटर्स थे, उनके ड्राईवर और कन्डक्टर को हमने एवजार्ब किया है, लेकिन जो हमारे क्राईटेरिया में नहीं आते थे उनको नहीं किया गया है। ऐसे कोई कैसेज हुए और काबिल हुए ड्राईवरी करने के लिए और बूढ़े नहीं हुए तो निश्चित रूप से उनको नौकरी पर लगाने की कोशिश की जायगी।

प्रश्न संख्या 365

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 366

श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

श्री ओंकारलाल चौहान !

ग्राम पचपहाड़ की नदी पर पुल का निर्माण

367. **श्री ओंकारलाल चौहान** (डग): क्या सार्वजनिक-निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पचपहाड़, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ की नदी पर पुल विभाग (डिपार्टमेंट) द्वारा बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी धन-राशि स्वीकृत हुई है और अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

(2) उपरोक्त पुल कब तक जनता की सुविधा के लिए तैयार होकर खुल जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) पुल निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति 2.25 लाख रुपये की दी गई है। जनवरी, 1975 तक 2,87,780 रु. व्यय हुआ है।

(2) वर्ष 1976-77 तक पुल निर्माण की आशा है।

श्री ओंकार लाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुल निर्माण का जो 76-77 का बताया, इसके लिए पूरी धन-राशि कब तक खर्च हो जायगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, रिवाइज्ड एस्टीमेट के अनुसार पुल के ऊपर छः लाख रुपया खर्च होने को है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन जारी करनी है। जो प्रोग्राम बनाया है उसके आधार पर, जैसा बताया, सन् 1976-77 के वर्ष में पूरा कर दिया जायगा, मतलब जून 77 के पहले पुल पूरा कर दिया जायगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री चुन्नीलाल इन्दलिया ।

दडीबे की तांबा खान

348. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार का दडीबे की तांबा खान के विकास एवं चालू करने का कोई इरादा है ? यदि हां, तो कब और कैसे ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जुझारसिंह): जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

पाली जिले में घास विक्रय केन्द्र

396. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की आवश्यकता के अनुसार सरकारी

(श्री शंकर लाल)

बीड़ों में घास उपलब्ध होते हुए भी विक्रय व वितरण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अकाल पीड़ित जनता को घास उचित कीमत पर भी उपलब्ध नहीं हो रहा है ?

(2) जिला प्रशासन द्वारा घास विक्रय की कितने केन्द्र कहां-कहां खोलने के सुझाव राज्य सरकार को कब-कब प्राप्त हुआ और सरकार द्वारा कहां-कहां कितने विक्रय केन्द्र खोलने की स्वीकृति कब-कब प्रदान की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन द्वारा सुझाये गये सब स्थानों पर घास के विक्रय-केन्द्र खोलने की स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण हैं ?

राज्य मन्त्री, अकाल राहत (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं।

(2) जिलाधीश पाली से दिनांक 13-12-74, 23-12-74 एवं 1-1-73 को विभिन्न स्थानों पर 40 विक्रय-डिपो खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 6-1-75 को जिलाधीश के प्रस्तावानुसार प्रत्येक तहसील कम से कम एक डिपो खोलने की आज्ञा दे दी गई। इस प्रकार 8 विक्रय डिपो इस जिले में अब तक खोले जा चुके हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिला प्रशासन द्वारा सुझाये गये सब स्थानों पर विक्रय-केन्द्र प्रारम्भ करने के औचित्य पर विचार किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 4 देखिए)

श्री शंकरलाल : जो औचित्य पर विचार करने की बात कह रहे हैं जब कि प्रश्न संख्या 1 में स्वयं ने स्वीकार किया है, घास पाली जिले में काफी है, पर केन्द्र न खोलने के कारण लोगों को घास नहीं मिल पा रही है और अकाल ग्रस्त जनता घास न मिलने के कारण दुखी है। वहां केन्द्र खोलने में क्या दिक्कत है ? एक तरफ घास उपलब्ध है पाली जिले में लेकिन घास इसलिए नहीं मिल पाती है कि आप तहसील हैड क्वार्टर पर एक जगह खोलते हैं। हर तहसील के लोग एक जगह कैसे जा सकते हैं ? जहां घास का अभाव है वहां लोगों को कहते हैं कि केन्द्र पर जायं। यह वितरण-व्यवस्था की बात है, घास मौजूद है, लोग घास देने और लेने को तैयार हैं। तो जो विक्रय केन्द्र खोलने की बात है उसमें क्या विचार करने की बात है—यह समझ में नहीं आता।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसलिए विचार करने की आवश्यकता पड़ी, अब तक पाली जिले में सात विक्रय केन्द्र खोले गये थे, उन पर दो हजार क्विन्टल घास का आवंटन किया था, उसमें से 187 क्विन्टल घास ही बिक पाया, इसलिए यह सोचा कि दो हजार क्विन्टल घास का आवंटन किया और 187 क्विन्टल ही घास का विक्रय हो पाया है तो लोग ज्यादा लेने को इच्छुक नहीं है। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि घास लेने वालों की कमी नहीं है और समझते हैं कि डिपो की आवश्यकता है, तो डिपो खोल देंगे—उसमें कठिनाई नहीं है।

श्री शंकरलाल : वह माइग्रेटेड कैटल के लिए सेन्टर थे। माइग्रेशन के बाद तैयार हुए इसलिए घास कम बिकी। इसका मतलब यह भी है कि जगह-जगह से एक जगह नहीं जा सकते और जहां जरूरत है वहां ता नहीं खोले और जहां जरूरत नहीं हैं वहां खोले गये इसलिए लोग कम आए। तहसील में एक रखा है, तहसील हैडक्वाटर पर तो तीस चालीस मील चलकर लोग कैसे आ सकते है?

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : आपने जो घास की विक्रय दर तय की है वह 25 रुपये राहत विभाग से तय की है जबकि कास्ट 13 रुपये आती है। जैसलमेर में 25 रुपये क्विन्टल लोग लेने की स्थिति में नहीं है, यह रेट ज्यादा है जबकि 13–14 रुपये कास्ट आफ प्रोडक्शन आती है।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : एक सप्लीमेन्ट्री मैं भी पूछना चाहूंगा। राज्य सरकार का यह तो निश्चित इरादा है कि पाली जिले की उस घास को पाली में ही रखा जायगा? इसका भी स्पष्ट उत्तर दे दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह निष्क्रमण डिपो थे। वह निष्क्रमण डिपो नहीं थे, बल्कि विक्रय केन्द्र सात खोले गये थे। यह बात जरूर है कि तहसील हैडक्वाटर पर एक एक विक्रय केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी है। ज्यादा की आवश्यकता महसूस की जाती है तो राज्य सरकार को दिक्कत नहीं है, स्वीकृति दे दी जायगी। पाली जिले में जो घास पड़ी हुई है उस घास को वहीं विक्रय करने का प्रश्न है। राज्य सरकार की मन्शा है कि वहां की आवश्यकता है उसके अनुसार पाली जिले को घास का वहीं विक्रय किया जायगा और वहां आवश्यकता नहीं हुई तो दूसरी जगह भेजा जायगा।

जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि घास के विक्रय की दर 25 रुपये 25 पैसे रखी गयी है। यह केवल शहरों के लिए रखी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में 19 रुपये 50 पैसे ही रखा गई है।

श्री भोपालसिंह : यह क्या ज्यादा नहीं है जबकि एक दो महीने पहले बारह रुपये थी और अब 13 रुपये कास्ट आफ प्रोडक्शन थी। यू आर मेकिंग प्राफिट आउट आफ मिजरी आफ पिपुल।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राज्य सरकार का प्राफिट कमाने का इरादा नहीं है। ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज और दूसरी चीजों के भाव बढ़ जाने के कारण बढ़ी दर लागत की आती है। उसी पर बेचने का इरादा है। इसमे रियायत देने का इरादा नहीं है।

श्री भीमसेन : घास की कीमत मार्केट वेल्यू पर रखी है फिर राहत क्या हुई? राहत देने की कोशिश करें।

श्री भोपालसिंह : 13 में सब पड़ जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

निगम की बसों से एक्सीडेंट्स

37. **श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 अप्रेल 1972 से 31 जनवरी, 1975 तक रोडवेज की कितनी बसों के एक्सी-

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
डेंट हुए उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए ?

(2) घायलों तथा मरने वालों को क्या मुआवजा दिया गया है तथा नियमानुसार प्रत्येक घायल या मृतक के लिए मुआवजे की राशि क्या है ?

(3) उक्त एक्सीडेंटस् से रोडवेज को कितनी हानि हुई ?

यातायात मंत्री (श्री मोहन लाल छंगाणी) : (1) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) घायलों तथा मृतकों के परिवारों को भुगतान किये गये मुआवजे की राशि वर्षवार निम्न है :—

रु.	1972	77,093.12
रु.	1973	29,633.22
रु.	1974	2,07,023.22
रु.	1975	8,345.50

मृतक तथा घायलों को मुआवजे देने की राशि के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं । यह मुआवजा अदालतों के निर्णयानुसार दिया जाता है ।

(3) इससे सम्बन्धित सूचना का पृथक से लेखा नहीं रखा जाता है क्योंकि अधिकतर मरम्मत आदि निगम की कार्यशालाओं में ही की जाती है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 5 देखिए)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मंत्री ने वेग दिखलाई दिया है । इसके अलावा जितने एक्सीडेन्ट हुए हैं, उसकी सूचना नहीं है कि उससे कितना नुकसान हुआ है । आज इन्होंने मेरे पास सूची भेजी है, उसके अनुसार 1972–73 में 91 दुर्घटनाएं हुईं, 13 मरे और 14 घायल हुए, 1973–74 में 141 बस दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 27 आदमी मरे और 51 घायल हुए । अप्रेल 74 से जनवरी 75 तक 392 दुर्घटनाएं हुईं, 34 आदमी मरे जिनमें और 49 घायल हुए । आप इसको देखें, माननीय मंत्री महोदय से मैं चाहूंगा, आज दुर्घटनाएं हर साल बढ़ रही हैं, आपका यह नियम नहीं है कि लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके लिए नियम नहीं बना रखा है कि कितना मुआवजा दिया जायगा । आप अपने तरीके से जो आपकी मर्जी आये वह दे देते हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या कारण है, आपके निगम को बसों के एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं । पहली बात । और उनको रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? क्या इरादा है, माननीय मंत्री कहेंगे । थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस में इन्श्योरेन्स से मिलता है । लेकिन क्या रेल्वे की भांति इरादा है कि रोडवेज के एक्सीडेंट में जो मरते हैं, उनको कम्पन्सेशन की कितनी राशि देने का इरादा रखते हैं ? यह भी बतायें कि इसके कारण कितना व्यय हुआ है ड्राइवरों की इनएफीशियेन्सी के कारण । यह अहम प्रश्न है । इसका वेग जवाब देकर इसको टाल रहे हैं । मेरे जो प्रश्न हैं इनका जवाब दें मंत्री महोदय ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय यह कहना कि रोडवेज में एक्सीडेन्ट ज्यादा होते हैं, मेरा खयाल है कि माननीय

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
सदस्य की जानकारी पूरी नहीं है। वह इसलिए कि मैं कम्पेरेटिव डेटा दे सकता हूं हर स्टेट का उससे मालूम हो जायेगा कि दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में राजस्थान में बहुत कम एक्सीडेन्ट हुए हैं। राजस्थान में पर वन लेक किलोमीटर एक्सीडेन्ट का पर्सेन्टेज 0.22 है जबकि दूसरी स्टेट्स में निम्न प्रकार से है:--

आन्ध्रप्रदेश	0.51
मैसूर	0.26
बिहार	0.27
गुजरात	0.47
अहमदाबाद	0.47
हरियाणा	0.22

इस प्रकार से राजस्थान में एक्सीडेन्ट हुए हैं। इसका कारण यह भी है कि पहले की अपेक्षा रोडवेज की बसों का विस्तार हुआ है और आदमी में जब गतिशीलता ज्यादा आती है, जैसे जब आदमी हवाई जहाज में उड़ेगा तो उसकी गिरने की संभावना भी रहती है। इसके अलावा हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक्सीडेन्ट नहीं हों। हमारी बसों का ड्राइवर कितना भी सावधानी से गाड़ी चलावे परन्तु यदि सामने वाला सावचेत नहीं रहे तो वह क्या कर सकता है? दूसरी बात, जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, जब केस कोर्ट में चला जाता है और उसका निर्णय हो जाता है उसी के पश्चात् ही हम कोई मुआवजा दिया करते है। दूसरा जैसे टूटू की दुर्घटना हुई थी, उस केस में हमने एक्सग्रेशिया भी दिया था, लेकिन एक्सग्रेशिया हम कम दिया करते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, कृपया इसको स्थगित करवादें क्योंकि ..

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति पिपराली के प्रधान की गिरफ्तारी

357. **श्री झाबरमल सुंडा (फतेहपुर)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पिपराली, जिला सीकर के प्रधान श्री रणमल सिंह को दिनांक 19 अगस्त, 1974 को एक अध्यापक से 125 रुपये की रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के उप-अधीक्षक ने रंगे हाथों सीकर के मुख्य बाजार में गिरफ्तार किया था जहां गिरफ्तारी का कोई विरोध किसी तरफ से नहीं हुआ?

(2) क्या गिरफ्तार प्रधान के पास से हस्ताक्षरशुदा नोट जिन पर पाउडर लगाया हुआ था बरामद किये गये थे व साथ ही प्रधान की कमीज व हाथों का पानी मौके पर सील किया गया था व उस समय भीड़ के सम्मुख मौके के फोटोग्राफ उप-अधीक्षक ने बतौर सबूत लिये थे?

(श्री झाबर मल सूंडा)

(3) क्या यह भी सही है कि ज्योंहि उप-अधीक्षक ने प्रधान को गिरफ्तार करना चाहा त्योंहि उसने जल्दबाजी में लिए गये नोटों को कमीज की जेब से निकाल कर सड़क पर पटरियों पर फेंक दिया जहां से नोट लोगों के सामने उप-अधीक्षक ने बरामद कर सील किये थे ?

(4) क्या उक्त प्रधान का जो कमीज सील किया गया था उसकी जेब में कोई ऐसा दस्तावेज बरामद हुआ था जो यह साबित करता हो कि प्रधान ने दाबधौंस करके अध्यापक को घूस देने को मजबूर किया ? यदि हां, तो उक्त दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) गिरफ्तारी के बाद उक्त प्रधान कितने घन्टे तक हिरासत में रहा व उसके बाद सक्षम न्यायालय से जमानत करवा कर हिरासत से कब बाहर आ सका ?

(6) क्या उक्त मामले में प्रधान का चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 125 रुपये के नोट श्री रण-मल सिंह प्रधान द्वारा जमीन पर फेंक दिए गये थे, वहां से उठाकर पुलिस उप-अधीक्षक ने बरामद किये थे। कमीज तथा हाथों का पानी मौके पर सील बन्द किये थे। भीड़ के सम्मुख मौके का कोई फोटो बतौर सबूत के नहीं लिया गया था।

(3) प्रधान ने नोट गिरफ्तारी के पूर्व ही जमीन पर फेंक दिये थे जहां से उक्त पुलिस उप-अधीक्षक ने बरामद किये थे।

(4) जी नहीं।

(5) प्रधान की गिरफ्तारी दिनांक 19–8–74 को सायंकाल 7 बजे की गई थी और उनकी जमानत स्पेशल जज, भ्रष्टाचार निरोधक, जयपुर के न्यायालय से होने पर उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी से 21–8–74 को प्रातः छोड़ा गया था। प्रधान को दिनांक 19–8–74 को गिरफ्तारी के उपरांत पुलिस हिरासत में झुंझुनूं रखा गया था तथा अगले दिन यानि 20–8–74 को उसे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट झुंझुनूं द्वारा 10 योम के लिये ज्यूडिशियल कस्टडी (रिमाण्ड) में भेजा गया था।

(6) अभी अनुसंधान जारी है।

सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृत राशि

365. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सवाई माधोपुर जिले में किस कार्य के लिए कितना-कितना रुपया स्वीकार किया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या स्वीकृत धनराशि उन कार्यों पर व्यय की जा चुकी है या की जा रही है ?

(श्री चेतराम)
क्या कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन पर स्वीकृति होने के बावजूद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया है और बजट लेप्स होने को है ? यदि हां, तो ऐसे कार्य कौन-कौन से हैं और कार्य न कराने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1974–75 में जिन-जिन सड़कों के लिए धनराशि आवंटित की गई है उनकी सूची (अ) संलग्न है।

(2) सड़कों पर व्यय की गई धनराशि के आंकड़े उक्त सूची (अ) में अंकित कर दिये गये हैं, तथा जिन सड़कों पर कार्य अभी रुका हुआ है, उनकी सूची (ब) मय कारणों के संलग्न है। शेष कार्य प्रगति पर है।

बजट लेप्स होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता

366. श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शिक्षा सत्र 1974–75 के लिये सर्वप्रथम राजस्थान में कितने निजी बी. एड. एवं एस. टी. सी. कालेजेज का एफीलियेशन (मान्यता) कैंसिल किया गया था ?

(2) प्रत्येक शिक्षण संस्था की मान्यता को निरस्तता के क्या-क्या कारण थे ? कारण की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) बाद में उन्ही शिक्षण संस्थाओं में से कितने शिक्षण केन्द्रों को पुन: मान्यता प्रदान की गई ?

(4) उन्हीं शिक्षण संस्थाओं को पुन: मान्यता प्रदान करने के क्या-क्या कारण थे ? कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) इन शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यप्रणाली बना रखी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही नहीं है कि इन शिक्षण संस्थाओं में से कइयों ने इनको निजी व्यापारिक संस्थान बना रखे हैं ? इनके प्रमाण-पत्र निरस्त करने एवं बाद में उनको पुन: मान्यता प्रदान करने से क्या वातावरण उत्पन्न हुआ ?

उत्तर

(1) सत्र 74–75 में राजस्थान में 6 बी.एड कालेजों को मान्यता निरस्त की गई। किसी भी बी. एस. टी. सी. विद्यालय की मान्यता निरस्त नहीं की गई।

(2) उक्त संस्थाओं की मान्यता राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त की

(शिक्षा मंत्री)

गई थी। ये कालेज उचित स्तर के नहीं थे, और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करते थे।

(3) 3 बी. एड. कालेजों को।

(4) इन विद्यालयों का विश्वविद्यालय की इन्स्पेक्टर्स की टीम ने पुन: निरीक्षण किया और सिंडीकेट ने उन्हे पुन: कुछ शर्तों के साथ अस्थाई मान्यता दे दी।

(5) इन कालेजों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय ही निश्चित करता है।

(6) ऐसी कोई जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लोकायुक्त के कार्यालय में दर्ज मामले

190. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बून्दी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे:--

लोकायुक्त की नियुक्ति के पश्चात् कितने केसेज उनके यहां दर्ज हुए, कितने उन्होंने अब तक फैसले किये और कितने पेंडिंग हैं? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

लोकायुक्त की नियुक्ति के दिनांक 28 अगस्त, 1973 से अब तक कुल 1494 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 1355 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है तथा 139 शिकायतें अभी पेंडिंग हैं।

अधिनियम संख्या 9, 1973 की धारा 10 (2) के अन्तर्गत शिकायतों का, विशेष मामलों के अलावा, अन्वेषण प्राईवेट तौर पर किया जाना चाहिये और विशेषत: शिकायतकर्त्ता तथा अन्वेषण से प्रभावित लोक सेवक का परिचय अन्वेषण के पूर्व, दौरान या पश्चात् जनता या प्रेस के समक्ष प्रकट नहीं किया जायेगा। अत: प्रत्येक शिकायत के बारे में शिकायतकर्त्ता व सम्बन्धित लोक सेवक का परिचय देना प्रावधानों के विपरीत पड़ता है।

राजस्थान नहर की सीमेन्ट की चोरी

191. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के सीमेन्ट की चोरियों के वाके जिले बीकानेर में हुए? यदि हां, तो कहां-कहां कब-कब कितनी-कितनी सीमेन्ट के? पूर्ण विवरण एवं कार्यवाही सहित सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(2) क्या यह सही है कि राजनैतिक दबावों एवं अन्य किन्हीं कारणों से उपरोक्त चोरियों का पुलिस पता लगाने में असमर्थ रही है? यदि हां, तो कारणों का हवाला देते हुए सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(3) क्या यह सही है कि माह दिसम्बर में चूरू जिले के सरदार शहर में भी राजस्थान नहर की सीमेन्ट पकड़ा गयी? यदि हां, तो कितनी-कितनी किस किस के और सम्पूर्ण कार्यवाही सहित जानकारी देने की कृपा करें।

(गृह मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। वान्छित सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(2) जी नहीं। मुकद्दमात में हुई प्रगति का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(3) तहसीलदार सरदारशहर ने श्री इमसखान से 8 बेग व श्री घासी धोबी से 17 बैग सीमेन्ट दिनांक 9-12-74 को जब्त की, जिसके संबन्ध में अपराध संख्या 78/74 धारा 3/7 ई. सी. एक्ट के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर तफतीश की जा रही है। अब तक की तफतीश से यह साबित नहीं हो पाया कि यह सीमेन्ट कहां से लाई गयी थी?

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुलिस फोरेन्जिक साईन्स लेबोरेटरी

192. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पुलिस फोरेन्सिक साइन्स लेबोरेट्री, राजस्थान में कार्यरत कर्मचारी प्रशिक्षित हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रशिक्षित करने का विचार रखती है?

(2) पुलिस फोरेन्सिक साईन्स लेबोरेटरी, राजस्थान में प्रयोग में आने वाले एपेरेटस व अन्य उपकरणों की कुल क्या लागत है और क्या वे उपयोग में लाये जा रहे हैं?

(3) उपर्युक्त लेबोरेटरी में राजस्थान पुलिस द्वारा कितने केसेज परीक्षणार्थ बाहर भेजे गये व कितने केसेज का परीक्षण उक्त विभाग में किया गया? विवरण तालिका सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर के कर्मचारियों को एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धि, आवश्यकता और उपयुक्तता के आधार पर प्रशिक्षण दिलवाया गया है। जो कर्मचारी अब तक प्रशिक्षित हो चुके हैं उनका ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित किया हुआ है। प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धि तथा प्राथमिकता के अनुसार अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये भेजने की व्यवस्था की जावेगी।

(2) पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर में प्रयोग में आने वाले एपरेटस एवं अन्य उपकरणों की लागत लगभग 15 लाख रुपये है। ये एपरेटस एवं उपकरण केसों के परीक्षण में आवश्यकतानुसार काम में लिये जाते हैं।

(3) राजस्थान पुलिस से सन् 1974 में जो केसेज प्राप्त हुये व उनका परीक्षण किया गया, उनका विवरण निम्न प्रकार से है:—

सन् 1974

केसेज प्राप्त हुये	केसेज जिनका परीक्षण किया गया	केसेज जो परीक्षार्थ बाहर भेजे गये	शेष विचाराधीन हैं।
1554			
	856	291	
	एग्जीबिट्स 5325		

Page No 30

(30)

(गृह मंत्री)

प्रयोगशाला के भा-चित्र अनुभाग में वर्ष 1974 में 2391 नेगेटिव एवं 4115 प्रिन्ट्स तैयार किये गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान की स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में घोटाला

193. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कुल कितनी संख्या में आज तक रजिस्टर्ड हुई हैं और उनमें से कितनी ईकाइयां कार्य कर रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष के सर्वे के दौरान काफी ईकाईयां बराये नाम रजिस्टर्ड थीं और कच्चे माल का कोटा ब्लेक में भारी मुनाफा लेकर बेचती थीं ? अगर हां, तो किस-किस जिले में कितनी ईकाईयां फर्जी कोटा उठाती हुई पायी गई तथा किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? ब्योरेवार सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या इस कोटा घोटाला कांड में कोई अधिकारी भी दोषी पाया गया है ? अगर हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) इकाइयां फर्जी कोटा न उठा सकें सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? अब तक यदि कोई कार्यवाही की गई हो तो सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

उत्तर

(1) 21-1-75 को प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार 18578 इकाइयां पंजीकृत थीं और 16227 इकाइयां कार्यरत थीं।

(2) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(3) सूचना एकत्रित होने पर ही इस का निर्णय हो पायेगा।

(4) ईकाईयां फर्जी कोटा न उठा सकें इसके लिये निम्न कदम उठाये गये हैं।—

1. बन्द ईकाईयों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिये गये हैं।

2. कच्चे माल का वितरण ईकाईयों की उत्पादन क्षमता के आधार पर किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। लोहे के बारे में सभी ईकाईयों की उत्पादन क्षमता आंकी जा चुकी है और उसके आधार पर पास बुक जारी करदी गई हैं। बाकी कच्चे माल के संबन्ध में भी उत्पादन क्षमता का निर्धारण जल्दी करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

3. सभी इकाइयों से उत्पादन सम्बन्धी पूर्ण सूचना त्रैमासिक देने को कहा गया है जिसका प्रमाणीकरण उद्योग विभाग के अधिकारी स्वयं इकाई की जांच कर करेंगे।

4. कच्चे माल के दुरुपयोग के मामलों में इकाई पर तथा सबंधित दोषी कर्मचारी पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

Page No 31

(31)

योजनाओं में प्रति व्यक्ति व्यय की गई राशि

194. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार ने सन् 56–57 से लेकर सन् 73–74 तक कुल योजनाओं में विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया ? सदन में आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजनाएं एवं चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया ? प्रत्येक योजना के अलग से जिलेवार आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतः सन् 56–57 से 73–74 तक कुल प्रति व्यक्ति व्यय के आंकड़े देना संभव नहीं है।

(2) दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं व तीन वार्षिक योजनाओं में जिलेवार प्रति व्यक्ति व्यय के आंकडे संलग्न हैं। प्रथम व चौथी पंचवर्षीय योजना के जिलेवार प्रतिव्यक्ति व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

मुअत्तिल वैद्य एवं अधिकारी

195. श्री हनुमानसहाय (बैराठ) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सच है कि गत 5 वर्षों से अनेकों वैद्य एवं अधिकारीगण तक को मोअत्तिल एवं बहाल किया गया है ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में किस-किस को कब-कब और किन-किन कारणों से मोअत्तिल किया गया ? तथा कब-कब किन-किन कारणों से बहाल किया गया ? यदि नहीं किया गया तो किन-किन कारणों से अब तक मोअत्तिल किये हुए हैं ?

(2) क्या मोअत्तिल करने से पूर्व स्पष्टीकरण लिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सच है कि अनेकों कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार विभाग में शिकायतें पेंडिंग हैं ? यदि हां, तो किन-किन की और कब से ?

उत्तर

(1) जी हां। गत पांच वर्षों में मोअत्तिल किये गये वैद्यों एवं अधिकारियों की तालिका मय निलम्बन करने, बहाल करने एवं अब तक बहाल न करने के कारणों सहित संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस विभाग के अधीन ऐसे समस्त वैद्य एवं अधिकारीगण के विरुद्ध गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवा नियम (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) 1975 की धारा 13 की उपधारा (1) में वर्णित नियमित प्रक्रिया के अनुसार ही

(आयुर्वेद मंत्री)

निलम्बन आदेश प्रसारित किये गये थे। इन मामलों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए निलम्बन आदेश जारी करने से पूर्व स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया गया है।

(3) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मामले चल रहे हैं उनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिए)

श्री डूंगरगढ़ में पीने के पानी के कुओं के बिलों का भुगतान

196. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री डूंगरगढ़ तहसील, जिला चूरू में वर्ष 1972–73 व 1973–74 में अकाल राहत के अन्तर्गत ठेकेदारों द्वारा बनाए गए पीने के पानी के कुओं के बिल का भुगतान तहसीलदार द्वारा उस समय राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि 31 मार्च, 1974 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आखिरी दिन तहसीलदार श्री डूंगरगढ़ ने भिन्न-भिन्न ठेकेदारों के नाम की राशि अनुमानित 50 हजार रुपया ड्रा कर ठेकेदारों को भुगतान के लिए इम्प्रेस्ट में रख ली थी जो शायद अभी तक भी इम्प्रेस्ट में हो सकती है ?

(3) यदि हां, तो किस-किस ग्राम के किस-किस कुए के किस-किस माह की पिलाई के ठेके की कुल कितनी राशि ड्रा कर इम्प्रेस्ट में रखी थी जिसमें से किन-किन ठेकेदारों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया व कितनी राशि शेष रही। क्यों रही और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि राशि तत्कालीन जिलाधीश चूरू ने आदेश देकर रोकी थी ? यदि हां, तो क्या आदेश दिया था व उस पर क्या कार्यवाही आज तक की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। इस राशि का अब कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। अकाल राहत के अन्तर्गत ठेकेदारों द्वारा पीने के पानी के कुओं के बनवाने का कोई भुगतान बकाया नहीं है। पीलाई के कुओं की राशि का भुगतान करने हेतु उपलब्ध बजट से डूंगरगढ़, रतनगढ़ एवं सरदारशहर तहसीलदार को राशि आवंटित करदी गई थी।

(2) यह सही नहीं है कि दिनांक 31 मार्च, 1974 को राशि उठाकर इम्प्रेस्ट में जमा रखली गई थी और न कोई राशि इम्प्रेस्ट में जमा है।

(3) कोई राशि ड्रा करके इम्प्रेस्ट में नहीं रखी गई है लेकिन डूंगरगढ़ तहसील में ग्राम उदासर के कुए का माह अप्रेल से माह जुलाई, 73 तक का बिल श्री सन्तोषकुमार पुत्र श्री रामप्रसाद भाट, साकिन माडसर का 14998 रुपये 58 पैसे का भुगतान एवं

(अकाल सहायता मंत्री)

ग्राम घोसिया के कुए का माह मार्च से जुलाई, 73 तक श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाट सा. बाडसर का 13761 रुपये का भुगतान बाकी है। इन कुओं पर इतनी बड़ी राशि का देय राज्य सरकार ने संदेहास्पद माना है और अभी भुगतान नहीं करने के निर्देश दिये हैं और इसकी जांच की जा रही है। विभागीय जांच के बाद इस रकम का शीघ्र ही चुकारा कर दिया जावेगा।

(4) जी हां, जिलाधीश महोदय ने आदेश दिया था प्रश्न 3 में वर्णित व्यक्तियों को भुगतान के सिलसिले में जब तक तहसीलदार स्वयं जांच न करले और जिलाधीश से आज्ञा न ले, क्लेम का भुगतान न किया जाये। जिलाधीश से यह भी पूछा था कि यह क्लेम वाजिब है और अब तक भुगतान न होने के क्या कारण रहे। अपने दूसरे आदेश पत्र संख्या एफ. 14 (1) सहा।73-74।पार्ट 3/848 दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 के क्रम में यह भी आदेश दिया कि उप जिलाधीश, रतनगढ़ के जांच प्रावधान में वर्णित ग्रामों को भीखाई भुगतान का चुकारा सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रस्तावित जांच के अन्तिम निर्णय तक नहीं दिया जायेगा। जांच जारी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

विराटनगर तहसील के अभावग्रस्त गांवों में राहत कार्य

197. श्री हनुमान सहाय (बैराठ) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सच है कि तहसील विराट नगर में वर्ष 72–73, 73–74, एवं 74–75 में वर्षा के अभाव तथा शीत लहर एवं अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो चुकी थीं ? यदि हां, तो किस किस ग्राम में ? तथा किस ग्राम को अभाव एवं अकालग्रस्त घोषित किया गया तथा उन ग्रामों में क्या क्या राहत कार्य प्रारम्भ किये गये तथा उन पर कितनी कितनी राशि व्यय की गई ? समस्त विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या इन राहत कार्यों को जो अपूर्ण हैं, उन्हें पूर्ण कराये जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और कैसे ?

(3) क्या यह सच है कि राहत कार्य योजना के तहत कृषि कूप निर्माण योजना के तहत तहसील विराट नगर में कुये निर्माण कराये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति को और किस किस ग्राम में तथा कितनी कितनी धनराशि का ऋण एवं अनुदान दिया गया और कितनी कितनी सीमेन्ट दी गई ?

उत्तर

(1) **जी हां,** तहसील विराटनगर में वर्ष 72–73 एवं 73–74 में वर्षा के अभाव से फसलें नष्ट हो गई थीं। ऐसे ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वर्ष 72–73, 73–74 एवं 74–75 में जिन ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया था ऐसे ग्रामों की सूची संलग्न है। वर्ष 73–74 में शीतलहर से किसी ग्राम को कोई हानि नहीं हुई। अतः कोई ग्राम अभाव ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(अकाल राहत मंत्री)

वर्ष 72–73 एवं 73–74 में अभाव ग्रस्त ग्रामों में जो राहत कार्य प्रारम्भ किये गये थे उनकी सूची मय खर्च की गई राशि के संलग्न है। वर्ष 74–75 में राहत कार्य तहसील के आधार पर नहीं आरम्भ किये गये हैं।

(2) जी हां, प्लान वर्क होने पर इनको पूरा कराये जाने का प्रयास किया जायगा।

(3) यह सही है कि कृषि कूप निर्माण योजना के तहत तहसील विराट-नगर में कुए निर्माण किये गये थे। जिस जिस ग्राम में धनराशि एवं अनुदान तथा सीमेन्ट दिया गया है। उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर जिले में पौष्टिक आहार का वितरण

198. **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोखा) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर जिले में पौष्टिक आहार दिये जाने में सन् 1971 से दिन प्रति दिन कमी की जा रही है? यदि नहीं, तो 1 जनवरी सन् 71 से 31 दिसम्बर सन् 74 तक किन संस्थाओं एवं व्यक्तियों के माध्यम से कितना पौष्टिक आहार वितरित किया गया है? विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि इस जिले के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को पेट भर भोजन नहीं दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने को तैयार है?

(3) क्या छात्रावासों के सुपरिन्टेन्डेन्ट छात्रों के भोजन की व्यवस्था में मन मानी तौर तरीके अपनाते हैं?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में सन् 1971 से 31 दिसम्बर, 1974 तक विशेष पौषाहार वितरण में कोई कमी नहीं की गई है लेकिन प्रशासक केयर के निर्देशन से सलाद तेल की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी की गई है। पूर्व में प्रति लाभान्वित प्रति दिन 3 औन्स सी. एस. एम. व 1 औन्स सलाद तेल दिया जाता था। लेकिन 17 अगस्त, 1973 से सलाद तेल की मात्रा 1/2 औन्स करदी गई है। तत्पश्चात् 12 अक्तूबर, 73 से सी. एस. एम. के बजाय बलगर व्हीट प्रयोग में लेने के कारण सलाद तेल की मात्रा 1/4 औन्स प्रति लाभान्वित प्रति दिन कर दी गई है।

1 जनवरी सन् 1971 से 31 दिसम्बर सन् 1974 तक पौष्टिक आहार के लिये बीकानेर में 8,77,881 पौंड सी.एस.एम. एवं 2,13,153 पौण्ड सलाद तेल का वितरण किया गया है।

विशेष पौष्टिक आहार के लिये सी. एस. एम. व सलाद तेल केयर द्वारा जिला

Page No 35

(35)

(समाज कल्याण मंत्री)

परिषदों को सप्लाई किया जाता है और सम्बन्धित जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के इन्डेन्ट से यह सामान जिला परिषद् के गोदामों से विशेष पोषाहार केन्द्रों पर सप्लाई किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारियों द्वारा जिला परिषद् से उक्त सामान प्राप्त कर केन्द्र चलाये जाते हैं।

(2) जी नहीं। समाज कल्याण विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) जी नहीं। छात्रावासों में रहने वाले छात्र / छात्राओं के लिये भोजन आदि की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार द्वारा स्केल निर्धारित है। छात्रावासों में अधीक्षक इसी निर्धारित स्केल के अनुसार भोजन की व्यवस्था करते हैं।

जावर माइन्स संघ उदयपुर

199. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली):—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जावर माइन्स मजदूर संघ उदयपुर के सन् 68 के बेलेन्सशीट में एसेट्स आईटम की तरफ सस्पेन्स एकाउन्ट के हैड में कुल कितनी धनराशि बताई गई है? कृपया इस रकम का अलग अलग विगत वार ब्यौरा देने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त एकाउन्ट के इन्द्राज वास्तविक सम्पत्तियों और लेनदारियों के द्योतक न होकर मात्र फर्जी हैं? यदि नहीं, तो उक्त हिसाब के सपोर्टिंग वाउचर सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बीकानेर जिले में टैक्स चोरी के मामले

200. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में सन् 1972 से 1974 तक टैक्स चोरी के मामले किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध पकड़े गये? सूची पूर्ण विवरण अंकित करते हुये सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में सन् 1972 से 1974 तक कुल 117 कर चोरी के अभियोग बनाये गये हैं।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य पर ऋण

201. श्री जनार्दनसिंह (गांधी नगर, जयपुर)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पर इस समय कुल कितना ऋण है?

(2) इस ऋण में से कितनी धनराशि स्थायी निर्माण कार्यों में व्यय की गई है व

(श्री जनार्दनसिंह)
कितनी राशि प्रशासनिक कार्यों पर ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) ऋणों की प्राप्ति एवं भुगतान के अनुसार ऋण की स्थिति समय समय पर बदलती रहती है। वास्तविक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान वर्ष के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य पर कुल 876.91 करोड़ रुपये का ऋण था।

(2) राज्य को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि संचित निधि में सम्मिलित की जाती है तथा समस्त व्यय उस निधि में से किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में कर्ज के रूप में प्राप्त राशि में से कितनी राशि स्थायी निर्माण कार्यों तथा कितनी राशि प्रशासनिक कार्यों पर व्यय की गई, बतलाना संभव नहीं है।

लोगों की आर्थिक स्थिति

202. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1971 से बराबर लोगों की आर्थिक स्थिति के कमजोर होने का प्रतिशत बढ़ रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह स्थिति उत्पन्न होने का मुख्य कारण योजनाबद्ध ढंग से मजदूरों को काम न देना उत्पादन न बढ़ाना, अकाल व बाढ़ प्रकोप व बढ़ी हुई जन संख्या है ? वर्ष बार कितने प्रतिशत बेकारों की बढ़ोतरी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) यह भी बताने का कष्ट करें कि सरकार इस प्रतिशत को घटाने के सम्बन्ध में क्या कारगर कदम उठा रही है।

उत्तर

(1) सन् 1971 से लोगों की आर्थिक स्थिति के कमजोर अथवा सशक्त होने के सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी प्रति व्यक्ति औसत आय के आधार पर जनता की सामान्य आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जा सकता है। सन् 1971-72 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर (1954-55) रु. 286 थी जो कि 1973-74 में रु. 304 हो गई। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में 6.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेरोजगारी के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष बार बेकारों की संख्या का अनुमान केवल सेवा नियोजन निदेशालय की जीवित पंजिका के आधार पर लगाया जा सकता है। इसके अनुसार वर्ष 1970 से 1974 तक नियोजन विभाग की जीवित पंजिका पर रोजगार चाहने वालों की संख्या निम्न प्रकार थी:—

वर्ष (31 दिसम्बर को)	संख्या	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
1970	1,28,995	
1971	1,39,825	+ 8.4%
1972	1,71,717	+ 22.8%
1973	1,78,497	+ 3.9%
1974	2,29 212	+ 28.4%

(आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री)

(3) राज्य सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारी को कम करने का प्रयास करती रही है। सरकार ने विशेष रूप से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस समस्या को हल करने का यथा संभव प्रयास किया है। विगत 2–3 वर्षों में विशेष रोजगार योजनायें प्रारम्भ की गई हैं जिनमें हाफ–ए–मिलियन जोब्स प्रोग्राम, स्पेशल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम, प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विस्तार, डी.पी.ए.पी., क्रेश प्रोग्राम फोर रूरल एम्प्लायमेंट, एस.एफ.डी.ए.,एम.एफ.ए.एल. इत्यादि उल्लेखनीय है। इसके अलावा राज्य की विभिन्न योजनाओं जैसे सड़क, भवन निर्माण, सिंचाई व विद्युत् कार्यक्रम, वन व भूमि संरक्षण; शिक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों, इत्यादि के माध्यम से भी काफी व्यक्तियों को रोजगार की सुविधायें प्रदान की गई हैं एवं पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी करवाई जाएंगी।

श्रीगंगानगर जिले में सेवा निवृत्त अध्यापक

203. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला श्रीगंगानगर में कितने ऐसे सेवा निवृत्त अध्यापक (पंचायत समितियों सहित) हैं जिनके पेन्शन के मामलों पर निर्णय नहीं लिया गया है, जिनका अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ, और जिन्हें अभी तक ग्रेच्युएटी नहीं दी गई ? यदि हां, तो कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) उक्त मामलों में क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक इन पर निर्णय लिये जाने की आशा है ?

(ग) क्या यह सच है कि दिनांक 2-6-70 को सेवा निवृत्त श्री प्रतापसिंह भदोरिया ए. 11 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर का आज तक न फिक्सेशन किया गया, न आज तक ग्रेच्युएटी दी गई और न ही पेन्शन केस में निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार भविष्य में सेवा निवृत्ति के बाद पेन्शन आदि का निर्णय लेने के लिये कोई समय निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इन मामलों को निर्णित करवाने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्रश्न के खण्ड एक में दी गई सूची के सामने प्रगति अंकित है।

(ग) जी हां, श्री प्रतापसिंह भदोरिया तृतीय वेतन श्रृंखला 2-6-70 को सेवा निवृत्त हो गये थे परन्तु इनको जो दिनांक 1-9-61 को 15 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर सलेक्शन ग्रेड दिया गया था उस पर पंचायत समिति श्री करनपुर ने आपत्ति उठाई है। उनका कहना है कि श्री भदोरिया की योग्यता लोअर मिडिल थी अतः वे सलेक्शन ग्रेड

Page No 38

(38)

(शिक्षा मंत्री)
पाने के लिए सक्षम नहीं थे। इस सम्बन्ध में पंचायत समिति से सम्बन्धित रिकार्ड मंगवाकर शीघ्र अन्तिम कार्यवाही की जायेगी।

(घ) अवशेष प्रकरणों को शीघ्रता से तय करवाने का प्रयास जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति जवाजा के अध्यापकों के फिक्सेशन का मामला

204. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की पंचायत समिति जवाजा के अध्यापक (1) श्री भैरूसिंह पंवार ने दिनांक 13-7-1960 व जोहरीलाल टॉक ने दि. 15-7-60 को अपनी नियुक्ति अनुसार ड्यूटी ज्वाइन की थी?

(2) क्या यह सही है कि भैरूसिंह पंवार ने इण्टर, बी. ए. एवं बी. एड. क्रमशः 1964, 1968 एवं 1969 में उत्तीर्ण की थी? इसी प्रकार जोहरीलाल टॉक ने इण्टर, बी.ए., बी.एड. की परीक्षा की योग्यता क्रमशः 1964, 1969 व 1970 में उत्तीर्ण की थी?

(3) जब इन दोनों अध्यापकों का रिकार्ड यह बताता है कि नियुक्ति तिथि एवं योग्यता प्राप्ति के अनुसार जोहरीलाल टॉक से भैरूसिंह पंवार सीनियर है, तो फिर जोहरीलाल टॉक को श्री भैरूसिंह पंवार से पूर्व ही संयुक्त निदेशक, अजमेर वृत्त, शिक्षा विभाग के आदेश संख्या 1 संस्था 4—50 (10) 159/73—74 दि. 2-2-74 द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किये जाने का क्या कारण है?

(4) क्या यह भी सही है कि इस बेच के 14 अध्यापकों में से 12 अध्यापकों का फिक्सेशन पंचायत समिति जवाजा (अजमेर) द्वारा कर दिया गया है किन्तु भैरूसिंह अध्यापक का फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) श्री जोहरी लाल टॉक का अजमेर जिले की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 1943 तथा श्री भैरूसिंह पंवार का वरिष्ठता क्रमांक 1972 है इस वरिष्ठता के अनुसार श्री जोहरीलाल टॉक का रेन्ज स्तर पर पात्रता सूची में स्थान 263 तथा श्री भैरूसिंह पंवार का पात्रता क्रमांक 334 है, इससे स्पष्ट है कि श्री जोहरीलाल टांक श्री भैरूसिंह पंवार से काफी वरिष्ठ है, पदोन्नतियां विभागीय आदेशानुसार वरिष्ठता से रिक्त स्थानों पर दी जाती हैं।

(4) इस सम्बन्ध में पंचायत समिति, जवाजा से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

भरतपुर में सड़कों के लिये धनराशि

205. श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी (बयाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के लिये 1972 में भारत सरकार द्वारा जो राशि दी गई थी उसमें भरतपुर के लिये कितनी धनराशि थी ? क्या यह सारी धनराशि भरतपुर जिले की बाढ़ग्रस्त सड़कों के निर्माण अथवा मरम्मत पर खर्च कर दी गई ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि इस धनराशि में से उन जिलों में भी व्यय किया गया जो बाढ़ग्रस्त नहीं थे ? यदि हां, तो किस जिले में किस कदर धनराशि व्यय की गई और क्यों ?

(3) इन सड़कों पर भरतपुर जिले में जो निर्माण कार्य हुए क्या उन सब का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया ?

(4) जो निर्माण कार्य हुए क्या वे सब ठीक थे और क्या उनका पूर्ण रूप से निरीक्षण कर लिया गया था ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? क्या किसी कार्य की सन्तोषजनक रिपोर्ट नहीं थी ?

(5) क्या यह सही है कि बहुत से कार्य बहुत ही घटिया किस्म के हुए तथा सड़कें बनने के साथ साथ ही उखड़ती गई और जो कुछ भी थोड़ा सा सरकार का पैसा लगा वह बिल्कुल व्यर्थ गया ?

(6) क्या सरकार इस प्रकार के कार्य के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने को तैयार है ?

(7) क्या यह भी सही नहीं है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त कई सड़कों पर नहीं के बराबर काम हुआ और वे सड़कें अब भी खराब हालत में पड़ी मरम्मत की बाट देख रही हैं ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले की बाढ़ग्रस्त मार्गों की मरम्मत के लिये वर्ष 1972–73 में 14 लाख तथा वर्ष 1973–74 में 16 लाख दिया गया था। आवंटित धनराशि मरम्मत कार्यों पर व्यय करदी गई है।

(2) प्राप्त धनराशि बाढ़ग्रस्त जिलों में ही व्यय की गई है।

(3) भरतपुर जिले के वर्ष 1972–73 बाढ़ राहत सभी कार्यों का भुगतान कर दिया गया है।

(4) जो निर्माण कार्य हुये ठीक थे। समय समय पर विभागीय अधिकारियों ने निरीक्षण किये हैं। कार्य सन्तोष-प्रद थे।

(5) यह सत्य नहीं है कि कार्य घटिया किस्म के हुये तथा सड़कें बनने के साथ साथ ही उखड़ती गई एवं धनराशि व्यर्थ गई।

(6) उपरोक्त अनुसार कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(7) उपलब्ध धनराशि अनुसार मरम्मत कराई गई है। सड़कों की दशा साधारण है।

पंचायत समिति शाहपुरा (जयपुर) में न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम

206. श्री हनुमान सहाय (बैराठ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(2) क्या यह सच है कि न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत 2500–2500 की आबादी वाले ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़े जाने का निर्णय किया गया है ? यदि हां, तो इस योजना के तहत पंचायत समिति, शाहपुरा जिला जयपुर के किन-किन ग्रामों को लिया गया है तथा किन-किन सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति जारी की गई है ?

(2) क्या यह सच है कि अमरसर से बिलान्दरपुर वाया करीरी, हनूतपुरा तथा मनोहरपुर से बिलान्दरपुर वाया जगतपुरा, धानोता सड़क का निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सड़क को कब तक स्वीकृति जारी की जावेगी एवं जयपुर जिले की किन-किन सड़कों की स्वीकृति न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर के ग्राम खोरा बदखानी को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति दी गई है।

(2) अमरसर से बिलान्दरपुर वाया करीरी हनूतपुरा एवं मनोहरपुर से बिलान्दरपुर वाया जगतपुरा धानोता सड़कें वार्षिक योजना 74–75 एवं न्यूनतम आवश्यकता योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुई हैं। न्यूनतम आवश्यकता योजना के अन्तर्गत जिला जयपुर की स्वीकृत सड़कों की सूची (अ) संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

राजस्थान नहर परियोजना एवं लिफ्ट परियोजनाओं में ठेकेदारों की बकाया राशि

207. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

31 मार्च, 1974 से पूर्व के राजस्थान नहर परियोजना एवं लिफ्ट परियोजना में किन्हीं निर्माण कार्य सप्लाई केरेज या अन्य किसी प्रकार की कोई बकाया सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों तथा इनकी अलग अलग सूची मय ठेकेदारों के नाम तथा धनराशि दर्शाते हुए बकाया की तिथि अंकित करते हुए, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। यदि कोई कार्य अधूरा रह जावे या ठेकेदार अनुबंध का अनुसरण/अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो अनुबंध के अनुसार कार्यवाही आवश्यक हो जाती है तथा धरोहर राशि या अंतिम बिल का भुगतान रुक जाता है। बकाया की अलग अलग सूचियां संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20–2–75)

राज्य के आशुलिपिकों का स्थायीकरण

12. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के आशुलिपिकों को दिसम्बर, 1974 में कोई सबस्टेन्टिव एपाइन्टमेंट हेतु नोटिफिकेशन जारी किये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या छूट दी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे आशुलिपिकों को अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की आशुलिपिक की परीक्षा बगैर उत्तीर्ण किये हुए ही वेतन-वृद्धियां तथा स्थायीकरण किये जावेंगे? यदि हां, तो किन आदेशों के अन्तर्गत?

(3) क्या यह सही है कि वेतन-वृद्धियां स्वीकृति हेतु वित्त विभाग से आदेश जारी होने आवश्यक हैं? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश जारी कर दिये गये?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसे समस्त कार्यरत आशुलिपिक जिन्होंने 15-9-72 को विभिन्न विभागों में कुल मिला कर 2 वर्ष की आशुलिपिक के पद पर सेवायें पूरी कर ली हों तथा जिन्होंने हायर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा आशुलिपिक व टंकण विषय में 1965 में उत्तीर्ण की हो और जिनका आशुलिपिक पद का कार्य सन्तोषजनक पाया जाये उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग की आशुलिपिक परीक्षा से मुक्त कर उपलब्ध पदों पर स्थायी करना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है?

उत्तर

(1) जी हां। ऐसे समस्त कार्यरत आशुलिपिक जिन्होंने दिनांक 15–9–72 को विभिन्न विभागों में कुल मिला कर 2 वर्ष की आशुलिपिक के पद पर सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आशुलिपिक विषय के कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा अथवा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एज्यूकेशन, राजस्थान से आशुलिपिक के विषय के साथ हायर सैकेन्डरी परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग की आशुलिपिक की परीक्षा से मुक्त कर उपलब्ध पदों पर स्थाई किया जा सकेगा।

(2) जी हां। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(33) 3 मार्च, 1975 के अन्तर्गत जो आशुलिपिक इस विभाग की अधिसूचनायें दिनांक 13 दिसम्बर, 1974 के तहत किये जाने के पात्र होंगे उन्हें ही दिनांक 1–4–72 से सामान्य वेतन-वृद्धियां देय होंगी।

(3) जी नहीं। इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जो स्पष्टीकरण समस्त विभागाध्यक्षों को दिनांक 3 मार्च, 1975 को दिया गया है वह वित्त विभाग की सहमति से ही जारी किया गया है।

(4) जी हां। इस सम्बन्ध से दिनांक 13–12–74 को जारी की गई अधिसूचना

Page No 42

(५२)

(मुख्य मंत्री)
में दिनांक 28-2-75 को शुद्धि-पत्र जारी किया जा चुका है।

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 20-2-75)

बीकानेर क्षेत्र में अकाल राहत कार्य पर लगे मजदूरों को दिया गया सामान

22. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1968 से 1973 तक के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जिला बीकानेर क्षेत्र में मजदूरों हेतु दिया गया सामान गेंती, कांसियें, तगारियें, टीन आदि बड़ी-बड़ी मात्रा में आज तक भी लोगों में बकाया है? यदि हां, तो बकाया सामान वाले व्यक्तियों के नामों की सूची मय सामान के सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि बकाया सामान वाले लोग राजनैतिक प्रभावशाली लोगों के कृपा पात्र हैं जिससे सार्वजनिक निर्माण विभाग लाखों रुपयों का सामान जमा कराने में असफल रहा है?

(3) उक्त सामान अब कब तक वसूल कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) यह सही है, कि बीकानेर जिले में वर्ष 1968-69, 69-70 तथा 1973-74 तक के अकाल राहत कार्यों में दी गई टी. एण्ड पी. अभिदर्शकों में बकाया है, उनकी सूची (अ) संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है। अभिदर्शकों से 1,59 959) रुपये वसूल कर लिये गये हैं।

(3) वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 4 फरवरी को जिला अलवर, रामपुरा पंचायत समिति, रैणी के सरपंच श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पर पुलिस चौकी के सामने रेल्वे स्टेशन के पास करीब 10 व्यक्तियों द्वारा हमला करके उक्त सरपंच के दोनों हाथ, कान और नाक काट डालने की घटना के विषय में। इस प्रश्न पर प्राप्त एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होते ही निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में ट्रैफिक दुर्घटनाओं के विषय में। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, आपने यह जो आदेश फरमाये हैं उसमें क्या बयान देने के लिये है या, . . .

श्री अध्यक्ष : मैंने इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना घटी है, यह बहुत ही खतरनाक और शर्मनाक घटना है। हमारे विधायक महोदय श्री बद्रीप्रसादजी भी वहां तशरीफ ले गये थे। अलवर जिले में पंचायत समिति रैणी के जो सरपंच हैं उसके दोनों हाथ काट दिये, पैरों को तीन जगह से काट डाला, उसके कान और नाक भी काट दिये और दस आदमियों ने उस पर सशस्त्र हमला करके उसको इस तरह से मारने की कोशिश की कि वह मरे नहीं और मरे से परे हो जाय। जब उसका एक हाथ काटा तो उसने कहा कि मेरा गला काट दो लेकिन वह नहीं माने और उसको मारा नहीं और उसके साथ इस प्रकार से उन आदमियों ने एक षड़यन्त्र किया। इसके पीछे पंचायत में दो गिरोह काम कर रहे थे। यह दुर्घटना ठीक पुलिस चौकी के सामने हुई, पुलिस को इसकी जानकारी थी इसके बावजूद भी इस दुर्घटना को रोके जाने की कोई व्यवस्था और कोशिश नहीं की गई वह सरपंच खाती था। उसको बड़ी बेरहमी के साथ पुलिस चौकी के पास मारा गया। उसको बचाने की कोई कोशिश पुलिस के द्वारा नहीं की गई और वे तमाशबीन होकर उस को देखते रहे। बड़े दुख की बात है कि आखिर पुलिस का क्या कर्तव्य है कि अगर कोई दुर्घटना उसकी नजरों के सामने हो रही हो तो वह खड़ी तमाशा देखती रहे? ऐसे तो अगर कोई डाकू राहगीर को लूट कर ले जावे, उसका माल लेकर भाग जावे तो पुलिस उसका पीछा नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, कई दिनों से पुलिस के घोटाले इस सदन में आ रहे हैं। इस तरह से जनता को बरबाद नहीं कर सकते। पुलिस का भी आखिर कोई कर्तव्य हो जाता है वह कोई कार्यवाही करते और दफा 107 में पाबन्द करते, और उनको दुर्घटना को रोकना चाहिए था जो उन्होंने नहीं रोका। अब वह हास्पिटल में दाखिल है उसकी एक-एक हड्डी तोड़ डाली गई। एक तरफ तो पुलिस की उदासीनता के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में आ रहा है और, ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह और बता दिया जाय कि उसमें गिरफ्तारियां हो गई हैं या नहीं?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरी जानकारी में अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव जयपुर की जनता के लिये तो है ही परन्तु साथ ही राजस्थान के विधान सभा के सदस्य हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह बात सही है कि जयपुर की जनसंख्या काफी बढ़ गई है और उसी के अनुसार जनसंख्या के काफी बढ़ जाने से ट्रैफिक की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं हुई है। कल ही की बात है, जयपुर में कल के दिन ही चार ट्रैफिक की दुर्घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं में 9 व्यक्ति घायल हो गये और पांच उनमें से आज की तारीख में अस्पताल में भर्ती हैं। कल प्रातः काल जयनारायण हैड कान्स्टेबल विधान सभा के सामने ड्यूटी दे रहा था तो उसके साथ

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ट्रैफिक की दुर्घटना हुई और चार पुलिसमैन को भी चोटें लगीं। गांधी नगर क्षेत्र में ट्रक नम्बर आर. आर. एल. 3609 एक व्यक्ति को कुचल कर चला गया। मिर्जा इस्माइल रोड पर मुख्य डाक घर के पास एक जीप और एक मोटर साइकिल में टक्कर हो जाने से एक व्यक्ति घायल हो गया और एक की टांग टूट गई, मोती डूंगरी रोड पर एक आटो रिक्शा और जीप में दुर्घटना हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर में जितनी संख्या पुलिस की ट्रैफिक की होनी चाहिए वह नहीं है। जयपुर शहर काफी बढ़ गया है, उसकी जनसंख्या काफी बढ़ गई है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, काफी प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, एम. एल. ए. के साथ ट्रैफिक के सिपाही की भी ड्यूटी दे रहे हैं।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : इसलिए यहां के लोगों को ट्रैफिक के सम्बन्ध में ट्रैफिक के नियमों सम्बन्धी जो जानकारी होनी चाहिए वह नहीं दी जा रही है। इससे कई माननीय सदस्यों को और यहां की जनता को इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि जयपुर में इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं घटे, पर्याप्त संख्या में पुलिस होनी चाहिए, उनके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए और उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, और लोगों को भली प्रकार से ट्रैफिक की शिक्षा दी जानी चाहिये। इससे जो दुर्घटनाएं आज हो रही हैं वह नहीं होंगी। इसलिए मैं इस स्थगन प्रस्ताव के मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : (कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) मैंने पहले भी अपना निर्णय बताया कि जितने भी स्थगन प्रस्ताव यहां आते हैं, सभी पर निर्णय सुनाना जरूरी नहीं होता है। जो स्थगन प्रस्ताव दो पर्सेंट भी नियमों के अन्तर्गत आते हैं, उन पर निर्णय सुनाता हूं लेकिन यदि दो पर्सेंट भी नहीं आते हैं तो उनको यहां सुनाना मुश्किल है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : जिक्र तो कर दिया जाए।

श्री **अध्यक्ष** : वही पर्पज हो जाता है।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : नाम आ जाने चाहिए।

श्री **अध्यक्ष** : नाम आया तो भाषण आया।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं एक प्रस्ताव पहले भी दे चुका हूं कि सूदखोरों ने कल कि अजमेर में जुल्म कर दिया......

1. समिति का प्रतिवेदन

2. राजकीय उपक्रम समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन

श्री **अध्यक्ष** : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री शंकरलाल।

श्री **शंकरलाल** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा आयातित ट्रैक्टरों के आवंटन से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

लाडनूं पुलिस थानेदार द्वारा ग्रामीणों की पिटाई

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत लाडनूं पुलिस थानेदार द्वारा लाडनूं तहसील के गांव मंगलपुरा के चौक तथा घरों में घुस कर ग्रामीणों की पिटाई से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष मन्त्री महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह राज्य मंत्री) : लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने इस घटना की ओर ध्यान आकर्षित किया है, इसकी पूरी जानकारी मैंने करवाई है, उसकी रिपोर्ट अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं चाहता था कि माननीय सदस्य से अनुरोध करूं कि 3–4 दिन का समय मुझे और दिया जाए ताकि इस घटना के संबंध में जो जानकारी आप चाहते हैं वह कर सकूं। इसके साथ–साथ माननीय सदस्य ने कुछ तथ्य इस संबंध में मुझे और दिए हैं उनके संबंध में भी मैंने जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकारी भेज दिया है। इसलिए उन तथ्यों को भी साथ–साथ पेश कर सकूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय को 12 तारीख तक स्थगित किया जाए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा व श्री दीपंकर : हमें कोई ऐतराज नहीं है।

शासकीय वक्तव्य

चूरू पुलिस की हिरासत में पत्रकारों की पिटाई

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, चूरू में पुलिस हिरासत में पत्रकारों की पिटाई के संबंध में जो स्थगन प्रस्ताव पेश हुआ था उसकी जांच के लिए श्री वी. हूजा, आयुक्त, जन अभियोग निराकरण विभाग, को निम्न मुद्दों पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए:–

1. पुलिस ने सर्वश्री शिवपूजन, बाल मुकन्द तथा विमल कुमार को अपनी हिरासत में बुरी तरह से पीटा। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।

2. इन लोगों को पीटने में पुलिस के नीचे स्तर के कर्मचारी ही नहीं थे बल्कि चूरू के उप पुलिस–अधीक्षक भी थे और पिटाई वहां के उप-खंड अधिकारी के समक्ष की गई।

3. जिन 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उन्होंने एक पेम्फ्लेट छापा था, उसको आधार मान कर गिरफ्तार किया गया। इनमें से श्री मगलचन्द सैनी मौके पर मौजूद ही नहीं था।

4. पुलिस ने जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और जिन व्यक्तियों की पिटाई की वे स्वयं पथराव करने के लिए दोषी नहीं है।

श्री वी. हूजा की रिपोर्ट से पुलिस द्वारा सर्वश्री शिवपूजन, बालमुकन्द तथा

(श्री हरिदेव जोशी)
विमलकुमार के साथ मारपीट करना पाया जाता है लेकिन उनके साथ किसी तरह का अन्य अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया।

यह साबित नहीं होता कि इन व्यक्तियों को मारपीट में पुलिस उप-अधीक्षक भी शरीक थे और यह एस.डी.ओ. के समक्ष की गई।

पेम्फ्लेट के आधार पर गिरफ्तारी करने का आरोप साबित नहीं होता है। गिरफ्तारियां प्रथम इत्तला रिपोर्ट में नामजदगी के आधार पर की गयी है। हिरासत में पिटाई के लिए जो कर्मचारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

चूंकि यह मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है, अतः जांच अधिकारी ने मंगलचन्द सैनी के बारे में कोई राय नहीं दी है। यह बात अदालत के निर्णय से ही स्पष्ट होगी।

जहां तक पथराव करने के दोषी व्यक्तियों का सवाल है, इसका निर्णय भी अदालत द्वारा ही हो सकता है। जांच अधिकारी ने इस पर अपना निर्णय नहीं दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसमें एक बड़ा ही गंभीर प्रश्न है, सदन में मैं कल भी स्थगन प्रस्ताव लाया, पहले भी····

श्री अध्यक्ष : आज का विषय सीमित है, जो आश्वासन मंत्रीजी ने दिया था उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका स्थगन प्रस्ताव था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो जनता, विद्यार्थियों और पत्रकारों के साथ पुलिस वालों ने गलत व्यवहार किया, उनको जगा-कर ले आए, झूठ बोल कर ले आये, वह सिपाही गया और कहा कि तुमको मित्र बुला रहा है, फिर पुलिस हिरासत में शिव-पूजन और दूसरों की निर्मम पिटाई के द्वारा खराब हालत की गई, उनको औंधा लटका कर, मल-मूत्र पिलाए जाने की चेष्टा की गई, यदि इसी प्रकार घटनाएं बढ़ती रहीं और मुख्य मंत्री यदि उस सम्बन्ध में ध्यान नहीं देते और यह कह कर कार्यवाही नहीं करेंगे कि अदालत में कार्यवाही चल रही है तो नित्य प्रति इस सदन में रोजाना पुलिस की ज्यादतियों की घटनायें आयेंगी। किसी पर निर्मम लाठी प्रहार करना, किसी को पीटना, कभी हरिजन को, कभी आदिवासी को, कभी किसी महिला को, ऐसी घटनायें बराबर बढ़ती जा रही हैं। यदि एक को भी सबक नहीं देंगे तो आखिरकार ऐसी घटनायें बढ़ती चली जायेंगी, पुलिस को किसी प्रकार से रोक नहीं सकेंगे। जब इतनी सारी बातें हो गई तो फिर खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नतीजा क्या निकला ? श्री फूलचन्द ने कहा था कि मेरे खिलाफ जो निर्वाचन लड़े थे वह निर्दोष व्यक्ति हैं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य, आप इसकी गंभीरता के महत्व को समझने की कोशिश करें। पोजीशन यह है कि सदन में कुछ बातें कही गईं। मैंने आश्वासन दिया था कि मैं किसी उच्च अधिकारी को भेजूंगा जो इसकी जांच करेगा। मैंने वहां के किसी अधिकारी से नहीं कहा। मैं

(श्री हरिदेव जोशी)
डी. आई. जी से कह सकता था लेकिन वह वहां के लोकल अधिकारी हैं, हो सकता है वह उनके प्रभाव में आ जाए। तो मैंने यहां से आयुक्त, जन-अभियोग निराकरण को भेजा जो इन सारी चीजों को डील करता है। उन्होंने वहां पर समय दिया। वह एक नहीं बीसों लोगों से मिले, अधिकारियों से, डाक्टरों से, मजिस्ट्रेट इत्यादि से मिले। मैंने सदन को आश्वासन दिया था कि उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद उसके आधार पर एक्शन लूंगा। मैंने एक्शन इनीशिएट कर दिया और अब सदन को सूचना दे रहा हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न यह है कि आपने एक्शन इनीशिएट कर दिया, रिपोर्ट आपके पास में आ गई, आपने स्वयं स्वीकार किया है कि कुछ पुलिस अधिकारियों या पुलिसवालों ने पिटाई की। जब पिटाई की गई तो क्या उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो गया, उनको अरेस्ट किया गया? क्या तफतीश जारी है जो लोग इस रिपोर्ट के अनुसार दोषी करार दिए गए हैं उनके बारे में?

श्री हरिदेव जोशी : श्री बी. हूजा को यह एक्शन इनीशिएट करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया है क्योंकि मैं चूरू के अधिकारियों पर डिपेंड नहीं करना चाहता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हूजा साहब ने रिपोर्ट दे दी?

श्री हरिदेव जोशी : अभी उन्हें और अधिक इन्वेस्टीगेशन करना पड़ेगा क्योंकि उनको लिमिटेड समय दिया गया था उसके अन्दर यह हुआ कि जनसंघ के जो भाई थे उन्होंने उनसे कोआपरेट नहीं किया। यहां एक प्रकार की बात आई, वहां दूसरी बात आई। उस चीज को एवाइड करने के लिए उनको जितना समय मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल सका। फिर भी जब सदन में प्रश्न उठा तो मैंने उनको बुलाया क्योंकि सदन को 7 दिन का समय दिया था, मैंने उन्हें बुला लिया कि वे कोआपरेट करें या नहीं, वह आ जायं। उन्हें एक बार और जाना पड़ सकता है एक्शन इनीशिएट करने के लिए।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : रतननगर थाने में जहां डीवाई. एस. पी. ने पीटा, एस. डी. ओ. के सामने हुई। पहले राउंड में हिरासत में चूरू के अन्दर जहां पिटाई हुई डीवाई. एस. पी. ने शराब पीकर पिटाई की, एस. डी. एम. मौजूद थे। हूजा को जांच से मालूम हुआ कि नहीं पीटा। इससे पहले आवश्यक नहीं था कि इतने अधिकारी थे उनको रोक टोक नहीं सकते थे।

श्री हरिदेव जोशी : स्थिति को समझना चाहिए। जिस रात का यह इन्सीडेन्ट है उस रात को एस. डी. एम. की पत्नी को प्रेगनेन्सी के कारण सीवीयर पेन्स हुए उनकी नितांत क्रिटीकल पोजीशन थी। जिम्मेदार अधिकारी एस. डी. एम. के घर पर बैठे रहे, लेडी डाक्टर बैठी रही, वहां रात से सवेरे तक सारे के सारे लोग 5 मिनट भी छोड़ के बाहर नहीं गए इसलिए यह जो इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जाती है कि एस. डी. एम. के साथ-साथ

(श्री हरिदेव जोशी)
डीवाई. एस. पी. ने भी किया, सारे कारणों को देखने से ऐसा लगता है कि उनका हाथ नहीं है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि उस रात एस. डी. ओ. साहब की औरत की तबियत खराब थी और उनके बच्चा होने वाला था, लेकिन क्या डीवाई. एस. पी. सारी रात एस. डी. ओ. साहब के घर पर ही बैठे रहे और वह कहीं नहीं गये ?

श्री अध्यक्ष : it is not a cross examination you can only elicit certain information.

श्री मोहर सिंह : अध्यक्ष महोदय यह सभी घटना वहां हुई है उसमें पुलिस के उच्च अधिकारियों का हाथ था और यहां जो तथ्य पेश किये गये हैं उन्हें सदन के सामने तोड़ मरोड़ कर रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसको यहीं पर समाप्त करदें। मुख्य मन्त्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है उसके अनुसार ही उन्होंने कार्यवाही की है। वैसे आपको और डिमान्ड के समय मौका मिलेगा इसके लिये कहने के लिये।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मेरे जो प्रश्न हैं, पहला यह कि क्या डीवाई. एस. पी. रात भर एस. डी. ओ. के यहीं पर बैठे रहे ? और दूसरा मान्यवर यह कि क्या पुलिस के हैडकान्सटेबल और कान्सिटेबल विदआउट दी आर्डर आफ सुपिरीयर अथोरिटी एक थाने से दूसरे थाने में प्रिजनर्स को ले जा सकते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय यह सबूत नहीं होता कि उन लोगों को एक थाने से दूसरे थाने ले जाया गया था। इसके विपरीत जो यहां बात कही गयी है वह वहां हुआ है। मैंने जिस अधिकारी को भेजा था श्री हूजा को जो कि एक इन्डिपेन्डेन्ट आफिसर थे वह खुद रतननगर गये जहां कि वाकया गुजरा था। वहां के नागरिकों ने इस बात के लिये इन्कार कर दिया कि लोगों को मलमूत्र पिलाया गया था, और जैसा कि यहां पर अमानुषिक व्यवहार की बात की गयी उसके लिये भी उन्होंने इनकार कर दिया। वहां पर जो जानकारी मिली उसके अनुसार हैडकान्सटेबल और दो कान्सटेबल को छोड़ कर किसी को भी दोषी नहीं पाया गया। यहां से श्री बी. हूजा को भेजने का कारण मेरा यही था कि जो जानकारी प्राप्त करके लायेंगे वह जानकारी इन्डिपेन्डेन्ट होगी और अगर वहां के ही किसी अधिकारी से अगर मैं जानकारी प्राप्त करता तो बात दूसरी हो सकती है कि वहां के अधिकारियों से मिल जाते। पर श्री हूजा तो काफी सीनियर आफिसर हैं वह जो कुछ भी इन्क्वायरी इस थोड़े समय में कर सके उन्होंने जानकारी हासिल की। इसलिये जैसा कि मैंने अपने स्टेटमेंन्ट में कहा है वही सही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि उन्होंने 20 तारीख को आश्वासन दिया कि वह सात दिन में जांच इस बारे में करके सदन को अवगत करा देंगे। मेरा निवेदन यह है कि इसमें बहुत थोड़े समय में असली स्थिति का पता नहीं लगा सकता है।

श्री अध्यक्ष : You want a clarification or speech ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, वहां पर स्थिति बहुत ही गम्भीर है इसीलिये हमें बार बार सदन में स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। वातावरण बहुत ही उग्र रूप वहां पर धारण कर चुका है। जैसा कि लोगों से खबरें मिली है और जैसे कि हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि वहां जनता में काफी असन्तोष है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर 11 मार्च से और आन्दोलन होने जा रहा है। इसलिये मैं बार बार मुख्यमन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे कान्ड में दोषी अधिकारियों को दण्ड देने में विलम्ब करना उचित नहीं है। और अगर आप इस प्रकार की पुलिस की कार्यवाहियों को गैर कानूनी नहीं समझते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर तो राजस्थान में पुलिस राज कायम हो जायेगा। और राजस्थान का कोई भी व्यक्ति चाहे वह छात्र हो, चाहे वह पत्रकार हो चाहे कोई भी हो सुरक्षित नहीं रह सकेगा। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के डर से तो कौन पुलिस के खिलाफ में गवाह देने आयेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : अगर माननीय सदस्य किसी सीनियर आफिसर की इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी को जो कि वहां का लोकल आफिसर नहीं है, नहीं मान रहे तो मैं जो आप कहते हैं उसे स्वीकार नहीं करता। आपको अपनी शिकायत है। मुझे आपसे अलग शिकायत है कि वहां के लोग यहां से जो गवर्नमेन्ट का आफिसर इन्क्वायरी के लिए गया उसको कोआपरेट नहीं किया वोलेंट्री एवाइड किया गया जब उसने देखा कि उसे कुछ भी तथ्य बताने से इनकार करते हैं तो फिर उक्त आफिसर ने और लोगों से इन्क्वायरी को और जो जानकारी वह हासिल कर सकते थे की। उन्हें एक बार और वहां जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी उसमें और जानकारी प्राप्त करनी है। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि अगर आप साफ साफ ही पूछना चाहते हैं तो मैं आपसे स्पष्ट करदूं कि जो कुछ भी सदन में कहा गया है वह बहुत ही एग्जेजरेट करके कहा गया है।

श्री केदारनाथ : मान्यवर मुख्य मन्त्री जी यह कह रहे हैं कि उसमें हैडकान्स्टेबल और दो कोन्सटेबल्स ही गिल्टी हैं और उच्च अधिकारियों द्वारा कोई पिटाई करने के आदेश देने का सबूत नहीं हैं तो फिर क्या आप यह समझते हैं कि विद आउट दी ऑर्डर्स आफ सुपीरियर ऑथोरिटी क्या हैडकान्स्टेबल और कोन्सटेबल्स उन लोगों को एक थाने से दूसरे थाने ले जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो क्लेरिफिकेशन हो चुका है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय प्रोफेसर केदार, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तो वहां पर मौके पर था नहीं जो ऐसा कहता। यह तो एक सीनियर ऑफिसर की रिपोर्ट है जो कि यहां से गया है उसने अन इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी करके यह रिपोर्ट दी है। उसने वहां पर अपने आनेस्ट एफर्ट्स किये हैं। यह तो बात इर्रीटेट करने वाली बात है जिस तरह से फेक्टस को एग्जेजरेट किया

(श्री हरिदेव जोशी)
गया है कि उन लोगों को नंगा करके और एक दूसरे का मल-मूत्र पिलाया गया वह अमानुषिक व्यवहार थाने में किया गया। मेरे पास जो सूचना आयी है वह बिलकुल कान्ट्रेडिक्ट्री है। आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मैंने वहां के लोकल ऑफिसर से इन्क्वायरी नहीं करायी है एक ऑनेस्ट आफिसर से जो कि काफी सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने ऑनेस्ट एफर्ट्स किये और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है इसमें मैं यही कह सकता हूं कि जो गिल्टी हैं वे विल बी ब्रॉट टू बुक।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहूंगा कि यह तो सही है कि आपने एक सीनियर ऑफिसर को भेजा और आपने जो एफर्ट्स किये है वह ऑनेस्ट एफर्ट्स किये। लेकिन मेरी गुजारिश इसमें यह है कि वहां पर जिन अधिकारियों के विरुद्ध वातावरण बना हुआ है उनको वहां से हटा दिया जावे तो इन्क्वायरी और अच्छी तरह से हो सकती है। क्योंकि अगर वह ऑफिसर वहां रहते हैं तो दूसरे लोगों का जमीर नहीं होता कि वह उन अधिकारियों के खिलाफ में कोई गवाही दें। इसलिये इसमे अच्छा तो यही रहे कि उन अधिकारियों को वहां से हटा दिया जावे ताकि वह लोग इस इन्क्वायरी में किसी प्रकार का कोई इम्प्लीकेशन पैदा नहीं कर सकें। यह बात सही है कि इसमें बहुत ज्यादा एग्जेजरेट किया गया है और बकवास भी ज्यादा की गयी है। आपको उन्हें ट्रान्सफर करने में क्या हर्ज है?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय अगर मुझे उसमें एक हजारवां हिस्से में भी कोई अनुचित बात नजर आती तो मैं उन्हें वहां से जरूर हटा देता लेकिन जो बात नहीं है उसके लिये तो आपको रेसपोन्ड करना चाहिये।

आय-व्ययक पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद। श्री निरन्जन नाथ आचार्य।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय कल मेरा भाषण इनकम्प्लीट रह गया था। इसलिये मुझे उसे पूरा करने के लिये मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष : क्या आपका भाषण अपूर्ण रह गया था?

एक माननीय सदस्य : इनको बोलने दिया जाय, अध्यक्ष महोदय, ताकि रेग्युलराइज हो जाय।

श्री अध्यक्ष : अच्छा रेग्युलराइज कर दिया जाय। श्री नारायण सिंह।

श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कल यह कर रहा था कि इस साल सीकर जिले में भयंकर अकाल पड़ा है और ऐसी स्थिति बन गयी कि सीकर जिले की करीब 80 पर्सेन्ट से लेकर 85 पर्सेन्ट आबादी अकाल की चपेट में आ गयी है। सीकर

(श्री नारायण सिंह)

जिले का बहुत बड़ा भाग अकाल से प्रभावित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले के अन्दर एक फसल होती है और एक फसल होने के कारण जब वह फसल ही नष्ट हो गयी, तो लोगों की क्रय शक्ति भी क्षीण हो गयी है। वहां पर स्थिति ऐसी है कि लोगों को दो वक्त खाने को भी नहीं मिलता। लोगों की बहुत मुश्किल हो रही है इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को चाहिये कि सीकर जिले में अकाल राहत कार्य खोलें, और जो बजट में योजना के अन्तर्गत कार्य खोलने हैं वह जल्दी से जल्दी वहां पर खोले जावें। आपने योजना के अन्तर्गत सीकर जिले में जो कार्य बजट के अन्तर्गत आपने खोलने का प्रावधान रखा है आपके उस निर्णय की मैं सराहना करता हूं। अगर आप उन कार्यों को जल्दी से जल्दी खोलकर लोगों को काम देंगे तो एक तरफ तो लोगों को काम मिलेगा, दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ेगा जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे सीकर जिले में फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ तहसील में अभी किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर अकाल राहत कार्य खोले जावें क्योंकि वह इलाका बुरी तरह से हमेशा से ही अकाल पीड़ित रहता है इसलिये मैं समझता हूं कि अगर आप वहां पर अकाल राहत कार्य और योजना के अन्तर्गत दूसरे कार्य खोलें तो लोगों को काम मिल जावेगा। अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में अनाज की बहुत भारी समस्या है। लोगों का अनाज के बिना जीना दूभर हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार दूसरे जिलों को अनाज मिलता है उसके अनुपात में अभी जो अनाज नहीं मिल पा रहा है वह दिलाया जावे। वहां की गरीब जनता को दो वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल हो रहा है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि राजस्थान सरकार अकाल की भयंकरता को देखते हुए पंचायतों के चुनाव को एक लम्बे समय से टाल रही है, पंचायतों की अवधि बढ़ायी जा रही है। इससे आज पंचायतों की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गयी है। आज पंचायत राज बिलकुल निष्क्रिय हो गया है इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर आप पंचायतों का चुनाव नहीं कराते हैं तो यह बेहतर होगा कि आप इस पंचायत राज को चलाना जब तक नये पंचायतों के चुनाव नहीं हो तब तक बन्द कर दें।

राजस्थान सरकार ने सारे हिन्दुस्तान में अगुवाई करके इस पंचायती राज के अच्छे कामों की शुरूआत की। दूसरे प्रान्तों को भी एक दिशा मिली। पर मैं आज सोचता हूं कि आज पंचायती राज की क्या दुर्दशा है, क्या दुर्व्यवस्था की हालत में है? उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसी स्थिति आज पंचायत राज और जिला परिषदों की है, उनको आज एक नाम मात्र के लिये रखना उचित प्रतीत नहीं होता। आज पंचायत समितियों के अन्दर किसी प्रकार के फण्ड्स नहीं हैं, सिर्फ थोड़े बहुत कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, सिवाय अध्यापकों को तनख्वाह देने के उनके सामने न कोई कार्य-

Page No 52

(52)

(श्री नारायण सिंह)
कम है, न कोई काम है, न कोई फण्ड्स जिससे पंचायत राज अच्छे कार्य कर सके ।

दूसरी जगह की मैं नहीं कहता । लेकिन सीकर जिले की स्थिति का वर्णन करना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पंचायत समितियों के स्कूलों में लगातार तीन-तीन साल से छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लगातार कोशिश करने पर भी वहाँ पर आज तक पर्याप्त अध्यापक नहीं है । कई स्कूलें तो बन्द पड़ी हैं । प्राइमरी स्कूलों की यह हालत है कि न तो उनके लिये मकान है, न पढ़ने की व्यवस्था है । यहां तक कि पंचायत समिति को छोटा मोटा सामान देना चाहिये आज उस स्थिति में भी पंचायत समिति नहीं रही है । इनकम बढ़ाने के सोर्सेज थे, पंचायत समितियों ने कर भी लगाये लेकिन रैवेन्यू डिपार्टमेंट वसूल नहीं करता, अकाल के कारण लगान वसूल नहीं होता तो वह भी वसूल नहीं होता और आज ऐसी स्थिति हो गयी है कि प्राइमरी स्कूल जो बच्चों के लिये नींव होती है, वह नींव कमजोर हो गयी है और बच्चों के जीवन के बर्बादी के अलावा और कोई काम नहीं रहा है ।

(12.32 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन)

पांच पांच साल से पंचायतों की मिटिंग नहीं होती । कोरम नहीं होता । कई जगह तो प्रधान, उप-प्रधान दोनों की ही जगह खाली जगह है । टेम्परेरी प्रधान काम कर रहे हैं । पंचायत में पंच, सरपंच उप सरपंच या तो छोड़ कर चले गये हैं या स्थान रिक्त हो गये हैं, उनका चुनाव आज तक नहीं हुआ है । सारे चुनाव नहीं करवा सकें तो कम से कम ऐसे स्थानों का तो चुनाव करना चाहिये जहां पर पंचायतों के चलने की स्थिति नहीं है ।

पंचायत और न्याय पंचायत दोनों का अलग अलग गठन किया गया है । सस्ता न्याय दिलाने की बात की गयी है । न्यायपालिका की आज यह हालत है कि जिस समय इनका गठन हुआ और चुनाव हुआ, आज तक उसके बाद उन न्यायपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए हैं । न्यायपालिका नाम की कोई चीज बाकी रही नहीं है । जिस स्थिति में पहले थे उसी स्थिति पर आ जायें और न्याय पंचायतों को भंग कर दें और उसके अधिकार पंचायतों को दे दें । न्यायपालिका का आप इलेक्शन कराने के लिये तैयार नहीं है । उसको चलाने के लिए तैयार नहीं है । न कोई फण्ड्स हैं । पंचायतों के द्वारा उनको अनुदान देने का कानून है । पंचायतों के पास ही जब फण्ड्स नहीं है तो न्यायपालिका को वे क्या देंगी ?

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको फण्ड्स देने चाहिये । उनकी कमजोरियां हैं, उन पर सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट आयी है । लाखों रुपये खर्च हुए । सरकार ने उसको माना नहीं । मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है । यदि उसकी अनुपालना की जाती, यदि उसको लागू किया जाता तो अच्छा स्वरूप पंचायती राज का बनता । किन्तु उसको लागू न करके गिरधारीलाल व्यास कमेटी बैठी । माननीय

(श्री नारायणसिंह)
पंचायत राज मंत्री हैं वे भी उस कमेटी में थे। जब उसमें थे तो इस बात को मानते थे कि पंचायती राज का ढांचा ठीक नहीं है और उसमें किसी तरह की तब्दिली आनी चाहिये। ला होते हुए भी आज पंचायती राज का ढांचा सुधरने के बजाय गिर रहा है, पंचायत समितियां और जिला परिषदों के पास सिवाय ट्रान्सफर्स के, वह भी ग्राम सेवक और अध्यापकों के, और कोई दूसरा काम नहीं रह गया है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान देना चाहिये और रिक्त स्थानों के चुनाव शीघ्र कराये जाने चाहिये।

ज्यादा समय न लेकर सीकर जिले में भयंकर अकाल की स्थिति है उसकी ओर निवेदन करना चाहूंगा। सारे इलाके में बिजली नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने एक कार्यक्रम बिजली के सम्बन्ध में बनाने का आश्वासन दिया था। सीकर जिले में अब तक कार्यक्रम बना नहीं है। बैंकों से लोन लेकर कार्यक्रम चलाने की बात थी। पंजाब नेशनल बैंक उस काम को हाथ में लेना नहीं चाहता। ए.आर.सी. को स्कीम लेनी चाहिये। हर दूसरे साल, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर अकाल पड़ता रहता है और भू-जल मंडल के द्वारा सारे जिले का सर्वे हो चुका है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भू-जल बहुत मात्रा में उपलब्ध है। उस जिले में अधिक से अधिक बिजली दे जिससे भू-जल के द्वारा अकाल पर काबू पाया जा सके और कुदरत और भगवान पर भरोसा न रह सके। आज भी जो बिजली दी जाती है उसमें इतनी कमी है कि बीस-बीस, तीस-तीस दफा बिजली चली जाती है। सर्दी में भी रात में बिजली दी जाती है। एक इलाके में कुछ समय के अन्दर दो दो टाइम, तीन तीन टाइम की गयी है और इस कारण दो तीन पानी ही फसल में दे पाये हैं किसान। बड़ी बेचैनी है लोगों में, बड़ा भारी असंतोष है लोगों में। मैं सरकार से इस ओर शीघ्र ध्यान देने के लिये पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। मैं इतना ही कह कर, वित्त मंत्रीजी ने जो सन् 1975-76 का बजट प्रस्तुत किया है उसका स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजन नाथ आचार्य।

श्री गौरीशंकर : मुझे कब मिलेगा समय ?

श्री उपाध्यक्ष : तशरीफ रखिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : माननीय वित्त मंत्रीजी को संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिये कई माननीय सदस्यों ने धन्यवाद दिया है मैं भी सोचता हूं कि धन्यवाद दूं।

श्री उपाध्यक्ष : संतुलित ढंग से।

श्री निरंजननाथ आचार्य : संतुलित ढंग से नहीं, स्पष्ट रखना चाहता हूं।

लेकिन इससे पूर्व, उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि हमारी वर्तमान वित्तीय स्थिति है, इस बजट में अतीत की वित्तीय स्थिति, भविष्य की वित्तीय स्थिति का एक लेखा जोखा हो, एक प्रतिबिम्ब हो,

Page No 54

(SW)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

निराकरण समस्याओं का हो, ऐसी स्थिति मैं देखना चाहता हूं कि इस बजट में उन समस्याओं को किस तरह से बजट स्पीच में उजागर किया गया है, लेकिन मैं जानता हूं और वित्त मंत्रीजी खुद जानते हैं कि वित्तीय स्थिति की विषमता के कारण हैं। उनके भाषण को जिस वक्त जिस समय यह तैयार किया जा रहा था तब भी मैं समझता हूं कई समस्यायें वित्त मंत्री महोदय के दिमाग में चुनौती के रूप में खड़ी हुई होंगी। आज तो 6 तारीख है, उपाध्यक्ष महोदय, और इन जिन समस्याओं को चुनौती दी जा रही है जिनके सम्बन्ध में दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और उस प्रदर्शन में मुख्यतः बेरोजगारी, मंहगाई, दूषित शिक्षा पद्धति, दूषित हमारी चुनाव पद्धति आदि कई प्रश्न मुंह फाड़े हुये खड़ी हैं। किन्तु वित्त मंत्री महोदय के भाषण में ये प्रश्न नहीं है, जो प्रश्न बराबर सन्तप्त करते रहे होंगे फिर भी इतना असन्तुलन राज्य और राष्ट्र में होते हुये भी वित्त मंत्री महोदय ने खास सन्तुलन रखा अपने मस्तिष्क में और इस तथा कथित बजट को इस सदन में रखा है।

मैं इसी संदर्भ में कि अनुमानित और संशोधित आंकड़ों के भयंकर जंगल में इस तरह सदन को ला खड़ा किया इसके लिये मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं जिसमें से निकलना हमारे लिये दुरूह हो गया है। ऐसे आंकड़ों का जंजाल लाये हैं अपने भाषण में। मैं यह केवल उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं उन्हें बजट भाषण में यह मंजूर कर लेना चाहिये था कि यह बजट घाटे का है लेकिन मैं जानता हूं आप हिसाब किताब में होशियार हैं, परम्परागत, यह प्रतिभा आप में मौजूद है इसलिये चाहते हुये भी आपने स्वीकार नहीं किया कि यह घाटे का है असन्तुलित नहीं है।

अपने मत की पुष्टि में मैं अपनी मान्यतायें और अपने तर्क देना चाहूंगा आपने सिर्फ एक तर्क दिया कि यह बजट घाटे का नहीं है। आंकड़े देते हुए भी आपने यह कहा कि केन्द्रीय सरकार का हमें आश्वासन प्राप्त है, विश्वास है। मैं वित्त मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करूं जो चर्चायें चली हैं और आपने अपने भाषण में उल्लेख किया है और उल्लेख इस बात का भी किया है कि आपके साधन आप उपलब्ध करिये यह केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण रहा है। और हमें मालूम है। उस संदर्भ में कुछ सांसद हमारे प्रधान मंत्री से मिले थे और प्रधानमंत्री ने अपना मत प्रकट किया था। क्या मत प्रकट किया था यह एक प्रश्न वाचक चिन्ह बना हुआ है और मैं उसे यहीं छोड़ देता हूं लेकिन केन्द्रीय सरकार का समय समय पर हमारी वित्तीय स्थिति को ठीक करने में क्या मत रहा है, यह मेरा विश्वास है, आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में केवल केन्द्रीय सरकार के आश्वासन मात्र से इस बजट को सन्तुलित बजट करने का प्रयास किया गया जो एक मात्र भ्रम पैदा करने का प्रयास है, ऐसी मेरी मान्यता है।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि सन्तुलित बजट करके भी और सदन इस बात को बाद में देखेगा कि यह सन्तुलन कैसे असन्तुलन होता है, क्योंकि आपके पास में हथियार है, कई हथियार हैं और हथियारों का उल्लेख आपने अपने

(श्री निरंजन नाथ प्राचार्य)

बजट भाषण में किया है । हाथ तो खाली है, लेकिन मस्तिष्क के हथियार बड़े कुभीले होते हैं और उसका संकेत आपने दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय कि अध्यादेश के शस्त्र से पिछले दरवाजे में दाखिल होकर नये कर आप लगायेंगे और इन नये करों की धन राशि उस समय बतायेंगे कि दरअसल यह बजट सन्तुलित है या सन्तुलित नहीं है। मैं इस प्रश्न पर आगे विवेचन करूंगा । मैं इसका आगे विश्लेषणात्मक विवेचन करूंगा कि यह बजट लगभग 15 करोड़ के घाटे का है और इसकी पुष्टि में मैं आपका 74-75 के उस भाषण की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें आपने उस बजट में 9.12 करोड़ का घाटा बताया था और संशोधित अनुमान में आपने 12 लाख का सरप्लस बताया था उसमें भी आपने पेचीदगी दी थी । आपने आंकड़ों का जाल बिछाया था । चलते चलते आंकडों को संशोधित करते हुये 12 लाख का घाटा 74-75 में बतलाया, यह एक रहस्य है और उस रहस्य का मैं निराकरण करना चाहता हूं सदन के सामने कि पिछले अनुमानित बजट में करों की आय आपने 89.84 करोड़ बताई थी। करों की आय अनुमानित बजट में और इसी संशोधित बजट में आय 102.87 करोड़ हुई तो आपका अनुमान 89.85 और संशोधित बजट में 102.87 करोड़ हो गया। इसी प्रकार 13.02 करोड़ की आय अधिक हुई पिछले बजट में। वित्त मंत्री महोदय मैंने आपके उस बजट अभिभाषण को भी पढ़ा है और इस बजट भाषण को भी मैंने पढ़ा है कहीं भी आपका संकेत कर लगाने का नहीं रहा। अतिरिक्त बोझा जनता पर लगाने का आपके दिमाग में नहीं रहा और 102.87 करोड़ की अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए आपने अतिरिक्त उपाय किये। बिना संकेत किये हुये सदन को सिंचाई और विद्युत् में बढ़ोत्तरी की जो आपके पृष्ठ 19 पर उल्लेखित है। स्टाम्प ड्यूटी अधिभार मोटर वाहनों के कर पर अधिभार, सड़क से जाने वाले माल कर पर अधिभार, मनोरंजन कर पर अधिभार, में वृद्धि, आबकारी शुल्कों में संशोधन, रॉक फास्फेट की बिक्री की दरों में संशोधन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्री भाड़े में संशोधन, नगरीय जल प्रदाय की दरों में संशोधन, भू-जल विभाग की ब्लास्टिंग एवं ड्रिलिंग दरों में संशोधन, वाणिज्यिक फसलों पर उपकर। यह नीति आपकी रही है। पिछले बजट में विश्वास देकर इस सदन के पीछे के रास्ते से अध्यादेश द्वारा वृद्धि की गई जो आपके अभी के भाषण में है। हमको पूरा विश्वास है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ऐसी की ऐसी अभिवृद्धि 3 या 4 महीने में आप करेंगे और इस वक्त जो हमने आपकी सराहना की वह बाद में निरर्थक होगी। वित्त मंत्री इस समय जबकि राष्ट्र विषम स्थिति से गुजर रहा है तब भी राजस्थान सन्तुलित बजट पेश कर रहा है यह अपने आप में उपलब्धि है, लेकिन बजट पेश करने के बाद भविष्य में करों के आधार पर यह सन्तुलित नहीं किया जाएगा, यदि यह विश्वास आप सदन को दें सके तो मैं भी उन लोगों में से हूंगा जो आपकी इस उपलब्धि की सराहना कर रहे हैं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जिस प्रकार मैंने अनुमानित और संशोधित पृष्ठ पर आपका ध्यान आकर्षित किया उसी तरह 74–75 में राज्य में केन्द्रीय मद से 31.54 करोड़ का अनुमान दिया गया है केन्द्र से ऋण लेने के सम्बन्ध में संशोधित अनुमान में केन्द्र से आपने कितना ऋण लिया ? हमको आपने कहा 31.54 करोड़ का ऋण आप लेंगे किन्तु आपने 41.78 करोड़ का ऋण लिया। 10.24 करोड़ का अधिक ऋण आपने लिया।

पूंजी लेखे में केन्द्रीय सरकार को ऋण चुकारा करने का अनुमान था कितना, चुकारा करना चाहते हैं 30.38 करोड़ था 74–75 में, किन्तु जब संशोधित अनुमान आया तो 19.69 करोड़ का आपने ऋण का चुकारा किया। 30 करोड़ के मुकाबले 19 करोड़ चुकाये। 11 करोड़ को आपने इस प्रकार कम चुकाया है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें 12 लाख का सरप्लस दिखलाया है जबकि 34.25 करोड़ सरप्लस होना चाहिए था। जिसको आपने 12 लाख का सरप्लस दिखलाया। जिसका अर्थ हुआ कि सामान्यतया 34.13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय आपने किया जिसका संकेत आपने-अपने बजट भाषण में नहीं किया और इस सदन को संकेत भी नहीं दिया और न जानकारी किसी किस्म की दी। और अब 34.13 करोड़ अतिरिक्त व्यय करना चाहते हैं।

इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि 74–75 के अभिभाषण के अम्बर ऋणों के प्रश्न पर, लेने और चुकारे के प्रश्न पर यह स्थितियां पैदा हुई हैं वह आप सरप्लस बनाने को उसी भ्रांति में इस बजट भाषण में न मालूम कहां आप सदन को ले जाना चाहते हैं, इस पर मेरा संदेह है। आपने 75–76 के बजट में आपके भाषण के पृष्ठ 29 पैरा 52 पर आपने 8 करोड़ 74 लाख का घाटा बतलाया है। मुझे विश्वास है कि यदि आप यहीं रुक जाते तो सदन आपकी और तारीफ करता। घाटे को आपने बतलाया बचत का बजट, न मालूम किस भ्रांति में आप उल्लेख कर गए और किस भ्रांति में आपने सदन को 8.74 करोड़ का घाटा बतला कर और फिर आपने करवट ली। और करवट यह ली कि केन्द्रीय सरकार के विश्वास पर यह घाटा नहीं रहेगा। मैं आपसे चाहूंगा, केन्द्रीय सरकार का विश्वास आपको व्यक्तिगत रूप से हो तो अलग बात है, लेकिन केन्द्रीय सरकार का विश्वास लोह की लकीर हुआ करती है। वह लोह की लकीर कि जिसके लिए आपने सदन को विश्वास में लिया है, वह चमत्कार ही होगा उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इस घाटे को केन्द्रीय सरकार के सहयोग से पूरा कर सकें इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह केन्द्रीय सरकार का विश्वास नहीं है, यह विश्वास आपका है। और आपका विश्वास कैसे है ? यह घाटा संतुलित करना और संतुलित करने के बाद भी अर्थव्यवस्था का संयोजन करना यह आपकी तरकीब है और इस तरकीब का आपके भाषण से आभास मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने अपने भाषण में पेज 3 पैरा 6 में लिखा है और आपकी भाषा; हिन्दी भाषा तो है, क्योंकि भाषण आपका है इसलिए यह भाषण की भाषा भी

(श्री निरजननाथ आचार्य)
आपकी होनी चाहिए यह भाषा मिस्टीरियसली एवं डिप्लोमेटिक तरीके से संजोई हुई भाषा है। मंतव्य तो आपका है, लेकिन इसमें रहस्य कुछ दवाया है; वह अजीव तरीके से दबाया है। उसमें लिखा है :

"इसके अतिरिक्त भी यदि और प्र ाव धान की आवश्यकता हुई तो अधिक धन राशि उपलब्ध कराने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे।"

अतः आप घाटे को मंजूर कर लीजिए। 8 करोड़ 74 लाख तो यह स्पष्ट अब आप कहीं कोशिश में, अपने प्रयत्नों में कोई कमी नहीं रखेंगे। जिसका मतलब है कि चैलेंज हो गया इसी विधान सभा के सदस्यों को कि आप होशियार रहिये। यह समझ कर नहीं चलिये कि आगे यह आर्थिक भार नहीं पड़ने वाला है। आपने इस बात को प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री के भाषण का संकेत देकर भी भाषण में स्पष्ट किया है। यही कि हम अपने ही आधार पर खड़े हों और अपने ही साधनों से आगे बढ़ें। जिसका अर्थ है उससे आपने इन्सपायरेशन लिया है कि अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, अपने साधनों पर खड़ा होना पड़ेगा। और साधनों पर कैसे खड़ा हुआ जाता है? जिसका अर्थ है कि आप दूसरी तरह से कर लगा कर खड़े होंगे। कर लगाने की आपकी चेष्टा, आपका संकल्प इससे वहुत ही स्पष्ट प्रकट होता है। कर नहीं लगाने पर राजस्थान में एक बड़ा प्रशंसा का वातावरण बना और इस बार एक अनोखा बजट का भाषण, अनोखी आपकी नीति रही कि कर नहीं लगाए गए लेकिन राजस्थान की जनता इस बात को देख नहीं सकी कि आपके भाषण में बार बार इसका संकेत है कि आगे आने वाले वक्त में निश्चित रूप से आर्थिक भार को सन्तुलित करने के लिए कर लगायेंगे और माननीय सदस्य भी अब समझने लगे हैं कि इसकी ध्वनि भाषण के अन्दर कहीं छुपी हुई है। आपके भाषण के पृष्ठ 29 पैरा 53 पर भी आपने कहा है :

"भारत सरकार के इस निर्णय के अनुरूप हम भी यथा समय राजस्थान बिक्री कर अधिनियम में तथा उसके अधीन बने नियमों व अधिसूचनाओं में, साथ ही केन्द्रीय बिक्री कर नियम (राजस्थान) में आवश्यक संशोधन करने को कार्यवाही करेंगे"

जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आपने कोई चीज अछूती नहीं छोड़ी है। और कभी माननीय सदस्य, इस भुलावे में रह जावें और कभी पूछ बैठें कि आपने कहा था कि कर नहीं लगायेंगे और हमने आपकी प्रशंसा की थी। आपने संतुलित बजट रखा था, आप उस वक्त इस बजट भाषण को सामने करके आ जायेंगे कि आपके समझने में गलती हुई है। मैंने तो एक बार नहीं अनेक बार संकेत दिया। इसलिए माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि कर नहीं लगने पर अगर आपको प्रसन्नता है, कहीं आपने बधाई दे दी है धन्यवाद दे दिया है...

श्री चन्दनमल वैद : उसको वापस ले लें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : ...उसको वापिस न लीजिए लेकिन आगे चर्चा करते

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
हुए उस पर ध्यान अवश्य कीजिए, उस पर नियंत्रण कीजिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, कि यह आपके भाषण में स्थान 2 पर उल्लेख आपके वक्तव्य का है। ऐसी स्थिति में इस घाटे के बजट को घाटे का बजट मानना चाहिए, संतुलित बजट नहीं मानकर बताना चाहिए और कर लगाने के संदर्भ में आपका यही संकेत है। मुझे विश्वास है आपने स्पष्ट संकेत दिया है उस संकेत का सदन में स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए आपके शब्दों में। वह संकेत आपने किया है भाषण में, बहुत साफ कहा है और इसका स्पष्ट तौर पर यहां स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। जैसा आपने कहा है और जैसा आपने बतलाया है संकेत द्वारा और जैसा हम इसको समझ पाये हैं यह अध्यादेशों के द्वारा अभिवृद्धि के द्वारा आर्थिक भार करों के रूप में या बढ़ोतरी के रूप में निश्चय ही पड़ने वाला है। इसलिए कर न लगाने का विश्वास देने पर इस अभिभाषण की तारीफ करना मैं उचित नहीं समझता। वित्त मंत्रीजी के इशारे को जिसके आधार पर वे आर्थिक समस्याओं को हल करना चाहते हैं करों के आधार पर, इसको मानते हुए धन्यवाद दिया जावे तो अनुचित नहीं है। लेकिन इसमें राहत की सांस लेकर कहना चाहते हों तो यह उचित मैं नहीं मानता। इसलिए मेरा यह विश्वास है कि यह बजट 15 करोड़ के घाटे का बजट है। संतुलित बजट का कोई प्रश्न नहीं हैं और भविष्य में जिस प्रकार करों के प्रश्न को आपने अवरुद्ध किया है, भविष्य में अध्यादेशों के माध्यम से अथवा किसी तरह से यह कर जनता पर लगने वाले हैं।

मैं इस प्रश्न को यहीं समाप्त कर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस बजट के भाषण में उन समस्याओं का जो राष्ट्र को संतप्त कर रही है आप मौन रह गए और आप जैसा प्रगतिशील व्यक्ति मौन रह जाय यह विचारणीय है। आप भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई कदम लेना चाहते हैं, किस समय किस प्रकार का चिंतन करना चाहते हैं, बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में कोई कदम लेना चाहते हैं या चिंतन करना चाहते हैं और आपकी दृष्टि शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में क्या है, यह सारी समस्यायें हैं जिससे सारा राष्ट्र संतप्त हो रहा है इसका आपके बजट भाषण में कहीं जिक्र नहीं है। राष्ट्र में किन्हीं एक व्यक्ति विशेष ने इन समस्याओं को उजागर किया है लेकिन समस्यायें राष्ट्र की हैं उस सम्बन्ध में इन प्रश्नों का स्पष्टीकरण आपको करना चाहिए था, आपकी नीतियों को बतलाना चाहिए था। इस महंगाई के सम्बन्ध में आप यहां पर मौन रहे और आपका मौन रहना भी मैं समझता हूं, समझता इसलिए हूं कि इन स्थितियों का नाम लेना तक अपराध समझा जाता है और उस संदर्भ में उदाहरण सामने है कि किसी व्यक्ति ने इन प्रश्नों को प्रजातांत्रिक तरीके से भी राष्ट्र के हित में उजागर किया तो उसका मुआवजा देना पड़ता है, इसलिए आप मौन रहे और आपका मौन रहना स्वाभाविक था। पर फिर भी इन प्रश्नों पर चिंतन करना आवश्यक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट भाषण में वस्तुओं के अभाव, मूल्य स्थिरता पर आपका कोई चिंतन नहीं है, मुद्रा स्फीति को रोकने के सम्बन्ध में कोई

Page No 59

59

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

उपाय नहीं है, औद्योगिक विकास की समस्यायें आपने नहीं दर्शाई, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि, बचत एवं विनियोजन और वितरण व्यवस्था को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया। प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक उपयोग करने के सम्बन्ध में कोई चिंतन नहीं, और तो और गैर योजना मदों पर प्रभाव कटौती पर सख्ती और यह आपके बूते की बात है, लेकिन इस प्रश्न पर भी आपने कोई चिंतन नहीं किया। बेरोजगारी और मंहगाई इस पर आपका कोई चिंतन नहीं। इसलिए मैं इसे सिर्फ एक आंकड़ों का जंजाल मात्र समझता हूं जिसने वर्तमान वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया है। भावी प्रगति और भावी क्या कदम हो सकते हैं। इसका दिशा ज्ञान और मार्गदर्शन बजट भाषण में नहीं मिलता है। इसलिए यह सवा चार सौ करोड़ का बजट उसका उद्घोष मात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन बजट भाषण के समय पांच मिनिट देर से आया था, जब आपका बजट भाषण हो रहा था। मैं थोड़ा सा बाजार में रुक गया था और इसलिए रुक गया था कि बजट भाषण की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है जनता पर यह देखना चाहता था। मैंने यह देखा कि आपके भाषण में चूंकि उस गरीबी की विषम स्थिति का कोई प्रश्न नहीं था। जिनके लिए आप भाषण यहां पर दे रहे थे। आपके भाषण के मध्य में जो रुपये की कीमत 36 पैसे थी और जब मैं यहां आकर बैठा तो 34 पैसे रह गई। यह कीमतों की स्थिति है, पर कैपिटा की यह स्थिति है और विषम प्रतिक्रियायें हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि जब हमारे इस प्रान्त की पर कैपिटा इन्कम घटती हुई चली जा रही है उस सन्दर्भ में इन कीमतों को पर कैपिटा इन्क्रीज करने के सम्बन्ध में आपका चींतन और आपका विश्लेषण मेरा विश्वास है इसमें होना चाहिए था। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह स्पष्ट मत है कि यह बजट घाटे का बजट है, 15 करोड़ के घाटे का बजट है और मैं वित्त मंत्रीजी से मांग करता हूं कि वे अपने भाषण में भविष्य में कोई कर न लगायेंगे ऐसा विश्वास इस सदन को दें और साथ ही यह भी कबूल करें कि यह सन्तुलित बजट नहीं है और यह घाटे का बजट है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने 75–76 का जो बजट सदन के सम्मुख पेश किया है, आम तौर पर बजट पेश होने से पहले एक कोल्ड फीवर हो जाता है कि न जाने किस पर कौनसा नया कर लगायें। एक सन्तुलित बजट पेश करके वित्त मंत्री महोदय ने जनता को कुछ हद तक राहत पहुंचाई है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आजादी के बाद हमारे यहां घाटे की अर्थ-व्यवस्था रही है और उस घाटे की अर्थ-व्यवस्था के बाद हम निरन्तर इस बात को देखते आ रहे हैं कि हमारा हर बार कर्जा जो स्टेट पर होता है, बढ़ता जाता है और उसका जो ब्याज है वह बढ़ता जाता है। लेकिन इस बार शुरू-शुरू में जब हमारा वर्ष शुरू हुआ था उसमें 9.12 करोड़ का घाटा दिखलाया गया था और उस बजट के

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

बाद जो अतिरिक्त 4.62 करोड़ का खर्चा हुआ उसे कुल मिलाकर 13.4 करोड़ का घाटा बनता है। इसको और हमारे घाटे को पूरा करके माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह दिखलाया है कि चालू वर्ष में उनको 12 लाख का सरप्लस मिलेगा। देखने में तो यह आंकड़े बहुत ही सुन्दर लगते हैं और जैसाकि माननीय सदस्य आचार्यजी ने कहा मैं भी इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं कि यह आंकड़ों का जाल बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन पिछले साल के बजट में जो टैक्स नहीं दिखलाये गये थे उनको अध्यादेशों से लागू कर दिया गया, और अध्यादेशों के जरिये जो बढ़ोतरी की गई उससे जो कमाई उस साल में बताई गई वह 13 करोड़ कुछ होती है। जो घाटा 45 करोड़ और कुछ होना चाहिये था जिसको मैं आगे बताऊंगी, उसकी जगह 13 करोड़ और कुछ के आंकड़े हैं। जिनसे पूरा किया है और उन नये करों की कमाई से इस साल में आमदनी कोई 28 करोड़ के लगभग आंकी गई है। तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह अप्रत्यक्ष कर जो जनता पर लगाये गये हैं जिसको अगर सावधानी के तौर पर देखा जाय तो न तो इस साल के बजट में और न उस साल के बजट में वह कवर होता है इसके बाद भी मैं आशा करती हूं कि जो स्थिति अब बताई गई है। उसमें भी अब करीब 66 पर्सेन्ट हमारा खर्च इस बार बताया गया है वह डवलपमेंट वर्क्स पर होगा 34 पर्सेन्ट और नॉन-डेवलपमेंट वर्क्स पर होगा यह 66 पर्सेन्ट। खर्च जिस तरह डिस्ट्रिब्यूट किया गया है, उसमें 23 पर्सेन्ट है एज्यूकेशन का, 7 पर्सेन्ट है चिकित्सा और स्वास्थ्य का, 4 पर्सेन्ट है, पब्लिक हैल्थ पर 12 पर्सेन्ट है, एग्रीकल्चर पर, और 2 पर्सेन्ट उद्योग पर है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, 7 पर्सेन्ट इर्रीगेशन पर है और 11 पर्सेन्ट अन्य पर है। यह कुल मिला कर 66 पर्सेन्ट बन जाता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पर्सेन्ट का खर्च है। वह एज्यूकेशन पर रखा गया है एज्यूकेशन के मामले को बहुत अहमियत दी गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, इस साल बजट का 1.50 एजूकेशन के मद में डाइवर्ट किया गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि एजूकेशन का विस्तार हो, लेकिन इसके साथ-साथ आज जो एज्यूकेशन प्रणाली है उससे जनता बहुत परेशान है। अपने इस एजूकेशन प्रणाली को आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन उस स्थिति को ध्यान में न रख कर एक परम्परागत तरीके से यह कहा गया है कि इतने प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बना दिया जाएगा, इतने मिडिल स्कूल को सेकेण्डरी स्कूल बना दिया जाएगा, इतने सेकेण्डरी स्कूल को हायर सेकेन्ड्री स्कूल बना दिया जायगा, या दस जगह हम पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज खोल रहे हैं। मैंने देखा है स्टूडेन्ट आज इस शिक्षा-प्रणाली से ऊब चुके हैं। वह बाहर जाकर पढ़ते लिखते नहीं हैं और रोज कालेज और स्कूल में हड़ताल करते हैं। यह तरीका शिक्षा का है, आयन्दा इसके कारण एक बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है। इम्तिहान में स्टूडेन्ट्स घिसे पिटे तरीके से किताब पढ़ कर इम्तिहान दे देते हैं और उसके बाद बेरोजगार होकर सड़कों पर आते हैं। यह शिक्षा प्रणाली उनमें फस्ट्रेशन पैदा करती है। आज प्रजातन्त्र में जयप्रकाश के मूवमेंट की बात करते हैं।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

उनके पीछे स्टूडेंट्स इसलिए नहीं हैं कि उनको बहुत अच्छा कोई भविष्य दिखाई देता है, बल्कि एक अर्थ में इस शिक्षा प्रणाली से फ्रस्ट्रेशन आता है, पढ़ लिख कर वह बेरोजगार होकर सड़कों पर जाते हैं, उनको उनका भविष्य अंधेरे में दिखता है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, एजूकेशन का सिस्टम है, जिसको हम बदलना चाहते हैं, उसके लिए मेरा सुझाव है कि जिन-जिन जगहों पर कोई उद्योग हैं, जिस प्रकार मैं बीकानेर के लिए कह सकती हूं कि वहां पर पशु पालन के द्वारा हमारी अर्थ-व्यवस्था में मदद देने की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए इस जगह पर पशुपालन के लिए इन्स्टीट्यूशन खोली जाय और वहां पर लोगों को उस किस्म की शिक्षा दी जाय ताकि वहां रह कर, शहरों में न जाकर वहीं रह कर, वह अपना जीवन बिता सकें। जहां पर खेती की अधिकता है वहां पर खेती की इन्स्टीट्यूशन्स खोली जायं और उनमें लोगों को खेती की शिक्षा दी जाय। अभी जो शिक्षा प्रणाली है, मैं निश्चित तौर पर मानती हूं कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा की जो क्लासेज खोलने जा रहे हैं, यह बाहर से तो बहुत सुन्दर दिखता है, लेकिन दस जगह पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोल दें, तो मैं निश्चित तौर पर मानती हूं कि कहीं पर ऐसा होगा कि चार-चार स्टूडेंट्स के पीछे सरकार को पांच, छः रुपया व्यय करना पड़ेगा। उसका उपयोग कुछ नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं समझती हूं कि यह पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज न खोली जायं और बाहर यह स्टूडेंट्स पढ़ने जायं उन तमाम को स्टेडीज के लिए स्कालरशिप देकर अच्छे कालेज में भेजें। दूसरे जो आप साइन्स क्लासेज खोलते हैं, वहां पर पूरी व्यवस्था नहीं होती, पूरा सामान नहीं पहुंचता है। इस तरह तो हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पायेंगे। इस प्रकार यह जो परम्परा है इस पर चिन्तन करने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा पर्सेन्टेज एजूकेशन पर खर्च कर रहे हैं, उसका उपयोग होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 66 पर्सेन्ट में से सिर्फ 12 पर्सेण्ट एग्रीकल्चर पर है और 2 पर्सेन्ट इन्डस्ट्रीज पर हैं। यह 14 पर्सेन्ट खर्चा वह है जिससे उत्पादन अधिक करके हमारी अर्थ-व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। बाकी खर्च है, स्वास्थ्य, पर मेडिकल और पब्लिक हेल्थ वगैरह पर, तो इन पर खर्च करने से हमारे यहां उत्पादन नहीं होता। जिससे हमारी अर्थ-व्यवस्था पर असर आ सकता है वह इस सारे खर्च में केवल 14 पर्सेन्ट खर्च करते हैं।

कृषि के क्षेत्र में निवेदन करना चाहती हूं, आज हमारे यहां साढ़े छः करोड़ एकड़ जमीन है जिस पर खेती हो सकती है, लेकिन उसमें से साढ़े तीन करोड एकड़ पर ही खेती कर पाते हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बात को कहा है कि जिस जमीन पर खेती होती है उस जमीन पर हम ज्यादा सहूलियत खेती के लिए देने के लिए सोचते हैं ताकि हमारी उपज बढ़ सके। मैं इस बात को गलत नहीं मानती हूं। लेकिन साथ-साथ जो जमीन हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो हमारे यहां लाखों लोग भूमि हीन हैं, जिनके पास कोई धंधा नहीं

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

है, जो खेती करना चाहते हैं, उन लोगों को वह जमीन देकर उनके लिए खेती की व्यवस्था की जाय, ताकि उनको कोई काम मिल सके और उनके जीवनयापन के लिए कोई सोर्स हो सके और साथ ही जो जमीन वैसे ही पड़ी हुई है उसमें खेती हो सके।

दूसरी बात कृषि के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहां कृषि इन्द्र देव भगवान की मर्जी पर मुनस्सर हैं। इन्द्रदेव भगवान न जाने कब आंख फेर लें यह हमें पता नहीं होता, इसलिए इस बात का इन्तजाम करना पड़ेगा कि हम खेती के लिए बरसात पर मुनस्सर न रहें। हम इर्रीगेशन के सोर्सेज, बांध हैं, नहर हैं उनका इस तरह से डेवलपमेंट करें ताकि खेती की उपज को बढ़ा सकें। इस सिलसिले में मैं राजस्थान नहर की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगी। 1958 में राजस्थान नहर बनाना शुरू हुई थी और आज तक वह पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन धन के अभाव के कारण, दूसरे कारणों से वह पूरी नहीं हो सकी। अगले महीने राजस्थान नहर का प्रथम चरण पूरा होने वाला है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, इस बार 139 पाइन्ट समथिंग वर्ल्ड बैंक से लोन मिला है, जो इस एरिया को विकसित करने में खर्च करेंगे। अगर नहर नहीं बनेगी और सिर्फ कालोनी एरिया को डेवलप करने की बात करेंगे तो इतना बड़ा एस्टीमेट, 66.40 करोड़ ऋण के रूप में वर्ल्ड बैंक देगा, उसका दुरुपयोग हो जायगा, उसका सदुपयोग नहीं होगा, और हम कर्जदार बन जायेंगे। इसलिए यह व्यवस्था करना अत्यावश्यक है कि नहर की खुदाई और नहर को पूरा करने का काम कालोनी एरिया के डेवलपमेंट के साथ-साथ होना चाहिए ताकि इस पैसे का सदुपयोग हो सके और पूरा उपयोग हो सके। नहर पूरी न हो और कालोनी एरिया के डेवलपमेंट में पैसे का उपयोग कर लें तो उसका फायदा नहीं मिल सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी, सदन के इस तरफ बैठने वाले और उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों को इस सदन के मार्फत एक प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को भेजना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में एक्सेप्ट करे, ताकि जो धनराशि इस पर खर्च हो उसका सही मायने में उपयोग हो सके। और हम बरसात पर निर्भर रहते रहे हैं उससे बच जायेंगे और जो अनाज बाहर के मुल्कों से लेना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज देकर उससे राहत मिलेगी।

खेती के साथ-साथ पशु-पालन भी हमारी अर्थ-व्यवस्था पर असर डालता है। पशु-पालन के सिलसिले में माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है, हमने बीकानेर में उत्तर राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के मार्फत एक फॉडर बेलेन्सिंग डेयरी प्लान्ट लगाने का तय किया है, उसकी एक लाख लीटर की कैपेसिटी रहेगी। उसके लिए आज नेशनल डेयरी कार्पोरेशन ने 1 करोड़ 38 लाख रुपया दिया है जिससे उत्तर राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की बिल्डिंग बन रही है। यह बिल्डिंग नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना रहा है, इसका बीकानेर में काम शुरू हुआ, उसको पूरा एक साल हो गया है। अगस्त, 1972 में

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और जून जुलाई, 1973 में काम करना शुरू किया था लेकिन खेद की बात है कि आज तक वह बिल्डिंग नहीं बन सकी है। जो कान्ट्रेक्टर उसका काम कर रहा था, उसने काम करना बन्द कर दिया। अब मालूम हुआ है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कन्स्ट्रक्शन का काम कराता है, उसने काम बन्द करने की परमिशन दे दी है। बीच में कान्ट्रेक्टर काम करना बन्द कर देता है तो उस काम को डिपार्टमेंटली पूरा कराते हैं और जो घाटा आता है उसको वसूल करते हैं या फिर दूसरे कान्ट्रेक्टर को काम दे देते हैं–यह व्यवस्था हो जाती है। लेकिन इसमें अजीब बात रही है कि ठेकेदार को काम बन्द करने की परमिशन दे दी गई है और वह बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उत्तर राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को पैसा डाइरेक्टली नहीं मिलता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कोर्पोरेशन राज्य सरकार को रुपया देता है और राज्य सरकार नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को देती है, जो बिल्डिंग बनाता है। इस रकम पर जो ब्याज लगता है उसकी जिम्मेदारी उत्तर राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पर पड़ेगी। यह डेड इन्वेस्टमेंट करके रखा है और बिल्डिंग नहीं बनाई है, इस कारण इसकी जो बेलेन्स शीट के आंकड़े हैं उसमें चार लाख रुपया इन्ट्रेस्ट की रकम चुकाने का बताया है। चार लाख रुपया इन्ट्रेस्ट के रूप में वह देता है जब कि उसे रकम नहीं मिलती है तो उत्तर राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ फायदे के बजाय नुकसान में ही जायगा और कुछ दिनों के बाद में उसे बन्द करना पड़ेगा। इस बात को देखा जाय और ऐसा काम न करें क्योंकि जो घोषणा करते हैं तो उस समय वह अच्छी घोषणा लगती है, लेकिन जब हकीकत में देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि घाटा होगा तो लोगों को अफसोस होता है। मैं कहना चाहूंगी कि इस स्कीम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की व्यवस्था की जाय, क्योंकि बीकानेर जिले के लिए खास तौर पर उपयोगी स्कीम है और इस स्कीम से एक लाख लीटर जब दूध पैदा होगा तो उससे 66 लाख टन खाद्य पदार्थ बनायेंगे, जिसमें 1500 टन पाउडर पैदा होगा, 30 लाख टन मक्खन पैदा होगा और 60 लाख टन घी पैदा होगा। इसका बीकानेर की अर्थ व्यवस्था पर और राजस्थान की अर्थ व्यवस्था पर असर आयेगा।

उद्योग के लिए कहना चाहती हूं, इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने उद्योग के बारे में कुछ नहीं कहा है। उद्योग ऐसी चीज है जो हमारी अर्थ-व्यवस्था पर असर डालती है। सारी धनराशि का 2 पर्सेन्ट उद्योग पर खर्च करते हैं जब कि उद्योग के लिए हमारे यहां पर काफी गुंजाइश है। मैं सिर्फ बीकानेर के लिए निवेदन करना चाहूंगी। वहां पर राजस्थान नहर आने के बाद पानी की कमी नहीं है, पानी वहां पर आ जायगा जमीन वहां खेती के लायक बहुत है। वहां लहलहाती खेती होगी, उस वक्त खाद की जरूरत पड़ेगी। वहां मानव श्रम की कमी नहीं है, यातायात के साधनों की कमी नहीं है, इसलिए वहां पर फर्टिलाइजर

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर सकते हैं और भावी सम्भावनाओं पर विचार कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ नहीं कहा।

पलाना कोलेरी के बारे में बार-बार कहती रही हूं। पिछले बजट भाषण के वक्त माननीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था इस हाउस के अन्दर कि एक उच्चस्तरीय कमेटी नियुक्त कर रहे हैं, वह जाकर जांच करेगी और उसके बाद में जल्दी शुरू कर देंगे। एक तरफ भारत के अन्दर कोयले की कमी है, दूसरी तरफ करोड़ों की मशीनरी पड़ी हुई हुई है, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, वहां पर उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। मैं इसलिए कहना चाहूंगी, माननीय वित्त मंत्री, पिछले आश्वासन का क्या हुआ इस बात को देखें। भारत में कोयले की कमी है, उसको इससे दूर किया जा सकता है, इसलिए पलाना कोलेरी को चालू किया जाय।

इसके अलावा खाद के कारखाने को लगाने की बात को देखा जाय। वहां पर कारखाना लग सकता है। इसके साथ ही बीकानेर जिले को इन्डस्ट्रियल बैकवर्ड घोषित किया जाय ताकि प्राइवेट सैक्टर में बहुत से वहां के लोग बाहर जाकर उद्योग लगाते हैं, उनको मोका मिल सके और वहां पर वह उद्योग लगा सकें। मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्री (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) मुझे टाइम बता दें इतना टाइम मिलेगा, मैं उसी हिसाब से कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम समाप्त हो गया है।

श्री खेतसिंह : सात मिनिट का समय था, आप सत्रह मिनिट बोल चुकी हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : सत्रह मिनिट तो नहीं बोली हूं। मैं दो मिनिट में समाप्त कर देती हूं। आपकी महरबानी है कि आपने टाइम दिया।

मैं निवेदन करना चाहती हूं, यह आर्थिक पहलू है जो सदन के समक्ष रखा। सामाजिक पहलू के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि नरोरा की मीटिंग हुई, उसमें सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ जिम्मेदारी सरकार पर पड़ी थी। उसमें से एक तो मकान बनाने की बात वित्त मंत्री ने कही है कि हमने जो साढ़े पांच लाख भू-खण्ड आवंटित किये हैं, उनमें से 15 हजार मकान बनाने की व्यवस्था की है, जिसके लिए 45 लाख की राशि सेमर मनी के लिए रखी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह नहीं बताया है कि यह 45 लाख की राशि आंकी गई है, वह किन संस्थाओं से मिलेगी या कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। इसके अलावा पन्द्रह हजार मकान एक साल में बनायेंगे तो साढ़े पांच लाख कब तक बना पायेंगे। इस प्रकार आप यह व्यवस्था कर भूमिहीनों को मकान देने की बात करते हैं, यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा और हम सभी को भू-खण्ड आवंटन करके ही रह जायेंगे।

दूसरी बात नरोरा डिसीजन में थी कि गन्दी बस्ती और कच्ची बस्तियों में मकान बनाये जायेंगे ताकि वहां जो गरीब लोग रहते हैं उनको स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का मौका मिले। उसके बारे में वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा। कच्ची बस्तियों में जमीन

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

को शहरों में रेगुलेराइज करने की बात थी और गन्दी बस्तियों को हटाने की बात थी उसका इसमें कोई रेफरेन्स नहीं है।

नरोरा का तीसरा डिसजीन था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में कुछ जगह कुछ चीजें सरकारी वितरण-प्रणाली के माध्यम से देंगे। उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा है।

चौथी बात नरोरा डिसीजन में थी जमाखोरी खत्म करने, कम खर्च करने, मिलावट के खिलाफ अभियान चलाने के बारे में। इसके बारे में वित्त मंत्री ने कोई संकेत बजट भाषण में नहीं दिया। इसमें खर्च में कटौती करने की बात नहीं बताई है। यह भी नहीं बताया कि मिलावट को और जमाखोरी को किस तरह से रोकेंगे। रबी को फसल अच्छी होने की बात कही जा रही है लेकिन अब तक जमाखोरी को रोकने का अभियान नहीं चलाया जा रहा है और यह कहते हैं कि रबी की फसल अच्छी होने से वितरण प्रणाली सुधरेगी और खाद्यान्न जनता को उपलब्ध कर पायेंगे यह भी सही नहीं है।

दूसरी बात जो वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में नहीं कही है। वह अन एम्पलायमेंट के बारे में। यह बताया गया है कि वर्ष 1974 में करीब 28 लाख लोग एम्पलायमेंट एक्चेन्ज में एम्पलायमेंट के लिए रजिस्टर्ड थे और उनमें से करीब साढ़े अठारह हजार लोगों को एम्पलायमेंट दिया गया है। यह एक विशेष विषम परिस्थिति है जिसके समाधान के लिये सरकार की ओर से इस बजट भाषण में कोई संकेत नहीं है। इसका उपाय होना चाहिये। खास तौर से इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये। 1975 का वर्ष इन्टरनेशनल वोमन मूवमेंट के बतौर मनाया जा रहा है। परन्तु वित्त मंत्री महोदय ने इस मद में कोई प्राव-धान नहीं रखा है। हमारे वित्त मंत्री महो-दय गोटा, जरी पर टैक्स लगाना तो नहीं भूलते हैं परन्तु यह भूल जाते हैं कि यह वर्ष इन्टरनेशनल वोमन मूवमेन्ट मनाया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि वर्ष के दौरान महिला और पुरुषों को खेती की दरों में समानता लाई जाये। आज महिलाओं को और पुरुषों को जो मजदूरी मिलती है उसमें 2:3 का रेशो है। इस रेशो को बराबर करने की घोषणा इस वर्ष सरकार द्वारा की जाये। मैं आशा करती हूं कि राज्य सरकार यह घोषणा करेगी।.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाप्त कर रही हूं।

अधिक न कह कर मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने यह जो बजट पेश किया है वह आशाजनक नहीं है तो इसको निराशाजनक भी नहीं कहा जा सकता है। यह बात निश्चित रूप से है कि अर्थ व्यवस्था को सेल्फ जेनेरेटिंग कर हम प्रदेश को विकास की ओर ले जा सकेंगे। वर्तमान सरकार हिम्मत और हौसले के साथ कठिनाइयों को पार कर आगे चल रही है इसलिए आमतौर पर मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष। श्रीमती मदन कौर।

Page No 66

(66)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष जी 1975-76 के बजट में कोई नये कर नहीं लगाये गये हैं और बजट को सन्तुलित रखा गया है, इसके लिए निश्चित रूप से राज्य सरकार और वित्त मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। 74-75 के वित्तीय साल में हमारी सरकार द्वारा वित्तीय प्रबन्ध में सतर्कता बरती गई है, अनुशासन बरता गया है और इसकी वजह से यह आशा बनने लगी है कि हमारी अर्थ व्यवस्था को एक ठोस आधार मिला है। आने वाले तीन, चार महीने अप्रेल से लेकर जुलाई-अगस्त तक हमारे प्रदेश के लिए, हमारी प्रदेश की सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल का समय है। एक तरह से यह कहें कि राज्य सरकार के लिए यह एक कठिनाई का समय है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। ऐसे समय में मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि वे अपने वित्तीय प्रबन्ध में अनुशासन को कुछ ढील दें अन्यथा आपका यह मौजूदा बजट एक ऐसे परिवार के बजट के समान होगा जहां कि परिवार के बच्चे रोटी के लिए तरस रहे हैं और परिवार का मुखिया उनको यह बात कहे कि मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक ठोस आधार तैयार कर रहा हूं। उपाध्यक्षजी, स्वतन्त्रता के बाद, राजस्थान के इतिहास में शायद यह पहला मौका है कि इतनी बड़ी आबादी ऐसे भयंकर अकाल और अभाव से पीड़ित है। मैं राज्य के दूसरे हिस्सों के सम्बन्ध में तो बहुत अधिकार पूर्वक नहीं कह सकती हूं लेकिन पश्चिमी जिलों के सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूं कि वहां के लोग बड़ी संख्या में भूखों मर रहे हैं। गांवों में न पीने का पानी है, न खाने को अनाज है और ऐसे मंहगाई के समय में किसी तरह के रोजगार के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य की पश्चिमी जिलों की जनता इतनी अधिक प्राकृतिक विपदाओं में फंसी हुई है कि राज्य सरकार ने उनको राहत देने के लिए किसी तरह के व्यवहारिक कदम नहीं उठाये हैं। जब कभी राज्य सरकार के सामने यहां के लोगों को रोजगार देने की बात आती है तो राज्य सरकार उनको राजस्थान कैनाल के ऊपर रोजगार देने का प्रस्ताव करती है। मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह व्यवहारिक प्रस्ताव है। राज्य के बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी जिनको स्पेशल पे और अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका पोस्टिंग यदि कभी दुर्गम स्थान पर हो जाती है तो वे येन-केन प्रकारेण उस पोस्टिंग को केन्सिल करवाने का यत्न करते हैं। तो हम जनता से किस प्रकार से यह आशा करते हैं कि मजबूरी के समय में वे अपने बाल बच्चों, अपने बुजुर्गों को और अपने मवेशियों को छोड़कर राजस्थान कैनाल पर जावें, जहां कि न तो रहने की व्यवस्था है और न कुछ दूसरी व्यवस्था है। आखिर व्यवस्था है क्या ? एक आदमी मजदूरी करता है, उस मजदूरी से उसको खुद का पेट पालना मुश्किल होता है तो वह अन्य लोगों को कैसे ले जाएगा। इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है, अनुरोध है कि अब वह इस प्रस्ताव को सीमित करे क्योंकि जो लोग जा सकते थे, घर से बाहर निकल सकते थे, वे निकल गये हैं। अब अधिक लोगों का

(श्रीमती मदन कौर)

वहां पर जाना संभव नहीं है ऐसे स्थान पर। मैं यह निवेदन करूंगी कि अब समय आ गया है कि जिले में कुछ राहत देने के लिए इस तरह के रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायें। यह सही नहीं है कि राज्य के पश्चिमी जिलों में किसी तरह का उत्पादन कार्य करना संभव नहीं है अथवा इन क्षेत्रों का विकास नहीं किया जा सकता है वास्तविकता तो यह है कि इतने वर्षों के लोकतांत्रिक राज्य में जहां जन प्रतिनिधियों की सरकार की स्थापना हुई है वहां किसी ने इन क्षेत्रों के लोगों की तकलीफों को समझने की ओर उनका समाधान ढूंढने की गंभीरता से विचार नहीं किया है।

उपाध्यक्षजी, जिस क्षेत्र में पशुओं की अच्छी नस्ल हो, अच्छे किस्म की जमीन हो, तरह तरह की उपयोगी वनस्पति हो, सब से अधिक परिश्रमी जनशक्ति जहां हो, उसका विकास न किया जाये ? आवश्यकता तो इस बात की है कि यह राज्य सरकार साधन जुटाये और अपने यहां पर एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कायम की जाये जिससे कि इस क्षेत्र का विकास किया जाय। जहां तक धन का सवाल है, धन की कहीं कोई कमी नजर नहीं आती है। पिछले वर्षों राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र के लिये काफी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई लेकिन मुझे अफसोस है कि राज्य की प्रभावी और उपयोगी प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में इस धनराशि का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया जा सका। आने वाले वर्षों में जो भारत सरकार ने इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सुझाये हैं मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री महोदय ने एक मरुस्थल विकास बोर्ड के गठन का निर्णय अपने बजट भाषण में सुनाया है। लेकिन केवल डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड के गठन मात्र से इस मरुस्थल क्षेत्र का विकास नहीं होगा। ऐसे बोर्ड का गठन भी पहले हुआ था जो केवल फारमेलिटी के रूप में ही रहा मैं यह सुझाव दूंगी कि इस बोर्ड की आड़ में ऐसे लोगों को काम करने का अवसर दिया जाये जिन्हें मरुस्थल क्षेत्र के सम्बन्ध में व्यवहारिक ज्ञान हो, जो इस कार्यक्रम को हाथ में ले सकें और जिनकी इस पर पूरी आस्था हो और जिन लोगों को इस सम्बन्ध में रुचि हो तो इन क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को चाहिये कि इस मरुस्थल विकास बोर्ड को एक सक्रिय संस्था बनावे, उसको साधन दे, साथ ही प्रोग्राम भी उसको दे कि इतनी अवधि में आपको यह भौतिक लक्ष्य इस क्षेत्र में प्राप्त करने होंगे।

उपाध्यक्ष जी अकाल के साथ साथ खाद्यान्न का अभाव भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। बाड़मेर जिले में जहां 1971 में इतना अधिक बाजरा पैदा हुआ था कि बाजरा 25 रुपया प्रति क्विन्टल के भाव पर कोई लेने वाला नहीं था आज उस बाड़मेर जिले के किसान अनाज के लिये तरस रहे हैं। जब से खरीफ की फसल नहीं हुई है तब से बराबर सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि यहां पर अनाज नहीं है और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं कि जहां पिछले साल भी बाजरा नहीं पका था हमारे निवेदन पर या सरकार ने अपनी सूझबूझ पर अक्टूबर महीने से हमारे यहां

(श्रीमती मदन कौर)

पर नियन्त्रित मूल्य का अनाज वितरण करने का सिलसिला शुरू किया लेकिन यह नियन्त्रित मूल्य का अनाज बाड़मेर जिले की करीब दो तिहाई आबादी को ही मिल सका है क्योंकि बहुत सी पंचायतें ऐसी रखी गई हैं जहां कि केवल शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स को ही अनाज दिया जा रहा है बाकी दूसरे गरीब व्यक्ति दो किलो प्रति व्यक्ति से भी वंचित रह रहे हैं।

जैसलमेर जिला हमारा पड़ौसी जिला है, और जैसलमेर के सम्पूर्ण जिले में अक्तूबर से ही 6 किलो और 7 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज दिया जाता है। मैंने राज्य सरकार को पहले भी यह निवेदन किया था कि जैसलमेर जिले जैसी स्थिति बाड़मेर की बायतू पंचायत समिति, शिव पंचायत समिति और बालोतरा पंचायत समिति के कुछ भाग में है। यदि सम्पूर्ण जिले में अधिक अनाज की उपलब्धि नहीं कराई जा सके तो कम से कम इन इलाकों में जहां हालत जैसलमेर की जैसी ही है वहां तो कम से कम इतना ही अनाज दिया जाना चाहिए जितना कि जैसलमेर जिले को दिया जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि खाद्य मन्त्री जी ने मेरे इस अनुरोध को माना है, और शायद अगले मास से इन क्षेत्रों को उपलब्ध करायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की समस्या पश्चिमी क्षेत्र की सबसे विकट समस्या है और आज 27 वर्षों के इस कल्याणकारी राज्य की स्थापना होते हुए भी पानी जैसी नितान्त आवश्यक चीज भी हम इन लोगों को नहीं दे सके इससे अधिक किसी भी राज्य सरकार के लिए आज चिन्ता की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी राज्य सरकार से निवेदन किया था कि जहां जहां पानी का अभाव है पीने के पानी के स्रोत उपलब्ध नहीं हैं उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर भूमिगत जल का सर्वेक्षण कराया जाकर कम से कम इतनी तो जानकारी कर ही ली जाय कि किस गांव को कहां से पानी उपलब्ध हो सकता है। पीने का पानी एक नितान्त आवश्यक चीज है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं 5 मिनट और लूंगी।

उसकी समस्या कितनी व्यापक है। इस समस्या के हल के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता हो सकती है, और बाद में जैसे-जैसे धनराशि उपलब्ध हो वैसे-वैसे इन गांवों के लिए पीने के पानी की योजना मन्जूर की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बाड़मेर जिले में औद्योगिक उत्पादन की भी बड़ी सम्भावना है। अकेले बालोतरा में 100 से अधिक इकाइयां कपड़े की रंगाई और छपाई में लगी हुई हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी तकलीफों को कभी समझने का प्रयास नहीं किया है। औद्योगिक क्षेत्र की वहां स्थापना हुए आज चार साल हो गये हैं, लेकिन किसी तरह विकास का काम उस क्षेत्र में नहीं किया गया है। यह 100 इकाइयां भी छापने का कपड़ा बम्बई और किशनगढ़ से लाती हैं जहां कि पर्याप्त मात्रा में ठीक दामों में कपड़ा नहीं मिलता है। हमने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया था कि बालोतरा में एक टैक्सटाइल मिल की स्थापना की जाय, और मैं आज भी

(श्रीमती मदन कौर)
राज्य सरकार से यही निवेदन करूंगी कि जिस जिले में अकाल पड़ता रहता है वहां पर कुछ न कुछ उद्योग धन्धे चलाते रहें तो वहां की आर्थिक अवस्था को आघात नहीं पहुंचे।

बालोतरा में बकरी और ऊंट के बालों की बेसपट्टी बनाई जाती है जिससे काफी धनराशि फारेन एक्सचेन्ज के रूप में मिल सकती है। अरब देशों में इस बेसपट्टी की मांग बहुत है। इसको बनाने में काफी मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इसको बेचने के बारे में कोई प्रबन्ध नहीं किया है। इस वजह से यह धन्धा खत्म हो रहा है।

बालोतरा के पास में नमक की खानें हैं। जब से नमक की खानें राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आई हैं, तब से इनकी दुर्गति होती गई। उन मजदूरों का धन्धा भी गया जो नमक का उत्पादन करते हैं। उनकी आर्थिक हालत भी बहुत ही बिगड़ रही है और साथ ही उस क्षेत्र में जो विकास कार्य चालू हुए थे वह भी एक तरह से समाप्त हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में बिजली अतिरिक्त है, लेकिन इसका फायदा भी किसानों को नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो हम खाद्यान्न के लिए विदेशों को जाते हैं; और यहां आज तक हमने सुना है कि रबी की पिलाई का यह मौजू समय है और बिजली की स्थिति यह है कि 5-5, 7-7 मिनट में जलती है और बन्द हो जाती है जिससे उनके मोटर जल जाते हैं। इस तरह से तो हमारे रबी के उत्पादन में बहुत ही खराब प्रभाव पड़ेगा। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि अपने विद्युत मण्डल की व्यवस्था को सुधारें और इस समय खास तौर से बिजली रेगुलर सप्लाई करने का प्रबन्ध किया जाय।

बसों के राष्ट्रीयकरण के बारे में मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि जिन रूटों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है पहले उन पर कन्सोलिडेशन किया जाय। आज जनता में यह भावना बनी हुई है कि जिस किसी काम का राष्ट्रीयकरण सरकार करती है उसमें ही व्यवस्था बिगड़ती है।

अन्त में, उपाध्यक्षजी, मैं एक ही बात राज्य सरकार से कहूंगी कि अभी बाड़मेर जिले में भयंकर अकाल है, और इस अकाल को योजनाबद्ध कार्यक्रम से न जोड़ा जाय और लोगों को तत्काल राहत दी जाय। अकाल राहत कार्य और उस क्षेत्र का विकास करना यह दोनों अलग-अलग हैं, और इन दोनों पर अलग रूप से ही सोचना चाहिए। उनका विकास विभिन्न बातों का करें, लेकिन हमारी जो तत्काल समस्या है वह यह है कि उन लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायं, अगर कोई राहत दी जा सके तो वह दें। यदि कोई जरिया सामने नहीं आता है तो उन लोगों को ब्याजमुक्त ऋण देने की व्यवस्था राज्य सरकार को करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नम्बर आना चाहिए। राज्यपाल महोदय के भाषण पर

(एक माननीय सदस्य)
भी हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और सबको रोज बोलने वालों को मौका दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री नाथूराम (बगीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर जिनको अवसर नहीं दिया गया उनको मिलना चाहिए और आज हमें यह मालूम होना चाहिए कि किस-किस के नाम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह फन्क्शन नहीं है आसन का।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : हमको मालूम तो हो कि हम नहीं बोल सकते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो बजट के बारे में पहले ही कह चुका हूं कि बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वह एक ऐसी भूल-भुलैया है कि जिसके बारे में मेरा यह मानना है कि खास तौर से जब हम विधान सभा के सामने, माननीय सदस्यों के सामने जो बजट के बारे में हम कुछ डिटेल्स उसके दें तो वह इस ढंग से देने चाहिए कि जिससे आम तौर पर उसके बारे में जो चीज है वह समझ में आ सके। वैसे मैं संक्षेप में यह जिक्र करूंगा कि आप इसके अन्दर देखेंगे कि आपने 73–74 के जो लेखे इस बजट में प्रस्तुत किये हैं उसके अन्दर राजस्व खाते में जो आय होती है और उसके बाद में पूंजी खाते को मिलाकर इन्होंने बाद में जाकर यह बताया है कि दोनों को मिला करके यह 4 करोड़ 82 लाख से शुरू हुआ है 74–75 में और कुल घाटा 13 करोड़ 74 लाख का हो गया है। उसको किस तरह से आगे बढ़ाकर यह बताने की कोशिश की गई है कि हमने किन विपरीत परिस्थितियों में अपने सारे बजट को संतुलित करने की कोशिश की है। मैं यह सोचता हूं कि आप मुझे वित्त मंत्रीजी, बता दें कि जो कुछ भी आपने बजट स्पीच में कहा है आपने जो पूर्ति करने के बारे में 45.96 करोड़ रुपये के अप्रत्याशित व्यय भार के बारे में आपने कहा है, और आगे राज्य की वित्तीय स्थिति में यह असाधारण सुधार मुख्यत: राज्य करों से 12.56 करोड़ और जो दूसरे साधन बताये हैं उनसे होगा, तो आप बता दें कि चाहे आपने भारत सरकार से रुपया लिया हो, चाहे करों से जो अतिरिक्त उपलब्धि हुई हो, और कुछ बीच में टैक्स लगाये हैं उनके अलावा किस सोर्स से आपने आय में वृद्धि की है और उससे घाटे को पूरा किया है?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं इस बारे में भी कि जो बजट हमारे सामने रखा गया है उसके अन्दर राजस्व खाते को पूंजी खाते को दोनों को अगर देखा जाय तो, माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्व खाते के अन्दर इस बजट में यह बताया गया है कि इसमें जो 18.49 करोड़ का लाभ इसके अन्दर दिखाया गया है, और पूंजी खाते के अन्दर जो 14.83 करोड़ का घाटा बताया गया है। अब सवाल यह है कि राजस्व खाते में जो लाभ दिखाया गया है उसका असर किस पर पड़ता है?

(श्री फूलचन्द जैन)

आप देखिये कि हमने इस बजट में आज शिक्षा के अलावा 74-75 के मुकाबले में भी जैसे जल-स्वास्थ्य विभाग है, उसमें भी प्रोवीजन कम किया है, समाज कल्याण में भी पिछले वर्ष के मुकाबले प्रोवीजन कम किया है, और उसके अलावा काम नियोजन में मामूली सा फर्क रखा है पर उसके अलावा भी आप मुझे यह बता दीजिये कि जब आप यह मानकर चलते हैं कि आज आप डवलपमेन्ट के प्रोसेस में से होकर गुजर रहे हैं तो कम से कम यह तो किया जाता कि पुराने जो प्रोवीजन्स चले आ रहे हैं उनको तो हम मेन्टेन कर पाते और फिर उसके बाद कहते कि हमको राजस्व खाते में अधिक आय हुई है या उसमें मुनाफा बताते तो मैं इसको ठीक समझता। एक तरफ आप समाज कल्याण में कम कर रहे हैं, पब्लिक हैल्थ में कम कर रहे हैं, और जिन आइटम्स में प्रोवीजन बढ़ाना चाहिए, जहां, हम देख रहे हैं कि उस तरफ बढ़ती हुई रफ्तार से डेवलपमेन्ट को आवश्यकता है, डेवलपमेन्ट की प्रोसेस है, उन सब बातों को ध्यान में रखकर फिर स्थिति को देखना चाहिए, इससे आपकी स्थिति साफ हो जाती है कि डिफ्रेन्ट सेक्टर्स में डवलपमेंट में जो एक्सपेन्डीचर आपने रखा है उनको एक्यूमूलेट करके उनको नहीं बढ़ाकर आपने कोशिश की है राजस्व खाते में लाभ बताकर कुल घाटा 8.74 करोड़ का रहता है और यह कहा गया है कि इस घाटे की पूर्ति हम गवर्नमेंट आफ इण्डिया से लेकर पूरी कर लेंगे और इस प्रकार से बजट को सन्तुलित बताया गया है। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जो आय पूंजी खाते में दिखाई गई है उसमें यह भी देखना है कि हमको कहां कहां से लोन मिलता है, कितने प्रकार का हम लोन ले रहे हैं, भारत सरकार से ले रहे हैं, अल्प बचत से ले रहे हैं और कोई दूसरे माध्यम से लोन ले रहे हैं। हम इस प्रकार से लोन लेते रह कर बजेटिंग को एक भूल भूलैया में लेकर पटकेंगे और इसके बाद में इन्टेरेस्ट वगैरह की पोजीशन आगे आकर पड़े और भारत सरकार को सारी स्थिति मालूम हो तो हमारा सारा चित्र साफ हो जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आखिर हमको कुछ सिद्धान्त तो लेकर चलना ही चाहिए, किसी सिद्धान्त को हमको आधार मानना पड़ेगा। आज हमने लोगों की एक तरफ तो उत्सुकता और आकांक्षाएं इतनी जगा दी हैं कि सभी जगह लोग छोटा-मोटा डेवलपमेन्ट अपने-अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमने इस बात की कोशिश नहीं की कि डेवलपमेण्ट के लिए हम अपने ही साधनों का विकास करके आत्म निर्भरता की ओर बढ़ें न कि भारत सरकार से लोन लेते रहें या अन्य स्रोतों पर आश्रित होते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारे बजट भाषण को पढ़ा है, कई जगह उसमें यह देखा गया कि यदि भारत सरकार की मेहरबानी हो गई तो हम सुखी हो जायेंगे और मेहरबानी नहीं हुई तो हम कहां चले जायेंगे यह कुछ भी पता नहीं है। इस तरह की स्थिति है हमारी राज्य सरकार की और यह कहा जाय कि यह बजट एक सन्तुलित बजट है, और राज्य की प्रगति एक उल्लेखनीय प्रगति है, तो यह एक अजीब सी बात लगती है। मैं हर एक आइटम्स की डिटेल्स में तो नहीं

(श्री फूलचन्द जैन)
जाना चाहता परन्तु यह कहना चाहता हूं कि सारी स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए एक नये तरीके से बजट बनाने की प्रतिक्रिया को अगर हम शुरू कर दें तो हमको कम से कम यह ज्ञान तो अवश्य हो जायगा कि आखिर हम क्या करने जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं।

समय के अभाव को देखते हुए मैं ज्यादा तफसील में तो नहीं जाऊंगा परन्तु मैं इतना जरूर निवेदन कर देना चाहता हूं कि सारे बजट को बनाने में जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसमें हम मूलभूत बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति साफ नहीं होगी और इसी प्रकार से सन्तुलित बजट कह-कर जनता को भूलभुलैया मे रखेंगे तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं यह बात आसानी से समझी जा सकती है। एक बात मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज हमारे रैवेन्यू के जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेस को आप ऊपर तब ला सकते हैं कि जब पहले आप उनको उस तरफ डाइवर्ट करें जिस ओर से वह बढ़ाये जा सकते हैं। और अगर आप हमेशा लोन लेकर ही लोन के आधार पर ही कर्जदार बने रहकर ही एक्सपेन्डीचर बढ़ाते रहे तो इससे स्थिति बिगड़ने वाली ही है, सुधरेगी नहीं। इसलिए डेवलपमेन्ट के प्रोसेस की जो थिन्किंग है उसको राइट डाइरेक्शन में लाने के लिए कुछ सिद्धान्त पहले से ही तय हो जाने चाहिए। इस दृष्टि से पहले तो मैं यहां एक बात कह देना चाहता हूं कि जो भी योजनाएं हमारी स्टेट सैक्टर में हैं, या डिपार्टमेंटल तरीके से जो हमको रिटर्न मिल रही है, यह देखना होगा कि उसको क्या स्थिति है। आज हमारा यह बेसिस होना चाहिए कि जो उद्योग स्टेट सैक्टर में चल रहे हैं, जो इन्डस्ट्रीज हमारी स्टेट चला रही हैं, वह हमारी इन्कम के सोर्सेज बनने चाहिए। पहले राकफास्फेट की बात कही गई कि उससे हम घाटा पूरा कर देंगे, पहले कहा था अबकी बार नहीं बोले उस पर। परन्तु जैसे आपके गंगानगर शुगर मिल है उसके अन्दर डिस्टिलरी का अलग से फायदा मिल सकता है। यह मिल 1956 से काम कर रही है और एक करोड़ से ऊपर की पूंजी राज्य सरकार की लगी हुई है उसमें। उसके बाव-जूद भी आज क्या स्थिति है उसकी, क्या रैवेन्यू हम ले पा रहे हैं उससे? डिस्टीलरी में तो खैर कुछ मुनाफा भी हुआ है परन्तु गंगानगर शुगर मिल में क्या हुआ, कभी कहते हैं यह दिक्कत हो गई, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ। इस प्रकार के एक्स्प्ले-नेशन देते रहने से तो कोई परपज सर्व होता नहीं है, आखिर इसका सोल्यूशन देखना चाहिए। इस बात की हमको गहराई तक जाना पड़ेगा। आखिर यह मिल 1956 से कितने पुराने समय से काम कर रही है। करोड़ों रुपयों का इसमें इन्वेस्टमेन्ट हुआ है, आखिर इसमें क्यों नहीं प्रोफिट होता है? धौलपुर की इण्डस्ट्री है, हमारी स्टेट टेनेरी के बारे में तो खैर मैं अभी कहना नहीं चाहता। डीडवाना में सांभर साल्ट का काम चल रहा है, उसकी क्या स्थिति है। बजाय इसके कि जो आंकड़े डिपार्टमेन्ट, जो स्टेटि-स्टिक्स दे देता है उसी के आधार पर यह कहते हैं कि इतने लाख का लाभ होगा और यह होगा तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से यदि देखें तो हमारी समझ में आ जाएगा कि यह स्थिति आती है और करोड़ों

(श्री फूलचन्द जैन)

रुपयों का इन्वेस्टमेन्ट करेंगे और उसके अन्दर दो-चार लाख का मुनाफा बतायेंगे और वह भी केवल कागजों में ही। एक्च्युअल जो आंकड़े, जो डिपार्टमेन्टल फीगर्स हैं जो आपके पास आते हैं, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन आप कहां करवाते हैं सो आप उनको ऑथेन्टिक मान सकें। बीकानेर वूलन मिल की आज क्या स्थिति है? वह घाटे में चल रही है। चूरू और नागौर में भी स्थिति बिगड़ी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उसके ऊपर हमारी एफीशियेन्सी इन्क्रीज होनी चाहिए जिससे रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो और अधिक से अधिक फायदा मिल सके। हमको इन सब बातों की गहराई में जाना चाहिए और डेवलपमेंट के प्रोसेस में एक चेन्ज लाने की बात सोचनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, उपाध्यक्ष जी, कि अगर हमने इस प्रकार से अपने आधारों को नहीं बनाया और हम अगर यह मान लीजिए कि लोन ही क्रियेट करते रहे और इस प्रकार से बजट बनाते रहे तो परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे इस बात को हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दूसरी बात जो योजना के बारे में आपने कहा है, बड़ी खुशी की बात है कि योजनाओं को आप बढ़ायें और पांच करोड़ का भारत सरकार से एप्रूवल लेने के बाद भी अगर इसमें वृद्धि हो सके तो मैं ठीक समझता हूं। पर मैं आपसे एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपने योजना पूरी करली उसके बावजूद भी जो आज सारे मुल्क के अन्दर एक हवा है कि हमारी योजनाओं से जो उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते हैं अगर वह प्राप्त नहीं होता है और जो हकीकत हमारे सामने है कि गरीब गरीब ही रह गये हैं और अमीर और अधिक अमीर होते चले गये इसके बावजूद भी। यह भी सोचा गया कि योजना को नीचे से बनायें और नये रूप में उसको लावें और जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं उसकी रिपीट नहीं करें; यह सब बातें हमको देख लेनी चाहिए।

मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूं कि क्या आप आज यह महसूस नहीं करते कि डेवलपमेंट का आधार सिर्फ धन ही हो सकता है। जब कि आपके पास मैन-पावर भी काफी है।

आपने कभी इस बात को सोचा कि मैन पावर का उसमें पार्टीसिपेशन करें। या मैन पावर का यूटिलाइजेशन योजनाओं के अन्दर नहीं होगा। तो क्या आप यह सोच सकते हैं कि इस डेवलपिंग प्रोसेस के अन्दर लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं। आप विषम परिस्थितियों में आकर फंस गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने श्रम को प्रमुखता नहीं दी या पापुलेशन के पार्टीसिपेशन को ठीक तरह से यूटिलाइजेशन नहीं किया, मैन पावर ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं की तो आपकी जो योजनाएं हैं, जो बेसिक उद्देश्य हमारा था, उसमें अभी तक जो स्थिति रही है उससे अच्छी बन सके, ऐसा नहीं लगता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं कहता हूं, कि जो भी हम योजनाओं के बारे में सोचते हैं और प्रायोरिटी फिक्स करते हैं, जैसे आपने एजुकेशन में और दूसरों में कम करके उसमें बढ़ाया है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं। जो आप सभी अनएजुकेटेड लोगों को

(श्री फूलचन्द जैन)

अनएम्लायमेण्ट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपने यह प्रायोरिटी कैसे फिक्स की है? मैं मानता हूं डेमोक्रेसी में एजूकेशन फर्स्ट नेसेसिटी है। अगर आप यह बढ़ाते हैं तो यंगर जनरेशन के लिए सायमलटेनियसली आपके पास क्या सोल्यूशन है? मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि जो मनुष्य जीवन के लिए एसेन्शियल है जिसको हम कहते तो रोज हैं, वह कब पूरी कर सकते हैं? साथ ही साथ एक्शन में कैसे आ सकती है? इसको गम्भीरता से नहीं सोचेंगे तो आज हम इन विषम परिस्थितियों से नहीं निकल सकते हैं। हॉचपॉच के साथ चल रहे हैं। अभी, यह अच्छा नहीं है। मैं तो कहता हूं, मानव–जीवन की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति राज्य सरकार कैसे कर सके इसको सर्व प्रथम किया जाये। आज हमारा प्लान एक रुटीन के अन्दर, बनता चला आ रहा है। हम उसी रुटीन में बनाते जा रहे हैं। पब्लिक रिप्रेजेन्टेशन सरपंच, प्रधान, नगरपालिका के चेयरमैन, और दूसरों को ले लीजिये। आप यह बता दीजिये, उन को क्या अच्छा नहीं समझते हैं? लेकिन लेवल पर कांफीडेंस में लेकर, वहां की जो लोकल नीड्स हैं, उनका आधार नहीं लेते हैं। तो आप कहीं कुछ कर दो। कहीं कुछ कर दो। इससे रीजनल इम्बेलेंस का भावनाएं लोगों में धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि वैस्टर्न राजस्थान में इतना खर्च हो रहा है। आपके बजट में 50 या 60% से अधिक खर्च रखा है। वह कहां रखा है? तो यह सारी चीजें ऐसी हैं, जिनमें आप गम्भीरता से समझने की आवश्यकता नहीं समझें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं 45 मिनट और बोलूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, अब जो बहुत एसेंशियल है, पीने के पानी की सुविधा के बारे में। पीने के पानी की सुविधा के बारे में आज क्या स्थिति है? जो 33 हजार से ऊपर के गांव हैं। यह पुरानी रिपोर्ट है। फिर भी इसके बारे में मान लें, तो 22 हजार गांवों में पीने का पानी नहीं दे पाये हैं। फिर अब मैं माननीय जनस्वास्थ्य मन्त्री जी से पूछता हूं, आप कहते हैं कि हमने 700 गांवों में पेयजल योजनाएं बना दी हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जहां मीठा पानी उपलब्ध नहीं है। वहां लोग खारा पानी पीने को विवश हैं। जो मीठा पानी दूर दूर से लाते हैं। उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए वाटर सप्लाई योजना कहां पर चालू की है? विडम्बना यह है कि जहां मीठा पानी उपलब्ध है, वहां पर आपने टंकी बना दी है। मीठा पानी घर घर में पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। आपने क्या राहत पहुंचाई है उनको। जहां पर मीठा पानी नहीं है, खारा पानी है? वहां पर उन लोगों के लिए आपने मीठे पानी के लिए क्या व्यवस्था की है? टोटल इतना एक्सपेण्डीचर हुआ है तो भी आप मीठा पानी उपलब्ध नहीं करा सके हैं। इस तरह से आपकी योजनाएं चलें। चूरू जिले के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है, मैं जानने के लिए कहता हूं। मैं मानता हूं,

(श्री फूलचन्द जैन)

बहुत बड़ा रुपया खर्च हुआ है पानी की योजना के बारे में। उसके बारे में अगर सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। कहां पर मीठा पानी उपलब्ध कराया है। कहां पर लोगों को बेनेफिट हुआ है, तो मैं मान लूंगा। मैं जन स्वास्थ्य मन्त्री जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज स्थिति क्या है? आज कन्फ्यूजन इस प्रकार का बन गया है। हम सीरियसली स्वीकार नहीं करते हैं। रुटीन के अलावा। सुजानगढ़ योजना में 40 लाख रुपया खर्च हुआ है। वह मान लें अभी वह अन् इकोनोमिक है। अन् इकोनोमिक इसलिए है कि वहां पर एक घण्टे भी पानी नहीं दे सकते हैं। अब आप पानी दे नहीं सकते हैं। 40 लाख योजना में लगा दिया है। पानी का स्रोत मौजूद है। आप मेजर किश्तें कर दें लेकिन पब्लिक को पर्याप्त मात्रा में पानी दें। पूर्ण इकानोमिक बनाने के लिए दो चार घण्टे चलायें। तो भी आपका रैवेन्यू ठीक हो सकता है। अब आपकी स्थिति क्या है। आपकी स्थिति यह प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है। इसमें यह बताया गया है कि शहरों में जो जल-प्रदाय योजनाएं चल रही हैं, इसके अन्दर कोई योजना ऐसी नहीं है, जो मूल पूंजी है, वह जाने दीजिये, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपका जो एन्युअल रेकरिंग एक्सपेण्डीचर हैं, वह एन्युअल रेकरिंग एक्सपेण्डीचर भी पूरी योजनाओं के द्वारा नहीं करते हैं। घाटा रहता है। अब मैं कहता हूं कि उनको पानी पीने को उपलब्ध कराया जाये। पर सवाल यह है, उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने एफर्ट से, जिसकी पोसिबिलिटी है, वह भी नहीं करना चाहते हैं। उसकी तरफ भी हमारा ध्यान नहीं है, इस तरह की जो स्थिति चल रही है, ऐसी हालत में बराबर हमारा क्रम चलता गया तो मैं समझता हूं कि एक दिन अधिक भयंकर स्थिति में हम पड़ जायेंगे।

औद्योगिक स्थिति के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि ठीक है, राज्यपाल महोदय, अपने अभिभाषण में कह देते हैं कि इतने कारखानों को नये लाइसेन्स मिले, इतने चल रहे हैं, परन्तु यहां दयनीय स्थिति है कि हम तथ्यों को जानते हुए भी न कहें, पर जब उनको समझाते हैं तो उनकी रैमेडी का सवाल तो दूर, बराबर गलत बात को कहते हुए चले जायें तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उपाध्यक्ष जी, यहां पर औद्योगिक क्षेत्र का जो क्लाइमेट राजस्थान में बनना चाहिए, उसके लिए मुझे कहने में संकोच नहीं कि वह क्लाइमेट बिल्कुल नहीं बन पाया है। चाहे परिस्थितियों के कारण कुछ उद्योग आते हैं, हमने चाहे 15 उद्योग इस साल लगा दिए, पांच हजार स्माल स्केल लगा दिए, उसको अगर आप मानते हैं, कि यह सेटिस्फैक्ट्री एफर्ट है तो मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। वरना मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से राजनीति हम पर इतनी बड़ी हावी हो गई है कि हम अपने को हर स्फीयर में इसको अलग नहीं कर सकते। राजस्थान औद्योगिक व खनिज निगम है उसका भी अध्यक्ष वही होना चाहिए जो उसके बिलकुल काबिल न हो। हमारा कोई भी औद्योगिक प्रगति का सेक्टर है जिसके लिए हम सोचते

(श्री फूलचन्द जैन)

हैं कि इसके अन्दर ठीक ढंग से व्यवस्था की जाए तो वहां पर कुछ कन्सोडरेशन होता है। कहने को तो हमने औद्योगिक व खनिज विकास निगम बना दिया परन्तु वह निगम आज तक राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबले में औद्योगिक क्लाइमेट बनाने के लिए कितना कारगर साबित हो रही है, यह आप पूरी तरह से दूसरे राज्यों से फीगर्स को कम्पेयर करके देखें तो आपको पता लगेगा कि आज राजस्थान में हमारा पोटेन्शल और राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने वालों की स्थिति सब चीजें होते हुए भी काम नहीं कर पा रही हैं। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता कि किस तरह से छोटे और बड़े उद्योगपति न सिर्फ यहां से जा रहे हैं बल्कि जो आज यहां पर हैं वे यह समझ रहे हैं कि हमने राजस्थान में आकर गल्ती की पावर की यही स्थिति है। सुबह प्रश्न काल में मंत्री जी ने बताया कि पावर सरप्लस होती है तो दूसरे राज्यों को दे देते है। यह सरप्लस और डेफीसिट की परिभाषा समझ में नहीं आई। आपकी गल्ती से यदि सरप्लस रहती है तो आप कहें कि सरप्लस है, आप पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाये तो आप कहते है कि सरप्लस है वरना आज दुनिया भर में आप कहते हैं कि सरप्लस पावर है और दूसरी तरफ उद्योगों का पावर कट करें, तो उद्योग पावर का बगैर फंक्शन करने की स्थिति में नहीं हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि पावर सरप्लस है या तो आपके पास कन्जम्पशन करने की बुद्धि नहीं है, दूसरे प्रांत ले रहे हैं तो लेने दीजिए लेकिन आने वाले समय में परेशानी हो जाएगी। आज हम दे रहे हैं तो कल वापस ले लेंगे, यह स्थिति जब पावर को युटिलाइज करने के लिए वहां सेट हो जाएगी तो वापस ले लेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कन्क्लूड।

श्री फूलचन्द जैन : हमारा औद्योगिक क्लाइमेट ठीक ढंग से बने जिससे एक तरफ एग्रीकल्चरल सेक्टर का सही दिशा में सोचें और औद्योगिक प्रगति को लेकर सोचें और बजट बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर ठीक ढंग से विचार करें। हमारी प्लानिंग का आधार गांव बनाकर, गांव में उसका पार्टीसिपेशन हो उसके आधार पर हम प्लानिंग करें, कुछ वजन वहां पर डालें कुछ वजन हम वहन करें कुछ रिसोर्सेज मोबीलाइज करते हैं कर्ज के रूप में तो भी करें मगर इस तरह वित्तीय स्थिति को करें तब तो राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल होगा। अगर आंकड़ों की भूल-भुलैया के अन्दर आप सन्तोष कर रहे हैं तो उससे राजस्थान का भला होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा?

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर शान्ति लाल कोठारी।

श्री मालाराम : मेरा राजस्थान केनाल के लिए स्थगन प्रस्ताव है..

श्री शान्ति लाल कोठारी (सिरोही) : उपाध्यक्षजी जो मुझे आपने समय दिया है उसमें दो तीन चीजें कहूंगा। जो 1975-76 का बजट पेश किया गया है..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : व्यवस्था का प्रश्न है..

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको समय दूंगा, मुझे आपको अधिक समय देना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समय बीत जाने के बाद अधिक समय में मैं रोता रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसा क्यों सोचते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : कुछ लोगों की तेजी से बीत रही है।

श्री उपाध्यक्ष : वह भ्रांति है।

श्री शान्तिलाल कोठारी : जो बजट बनाया गया है वह परिस्थितियों का बजट है। मैं मानता हूं सरकार मुबारकवाद की पात्र है : लेकिन इस बजट को सिर्फ एक कन्ज्यूमर बजट मैं मानता हूं, इसको मैं कोई रचनात्मक (कन्सट्रक्टिव) अथवा सृजनात्मक (क्रीएटिव) बजट नहीं मानता। कई राज्यों में जो इस समय बजट पेश किए जा रहे हैं, वे घाटा (डेफिसिट) बहुत कम बताते हैं, बल्कि बंगाल ने तो अतिरिक्त-लाभ (सरप्लस) बताया है। तो इससे हमें कोई शांति हो या संतोष हो, वह नहीं है। हमारे सामने एक दिशा देने का प्रश्न है। क्या यह बजट किसी दिशा का संकेत करता है? अगर करता है तो कौनसी दिशा का? क्या यह समाजवादी समाज की रचना की दिशा की ओर संकेत करता है अथवा जो उपभोक्ता (कन्ज्यूमर) होता है उसकी जरूरतों को पूरा करने का हमें संकेत देता है? मैं मानता हूं कि हमारे यहां फेमिन है। मैं मानता हूं कि केन्द्र के साथ सम्पर्क स्थापित करने में कमी हुई है। इसको कम करने के लिए हमने प्रोमीशन्स का बजट बनाया है। इसमें जितनी प्रोमीशन्स हैं, वे मुख्यतः बजट में आनी चाहिए थीं। प्रोमीशन्स क्या हैं? हमने कहा था कि दोहरी अर्थ व्यवस्था और संचरणशील आर्थिक ढांचा लायेंगे। हमने कहा था कि जनता को पीने का पानी देंगे, पुलिस के अत्याचार होंगे तो उस पर कार्यवाही करेंगे, गांवों में दूर दूर तक स्कूल खोलेंगे। 25 साल पहले वायदा हुआ था, उसको आज हम भूल चुके हैं।

गणतंत्र बनने के 25 साल बाद भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्यायें हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हम खुद तैयार नहीं हैं उन वायदों को पूरा करने के लिए जो हम करते हैं। हम सोचने के लिए तैयार नहीं हैं कि पहले बजट में क्या कहा था? कहां कहां भूलें दिखाई दी हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? मैं नहीं मानता था कि इस वर्ष सिर्फ यह बजट आएगा कि इतना पैसा कहां से आएगा हमको क्या देना है। यह तो मामूली बात है केयरटेकर जैसी चीज है, यह तो (उपभोक्ता) बजट है। हमारा बजट राजस्व (रेवेन्यू) का ही नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिये आडिट आफ मेटिरियल्स का। आपको उसमें यह बताना चाहिये कि जो पैसा आपने लगाया है उसका क्या हुआ? उसके परिणाम क्या हुए। वह सब मेटिरियल हमारे बजट में आना चाहिये था। बाकी यह कोई बजट नहीं है। हम बजट में देखते हैं कि एक तरफ तो आप गांवों में जाकर किसानों के लिये, गांवों की जनता के लिये आंसू बहाते हैं जैसा कि माननीय सदस्य श्री निरंजननाथ जो आचार्य ने कहा दूसरी तरफ हम इस प्रकार की योजनायें बनाते हैं कि जिससे हमारे किसानों को कोई राहत नहीं मिलती। हमने

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

विकास के लिये इतने सालों तक लगातार पैसा इन्वेस्ट किया। इसको वित्त मन्त्री जी जानते हैं, राज्य सरकार जानती है, लेकिन आप बताइये कि हमारे डवलपमेन्ट का क्या हुआ। क्या कभी आपने हमारे प्रान्त की जनता को मानसिक रूप से और साधनों से क्या फायदा हुआ उसकी कभी जांच (आडिट) की ? आपने नहीं की। आपको करना चाहिए था, आपको देखना चाहिये था कि कितना पैसा हमने लगाया है और वह कहां गया? उससे क्या फायदा हुआ ? आज क्या हालत है आपके गांवों की ? आप गांवों में जाते हैं और किसानों को उनकी तकलीफों को पूछते हैं आपके बिजली आयी, आपके कुओं पर बिजली लग गयी। सिर्फ बिजली की बात ही करना कोई विकास का काम है ? अभी जैसा कि और साथियों ने कहा कि हमने बजट से पहले प्रीबजट तो पेश कर दिया। यह उचित नहीं है। भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिये। यह तरीका अच्छा नहीं है। लोकतन्त्र के लिये हमें ऐसा बजट बनाना चाहिये जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। हमको बजट ऐसा नहीं बनाना चाहिये जिसमें सिर्फ एक साल के हिसाब किताब के ही आंकड़े दिये हों। हमें हिसाब किताब नहीं करना है। जहां तक हमारी योजनाओं के संबंध में बात है मैं मानता हूं कि जो भी पंचवर्षीय योजनायें थीं वह पूरी नहीं हुई हैं। और आपने पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में यहां पूरे एकाउन्ट्स दे दिये यह गलत है। क्योंकि आपकी पंचवर्षीय योजना पूरी बनी ही नहीं है। आप तैयार ही नहीं हैं। मैं मानता हूं कि आपकी योजनाओं को पूर्ण (कम्पलीट) करने में काफी डिफिकल्टीज सामने आयेंगी। उसके फाईनेन्सेज को किस तरह आप कवर कर सकेंगे यह देखने की बात है। हमारे यहां पर इकोनोमिक बेस (आर्थिक आधार) ठीक नहीं है हर डिस्ट्रिक्ट से मांग आती है। मैं सिर्फ एक जिले की बात नहीं करता। आज हमारे यहां ग्रामीण (रूरल) और शहरी (अरबन) डेवलपमेन्ट के बारे में कुछ मतभेद है। लेकिन आपको रूरल इकोनामी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। आपने आज काश्तकारों पर टैक्स बहुत लगा दिये हैं। जहां तक टैक्स की बात है टैक्स आपने काश्तकार पर लगा दिया। काश्तकार प्रोडेक्शन करता है और वह माल उसके पास से कहां जाता है ? वह सारे का सारा माल शहर के मार्केट में आता है। पूछते हैं माल कहां बिका, तो कहते हैं शहर में बिका। गया कहां तो पता चलता है कि वह अनाज अन्दर गया ब्लेक मार्केट में। तो मेरा यह निवेदन है कि इस बात को हम आज नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं कि यहां पर अनाज का होल्डिंग होता है, ब्लेक मारकेट होता है। आपके सामने है। इसका कारण कौन है ? इसका कारण है आपकी वे संस्थाएं (इन्स्टीट्यूशन) जो आपने इसको चैक अप करने के लिये एस्टेब्लिश की हैं। वे ढंग से काम नहीं कर रही हैं। जिन संस्थाओं को आपने इस काम के लिये एस्टेब्लिश किया उनके पूरी तरह से काम नहीं करने से आज राजस्थान का विकास पूरी तरह से नहीं हो रहा है। मैं सोचता हूं कि हमारे देश के सामने बहुतसी प्रॉब्लम्स हैं, काफी कठिनाइयां हैं लेकिन हम से भी पिछड़े हुए देश ऊपर आये हैं,

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

ऊंचे आये हैं। इसका कारण है उन्होंने दृढ़ता से काम किया है अपनी भूलों को सुधारा है। भूल किस से नहीं होती है? सभी से होती है लेकिन उन भूलों को सुधारना भी तो पड़ता है। आज जब हम जनता के सामने जाते हैं तो जनता हमसे मांग करती है हम दिल्ली की ओर देखते हैं। हम दिल्ली को खुश करने में लगे हैं। हम ऐसा बजट रखें कि जिससे देहली वाले खुश हों और हमें देहली वालों को ही खुश नहीं करना है, हां मिलकर काम जरूर करना होता है। हमें हमारे लोगों का विकास करना है उन्हें खुश करना है। एक वक्त आपके पास पोलिटिकल पावर नहीं थी तो आप कहते थे हमारे पास शक्ति नहीं है हम डेवलप कैसे करें? आज आपके पास पावर है। अतः यह शिकायत नहीं होनी चाहिये। गवर्नमेन्ट की पावर आपके पास है लेकिन पोलीटिकल पावर हमसे खिसक रही है इसकी पूर्ति तो जनता की सेवा से ही होती है। इसके अभाव में हम दिल्ली की ओर देखते हैं।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है इन्डस्ट्री के बारे में. मैं उदाहरण नहीं देना चाहता लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। कुछ समय पहले हमारे कामरेड श्री छंगाणीजी ने जब वे मिनिस्टर नहीं थे तो उन्होंने इस हाउस में एक क्वेश्चन किया था इण्डस्ट्रीज के बारे में उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे उन फाइनेन्सेज का क्या हुआ जो इन्डस्ट्रीज में इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को दिया हुआ है। उसकी हाउस में चर्चा हुई। वित्त मंत्री जी से पूछा गया कि उद्योगपतियों को जो रुपया राजस्थान गवर्नमेन्ट ने दिया उस फाइनेन्स का क्या हुआ। उसका रिटर्न किनको किन-किन आधारों पर दिया है गवर्नमेन्ट को क्या मिला? आपने जो कर्जा दिया उसका हिसाब-किताब क्या है। उस पैसे का क्या हुआ और वह कहां गया? यह आपके जो बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं बिड़ला, साहू जैन, जे. के. सिन्थेटिक उन में जो राज्य सरकार का पैसा है वह कहां है, उसका क्या हिसाब है? लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो आश्वासन गवर्नमेन्ट ने अपने प्रश्न के जवाब में दिया उसका क्या हुआ है? मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक ऐसे ही इन्डस्ट्रियलिस्ट की ऑडिट रिपोर्ट देखी थी तो मुझे याद आया कि उस संदर्भ में हाउस में कमला बेनीवालजी जो उस वक्त इस विभाग को डील करती थीं जवाब दिया था कि इसकी जांच की जायेगी। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बारे में आज तक कोई जांच नहीं हुई और आज तक अगर कोई जांच हुई तो उसका क्या फैसला हुआ हमें बताया जाना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कोई जांच नहीं की गई। किन मिस्टीरियस कारणों से जांच नहीं हुई? राजस्थान का फाईनेन्स कहां कहां पर, कितना कितना, किस उद्योगपति में कब से है और उसके प्रतिफल का क्या हुआ। यदि वह पैसा वापस आ गया तो क्या आपने उस पैसे का पुनर्विनियोजन किया? उससे क्या लाभ हुआ? यदि आपने उन्हीं को ही वह वापिस दे दिया तो कोई विकास नहीं होने वाला है।

चौथी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह सहकारी संस्थानों (कोआपरे-

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

टिव इन्स्टीट्यूशन्स) के बारे में है। क्या आपने उसका कोई मूल्यांकन किया? कितना रुपया आज सहकारी संस्थाओं में बकाया है? आज उस पैसे का क्या हुआ? जिस सहकारी संस्थानों को हम मन्दिर मानते थे, अपना धर्म मानते थे, जिस संस्था के द्वारा हम अपने गांवों का विकास करने वाले थे, वह पैसा कहां रुक (हैल्ड अप) गया इसकी वित्त मंत्री जी को जांच करनी चाहिये थी। उसके लिये सदन में बयान देना चाहिये था। सारी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिये था। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी इस बारे में एक बयान दें।

चूंकि अधिक समय हो गया है। अत: मैं एक दो बातों के बारे में जो आवश्यक हैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपको सन् 1939 के भारतवर्ष में ले जाना चाहता हूं जबकि श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतन्त्रता से पहले गांधी जी से समझ कर यह कहा था कि ग्रामीण उद्योगों को भारी उद्योगों मे मिलाया जाय, लिन्क किया जाय। उनका दृष्टिकोण village industries should be the line of command and communication to heavy industries किन्तु आज हम देखें तो वास्तव में ऐसा नहीं है।

इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि आज जितने भी हमारे राजस्थान में बोर्ड हैं, जितने भी कोर्पोरेशन्स हैं, निगम हैं उन्होंने क्या काम आज तक किया है, उससे जनता को कितना लाभ हुआ, इसके बारे में वित्त-मंत्रीजी सदन में एक बयान दें या श्वेत-पत्र निकाले वे कब-कब स्थापित हुआ, और आज तक समाज को उनकी क्या देन है? इसमें कौन कौन आदमी उनका चेयरमैन था, चाहे वह कोई भूतपूर्व मंत्री हो या वर्तमान, चाहे वह कोई भूतपूर्व एम. एल. ए. या एम. पी. हो या वर्तमान। मैं आपको आज सदन में स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यदि समय रहते हम नहीं चेते तो हमें कोई क्षमा नहीं करने वाला है। लोग आपसे अधिकारों की मांग करेंगे और जनता आपसे पूछेगी कि इन सभी में क्या हुआ जनता किसी को क्षमा नहीं करने वाली है। वह पूछती है कि आज आपका बिम्ब क्या है? एक तरफ तो लोग मानते हैं कि सरकार उद्योगपतियों के साथ में सांठ-गांठ कर रही है और दूसरी तरफ, भूल भूलैया में डालने के लिए जनता से बातें समाजवाद की करते हैं। मैं अभी चार-पांच दिन के पहले की एक घटना बताता हूं कि के. एल. जैन एक व्यक्ति साहू जैन का कोनटेक्ट मैन है जो अभी तो यहां नहीं है, यहां बैठा हुआ था मंत्री एम. एल. ए. कक्ष में और हमारे मंत्री लोग तथा दूसरे अधिकारी उससे दण्डवत प्रणाम के साथ बात कर रहे थे। बड़े शर्म की बात है। मैं पूछता हूं वह व्यक्ति यहां पर क्यों आया जहां पर हर एक जनगण को अधिकार नहीं है आने का? आपके मंत्री लोग, आपके बड़े अधिकारी क्या बात करते हैं। मैं उससे डरता नहीं। मैंने सोचा क्या साहू जैन की दुकान यहां भी आगयी है। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोग जो सत्ता में हैं उनके कारण वह यहां तक आ गया है। तो उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें अपने व्यक्तिगत रवैये का और सार्वजनिक व राजनैतिक रीतियों को जनहित के लिए बदलना

(श्री शांतिलाल कोठारी)

बढ़ेगा। और लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिए समाजवाद की दिशा में जाने के लिए हमें हमारे कमिटमेन्ट, जो हमने जनता से किये हैं। उन्हें पूरा करने में जो हमारे सामने कठिनाई आयेगी उन्हें हटाना होगा, उन बाधाओं को पार करना होगा। लोगों की श्रद्धा और विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमें स्वस्थ राजनीति का परिचय देना होगा। हम आज आंकड़े बता कर हमारी ग्रामीण जनता को प्रसन्न नहीं कर सकते, आज जो हिन्दी साप्ताहिक पढ़ता है उसको क्या पता है कि आपने ऐसा कानून पारित कर दिया है कि या तो टिकट लो अन्यथा दस रुपया जुर्माना दो या आपने सजा का प्रावधान कर दिया है। उसको अपने विकास की बात चाहिये। आपकी जो आज व्यापारिक पहुंच है उसे इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि आज यह देखा जाता है कि प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप है। प्रशासनिक एरोगेन्स और इन्डिफरेन्स भ्रष्टाचार का कारण और रिजल्ट है, राजनैतिक नेतत्व की इमेज का परिणाम और परिजात है। नैतिकता तो एक वातावरण का असेन्स है देख नहीं सकते, गंध सुगंध की तरह दूर से ही मालूम हो जाती है। अनैतिकता से उत्पन्न दुर्गन्ध को दूर करना है तो नैतिकता की सुगन्ध ही ढूंढना होगा, जीवन ऐसे ढांचे में ढालना होगा कि जनता को कहने की जरूरत ना पड़े कि हम कैसे हैं–पुष्प अपनी सुगंध अपनेपन को बताने के लिये, ढूंढने बाहर नहीं निकलता, हवा ही खेंच लाती है। उसमें कानून की बड़ी कन्टेस्ट, नहीं होती, कामों के लगाव की सांस हवा होती है। हमारा सार्वजनिक, राजनीतिक व व्यक्तिगत चरित्र फूल की तरह से जनता को खेंचने वाला होना जरूरी है। यही समय की मांग है, यही खोज है। मैं एक दिन एक मिनिस्टर जी के यहां गया तो वहां यह कहा गया कि दूसरी ओर मन्त्री महोदय के कार्य में उनके सचिव हस्तक्षेप करते हैं मैंने देखा कि एक जिले में ही नहीं 12 जिलों में जहां जहां मैं गया हूं इस प्रकार मामला है। यह मेरे द्वारा स्थिति का गहन अध्ययन किये जाने पर पता लगा। इस तरह की शिकायतें हैं। लेकिन सरकार हमारी है, हमारे दल की है, हमारे साथी मंत्री हैं हम उनको एम्बरेस क्यों करें? 80 प्रतिशत विधान सभा के सदस्य शिकायतें लेकर आते हैं। मंत्री बैठे हुए हैं, इसका स्थानान्तरण कर दें, उसका ट्रांसफर कर दें। बुनियादी चीज कोई नहीं। केवल दबाव डालते हैं यह विधान सभा के सदस्यों के लिये ही नहीं है। आपका सिस्टम साफ नहीं है। इसलिये यह होता है। मैंने मुख्य मंत्री महोदय को लिखा था कि चिकित्सकों और अध्यापकों का स्थानान्तरण करने में बीस बार सोचें क्योंकि एक का पति काम करता है 25 मील दूर और 48 मील दूर पत्नी अध्यापिका है वह एक गांव में है। मैंने ये तथ्य उन्हें बताये थे। मैं किसी को तब तक नहीं कहता जब तक कि किसी के साथ गम्भीर अन्याय न हो unless it is a grave injustice जिस अधिकारी को मालूम न हो उसके अधीनस्थ अधिकारी क्या करते हैं तो उसको अधिकारी रहने का अधिकार नहीं है। इस रोग को दूर करना है। हम एम्बरेस होते हैं। मैं मानता हूं कि जहां राजनीतिक सत्ता है वहां पर कोई

(श्री शांतिलाल कोठारी)
प्रशासन भ्रष्ट नहीं हो सकता। जहां राजनैतिक बिम्ब हैं, उसको मैं कांच की तरह मानता हूं। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वह भ्रष्ट हो जाय। लेकिन हमने नौकरशाही अराजकता bureaucratic anarchy और राजनीतिक संतोष political complacency दोनों में प्रगति की है। क्या आपने इसका कभी अध्ययन किया है? आपके स्तर पर विलम्ब से प्रशासनिक व्यय कितनी बढ़ती है, यह अध्ययन नहीं किया है। किन मामलों में बढ़ता है, इसका भी अध्ययन नहीं किया गया है।

दूसरा प्रश्न है युवा वर्ग का। हम बराबर कहते हैं कि युवा वर्ग गुमराह है। मुझे दुःख होता है यह सुन कर। कभी हम भी युवा थे। हम स्वयं की निन्दा करते हैं हमारे भविष्य की निन्दा करते हैं we are condemning ourselves in our own wards युवक स्वार्थी कम होते हैं, आदर्शवादी अधिक होते हैं। भूल उनकी यह है कि उन्होंने स्वतंत्र देश में जन्म लिया है और हम परतन्त्र देश में जन्मे थे। गांधी जी ने हमें सुझाया था कि सच बोलो, स्वच्छ हो, व्यय कम करो, जितने ऊंचे पद पर जाते हो उतने ही हल्के हो, नम्र बनो। आप खादी भी पहनते हैं। वह क्रोध प्रदर्शित नहीं करता वह आपको अधिकार जताता है। वह जानता है कि समाज में उसे इन बड़े लोगों से अधिक रहना है वह अधिक जियेगा। वह युवा है। आज हमारा 68 प्रतिशत युवा वर्ग 1975 में मत देने वाला है। क्या प्रभाव होगा? आप सोचते हैं? हम दो तीन प्रतिशत को खुश कर रहे हैं। वह आपका आश्वासन नहीं चाहता है। वह देखना चाहता है कि आपका जीवन क्या है। वह जानता है आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं। कथनी और करनी को देखता है, समझता है आप कहते हैं भ्रष्ट नहीं बनो। वह चाहता है हमारे मंत्री लोक सभा, विधान सभा व विधान सभाओं के सदस्य ऐसे हों जो स्वयं अपने पावर का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग न करें। यहां तक कि दूरवर्ती अपरिहार्य परिस्थितियों में भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये। Even in the remotest condition they should not use influence. वे यह कहना चाहते हैं कि अगर आप यह कहते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं करते। अन्दर का गुस्सा है वस्तुतः क्रोध नहीं है। उनकी आकांक्षायें हैं। मेरे दो सुझाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Please sum up.

श्री शांतिलाल कोठारी : कामरेड श्री छंगाणी जी ने एक अवसर पर इसी विधान सभा भवन में कुछ दिनों पहले कहा था कि एक तो यह है कि कभी कभी आंख मूंद लेते हैं। कभी कभी आंख मूंद लेते हैं किन्तु जहां ओपरेशन की आवश्यकता है वहां पर हम आंख नहीं मूंद सकते आंख मूंदने पर तो वह मर जायगा। हमें तो आंख खोलना है। हमें आंखें मूंदने का अधिकार नहीं है। हम पर उत्तरदायित्व है। हमें उत्तरदायी दृष्टिकोण बनाये रखना है। दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो राजस्थान में विकास मण्डल और एक व्यापक योजना मण्डल की स्थापना करनी चाहिए।

(श्री शांतिलाल कोठारी)

कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक विभाग का बिम्ब ऐसा है जैसे कोई दुकान लेकर बैठा है। खुदरा दुकानें हैं। अब हम जानते हैं कि औद्योगीकरण के नाम पर कितने गलत लाइसेन्स दिये हैं, कितने गलत कोटा दिये हैं, परमिट दिये हैं। आपका यह काम था कि आप यह जानकारी करते कि कितना पैसा बेकार हुआ है। गरीब और गरीब हो रहा है। बार-बार क्या कहना? आप हम जानते हैं कि हम क्या बने हैं।

मैं यह चाहता हूं कि आप अन्तर्जिला युवा मण्डल बनायें। और इससे अपने बिम्ब की जांच करायें। मैं मानता हूं कि मेरा दल, जिसके पास परम्परा से महान् शक्ति है। शक्ति के साथ गतिशीलता है हमारे अपने में शक्ति है कि अपने विकारों पर रोक लगायें। चाहे वह सिन्डीकेट हो लेकिन यदि हमने इसे चुपचाप बढ़ने दिया तो हमको और कांग्रेस दल को बहुत मुश्किल हो जायेगी। आज हमारे सामने जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जिस तरह हमारे नैतिक चरित्र की चर्चा होती है, यह ठीक नहीं है वह विषय है राजनीतिक स्तर पर गहन भ्रष्टाचार के व्याप्त होने से ही प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार के प्रस्फुटन का it is a case of deep political corruption; only then comes the administrative corruption. यदि हमें भ्रष्ट प्रशासन तन्त्र को सुधार कर उसे सामाजिक उन्नति के उपकरण के रूप में प्रतिष्ठित करना है तो सर्व प्रथम हमें राजनीतिक भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ना होगा। सामाजिक क्रांति का वही पहला कदम होगा। बिना राजनीतिक भ्रष्टाचार को उखाड़े सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति नहीं आ सकती और इससे आंखें मूंद कर हम अपने आपको धोखा देंगे।

गांधीजी, नेताजी सुभाष और नेहरूजी का जीवन कांग्रेस की परम्परा है जिसे हमें निभाना और जनता का खोया हुआ विश्वास पुनः प्राप्त करना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमारा काम उन पर्सपेक्टिव के संदर्भ में हो जिसके आधार पर हमारा कांग्रेस मेनीफेस्टो है और जिसको नरोरा में दुहराया था, याद किया है। इससे आंखें मूंदना एक राजनीतिक आघात होगा। कई वर्षों से बहुमत राजस्थान में हमारे पास नहीं था। इस विधान सभा में है तो प्रपोजीशन का अभाव है। हमारा उद्देश्य आज bridge our manifesto with our programmes and performance होना चाहिये। समय नहीं है। जल्दी काम पूरा करना है। यह बजट बुनियादी पर्सपेक्टिव से दूर है। उस दूरी को खत्म करनी है। केन्द्र और अनिश्चित आर्थिक मदद तो तब आएगी, जब हम अपने फाउन्डेशन सही तरीकों पर लायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री बेगाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट बोलना चाहता हूं पहले।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

(2.30 म. प.)

श्री बेगाराम चौहान (रायसिहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह प्रस्ताव है कि राजस्थान कैनाल में हरिजनों को जमीन में बिजली का कनेक्शन दें। मैं यह कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से कि राजस्थान केनाल में हजारों गरीब आदमियों को भूमि मिली है, और कोई वहां बिजली का कनेक्शन मांगता है तो नहीं मिलता है। वहां से रायसिहनगर करीबन 16 मील है और एक हरिजन 30 सेर कणक ले आकर रायसिहनगर से आटा पिसा कर लाता है। 30 सेर कणक वह अपने कन्धे पर डाल कर 16–16 मील जाता है है और वही बोझा लाद कर बेचारा वापिस आता है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान कैनाल में रायसिह नगर से खम्भे लगे हैं, बिजली लगी है लेकिन बीच में कनेक्शन नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक निवेदन और करूंगा राजस्थान कैनाल में कोई ग्राम बाज वाला हैड औषधियों का साधन नहीं है। हमारे पास ही एक हरिजन का लड़का था वह बीमार था और उसी बीमार को रायसिहनगर के नजदीक ले गये तो सात घंटे पैदल चलने में लग गये और वह लड़का 7 घंटे में फौत हो गया। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान कैनाल में जो गांव हैं 16–16 मील की दूरी तक कोई साधन नहीं है इसलिये वहां डिस्पेन्सरी बनाई जायं। अगर सरकार बनाना चाहे··

(व्यवधान-अश्रव्य)

आज 1972 में हमारे यहां सूरतगढ़ ग्रोव में जो मशीनें थीं वे भी नहीं मिलेंगी। लाखों रुपयों की मशीनें गायब हो गई हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा डिस्पेन्सरी खोली जायं और चक्कियों के लिये कनेक्शन दिये जायं ताकि 20–20 मील जाकर आटा न पिसाना पड़े। बीमार बच्चों को ले जांय और रास्ते में खतम हो जांय उसके लिये भी डिस्पेन्सरी का साधन होना चाहिये। आज जहां हरिजनों को जमीन दी हुई है और पट्टे दिये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उन पट्टों का वे क्या करें? उनके पास कोई साधन नहीं है वे बीमार हों तो भाग कर जायं 20 मील दूर और बीमार जाते-जाते रास्ते में खतम हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान कैनाल में जो हरिजनों को जमीन दी हुई है उसमें चक्की लगाने को कनेक्शन दिये जायं और बीमार हरिजनों के लिये कुछ साधन किये जायं। यह मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि राजस्थान केनाल में चक्की के लिये कनेक्शन दिया जाय और डिस्पेन्सरी बनाई जाय ताकि सुविधा हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह जो बजट प्रस्तुत किया है यह अन्धा भी है और बहरा भी····

श्री श्रीराम गोटेवाला : इन्होंने चश्मा लगा लिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और एक चतुर बणिये का बहीखाता है। कहना इसलिये है कि आज जो देश की आवाज है और जो टास्क प्रजातांत्रिक सरकार को पूरा करना है उसकी आवाज इस बजट में नहीं है और अन्धा इसलिये है कि आज जो देश में पर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

स्थिति पैदा हो गई है और प्रजातन्त्र को खतरा हो गया है उसका भी इस बजट में कोई आभास नहीं है, बल्कि यह उन खतरों को कह रहा है। अब आंकड़ेबाजी से यह एक चतुर बणिये का हिसाब है कि 8 करोड़ बाकी रह जायेंगे घाटे के और उसके लिये हम भारत सरकार से पूरा करेंगे। यह बजट कोई टैक्स नहीं लगाता है, लेकिन फिर भी टैक्स लगाता है सीधा टैक्स न लगाकर आर्डिनेन्स के जरिये टैक्स लगाता है, और सबसे बड़ी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह बजट अपने आप में समाजवादी कहलाने वाली सरकार की भी मुकम्मिल अवहेलना करता है। शायद इस बजट को बनाने से पहले माननीय वित्त मंत्री महोदय ने नरोरा के अन्दर प्रस्तुत आर्थिक दृष्टिकोण से अपने नेताओं के विचार भी नहीं सुने। न तो वित्त मंत्री महोदय ने घर के विचार पढ़ने का कष्ट किया, न उन्होंने जगजीवनराम के विचार पढ़ने का कष्ट किया और नहीं उन्होंने इन्दिरा के विचार पढ़ने का कष्ट किया और न रावत भाटा में बैठकर जो निर्णय लिये उनको लागू करने की दिशा में उनकी पुष्टि करने की दिशा में जो इकानामिक जनरेशन की जरूरत थी उसका भी इस बजट में प्रोड्यूस नहीं किया है। इस बजट का आरम्भ बढ़ती हुई कीमतों से है कि वह आकर रुकें। यह ठीक है 16 फरवरी और 7 सितम्बर के बीच में जो कीमतें तेजी से बढ़ी हैं वह देश में बेमिसाल हैं। चाहे वह गेहूं की कीमत हो, चाहे चीनी की कीमत हो, चाहे सरसों के तेल की कीमत हो, और चाहे अन्य तेलों की कीमत हो, चाहे वेजीटेबिल घी की कीमत हो। चार से लेकर 40 प्रतिशत तक केवल इन 5 और 6 महीने में कीमतें बेमिसाल रूप में बढ़ी हैं। फिर सारे देश में होलसेल इन्डेक्स तेजी से बढ़ा वह भी बेमिसाल है।

सन् 1964 में जो थोक भाव का सूचकांक था वह 125 या वह अब 465 हो गया। इसी प्रकार इन्डस्ट्रियल रा मेटेरियल 144 था वह 333 हो गया। इसी प्रकार फ्यूअल और पावर तथा विभिन्न विषयों के सूचकांक बहुत तेजी से बढ़ गये। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कन्जूमर इन्डेक्स 105 से 313 हो गया, 106 से 318 हो गया और 94 से 320 हो गया 6 गुणा वृद्धि हुई है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि कीमतों की बढ़ती हुई गति रुक गई इसलिए कि स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन हुआ, इसलिए कि जमाखोरों के खिलाफ एक्शन हुआ, इसलिए बढ़ती हुई कीमतें रुक गई। वह सहम गई। कोई एक बजट आइटम माननीय मंत्री महोदय बतायें कि राजस्थान के अन्दर उन्होंने क्या आपरेशन किया जिससे कि राजस्थान के अन्दर बढ़ती हुई कीमतों के कदम सहम गए या बढ़ती हुई कीमतें थम गई। क्या केवल चार आदमियों को मीसा के अन्दर गिरफ्तार करने और उनमें से भी एक को छोड़ देने से और बैकुण्ठलाल और हनुमानप्रसाद का जुलूस निकाल देने से और एकाध केस और पकड़ लेने से क्या मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि इनका इम्पैक्ट हुआ, राजस्थान पर इनका इम्पैक्ट हो गया और राजस्थान में कीमतें गिर गई, कीमतें सहम गई और कीमतें रुक गई?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उपाध्यक्ष महोदय, फिर जो डेमोक्रैटिक टास्क राजस्थान को परफार्म करना था और जो कीमतें बढ़ीं, जो आज घुटन है समाज के अन्दर इन्टरनल कन्फ्रेशन है, समाज जिन चीजों को आपसे चाहता है, समाज का जो बोटलनेक है इकोनामिक्स के अन्दर, जिनके कारण मुख्यत: यहां की साईकलोजी री-जनरैट नहीं होती, जिस टास्क को इन्वाल्ड करना था और जिस टास्क से राजस्थान के गौरव की स्थिति आती थी भारतवर्ष के अन्दर, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि इस बजट में क्या प्रावधान किया है? उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बात से गौरवान्वित हुए थे कि हमने सबसे पहले जागीरों का अबोलिशन किया और जागीर अबोलिशन एक्ट निकाला और 771,101 मील के अन्दर 2.97 लाख जागीरों का पुनर्वहन किया और 3 लाख 83 हजार जमींदारियों का पुनर्वहन किया। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इनसे क्रियेटेड लैंड और उसके बाद इस पुनर्वहन से आज आपके देश की क्या स्थिति है। राजस्थान की क्या स्थिति है? छ: करोड़ एकड़ धरती है राजस्थान में जिसमें से तीन करोड़ एकड़ धरती पर खेती करने का कोई युनाईटेड प्रोजेक्ट रखा है कहीं पर? आपको चिंता है इस बजट के अन्दर उसके लिए? यह तो जो आपकी लैंड डिस्ट्रिब्यूशन की फीस दी प्रोजेक्शन है, आपने इरिगेशन के लिए 57 परसेंट रख दिया वह तो 51–52 से चलते 2.55 परसेंट आउटले आ जाता है। आपने माननीय मंत्री देवपुरा साहब को सबसे बड़ा सेठ बना दिया 62 परसेंट परसेंट बजट देकर इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। यह आपके द्वारा मेहरबानी नहीं है। लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि जिस राजस्थान के अन्दर 9 लाख 50 हजार हैक्टर में से सात लाख हैक्टर पर एक हैक्टर या दो हैक्टर के बीच में ही जिसके पास जमीन हो और जिस राजस्थान के अन्दर आज लाखों आदिवासी सारी राजस्थान की आबादी का 1/3 हिस्सा आज हरिजन और आदिवासी लोगों का हो, और जिस राजस्थान के अन्दर सारे राजस्थान का सबसे अधिक हिस्सा आदिवासी और हरिजनों का हो उनकी इकोनोमी को जनरेट करने के लिए क्या किया है? किया है इसके अन्दर? क्या आपने इसके लिए धन प्रोवाईड किया है? उपाध्यक्ष महोदय, जिसको लेकर आप गौरवान्वित हो रहे हैं कि आपने जो लैंड एलाटमेन्ट किये हैं, आदिवासियों को, सिवाय राजस्थान केनाल के अन्दर कि जिसके अन्दर आप कहते हैं कि आपने जून 74 का फैसला लिया कि थर्टी परसेन्ट हरिजनों को आप एलाट करेंगे, क्या चित्र आपने प्रस्तुत किया इस जागीर पुनर्ग्रहण के बाद? आपने राजस्थान की दो करोड़ 57 लाख की आबादी में से जो 72 लाख 1 हजार और 86 जो लोग अनुसूचित जनजाति और हरिजन जाति के लोग हैं उनको आपने कितनी धरती एलॉट की? क्या एलॉट किया? जरा गौर फरमाइये, उनको आपने 16,31,446 एकड़ धरती अलाट की। यानी आपने केवल 4.13 एकड़ पर फेमिली को धरती एलॉट की है, कि आपने थर्टी परसेन्ट हरिजनों को जमीन एलाट की है, उनके अतिरिक्त, वह शिड्यूल्ड

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

फास्ट्स के लोगों को कितनी धरती एलाट की है ? वह की है, 1 लाख 95 हजार 623 को 6 लाख 48 हजार, 183 एकड़। वह भी 4.13 एकड़ प्रति व्यक्ति को धरती एलॉट की है। यह धरती का एलॉटमेन्ट किया। इसके बाद जो लाखों एकड़ धरती आपने छोड़ रखी है खुद काश्त के नाम से, जागीरदारों और राजा-महाराजाओं के पास, उसको लेने की आपने कौनसी दिशा दी है। लैंड एक्वीजीशन एक्ट आपका आ गया, लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत जो 63 के अन्दर नोटिस जारी हुए थे, जिसके तहत साढ़े पांच लाख एकड़ से ज्यादा धरती हमारे पास आनी चाहिए वह 18-19 राजघरानों के पास है-उसको अवाप्त करने का क्या प्रयत्न किया है ? उसमें कितना बड़ा फ्राड है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके उस वक्त के नोटिस के मुताबिक जयपुर के महाराजा के पास 3411 एकड़ धरती थी, जिसके लिए कि आपने उनको लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत नोटिस दिया था। 1963 में रामानन्द अग्रवाल के पूछे हुए प्रश्न के उत्तर में दिये गये आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। थोड़े दिन पहले इस सदन के अन्दर राजस्व मंत्रीजी ने जवाब देते हुए कहा, महाराजा जयपुर के पास केवल खेती की जमीन 13,000 एकड़ से भी अधिक है। अगर आप सारों का इन्वेस्टीगेशन करें तो मैं समझता हूं कि इन राजा और महाराजाओं के पास लाखों एकड़ धरती है। आपने जोधपुर के महाराजा के पास माना था, 3800 एकड़ धरती है। लेकिन केवल राजस्थान कैनाल के अन्दर आज सात लाख एकड़ कर्नल हुक्म सिंह सम्भाले बैठे हैं, राजदादी जोधपुर सम्भाले बैठी हैं, और वह सुप्रीम कोर्ट का स्टे लेकर बैठे हैं। मैं जानना चाहूंगा, आपका सीलिंग कानून 73 में पास हो गया, लेकिन महाराजा हुक्म सिंह को सीलिंग कानून के तहत नोटिस सर्व नहीं हुआ। मैं चेलेंज के साथ कहता हूं, आज राज्य सरकार के ऑफिसर हैं कर्नल और राज्य सरकार के अन्दर नौकरी करते हैं, कहीं इंग्लैंड में नहीं रहते हैं, अमेरिका में नहीं रहते हैं, इसी भारतवर्ष में रहते हैं, उनको सीलिंग कानून के तहत नोटिस सर्व नहीं हुआ। फिर जो धरतियां आपने राजस्थान नहर के ऊपर एलॉट की है, क्या स्थिति है उन धरतियों के एलाटमेंट की। आज आपने क्या सिस्टम क्रियेट किया है, क्या प्रोटेक्शन दिया है उनको ? आज आपने आदिवासियों को क्या प्रोटेक्शन दिया है ? कितनी कैलेमिटी के अन्दर से वह गुजरते हैं। सूदखोर महाजन, सागड़ी प्रथा आज भी उनका गला दबाये बैठी है, आज भी जमीन उनसे मुक्त नहीं है, आज भी उनसे वे मुक्त नहीं है। क्या आपने कोई सिस्टम इवाल्व किया है ? क्या आपने कोई कार्पोरेशन तय किया है उनको लोन्स देने का, उनकी इकोनॉमी को रीजनेरेट करने का। यह ठीक है, इस बात का गौरव ले लें, जो कि आंकड़ों के अनुसार है कि आपने राजस्थान नहर के क्षेत्र के अन्दर 34 हजार लोगों को 5 लाख 73 हजार एकड़ धरती दी है। आप इस बात का गौरव ले लें कि 12 हजार लोगों को आपने 1 लाख 35 हजार एकड़ धरती दी है। इस बात का गौरव ले लें, वह भी हरिजनों को आपने इतनी जमीन दी है, वह भी 30 पर्सेन्ट का टार्जेट एचिव नहीं करते हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उसमें क्या अहसान किया है, राजस्थान नहर की 90 पर्सेन्ट धरती सरकारी जमीन है और यह लोग जब से राजस्थान नहर नहीं आयी थी उस समय से इस क्षेत्र के अन्दर बैठे हुए थे। आपने उनके लिए कानूनों की कठिनाइयां पैदा की: हैं ? आपने उनके रेगुलेराइजेशन के मामलों को कानूनी पेचीदगियों के अन्दर डाला है, उनको कंगाल बना दिया है, यहां तक कि आपके अनुसार रेवेन्यू और कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट कहे कि दो साल का गिरदावरी का इन्द्राज नहीं है और जमीन का ट्रांसफर है वह किसी दूसरे के हाथ में नहीं हुआ है, वह आदमी कन्स्टेन्टली 55 के पहले के बैठे हुए चले आ रहे हैं, तो क्या फाइनेन्स डिपार्टमेंट का आब्जेक्शन है कि इससे फाइनेंशियल लास है, अगर कैसेज का रेगुलेराइजेशन नहीं हो। तो क्या अहसान कर दिया आपने अगर 8 हजार हरिजनों की फेमिली को धरती दे दी, लेकिन उस दूर दराज राजस्थान कैनाल के क्षेत्र के अन्दर काश्त करने के कौनसे साधन दे दिये हैं ? क्या आपने कभी कोई इकोनामिक सर्वे कराई है ? 8 हजार हरिजन फेमिली को जमीन दी है, क्या वह खुद काश्त कर पाते हैं ? क्या सारी की सारी जमीन ठेके के ऊपर काश्त नहीं कराते हैं ? अगर हरिजन काश्त करना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन इजेक्टिंग स्टेशन बन गये हैं जो इजेक्टमेंट कराते हैं, क्या सर्वे इसकी कराई है ? क्या आपने इन हरिजनों को इकोनॉमिक सोर्स देकर, या थोड़ी सी आर्थिक सहायता देकर उस पर बिठाने की कोशिश की है ? क्या उसका सेटलमेन्ट कराने की कोशिश की है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह बहुत बड़ी टास्क है। इसके अतिरिक्त अगर आप आज जो जागीरदारों के पास जमीनें हैं खुदकाश्त के नाम पर, उस जमीन के आंकड़ों का आप अध्यन करें तो पाएंगे कि आज इन लोगों के पास लाखों एकड़ जमीन है। वह जमीन क्योंकि टेनेन्ट्स काश्त कर रहे थे, वह जमीन जागीरदारों के नाम पर खुदकाश्त के नाम पर छोड़ दी गई। झालावाड़, अलवर, जालोर, गंगानगर, बांसवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर इस प्रकार इन दस स्टेट्स के आंकड़े मेरे पास हैं जिसके अन्दर 5 लाख 30 हजार 216 बीघा जमीन इन जागीरदारों के पास खुदकाश्त के नाम पर आपने छोड़ दी है। अगर आप सारे राजस्थान के आंकड़े लें, सारे के सारे 26 जिलों के तो मैं समझता हूं कि बीस लाख एकड़ से भी अधिक धरती होगी जो खुद काश्त के नाम पर जागीरदारों के पास है। आपने लैंड यूटिलाइजेशन एक्ट बना दिया है तो क्या इस लैन्ड यूटिलाइजेशन एक्ट को राजस्थान के अन्दर लागू करने की कोशिश की है ? यह प्रोविजन है कि जो बंजर भूमि को नहीं तोड़ता है तो उस बंजर भूमि को आप तुड़वाएंगे। यह क्या आपने किया है ? रेवेन्यू लॉज कमीशन बिठाया और उसने यह कहा कि लैण्ड डेवलपमेन्ट टैक्स लागू हो। क्या आपने इसको लागू करने की दिशा में कदम उठाया है या इसके जरिए इसको आपने प्रोहिबिट करने की कोशिश की मारजीनल किसान को। मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान के लाखों गरीब किसान हैं, मारजिनल किसान हैं जो कि गरीबी की रेखा पर लटके हुए हैं या उसके

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
पार है, उनके लिए आपने क्या किया ? आपके कौन से प्रपोजल हैं इस सारे के सारे बजट के अन्दर ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सिंचाई विभाग के बारे में, सिंचाई की योजनाओं के बारे में भी कहना चाहूंगा। यह ठीक है कि आज भी सारे देश के अन्दर, खेती के क्षेत्र में जहां 14.2 प्रतिशत बारिश होती है वहां राजस्थान के अन्दर 1.52 प्रतिशत बारिश होती है और इस बारिश के सम्बंध में अपनी एक कहानी है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक प्रश्न सामने लाना चाहूंगा कि क्या आपने इस अनुपात को देखा है ? इस बात को कभी सोचा है कि यह आपकी योजनाओं का बाइ-प्रोडक्ट है ? ये सारे के सारे बॉटलनेक्स आपकी योजनाओं के बॉटलनेक्स हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट इम्बेलेन्स और आपका प्राविन्शियल इम्बेलेन्स, इन दोनों को आप दूर नहीं कर सके हैं। भारत सरकार की संस्थाओं से, कॉमर्शियल बैंकों से आप क्या ले पाये हैं राजस्थान के लिए ? मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस प्रदेश की उन्नति के लिए, राजस्थान के इन्डस्ट्रियल विकास के लिए कितना लोन यहां से ला पायें हैं ? आप इनका अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि क्या स्थिति है ? उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति बड़ी चिन्तनीय है। रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट ने यह आंकड़े दिये हैं। उसने अपने डाक्यूमेंट में दिया है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनके पास से जहां पर कि 500 से कम की आमदनी के लोग हैं, किसान हैं वह जिनकी होल्डिंग केवल 1.27 है वहां पर उनको केवल एक साल के अन्दर 2/- रुपये दिये हैं और जहां बीस हजार से ऊपर की एस्टेट्स हैं, किसान हैं उनको 170/- भी दिए हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनसे जो लोन दिया गया है उसमें सिटीज को 3 हजार 356 करोड़ रुपये दिये गये हैं जबकि बैंक लोन का डिस्ट्रीब्यूशन 62.5 पर्सेन्ट है और रूरल और अरबन के अन्दर आप देखें तो इसमें जबरदस्त इम्बेलेन्स है। वहीं राजस्थान के अन्दर स्थिति क्या है दूसरे प्राविन्सेज के मुकाबले में ? नेशनलाइज्ड बैंक से लोन आप केवल एक पर्सेन्ट प्राप्त कर सकें हैं। केवल एक पर्सेन्ट जब कि आपके मुकाबले महाराष्ट्र ने 30 पर्सेन्ट, प्राप्त किया है, वेस्ट बंगाल ने 19 पर्सेन्ट, तामिलनाडू ने 11 पर्सेन्ट प्राप्त किया है।

(2.56 म.प.)

(श्री फूलचन्द्र जैन, सभापति, पदासीन)

तो आप कौनसा अधिक पैसा प्राप्त कर सके हैं ? राजस्थान को केवल 29.6 रुपया प्रति व्यक्ति मिला है, तामिलनाडू को इनके मुकाबले में 118 रुपया प्रति व्यक्ति मिला है, महाराष्ट्र को 204 रुपया प्रति व्यक्ति मिला है, वेस्ट बंगाल को 182 और गुजरात को 119 रुपया प्रति व्यक्ति मिला है। भारत की वित्तीय संस्थाओं से आप क्या प्राप्त कर सकें हैं ? इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया से केवल 1.9 पर्सेन्ट, इन्डिस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन एण्ड इन्डस्ट्रियल क्रेडिट से आप 4.9 पर्सेन्ट, क्रेडिट डेवलपमेन्ड कार्पोरेशन से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

1.9 पर्सेन्ट प्राप्त कर सके हैं। अगर आप इस सारी स्थिति को देखें—एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कार्पोरेशन से आप क्या प्राप्त कर पाये हैं ? राजस्थान के मुकाबले महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है 10.30 प्रतिशत, गुजरात ने प्राप्त किया है 13.83 प्रतिशत तामिलनाडु ने प्राप्त किया है। 13.27 प्रतिशत और हरियाणा ने प्राप्त किया है 9.72 प्रतिशत, पंजाब ने प्राप्त किया है। 10.50 प्रतिशत वहां पर राजस्थान ने केवल 2.9 प्रतिशत प्राप्त किया है। सभापति महोदय, चाहे आप राजस्थान नहर का निर्माण कर लें, चाहे राजस्थान नहर के लिए आप क्रेडिट बैंक से लें आवें तब भी रेगिस्तान के विकास के लिए आपको एक कान्क्रीट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र रेगिस्तान ही रहेगा और यह रेगिस्तान राजस्थान के 8 जिलों के अन्दर फैला हुआ है जिसमें पीने के पानी की गंभीरतम समस्या है, जिसमें हर तीसरे साल भयंकरतम अकाल पड़ता है। क्या इन्टोग्रेटेड प्लान है आपका इसके लिए ? क्या आप इसके लिए नेशनल प्रोजेक्ट या नेशनल प्रोग्राम बना पाये हैं ? सिवाय इसके कि आप वर्ल्ड बैंक से ड्राउट प्रोन प्रोग्राम वह भी वर्ल्ड बैंक के इशारे के नीचे लाए हैं और अब यह स्थिति है, सभापति महोदय, कि मैंने एक प्रश्न इस सदन में उठाया था और माननीय शिवचरण जी ने इसका उत्तर दिया था मेरे इस प्रश्न का कि वे जिम्मेवार नहीं हैं। यह सारी केबिनेट की जिम्मेदारी है। जब 24 मई और 28 मई को वाशिंगटन में बैठ कर खुराना साहब ने दस्तखत किये थे या कौल साहब ने दस्तखत किये थे तो क्या आपने केबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाते मुख्य मंत्री के सामने नोट प्रस्तुत नहीं किया था ? क्या आपने यह ड्राउट प्रोन कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया था ? और फिर मैं यह जानकारी चाहूंगा कि बड़े अदब कायदे के साथ कि इस किस्म का, इस गिरी हुई कन्डीशन का, इस कन्डीशन के ऊपर आपने इस लोन को स्वीकार कर लिया और आज आप अपनी रेस्पान्सीबिलिटी को टाल रहे हैं, उसको टोटली डिनाई कर देना चाहते हैं। जो बातें मैं पहले सदन में कह चुका हूं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन आपके इस बजट के सम्बन्ध में एक और बात जो बैंक के कांट्रेक्ट के सम्बन्ध में कही है तो मैं अर्ज कर रहा था कि डेजर्ट डेवलपमेंट का प्रश्न जो है वह केवल मामूली तौर से हल किया जा सके ऐसा नहीं है। आज 3 लाख एकड़ के अन्दर आप ड्राई कल्टीवेशन की पोटेन्शियेलिटी क्रियेट कर रहे हैं, लेकिन आज भी आप देखें कि ड्रिंकिंग वाटर को साथ जोड़कर तो यह डेजर्ट जो राजस्थान का 51 पर्सेन्ट हिस्सा इन्डिया के अन्दर है और जिसकी राजस्थान की धरती के 70 पर्सेन्ट पर कल्टीवेशन होता है, और उसके सूख जाने से आपके सारे आंकड़े सिकुड़ जाते हैं। वह आपकी ही जिम्मेदारी नहीं है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, वह सारे देश की जिम्मेदारी है, वह सारे भारत वर्ष की धरोहर है। किस पद्धति से आप उस डेजर्ट के अन्दर ड्रिंकिंग वाटर या डेजर्ट के अन्दर कोई विकास के साधन डेवेलप कर सकते हैं, सभापति महोदय ? मुझे ताज्जुब

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

होता है कि आपके यहां पर सर्वे हुए, आपके यहां पर मिनरल एण्ड इन्डस्ट्रियल डेवलमेंट कार्पोरेशन है और उन सर्वेयर्स ने जितनी इन्डस्ट्रीज रिकमेण्ड की हैं उनमें 80 पर्सेन्ट को भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। आज यह डेजर्ट सारे हिन्दुस्तान की 45 पर्सेन्ट भेड़ें हमारे यहां के इसी डेजर्ट एरिया के अन्दर रहती हैं। इसी डेजर्ट एरिया के अन्दर आज सारे देश की 20 लाख से अधिक लेक्टेशन पाइन्ट्स मौजूद हैं, और यह डेजर्ट एरिया आपका व्हाइट रिवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी बैकबोन बन सकता है। लेकिन, स्थिति यह है कि यह जो 51 पर्सेन्ट आपका एरिया बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर और चूरू का इनके लिए कोई साइण्टिफिक इकोनामिक डेवलपमेंट का आज तक प्रोजेक्ट आप अपने सामने नहीं लाये हैं। फिर मामूली बात थी, इसमें आप फाडरबैंक्स भी क्रियेट नहीं कर सके हैं। आज 500–500 और हजार-हजार के टोलों में पशु जाकर माइग्रेट हो जाते हैं। आज आप देखिये कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर कुल 23 परसेन्ट ग्रामीण पापुलेशन के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। आज भी 22 हजार गांव ऐसे हैं जिनमें आप पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। फिर ऐसे गांव हैं जिनमें फ्लोराइट का एक्सेस है जिनसे कि इन्सान की हड्डियां सड़ जाय ऐसा पानी है नागौर और भीलवाड़े में जाकर देखें। 22 हजार गांवों के कम्पलेक्शन को देखें जिनमें कम से कम 10 हजार गांव तो ऐसे हैं जिनमें अन्डरग्राउन्ड वाटर की उपस्थिति की बात ही नहीं है। तो, सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अभाव इस सारे के सारे प्लान के अन्दर है।

अब सिंचाई का जहां तक प्रश्न है आपके पास 8 मिलियन एकड़ पानी जो है वह आपका है। जिसमें से केवल 4 मिलियन एकड़ पानी आपने युटिलाइज किया है। बाकी चार मिलियन आपका युटिलाइज्ड नहीं हो रहा है, उस 6 मिलियन पानी को छोड़ दें जिसको कि आप युटिलाइज नहीं कर सकते हैं, और 14.4 मिलियन एकड़ वाटर आज सतलज, व्यास और रावी का दूसरे प्रदेशों की नदियों का, सभापति महोदय, आप युटिलाइज कर रहे हैं। इस प्रदेश की नदियों का कम युटिलाइज किया है। अगर आपके माइण्ड में कोई कान्क्रीट प्रोग्राम होता तो आज तक नर्मदा से जालोर और बाड़मेर को पानी देने की स्कीम फाइनेलाइज कर देते। आज चूरू और सीकर के इलाकों को गैंगेज के वाटर से इरिगेट करने की स्कीम को फाइनेलाइज कर देते। लेकिन आपकी कान्शस अलग है। एग्रीकलचर कमीशन ने अजीब रिपोर्ट दी है। इसके अन्दर उसने कंवरसेन जो कि विश्व के एक बहुत बड़े इन्जीनियर हैं उनकी लीडरशिप के अन्दर एक कमेटी बनाई है, और यह कमेटी सर्वेक्षण करने जा रहे लिफ्ट इरिगेशन की, और 7 लिफ्ट इरिगेशन का यह सर्वेक्षण करेगी, और 30 लाख रुपया आपने उनको इस कार्य के लिए प्रोवाइड किया है। उन कंवरसेन साहब को जिन्होंने सन् 1926 के अन्दर गंग कैनाल का निर्माण किया, और उन कंवरसेन साहब को जिन्होंने पौंग डैम से लेकर कडाना तक नेवीगेबल राजस्थान कैनाल का निर्माण किया, और उन कंवर॰

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सेन साहब को जिनकी योजना के अनुसार 1968 तक राजस्थान कैनाल का पहला फेज पूरा हो जाना चाहिए था, 111 प्लस 24 प्लस 122 मील और 16 लाख एकड़ के अन्दर सिंचन शुरू हो जाना चाहिए था, जिनकी योजना के अनुसार आज आपका राजस्थान कैनाल सैकण्ड फेज पहुंच जाना चाहिए थी, और आपकी नहर रामगढ़ से आगे बढ़कर कडाना की तरफ चली जानी चाहिए थी, उनको आपने किस काम के लिए लगा दिया? उनको आपने लगा दिया लिफ्ट इरिगेशन के लिए। और आज वह कमेटी मिलने वाली है। जब वह वाटर लिफ्ट करेगी तो जब वाटर लिफ्ट होकर कोलायत तक जायेगा 100 या 150 फीट तो उसकी कास्ट 220 रुपया पर एकड़ होगी और अगर वह नागौर तक जायेगा 900 फुट ऊंचा तो आपके आंकड़ों के अनुसार 800 रुपया पर एकड़ के हिसाब से वाटर लिफ्ट करेंगे। चूरू के अन्दर 200-250 फीट की ऊंचाई पर जब लिफ्ट करेंगे तो कास्ट आफ इरिगेशन 450 रुपये पर एकड़ आयेगी। यह कौन सा प्रोजेक्ट है? आज से पहले भी कई सिंचाई मंत्रियों ने कहा। इसके लिए पम्प्स कहां से प्राप्त होंगे दुनिया के अन्दर हैं इस किस्म के पम्प्स क्या हमारा कन्ट्री प्रोड्यूस करता है इस किस्म के पम्प्स, और उनकी वेल्यूज को और उनके डेप्रिसियेशन को स्टैण्ड कर सकेंगे। जो छोटी-छोटी लिफ्ट इरिगेशन आपने भीलवाड़ा में बनाई वे मरणशय्या पर पड़ी हुई दम तोड़ रही हैं। पम्प्स का माडल किसी कम्पनी ने बनाने की जिम्मेदारी ली है। वह पम्प रन करेगा कि नहीं इसकी गारन्टी वह देने को तैयार नहीं है। वह तो माडल रन करके दिखा देगा। फिर यह जो योजना जालौर तक की है यह राजस्थान कैनाल रामगढ़ से आगे जाने वाली नहीं है अगर आप इसको नागौर के अन्दर लिफ्ट करेंगे और इस तरह से 7 प्रोजेक्ट्स के अन्दर लिफ्ट करेंगे। ऐसी अगर एग्रीकल्चर कमीशन की रिपोर्ट आयेगी तो यह नहर पहुंच जायगी क्या रामगढ़ से आगे?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई डाइनेमिक मोबीलाइजेशन नहीं है, कोई इकोनामिक जेनेरेशन नहीं है, कोई प्लान नहीं है इलैक्ट्रिक पावर का वाइटेलिटी आफ फोर्स लागू करने के लिए। केवल इसलिए कि नागौर में बहुत बड़े खातेदार बैठे हुए हैं, चूरू में जागीरदार बैठे हुए हैं, तो उन खातेदारों के एरियाज को इससे प्राफिट हो जाय और उस नहर के क्षेत्र को आप काट देना चाहते हैं जहां पर 90 पर्सेन्ट गवर्नमेंट की लैण्ड है और जिसका 90 पर्सेन्ट काश्तकार आपका काश्तकार है, सरकारी काश्तकार है, और आपको किश्तें देते हैं और करोड़ों रुपयों की किश्तें देते हैं।

इसलिए, मैं, सभापति महोदय, बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह सारे का सारा आपका जो प्लानिंग है यह बहुत ही डिफेक्टिव प्लानिंग है, साइन्टिफिक प्लानिंग नहीं है। अगर आप देखें अपने आंकड़ों को तो आपने इन्डिपेन्डेंस के बाद 51-52 में जहां 2,39,000 एकड़ जमीन में आपकी सिंचाई होती थी वहां अब 8,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

19,000 एकड़ में इरिगेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसके अन्दर क्लीयर्ली 50% शेयर मेजर हैं। जिस प्रकार भाखड़ा, गंग-कैनाल में है। आप कहते हैं कि राजस्थान ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। एक लाख एकड़ माइनर इरिगेशन से नहीं किया है। कुओं से कितना किया है? 51–52 में 8 लाख एकड़ है। जिसका 12 लाख हैक्टर करना चाहते हैं। ड्योढ़ा भी नहीं किया है। इस बजट में यह कहकर कि 10 हजार कुओं को इलेक्ट्रिफाइड करेंगे। 10 हजार बस्तियों में बिजली पहुंचा देंगे आप गौरवान्वित हो जायें। आप ट्रेनिंग की इजाजत दे दें। पंजाब, मध्यप्रदेश, यू. पी., इस कामना से बैठे हैं।

इस सदन में कई बार यह हुआ है कि दो लाख से जो ऊपर हैं। उनको किस प्रकार से इलेक्ट्रीफाई करेंगे। आपका कानून बिजली देने का इस प्रकार का है। इस प्रकार का बिजली देने का कानून है कि एक आम आदमी को बिजली आसानी से कैसे मिल जाये।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

यह सम्भव नहीं है। सौ किस्म की फीस देनी पड़ती है। मीटर, मैटीरियल खरीदना पड़ा है। बल्ब लेते हैं, कुओं के लिए। पोल चार्ज देना पड़ता है। एक पोल के 50 रुपये मिनिमम चार्जेज हैं। कोई सिम्प्लीफिकेशन है आपका? कितना वाइड करप्शन है? 400 मेगावाट का एटेमिक पावर स्टेशन है। वह एक हजार का हो जाएगा। मैं आज कहता हूं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट को करना चाहिए, वह क्या कर रहे हैं। आप सामन्ती परम्पराओं से हट नहीं सके हैं। आपके रावतभाटा के अनुसार सारे का सारा इस प्रकार से लगा कर सोचते हैं तो एक हजार मेगावाट जनरेशन कर देंगे। इस प्रकार से जिसका कि रेडियेशन क्या है। एक हजार डाय मीटर में जो चम्बल के लिए होता जा रहा है।

तो, सभापति महोदय, गवर्नमेंट कैपिटल आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा, जहां तक आपका इण्डस्ट्रीज का प्रश्न है, जहां तक आपकी माइनिंग का प्रश्न है। आपको अपने रॉक फासफेट पर बड़ा गर्व है। हमारे पास एफ. ए. आई. फर्टिलाइजर की रिपोर्ट है। जो एक कान्फरेंस 1973 में हुई थी। यह उसकी प्रोसीडिंग्स है राक फासफेट के बारे में। मैं यह मंत्री महोदय को भेंट करना चाहता हूं। वह जो गौरवान्वित होना चाहते हैं जो आपने एक राक फासफेट का डेवलपमेण्ट किया है। लेकिन जो एफ. ए. आई. का इन्वेस्टीगेशन है, उसने आपके राजस्थान में और जगहों के लिए भी कहा है। उसने, ललपुर, जैसमा, बालगांव, में भी पॉसिबिलिटी बताई है। फर्टिलाइजर के ऐसे कम्पोनेण्ट हैं, जो राजस्थान में मौजूद हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कि मौजूद नहीं हो। सबसे बड़ा फासफेरस एसिड हो सकता है। पैराइट है, लिग्नाइट है, जिप्सम मौजूद है। जिप्सम के मिक्स्चर से बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं। सभी किस्म के मौजूद हैं। एक जमाना था जब नेप्था से बनाने वाले होते थे नेप्था इस मुकाबले में अब वैसा चीप कम्पोनेन्ट नहीं है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

लेकिन सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में जो एग्रीमेण्ट स्पेन से किया गया है, उससे

Page No 94

(94)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बेड कोई एग्रीमेण्ट नहीं हो सकता है। ग्रोयल के बाई प्रोडक्ट भी पी.टी. 0-5,डी-2, एस. इन तीनों को आपको करना है। तो तो विश्व बैंक में हस्ताक्षर किये हैं। तो जो कण्ट्रीज हैं पेमेण्ट एक रुपये का नहीं होगा। चाहे आपका डी.पी.आर से कण्ट्रेक्ट हुआ हो। मुझे एक बात बताइये राजस्थान के अन्दर सारे के सारे हैं। हिन्दुस्तान में आग की सबसे अच्छी कण्डीशन है। इस राजस्थान के अन्दर फर्टीलाइजर फैक्टरी लग सकती है। भारत सरकार भी इसके लिए कर रही है। लेकिन राजस्थान को बन्द कर रखा है। आप उस फर्टीलाइजर को पहले यूज करेंगे। इसको नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। 15 मिनट का समय निश्चित है। मैंने अर्ज किया आज जो रीजनल एम्बेलेंस की बात कही जाती है। इसके बारे में कहूंगा आज आप रोड डेवलपमेण्ट को ले लीजिये। इसके अलावा एजूकेशन के क्षेत्र में ले लीजिये पाठशालाओं के क्षेत्र में ले लीजिये, योजनाओं के सम्बन्ध में ले लीजिये। चाहे ग्रामीण विद्युतिकरण को ले लीजिये, कुओं को बिजली देने के सम्बन्ध में ले लीजिये। ये सारे के सारे रीजनल इम्बेलेन्सेज हैं। कुओं को बिजली देने के बारे में झुन्झुनूं 7% बीकानेर 2% जल-प्रदाय योजनाओं में टोंक 7%। किसी को 45% और ग्रामीण विद्युतिकरण को ले लें, 37 झुंझुनूं। जैसलमेर बाड़मेर 6%, बांसवाड़ा 9% है। सड़क को ले लीजिये। एक तरफ पर हण्डरेड किलोमीटर 19% कर दें। जैसलमेर 3% कोटा 8%, बीकानेर 6%। किसी भी आइटम को उठाकर देख लिजिये। जबरदस्त रीजनल इम्बेलेंस है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं। मेजें थपथपाई गई हैं। 125 मिडिल स्कूल, हायर सैकेण्डरी स्कूल, और स्कूलों में कन्वर्ट करेंगे। 10 कालेजेज में पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज शुरू करना चाहते हैं। 100 मिडिल स्कूल खोलना चाहते हैं। 500 टीचर माइनोरिटी लैंग्वेजेज के क्रियेट करना चाहते हैं। मैं, सभापति महोदय, बताता हूं कि आपकी इन योजनाओं में इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट इसीलिए लाक हैं। इसीलिए आप कैपिटल नहीं क्रियेट कर सके हैं। उसकी कण्डीशन वन विण्डो प्रोग्राम नहीं क्रियेट कर सके हैं। एक ही विन्डों में बिजली का, पानी का और जमीन का कनेक्शन प्राप्त हो जाय वह आप नहीं कर सकते। आपकी स्मालस्केल इन्डस्ट्रीज हैं, काटेज इन्डस्ट्रीज हैं और कई लघु उद्योग हैं उनके फन्ड्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। अनएम्लायमेन्ट की समस्या को आप ले लीजिये, अनएम्प्लायमेन्ट के पहले के आंकड़ों को आप देख लीजिये जो आपका एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज निकालता है। एजुकेटेड अनएम्लाइड एक लाख के करीब है। 1971 की सेन्सस के मुताबिक अनएजुकेटेड में 95% और मेन पावर में 80% तक आता है। पार्शली अनएम्प्लाइड का तो कोई हिसाब ही नहीं है। इन सबके बावजूद भी अगर आप एम्प्लायमेन्ट पोटेन्शिल नहीं क्रियेट कर पाते तो आप क्या कर पायेंगे?

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि कपट द्वार से जो करोड़ों रुपये की सम्पत्ति प्राप्त हुई, इसी प्रकार से करोली, केला देवी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

और जोधपुर के पास भी खरबों रुपयों की सम्पत्ति है जिसको भी प्राप्त किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका धर्म कांटा बैठा हुआ है। ज्वेलरी का जो मार्केट जयपुर में आज है, वह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, स्मगलर्स के गिरोह के गिरोह दुनियां के सबसे बड़े स्मगलर्स आज जयपुर में मौजूद हैं और आप उनका क्या कर रहे हैं? आपने बीड़ा लिया था इस बजट स्पीच के आरम्भ होने से पहले ही कि ब्लैकमनी के खिलाफ, पैरेलल इकानामी और इन्फलेशन के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन जब धर्म कांटे का प्रश्न पैदा हुआ, उसके ऊपर हमले हुए तो वह तो आज तक बन्द नहीं हुआ। आपने कार्मशियल एसोसिएशन के यहां बैठकर यह फैसला कर लिया जबकि रैकार्ड नहीं, खरबों रुपयों की ज्वैलेरी का कोई हिसाब ही नहीं है। गणेशराम जैसे लोगों का जिनका वाशिंगटन में, स्विटजरलैण्ड में, न्यूयार्क के अन्दर ज्वेलरी का कम्प्लेक्स है। खेलशंकर दुर्लभजी के पास दो हजार करोड़ की असेट्स हैं। मेरे पास ऐसे कई व्यक्तियों की एक पूरी लिस्ट है अगर तैयारी हो, माननीय वित्त मन्त्रीजी केवल सही मायने में सैल्स टैक्स बरामद करना चाहते हैं वह बैठ जायं चेम्बर आफ कामर्स के अन्दर और मुख्य मन्त्रीजी से बात कर लें, उन ज्वैलर्स को दुर्लभजी को, टांक को और माणकचन्द सुराणा को, मन्नालाल आर्य को बुला लिया जाय। सभापति महोदय, केवल ज्वैलरी का ही सवाल नहीं है, सीमेन्ट की फैक्टरियों को ले लीजिये।

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस तरह से आप इकोनामी रिजनरेट कर सकते हैं। समाजवाद में प्रवेश कर रहे हैं और राजस्थान को आप अड्डे पर रखे जा रहे हैं उसके खिलाफ फ्लो करके। यह डेमोक्रेटिक टास्क है आपका? इन तीनों टैक्सेज के ऊपर अगर आप गौर करते तो आपके बजट की मैं भी तारीफ करता, मगर आप तो बजट के अन्दर और बाहर इस प्रकार से चक्कर देकर स्टेट को बहकाते हैं।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : सभापति महोदय, आज बजट भाषण पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मैं भी बजट भाषण पर अपने विचार देता हूं। मैं पहले उदयपुर जिले की और इस बजट भाषण के जरिये माननीय मन्त्रीजी का और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उदयपुर जिले के अन्दर अकाल की स्थिति बहुत भयंकर हो रही है। आज हम देखते हैं कि खेरवाड़ा से लेकर गिरवा तहसील और सराड़ा तहसील का सारा का सारा बारानी इलाका अकाल से भयंकर रूप से पीड़ित है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वहां के लोग लकड़ी लेकर उदयपुर के बाजारों में आते हैं घास लेकर बाजारों में आते हैं तो जंगलात वाले उनको कई तरह से परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस इलाके में उन आदिवासियों के लिये दो तीन या चार महीने के लिये काम देना बहुत आवश्यक है। हमने इस बारे में पांच

(श्री देवीलाल मीणा)

सरकार को और अकाल सहायता मन्त्रीजी को काफी इस विषय में लिखकर दिया है, कि उन आदिवासियों को जो अकाल से पीड़ित हैं उनको कुछ काम दिलाया जाय। तहसील सराड़ा का काफी हिस्सा आदिवासियों का पड़ता है जहां कि कोई काम नहीं है, मैं यह चाहता हूं कि उन इलाकों में आदिवासियों को राहत देने के लिये कोई काम दिलाया जाय। वैसे एकाध छोटे-मोटे काम खोले हैं लेकिन ऐसे कामों से पूरा नहीं होता जहां पर 60 हजार आदिवासी बसते हैं वहां पर अगर आप एक काम खोल दें और सो दो सौ लेबर को काम में लिया जाय तो क्या इससे उनको पूरा काम मिल सकता है? सभापति महोदय, काम देने के लिये सरकार सजग नहीं रहे तब तक उनको पूरा काम नहीं मिल सकेगा। मैं समझता हूं उन लोगों की ऐसी स्थिति हो रही है कि उनके लिये अकाल के कारण भूखों मरने की नौबत नहीं आ जावे। यही स्थिति सारे जिले में है, और काफी इलाके में लोग अकाल से पीड़ित हैं। उसके साथ साथ सरकार ने प्लान भी बनाये, उन प्लान्स के अन्दर पांच-सात तहसील उदयपुर की और प्रतापगढ़ इस प्रकार की तहसीलों को लिया है। लेकिन अगर सरकार ने सारे क्षेत्र का सर्वे कराया होता तो सरकार अच्छी तरह से प्लान बना सकती। लेकिन उन इलाकों का कोई सर्वे नहीं कराया गया। बड़ल सिंचाई योजना की, और लघु सिंचाई योजना की कोई भी सर्वे नहीं कराया गया। उन लोगों के इलाके को सरसब्ज बनाने के लिए या उनको रोजगार दिलाने के लिये, एस्टीमेट बनाया गया होता और उस पर रुपया खर्च किया जाता तो वाजिब होता लेकिन नीचे से प्लान बन जाता है और उन लोगों पर पैसा खर्च नहीं होता है जिन पर वास्तव में होना चाहिये। सही रुपया कितना खर्च होगा, लघु सिंचाई योजना में कितनी रकम लगेगी और कहां कहां करेंगे, यह सारा एस्टीमेट बनाकर अगर खर्च नहीं करेंगे तो रुपया नाजायज तौर पर खर्च हो जायगा, वैसे काफी रुपया खर्च किया है सरकार ने लेकिन वाजिब तरीके से नहीं होता है। इसीलिये उन लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पाता है। मैं उन इलाकों की ओर माननीय मन्त्रीजी का ध्यान ले जाना चाहता हूं जहां घनी आदिवासियों की बस्ती है, जहां पर सड़कों का कोई निर्माण नहीं, तालाबों का कोई निर्माण नहीं होता है, शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, कोई भी विकास के काम नहीं किये जाते हैं उनके लिये। पहाड़ों के अन्दर लोग बसे हुए हैं, एक घर कहीं है तो एक कहीं, जैसे अंग्रेज लोग अपने बंगले बनाकर आबू में रहते थे, उसी प्रकार से आदिवासियों के मकान हैं। कैसे उनको राहत दी जा सकती है, कैसे उनके लिये प्लान बन सकते हैं और प्लान के साथ में उनके लिये उद्योग धन्धे खोले जा सकते हैं इस तरह की कोई बात हो तो ठीक बात है। उनको किस प्रकार से सहायता दी जा सकती है। क्या क्या उपाय किये जा सकते हैं, इस तरह की सारी स्थिति है। मैं सराड़ा तहसील की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां डाया योजना काफी समय से पड़ी हुई है। सरकार से काफी निवेदन किया गया, मंत्रीजी से भी निवेदन किया गया कि इस योजना को

(श्री देवीलाल मीणा)

स्वीकार किया जाय, इससे कई गांवों को फायदा होगा लेकिन आज तक योजना स्वीकृत नहीं हुई। कभी कुछ कहा जाता है तो इस तरह की बातों से उस एरिया में काम नहीं होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि यह योजना स्वीकृत हो जाए तो काफी आदिवासी इलाके को फायदा हो सकता है और अब अकाल के समय में इस योजना को स्वीकृत करके काम चलाते तो हजारों आदमी काम करके जीवित रह सकते थे।

उस इलाके में सड़कों का निर्माण होना चाहिए। सड़कें केवल अकाल से बनी हैं, इसके अलावा कोई योजना की सड़क नहीं। केवल उदयपुर से सराड़ा होकर रिखबदेव जो सड़क जाती है वह सड़क भी योजना में 20 साल से चल रही है। सराड़ा से सेमारी, राजोल कल्याणपुर तक 10 मील का टुकड़ा आगे का रिखबदेव और सेमारी राजोला के बीच खेरवाड़ा तहसील में कुछ पड़ता है, वह ज्यों का त्यों पड़ा है। कोई योजना में लेने की आवश्यकता नहीं। सारी तहसील का विकास कैसे होगा? कुएं खोदने के लिए मशीनरी वहां नहीं जा सकती तो सड़कों को कैसे योजना में लिया जाएगा, उन लोगों को कैसे लाभ मिलेगा?

दूसरी बात, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की दृष्टि से जहां स्कूल खोले जाते हैं तो जो पैसा खर्च करके भवन बना सकते हैं वहां स्कूल खोले जायेंगे और जो भवन नहीं बना सकते हैं तो उन गरीबों के लिए स्कूल बनाने के लिए सरकार की ओर से प्रावधान नहीं है। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में जहां आदिवासी भवन नहीं बना सकते हैं वहां सरकार की ओर से स्कूल भवन बनाने चाहिए। तब जाकर गरीबों का फायदा होगा।

हमारे यहां बिजली योजना के लिए कहा जाता है कि मन्जूर हो चुकी है लेकिन वास्तव में मंजूरी नहीं मिली, काम चालू करने का पता ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस क्षेत्र में जहां भी बिजली जा सकती है, उसके लिए फायदा मिल सकता हो वहां बिजली की लाइनें बिछानी चाहिए। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी होने के कारण बिजली नहीं पहुंचेगी। जहां उनको फायदा मिल सकता है, वहां सरकार की ओर से फायदा मिलना चाहिए और बिजली की योजना चालू कर देनी चाहिए।

समाज कल्याण विभाग की ओर से आदिवासी छात्रावास चलाए जाते हैं सारे राजस्थान में और उदयपुर जिले में भी हैं, लेकिन विभाग की ओर से जो सहायता मिलती है वह हमारे छात्रावासों को नहीं मिलती और पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए भोजन और पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए, पूर्ण सुविधा और सहायता मिलनी चाहिए। संस्थाओं को जो सहायता मिलती है वह पूर्ण रूप से नहीं मिलती है। जैसे विभाग की ओर से और संस्थाओं की ओर से सहायता होती है, पूरी सहायता देकर सुविधा देनी चाहिए, वरना जो भेद भाव रहता है, वह ठीक नहीं है।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री जगमालसिंह : नाम से मेरा नाम लिखा हुआ है।

श्री सभापति : कल जिस समय आपका नाम लिया गया, आप मौजूद नहीं थे। लेकिन मुख्य सचेतक महोदय ने जो लिस्ट दी है उसी क्रम में कम से कम समय में बोल सकते हैं।

श्री जगमोहनसिंह : आज की लिस्ट में नाम नहीं है ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापतिजी, बजट पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं वित्त-मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे राजस्थान को खराब वित्तीय स्थिति पर बराबर अनुशासन रखकर, सतर्कता के साथ, ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि 13 करोड़ कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के बावजूद हमारा बजट संतुलित करने की स्थिति में पहुंच पाया है। राजस्थान के सामने अनेक गंभीर चुनौतियां हैं। हमारा विशाल रेगिस्तान, राजस्थान का वह हिस्सा जहां आदिवासी लाखों की संख्या में रहते हैं, जिनके पास किसी तरह का उत्पादन का कोई साधन नहीं। एक तरफ राजस्थान में ऐसे हिस्से हैं जहां काफी मात्रा में भूगर्भ में जल है और एक तरफ राजस्थान में काफी मात्रा में सर्फेस वाटर है लेकिन कई माननीय सदस्यों ने रोष प्रकट किया, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों की बातें कहीं, पूर्वी हिस्से वाले कहते हैं कि हमारे हिस्से की उपेक्षा की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में ऐसे हिस्से हैं जहां जीवन की जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं पानी हमारे इलाकों में दुर्लभ है तो हमारे यहां पर जैसे जल उपलब्ध है काफी मात्रा में, राजस्थान में जहां खनिज पदार्थ हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका हम अधिक से अधिक उपयोग करके राजस्थान की इकोनामी को साऊंड फुटिंग पर लाने का प्रयास करें। आज राजस्थान में कॉपर, जिप्सम, राक फास्फेट, लाइमस्टोन और दूसरे मिनरल्स इतनी मात्रा में हैं कि राजस्थान में कई नई सीमेन्ट फैक्ट्रीज कायम कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा कुछ लाइसेंस सीमेंट उत्पादन के लिए मिले हैं लेकिन इस दिशा में यदि और अधिक प्रयास कर सके तो लाइमस्टोन की काफी मात्रा में उपलब्धि होने के कारण कई सीमेंट फैक्ट्रियां राजस्थान में लगाकर कम से कम सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य कर सकते हैं। इस दिशा में दृढ संकल्प से कार्य करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, हमारे राज्य में बेरोजगारी की जो समस्या है, वह बहुत बड़ी है। चाहे पढ़े-लिखे लोगों की हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में बेरोजगारी की है और अभी अकाल की वजह से जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए उनसे मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं आज जिन जिन क्षेत्रों में अकाल की स्थिति है, वहां किसी तरह से सरकार के द्वारा अत्यधिक रोजगार के साधन न होने के कारण भयंकर स्थिति है और नए रोजगार देने की तत्काल आवश्यकता है जिससे जो भुखमरी से पीड़ित हैं उनको सहायता दे सकें। इसके अलावा जो रेगिस्तानी इलाका है, वह वास्तव

(श्री भीमसेन)

में राज्य के लिए बहुत बड़ा बोझ है लेकिन राजस्थानी हिस्से की तरक्की के लिये वहां पर जो पशुधन उपलब्ध है उसको रख सकें हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कुछ सहयोग दे सकें। इस स्थिति में हम उस हिस्से को नहीं ला सकें हैं। वहां पर जो ऊन उपलब्ध है, दूध देने वाली गायें हैं, जो कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकती हैं उन गायों के नस्ल को सुधारने के लिए दूध की मार्केटिंग, ऊन की जो कार्पेट वूल पैदा होती है, उनका ज्यादा उत्पादन करें और अच्छे किस्म का उत्पादन करें। राजस्थान नहरी क्षेत्र में मिक्स्ड फार्मिंग का जो सिस्टम है उसको अगर डेवलप करते हैं तो राजस्थान के उस हिस्से में और अधिक ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्थिक स्थिति को सुधार सकेंगे।

राजस्थान नहर का जो पहला स्टेज है उसकी बाईं तरफ आर. डी. 400 और 500 के बीच में, सर्फेस डामर की सड़क उपलब्ध है, पानी और बिजली उपलब्ध है, वहां पशु पालकों की कालोनी है, वहां योजना बनाकर लोगों को आबाद करें तो हजारों परिवारों को अच्छी गायों की ब्रीड पैदा होने का और ऊन पैदा करने का बड़ा साधन दे सकेंगे। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में राज्य सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, इसके लिये मैंने पहले भी कई बार सदन में सुझाव दिये थे। सभापति महोदय, जब तक राजस्थान नहर पूरी नहीं होती तब तक के लिये पोंग डेम जो कि पूरा हो चुका है उसके पानी का उपयोग यहां की जनता के लिये किया जाना चाहिये। अगर उस पानी को यहां के लोगों के लिये आप उपयोग करते हैं तो काफी विकास यहां हो सकता है। सभापति महोदय, यह क्षेत्र एक रेगिस्तानी इलाका है पशुपालक ज्यादा हैं उन्हें इस ऐरिया में पानी की सुविधायें देकर उनका विकास किया जा सके। इससे एक अच्छी आर्थिक उपलब्धि हो सकती है। इसके अलावा, सभापति महोदय, यहां पर डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड के गठन के बारे में भी बजट भाषण में कहा गया था उसके लिये तो मैं वित्त मंत्री जी का स्वागत करता हूं। इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि इस बोर्ड को जल्दी से जल्दी गठित करके राजस्थान के इस रेगिस्तानी इलाके की जो पिछड़ी जनता है उसको चाहे वर्ल्ड बैंक से चाहे दूसरी फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से लोन लेकर उस बोर्ड की एक्टीविटीज को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित किया जाय ताकि हम आगे जल्दी बढ़ सकें। इसके लिये राज्य सरकार को प्रयास करने चाहियें। इसी तरह मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर ऊन ज्यादा तादाद में उपलब्ध होती है उसके लिये भी राज्य सरकार के एक वूल बोर्ड स्थापित करना चाहिये। ताकि उसके लिये ऊन के मार्केट बनाई जायें और इसके लिये वर्ल्ड बैंक से या और दूसरी फाईनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से मदद लेकर उसका जल्दी से जल्दी विकास किया जाना चाहिये। ताकि आज जो बिचौलिये लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं वह उठाना बन्द हो जाय और जो असली ऊन प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको इसका लाभ मिल सके। इससे अच्छी शीप्स का ग्रेडिंग किया जाय और उनके

(श्री भीमसेन)

लिये अच्छी कीमत प्रोड्यूसर को दिलायी जानी चाहिये। ताकि इन लोगों का शोषण होने से बच सके। मेरा राज्य सरकार से इस ओर भी प्रयास करने का अनुरोध है।

इसी प्रकार राज्य सरकार राजस्थान मन्डी विकास निगम स्थापित करने की योजना बना रही है और उसके लिये प्रस्ताव अभी मंत्री मन्डल के विचाराधीन है। अगर मंत्री मंडल इसकी स्वीकृत दे देता है तो तत्काल ही इसको स्थापित किया जाना चाहिये। आज हमारे यहां पर मन्डियों की कमी है, इसलिये मन्डियों का विकास किया जाना चाहिये। मन्डियां नहीं होने से ग्रामीण जनता को काफी परेशानी होती है, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर राज्य सरकार को चाहिये कि इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही करे।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, देवस्थान विभाग के अन्तर्गत राजस्थान पब्लिक एनडोवमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत जो धर्मादा फन्ड व्यापारी लोग काश्तकार से उसकी फसल के ऊपर काटते हैं जिसके आज करोड़ों रुपये इन व्यापारियों के पास जमा हैं। मेरा निवेदन है कि इस रुपये को राज्य सरकार कोई ऐसा नियम या कानून बनावे जिससे कि वह रुपया जो आज व्यापारी वर्ग काम में ले रहे हैं वह रुपया काश्तकारों के भले के लिये काम आ सके। उस रुपये के लिये राज्य सरकार एक ट्रस्ट या बोर्ड बनादे जो कि किसानों को ऋण वगैरह उसमें दे सके। इस ओर भी राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफी बेरोजगारी फैली हुई है। इसमें मेरा सुझाव यह है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 80 पर्सेन्ट पोस्ट्स उन लोगों के परिवारों के लिये रिजर्व रखी जायं जो कि बहुत ही गरीब हैं और जिनकी आमदनी 200 रुपया या कम है इससे हम गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाने में सहायता दे सकेंगे।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, आज हमारे राजस्थान में सभी जगह खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में जो कि रेगिस्तानी इलाका है वहां पर पीने के पानी की बड़ी समस्या है। आज हमारे राजस्थान में 24 हजार गांव हैं। उनमें से सिर्फ दो हजार गांव ऐसे हैं जहां कि पीने के पानी की समस्या थोड़ी हल हुई है। सभापति महोदय, आज हमारे भारत वर्ष को आजाद हुए 27 वर्ष से ज्यादा हो गये हैं, लेकिन हमारे लिये यह खेद का विषय है कि हम लोगों की जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है उसको भी पूरी नहीं कर पाये हैं। राज्य सरकार को मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में एक स्वायत्त शासन बोर्ड का गठन करे और फिर वह बोर्ड वर्ल्ड बैंक से या दूसरी जो भी फाईनेन्शियल एजेन्सीज से, एल. आई. सी. वगैरह से लोन फ्लोट करके फाईनेन्स उपलब्ध करे और फिर उस फाई-नेन्स से पीने के पानी की समस्या हल की जावे।

इसी प्रकार, सभापति महोदय एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति

(श्री भीमसेन)

के लोगों को और हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को पट्टे दिये गये थे, लेकिन राज्य सरकार ने हमारे यहां पर छत्तरगढ़, लूनकरनसर, महाजन आदि गांवों में लोगों को पट्टे नहीं दिये। वहां इसलिये पट्टे नहीं दिये गये कि वह मन्डियां हैं लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे कोई मन्डी हो या और कोई वहां पर भी हो तो हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग रहते तो हैं तो उन्हें भी पट्टे दिये जाना चाहियें। यह जो ओमीशन्स हो गये हैं उनको ठीक किया जाना चाहिये और वहां पर जो पट्टे नहीं दिये गये थे उन्हें पट्टे दिये जायं। इसके साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि जो शहरों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के और हरिजन लोग हैं वहां भी इस प्रकार के रिहायशी प्लाट के पट्टे उन लोगों को दिये जाने चाहिये और योजनाबद्ध कार्यक्रम की तरह वहां भी इस ओर प्रयास किये जाने चाहिये।

इसी प्रकार मैं, सभापति महोदय, बीकानेर को औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ डिक्लेयर नहीं करने के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसे औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये। उन्होंने बताया कि वहां इकोनॉमिक इन्डीकेटर्स कुछ ऐसे थे जिसमें कई इन्डस्ट्रीज वगैरह में और कुछ पीने का पानी बहुत नीचे होने की वजह से बिजली ज्यादा खर्च होने से इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ नहीं माना गया। मगर, सभापति महोदय, इसमें सच्चाई तो यह थी कि चूंकि पानी कुओं में ज्यादा नीचे है इसलिए ज्यादा बिजली की खपत होती है दूसरी कुछ फाल्स इन्डस्ट्रीज की वजह से उसको औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा नहीं मानते हैं तो यह उचित नहीं है इसको औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ नहीं माना जाना चाहिए।

इसी तरह हमारे यहां पर जो अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जन-जाति के लोगों पर बहुत भारी कर्ज है यह एक बहुत बड़ी समस्या है। राज्य सरकार को चाहिए इस ओर ऐसे प्रयास किये जायं कि उन लोगों को इस कर्जे से मुक्ति मिल सके। इसके लिए आपको पिछड़े वर्ग के लिए व शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा। ऐसा करने पर इन लोगों को शोषण से बचाया जा सकेगा।

अन्त में इन्हीं शब्दों के साथ वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फाइनेन्सियल स्ट्रीन्जेन्सीज में बहुत ही अच्छा बजट बनाया और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार नान टैक्स रैवेन्यूज को अधिक डवलप करके मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज और वूल बेस्ड इन्डस्ट्रीज को डवलप करके हमारी इकोनोमी को आगे बढ़ा सकती है और हमारी जो विकास की आकांक्षायें हैं उन्हें पूरा करने में हम सफल हो सकते हैं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, सदन में सन् 75-76 का बजट प्रस्तुत हुआ उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने बजट को अच्छी तरह से पढ़ा और यह पाया कि बजट एक

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सन्तुलित भावना से बनाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। परन्तु जो अध्यादेशों के द्वारा यहां पर पहले ही टैक्स लगाने की जो प्रक्रिया वित्त मंत्रीजी ने अपनायी वह एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। प्रजातंत्र के सिद्धांत के यह बिल्कुल ही विपरीत प्रक्रिया है। आज जबकि हमारे पार्लियामेंट में भी पूरक बजट प्रस्तुत किया गया तो आर्डिनेन्सेज के जरिये बजट पास कराने का निर्णय करना कहां तक उचित है? क्या हमारी गवर्नमेंट सदन को बुलाने का छः महिने का जो आब्लीगेट्री प्रोवीजन है हमारे संविधान में, उसी का ही पालन करेगी केवल ? सदन को तीन महिने में भी बुला सकते हैं यदि आवश्यकता हो तो। क्या कमजोरी है गवर्नमेंट में मुझे समझ में नहीं आता ? राजस्थान टेनेन्सी एक्ट जो सिलेक्ट कमेटी में पड़ा हुआ है, निर्णय भी ले लिया गया है परन्तु विधान सभा में वह नहीं आता। इस प्रकार बहुत से कार्य हैं जो विधान सभा में आने चाहिए अनुसूचित जाति और जन-जाति की रिपोर्ट है। अनुसूचित जाति और जन-जाति के माननीय सदस्य उससे विशेष प्रभावित होते हैं, बजट के बारे में सदस्य अपने विचार प्रकट करें, हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि हमारी विधान सभा के सेशन्स अधिक से अधिक बुलायें। पार्लियामेंट के सदस्य छः-छः सात-सात महीने, बारह महिने में बैठकर लेजिस्लेटिव वर्क का डिस्पोजल करते हैं और भी कार्य करते हैं। हमें इस ओर पर्टीक्यूलर होना चाहिये। अधिवेशन बुलाकर इन मामलों को सदन में तय कर देना चाहिए। आर्डिनेन्स की जो प्रक्रिया है उसको बन्द करना चाहिए, यह प्रजातन्त्रीय पद्धति के विरुद्ध है, डेमोक्रेसी के विरुद्ध है।

इनके द्वारा 74–75 में 13.90 करोड़ की वित्त मंत्री जी ने आय बढ़ायी और 75-76 के 28.40 करोड़ के अनुमान हैं, आय के। यदि आप सेशन बुलाकर पूरक बजट पास करवाते तो हम इसको सहर्ष स्वीकार करते। इनको बढ़ाना आवश्यक है। हम खुद चाहते हैं कि जब तक हमारी आय नहीं बढ़ती है तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते उन्नति नहीं कर सकते हैं, और अगर इससे भी ज्यादा वित्त मंत्रीजी प्रान्त की इकोनोमी को, वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं अकाल की स्थिति का मुकाबला करना चाहते हैं और उसके लिए और भी कुछ करना चाहें तो असेम्बली के और भी सेशन बुलाकर उसकी स्वीकृति देने के लिए तैयार हैं परन्तु इन समस्याओं को हल करना बहुत आवश्यक है।

अकाल की जो स्थिति है उसके सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान गवर्नमेंट ने इस समस्या का मुकाबला किया है, मैं कहता हूं कि वह लज्जाजनक है। अभी जो वर्क्स चल रहे हैं; हमने बहुत कोशिश की, पहले भी राज्यपाल के अभिभाषण पर अकाल के सम्बन्ध में अपने भाषण में जोर दिया था, असेम्बली मेरे चुनाव क्षेत्र में जो वर्क्स चल रहे हैं, सात व आठ व्यक्तियों की गेंग लगी हुई हैं, दो हजार मजदूर लगे हुए हैं क्या उससे आप अकाल की समस्या का निवारण करेंगे ? उनकी स्थिति और भी खराब है। खाने के लिए दो दिन में लोगों को एक समय में मिलता है। एक किलो मक्का एक परिवार में चार दिन के लिये। कुछ बकरी का दूध मिल जाता है वे लोग दलिया बनाकर ग्रहण करते हैं, यह स्थिति है। उस स्थिति को संभालने के लिये आप यह कहें कि

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

हमारा संतुलित बजट है, यह उपयुक्त नहीं है। जो स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में है, भूखों मरने की स्थिति है, 75-76 के बजट में इशारा किया गया है कि 10.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगे। प्लानिंग में निश्चित कार्यक्रम नहीं लिया है। हम कोशिश करेंगे यह कहते हैं। क्या करेंगे? कितने लोगों को मजदूरी पर लगायेंगे? मार्च के महीने में कितने ग्रादमियों को लगायेंगे, अप्रेल के महीने में कितने ग्रादमियों को लगायेंगे ग्रौर मई ग्रौर जून के महीने में कितने ग्रादमियों को लगायेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के ग्रन्दर कितने ग्रादमियों को एम्प्लाय करेंगे यह बताएं? योजना के अन्तर्गत ग्रापने काम करने की कोशिश की, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को ले लिया, एम. पीज. ग्रौर एम.एल.एज. ग्रापके साथ बैठे हैं, चीफ इन्जीनियर ग्रौर इरीगेशन कमिशनर के साथ, बीस हजार से ग्रधिक लोगों को ग्राप लगा नहीं सकते। ग्राज योजना के कार्य में लगाने की कोशिश करते हैं, फारेस्ट के कार्य में लगाने की कोशिश करते हैं, तो बीस हजार से ग्रधिक लोगों को ग्राप नहीं लगा सकते। हमारी स्थिति बहुत विकट है। 26 का जब ग्रकाल पड़ा था तो एक लाख मजदूर काम कर रहे थे ग्रौर ग्राज ढाई हजार मजदूर काम कर रहे हैं। ग्राप टैक्स लगाइये, दूसरे खर्चों को कम करिये, वैल्थ पर टैक्स लगायें लेकिन लोगों को भूख से मरने मत दीजिये ग्रौर ग्राज हजारों लोग भूखों मर रहे हैं। दो दिन में एक बार खाने को मिले यह भूखों मरना नहीं है तो क्या है? यह तो गांवों के लोग ग्रच्छे हैं जो उन्हें भूख से मरने नहीं देते, जो भूख से मरता है उसकी मदद करते हैं ग्रौर उनकी मदद से लोग जिंदा रह रहे हैं। ग्रापकी राज्य सरकार की मदद से जिंदा नहीं रह रहे हैं। ग्रगर ऐसी ही स्थिति रहेगी तो हजारों ग्रौर लाखों लोग भूख से मरेंगे बाड़मेर ग्रौर जैसलमेर जिले में।

पूर्वी राजस्थान के लोग प्रश्न उठाते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत व्यय किया जा रहा है ग्रौर इस तरह से भ्रांति का वातावरण फैलाने की कोशिश करते हैं। हम राजस्थान के एकीकरण में विश्वास रखते हैं। ग्राप कहते हैं कि वहां से ग्राय कम होती है ग्रौर ग्राय के ग्राधार पर व्यय भी कम करना चाहिये। ग्रगर इसी ग्राधार पर खर्च करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग कभी भी ग्रागे नहीं बढ़ सकते हैं, पिछड़े ही रहेंगे।

(3.58 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

हमारे सीमावर्ती जिले हैं ग्रौर सीमावर्ती जिले होने के नाते हम पर युद्ध में प्रहरी के रूप में देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। सीमावर्ती इलाके के ग्रादमियों का मनोबल ऊंचा रहे, उनका मॉरेल ऊंचा रहे, इसके लिये हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ग्राज भी हमारे जिलों में जो व्यय किया गया है वह दूसरे जिलों के मुकाबले में सब से कम है। बाड़मेर जिले में 69 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय किया गया है जो सब से कम है। दूसरे नम्बर पर जालोर ग्राता है जहां का प्रति व्यक्ति खर्चा 73 रुपये है ग्रौर नागौर में 89 रुपये प्रति व्यक्ति। योजना के ग्रन्दर जो हमारे जिलों में व्यय किया गया है वह बहुत कम है। ग्राज डेजर्ट के लिये डेयरी योजना

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
बनाई गई है, पर ऐसी डेयरी योजना आपके जयपुर के लिये भी है और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जा रहा है। तो डेयरी के विकास के लिये भी कोशिश की जा रही है।

जहां तक विद्युतिकरण और कुओं को बिजली देने का प्रश्न है, आपके यहां अधिक से अधिक विद्युतिकरण हुआ है। आज विद्युतिकरण के लिहाज से जैसलमेर में 0.6 प्रतिशत, बाड़मेर में 5.6 प्रतिशत गांवों का विद्युतिकरण हुआ है जबकि अन्य जिलों में झुन्झुनू में 33 प्रतिशत हुआ है, अन्य जिलों में भी इसी प्रकार काफी विद्युतिकरण हुआ है। तो हर तरह से हमारे जिले पिछड़े हुए हैं और उनका विकास करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि इस रैगिस्तानी क्षेत्र को विकसित किया जाये तो आपको थोड़ा-सा धैर्य बरतना पड़ेगा। ताकि हम भी आपके बराबर लेवल में आ सकें और उन्नति कर सकें। अब मैं आपको इस बात में भी ले जाना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दो मिनिट में समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्तुत हुआ है मैं आंकड़ों में जाना चाहता हूं। बजट में मालूम करने के लिए राज्य की आय प्रति व्यक्ति 1.32 प्रतिशत घटी है। भाव बढ़े 74–75 के ईयर में। यह ईयर महंगाई का ईयर रहा है। बड़ी कठिनाई की स्थिति से हम निकले हैं। सभी भाव सस्ते हुए हैं और कुछ राहत मिली है।

लेवी के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप एकत्रित नहीं करेंगे आप केन्द्र से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे अनाज की, अपने राजस्थान प्रान्त से लेवी इकट्ठी नहीं करेंगे तो फिर उनसे लेने के हकदार नहीं हैं। लेवी के अन्दर हमने योगदान दिया है। जो पार्टी विरोध करती है मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के पार्टी के लोगों से कि वे दृढ़ होकर लेवी को एकत्रित करें और अपने रिजर्व बनायें और अपनी-अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करें।

मैं पानी के बारे में कहना चाहता हूं अभी हमारे फूलचन्द जी ने जो बताया पानी की समस्या के हल के लिये 74–75 में जो खर्च किया उससे कम खर्च करने जा रहे हैं। 6।। करोड़ खर्च करने जा रहे हैं जो पांचवीं योजना में 77 प्रतिशत विलेजेज को कवर करना है उस समय 200 करोड़ की आवश्यकता थी, अब 300 करोड़ की होगी। आप 10 करोड़ भी खर्च नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार तो आपको पानी की समस्या हल करने के लिए 20 वर्ष लगेंगे। आपको यह देखना चाहिए लोग 10–10 मील पानी के लिए जायं और 10 मील दूर जाकर भी खारा पानी पियें, खारा पानी पीने के बाद स्वास्थ्य खराब हो तो मेरा निवेदन है पानी की समस्या को प्राथमिकता देकर कार्य करेंगे। पानी को कितने सालों में मुहैय्या कर देंगे, इसके बारे में आपको निर्णय लेना चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं अभी खतम करता हूं।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पंचायतों के बारे में कहना चाहता हूं । 10 वर्षों में आपने चुनाव नहीं करवाये। तीन वर्ष की मयाद और बढ़ा दी। जो पंचायतें वर्तमान में काम कर रही हैं वे निकम्मी हो गई हैं । लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण आपने कायम किया उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है । लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को आप दफनाने का काम कर रहे हैं । पंचायतों के कई स्थान खाली हो गये हैं । अब उनमें स्फूर्ति नहीं रही है, जागृति नहीं है तो वे किस प्रकार 75–76 की जो योजना बनायेंगे उसका इम्पलीमेन्टेशन करेंगे ? पंचायतें निरर्थक बन चुकी हैं, निकम्मी बन चुकी है तो मैं यह चाहूंगा कि पंचायतों के चुनाव करवायें और आप जल्दी-से-जल्दी चुनाव मई में करायें तो ठीक है, परन्तु जहां–जहां भी चुनाव हो सकते हैं, करायें ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

नहीं तो आपकी योजनाओं को कौन इम्पलीमेंट करेगा। धन्यवाद !

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, 25 वर्षों में पहली बार हमारे वित्त मंत्री महोदय ने सन्तुलित बजट 75–76 का सदन में प्रस्तुत किया है जिसका मैं स्वागत करता हूं। वैसे इस बजट पर सदन के माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है । मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करता हूं कि आजादी के 27 साल में केन्द्रीय सरकार से लाखों करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन फिर भी हमारे प्रान्त की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए खर्च पूरी तरह नहीं किया गया। जैसा कि माननीय सदस्या ने बताया, पश्चिमी राजस्थान और जो पहाड़ी डिविजन या इलाका आता है, जहां कि दुष्काल आते रहते हैं, वहां सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख कर अकाल की समस्या का हल करे। गत वर्ष 74–75 में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया था कि 26 जिलों में से 24 जिलों में भयंकर दुष्काल रहा है तो सरकार को हर तरह से अकाल की समस्या का हल करना पड़ेगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अकाल की स्थायी-समस्या के हल करने के लिए प्रकृति की जो देन है, जैसे उदयपुर डिवीजन में भयंकर दुष्काल है और प्रकृति की देन से, नदियों की योजना से, पिछले सालों से स्थायी समस्या हल करने के लिए लिफ्ट योजनाओं की मांग की थी, लेकिन इस वर्ष भी सरकार ने लिफ्ट योजनाएं मंजूर नहीं कीं ।

आज यह स्थिति है कि जहां से मुख्य मंत्री जी आते हैं बांसवाड़ा जिले से वहां के लोगों की एक–एक किलो मक्का खरीदने की शक्ति नहीं है। उस क्षेत्र के आदिवासी लोग भीख नहीं मांगते हैं । अगर प्रकृति से उनको पानी मिलता रहे तो वे उससे अपना भरण–पोषण करना चाहते हैं। वहां भयंकर दुष्काल की स्थिति और पिछले वर्ष अकाल राहत कार्य खोले गये थे। लोग मजदूरी करते थे, समय पर पैसा मिलता था, समय पर अनाज

(श्री नाथूराम)

मिलता था, इधर माइलो वगैरह भेजते हैं, लेकिन बिना मजदूरी के खरीदें कहां से? मेरे क्षेत्र में पंचायत समिति मुखिया है जो गुजरात की बोर्डर पर है वहां के सब लोग भूखों मरते कडाना बांध पर चले गये हैं। सरकार की तरफ से वहां पाइलट प्रोजेक्ट खुला है, लेकिन उसके नियम भी ऐसे हैं कि एक परिवार में से एक ही व्यक्ति लिया जाता है। मैंने पिछली बार कहा था लेकिन जांच नहीं कर रहे हैं यहां धन का दुरुपयोग हो रहा है। आपके द्वारा मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति और जिले की तरफ से अकाल के स्थायी समस्या को हल करने के लिए जो लिफ्ट योजना प्रस्तावित हुई उसकी मंजूरी हो जाए ताकि कुछ अर्थ वर्क हो सके, और अर्थ वर्क से लोगों को मजदूरी मिल सके और ज्यादा अनाज भी पैदा हो सके।

जहां लिफ्ट योजना है वहां सिंचाई के जरिये उसमें गेहूं उत्पन्न होता है, जहां सिंचाई की योजना नहीं है लोग भूखों मरते हैं। पिछले दो महीने पहले बांसवाड़ा जिले में भूखों मरते थे और उस भूखे मरने से बीमारी फैली जिसमें लगभग 100 व्यक्ति मर गये। आज बांसवाड़ा जिले में दिल्ली से चिकित्सा विभाग, पूना से चिकित्सा विभाग, हैदराबाद से चिकित्सा विभाग और जयपुर से चिकित्सा विभाग की पार्टियां पहुंची हैं लेकिन वे जांच करते रहे और कोई परिणाम पर नहीं पहुंच पाये। मैं आपके द्वारा सरकार को यह बता देना चाहता हूं गरीब लोगों में यह बीमारी फैली, 2–2 रोज तक लोग भूखों मरे हैं और भूख से दुर्बल हो गये थे और लगभग 100 व्यक्ति मर गये। बांसवाड़ा जिले में अगर लोगों को मजदूरी मिले तो लोग अपनी ईमानदारी से काम करेंगे, वे जिन्दा रहना चाहते हैं, भीख नहीं मांगना चाहते। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप वैसे कई योजनायें बनायें कई प्लान बनायें, आप करोड़ों रुपये खर्च करें, लेकिन जब लोग मर जायेंगे तो उनके बाद कोई काम नहीं आने वाला है। तो आज सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि इस हलके में सरकार लिफ्ट योजनायें शुरू करके लोगों को मजदूरी दिलाये, अर्थ वर्क आरम्भ करवायें ताकि हजारों आदमियों को मजदूरी मिले और मजदूरी मिले तो कुछ अनाज खरीद सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे राजस्थान केनाल पर मजदूरों को भेजने के लिए जैसा कि कहा गया है उसी तरह से आदिवासी क्षेत्र के अन्दर माही डेम पर जाने के लिए कहा गया है। पर जब लोग माही डेम पर काम पर जाते हैं तो माही डेम वाले कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। माही डेम बनते हुए 14 साल हो गए। और यह पन्द्रहवां साल जा रहा है। माही डेम बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च हो गए, 14–15 साल हो गए लेकिन नींव भराई शुरू हुई वह भी क्रेक हो गई। वहां पर क्यों गड़बड़ हुई? वहां के लोगों का यह मानना है कि जो इंजीनियर लोग हैं उन्होंने खराब सीमेंट लगाई। अच्छी सीमेंट के बदले में खराब सीमेंट रतलाम वगैरह से लाकर उस डेम में लगा दी और उससे क्रेक आ गई। आज 15 साल हो गए लेकिन माही डेम की नींव

(श्री नाथूराम)
की भराई ठीक नहीं हुई है। आज वहां पर रुपया खर्च हो रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, बंगले बन गए, सड़कें बन गईं लेकिन आज 15 साल में उस डेम की शुरुआत भी ठीक से नहीं हो पाई और सरकार की तरफ से अगर पूर्ण ध्यान दिया जाता और आज माही डेम के बजाय और कई लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनाई जाती तो ज्यादा लोगों को फायदा मिलता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज माही डेम के खर्चे के लिए भारत सरकार से निवेदन करना चाहिए कि इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बना कर इसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए ताकि सूखी जमीन को पानी मिल सके और उत्पादन हो। नहीं तो सरकार जितना रुपया खर्च करती है वह या तो प्रशासन में जाता है, गाड़ियों में जाता है, पेट्रोल में जाता है और टी. ए., डी. ए. में जाता है।

कोई ओवरसियर से लेकर ए.ई.एन., एक्स. ई. एन. और इंजीनियर जितने आदमी बाहर से आते हैं वह अपने आदमियों को लाकर उनको रोजी पर लगाते हैं। आज हजारों बांसवाड़ा के लड़के मारे-मारे फिरते हैं। पढ़े-लिखे लड़के, मैट्रिक, हायरसैकण्ड्री और बी. ए. पास लड़के मारे-मारे फिरते हैं और उनको काम पर नहीं लगाया जाता है। पिछले वर्ष सात-सौ वैकेंसी को डायरेक्ट भर्ती का आर्डर निकाला उस पर हमने एतराज किया। मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन किया तब जाकर उनको रोका गया। न तो वहां एम्पलायमेंट के थ्रू आते हैं और जो एल. डी. सी. और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्री का यह आदेश था कि एल.डी.सी. और चतुर्थ श्रेणी के लोगों में लोकल लोगों को लगाया जाय लेकिन उस माही डेम में बाहर के आदमियों को लाकर लगाया जाता है। एल. डी. सी. और चतुर्थ श्रेणी के अन्दर भी लोकल आदमियों को नहीं लगाया जाता है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि माही डेम करोडों का प्रोजेक्ट है। वहां पर बांसवाड़ा जिले के बेरोजगार लोकल आदमियों को लगाना चाहिए।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से वहां पर पर्सेन्टेज बंधा हुआ है कि किसी भी काम में ठेकेदार से पर्सेन्टेज लिया जाता है जिससे ही काम बिगड़ता है। पर्सेन्टेज के लिए ठेकेदार अपनी जेब से तो देता नहीं वह तो काम से ही निकालता है। पिछली बार भी मैंने बजट के वक्त निवेदन किया था और इस बार भी मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी व्यक्ति हों उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वे हमारे राष्ट्र के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने यह भी सवाल रखा था कि माही प्रोजेक्ट पर कोटा में रहने वाले व्यक्तियों को बांसवाड़ा में ला रहे हैं और वहां के लड़के जो हैं वे इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं।

(श्री नाथूराम)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा-सा समय और दें, मैं अभिभाषण पर भी नहीं बोला था।

इसी तरह से उपाध्यक्ष, महोदय, कृषि के बारे में मैं भी निवेदन करता हूं कि आज किसानों को समय पर न तो खाद मिलती है और मिलती भी है तो काला बाजार में मिलती हैं। मैंने पहले भी बजट के समय निवेदन किया था कि किसानों को खाद मिलती हो तो वह ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करेंगे। आज आपके स्वयं के आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहां पिछले सालों से देखा जाय तो खाद्यान्नों का उत्पादन कम होता जा रहा है और केश क्राप्स ज्यादा पैदा करते हैं। किसान लेवी देने को तैयार हैं, लेकिन किसानों का शोषण हो रहा है। न तो उनको समय पर खाद मिलती है न और कोई चीज। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों का शोषण मिटाने के लिए किसानों को समय पर खाद मिले, समय पर बिजली का कनेक्शन मिले और समय पर तेल आदि का सहयोग मिलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ावें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्रीजी ने इस बजट में आदिवासी क्षेत्र के लिए सब-प्लान की योजना बनाई और 14 करोड़ का प्लान बनाया है। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह जो सब-प्लान का प्रस्ताव है उसमें से फिफ्टी पर्सेन्ट भी आदिवासियों के पल्ले पड़ने वाला नहीं है। उसका कारण यह है कि यह जो सब-प्लान बनाया गया है, मैंने स्वयं ने राजस्थान पत्रिका में पढ़ा था और उसके लिए सम्पादक को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सारी डिटेल में बातें बताई थीं। उसमें यह बताया था कि यह आदिवासियों के हित के लिए प्लान नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सब-प्लान 14 करोड़ का रखा है आदिवासी क्षेत्र के लिए उस पर पुनर्विचार करके पंचायत समिति लेवल से उस प्लान को तैयार करना चाहिए। जिले में वहां की लोकल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां की योजना बने तो राज्य सरकार का जो पैसा वहां पहुंचेगा तो वहां के आदिवासियों का भला होगा। इसके बिना आदिवासी लोगों का भला होने वाला नहीं है और सरकार का पैसा वैसे ही प्रशासन में और दूसरे कामों में खर्च हो जाएगा। आज आदिवासी क्षेत्र पर लाखों रुपया खर्च होता है, लेकिन उससे आदिवासियों को कोई फायदा नहीं होता है। इन आदिवासियों के लिए जो प्लान बना है कोई एक भी आदिवासी नवयुवक उसमें नहीं है। आज आदिवासियों के लड़के बी.ए., एम.ए. और आर.ए.एस. में भी आते हैं, उन आदिवासी क्षेत्र के लड़कों को जो पढ़े-लिखे हैं उनको रखना चाहिए। आदिवासी प्रतिनिधियों को भी लिया जाना चाहिए यही मेरा निवेदन है।

वहां पर आदिवासी क्षेत्र के अन्दर छोटे छोटे उद्योग होने चाहिएं और आज की जो शिक्षा है वह शिक्षा बेरोजगारी की शिक्षा

Page No 109

109

(श्री नाथूराम)

है। मैंने पिछले समय भी निवेदन किया था कि आदिवासी क्षेत्र में वहां आज शिक्षा के लिए हमारे लड़के और लड़कियां आगे आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा बेरोजगारी की ऐसी है कि उनको समय पर न तो छात्रवृत्ति मिलती है और जो शिक्षा है वह ऐसी बेरोजगारी की शिक्षा है कि बाबू लोग ही पैदा होते हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

प्रणाली में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, टैक्निकल, उद्योग की शिक्षा होनी चाहिए। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने रोस्टर प्रणाली लागू की है लेकिन रोस्टर प्रणाली में उसमें 21 हजार की वृद्धि हुई है और राज्य सरकार के अधीन लगभग पौने तीन लाख कर्मचारी हैं, लेकिन एस. टी. और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा भी पूरा नहीं होता है। इसलिए आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी यह रोस्टर प्रणाली का लोग अवहेलना कर रहे हैं, सरकार उसको लागू करावे और उसमें आदिवासी और हरिजन नवयुवकों को लगाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कडाणा बांध के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। कडाणा योजना में 328 फुट पर गुजरात सरकार पानी रोकेगी लेकिन साथ में पुनर्वास के सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि सरकार का सरासर पक्षपात रहा है। राज्य सरकार ने जिस तरह से पोंग डैम के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बसाने के लिए राजस्थान में भूमि के बजाय भूमि दी है और पुनर्वास का खर्चा वहन किया है, इसी तरह से जो गुजरात सरकार फायदा उठा रही है, उस पर राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। राजस्थान सरकार इसमें बहुत कमजोर साबित हुई है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कडाणा क्षेत्र के लोग हैं वहां मारे-मारे फिरते हैं, उनको जमीन नहीं मिल रही है, पुनर्वास के लिए व्यवस्था नहीं है। माही योजना में व्यवस्था रखी है लेकिन वहां भी दूसरे लोगों को बसाने से आदिवासियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि आदिवासियों की कोई ज्यादा संख्या नहीं है। इसलिए कडाणा परियोजना में जो प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी लोग आते हैं उनको कम से कम उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। उनको कहा कि बांसवाड़ा में भूमि काश्त के लिए देंगे लेकिन बांसवाड़ा जिले में काश्त की जो अच्छी अच्छी जमीन हैं उस पर अच्छे अच्छे लोगों ने कब्जा कर लिया है। पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में काश्त को भूमि को आदिवासी लोगों ने अपना खून पसीना लगा कर और बरसों तक मेहनत करके भूमि को सुधारा, गेहूं, गन्ना वगैरा पैदा हुआ, अच्छी फसल पैदा हुई लेकिन वह भूमि भी डूब में आ गई लेकिन आप एक बीघा भी अच्छी भूमि नहीं दे सके। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कडाणा के लिए गुजरात सरकार पैसा नहीं देती है पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करती तो राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से कोशिश करके स्टे कर देना चाहिए,

(श्री नाथूराम)
नहीं तो आदिवासी लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आन्दोलन करेंगे और सरकार को झुकायेंगे। मैंने पहले भी निवेदन किया था और पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं कि आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माही परियोजना पर पौंग डेम के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बसाने की योजना हो रही है, इसी तरह से कडाणा के प्रभावित लोगों को पुनर्वास की कोशिश करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने पिछले समय यह घोषणा की थी कि आदिवासियों के क्षेत्र के विकास के लिए इतना लाख रुपया का बजट प्रावधान रखा गया है लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो कुए खोदे गये हैं, वे बड़े-बड़े कस्बों में ही खोदे गये हैं। आदिवासी गांवों में ये कुए नहीं खोदे गये हैं। अधिकतर आदिवासी गांवों में नहीं रहते हैं। वे पहाड़ियों पर रहते हैं। उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वे आज भी गढ्ढों का पानी पीते हैं, जिससे नारु निकलता है और कई तरह की बीमारियां उनको होती हैं। हमारे वित्त मंत्रीजी जब बांसवाड़ा पधारे थे तो मैं भी उनके साथ था। ट्यूबवेल्स वहां पर खोदे गये जहां कि आदिवासी लोग नहीं रहते थे। उनके नाम पर रुपया मंजूर होता है परन्तु उस रुपये का फायदा इन लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों को पीने के पानी की समस्या है, उनके लिए आपने जो धन-राशि की व्यवस्था की है उसका उपयोग इस तरह से हो कि कुछ राशि तो अवश्य ही इन आदिवासियों के पल्ले पड़े। आप योजना बनाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, उस क्षेत्र का नाम भी होता है, लेकिन यह सारी व्यवस्था और खर्च आदिवासियों के कल्याण और हित में नहीं होती है।...

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घंटी)

थोड़ा-सा बिजली के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संबंधित मांगों के समय यह बात आप कह सकते हैं। अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है। समय कम रह गया है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : आदिवासी क्षेत्रों के लिए बिजली की भी व्यवस्था की गई है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कडाणा परियोजना में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जो गांव डूब में आये हैं, या उनकी कुछ जमीन डूब में आयी है, उन गांवों का विकास कार्य रोक दिया गया है। बिजली भी रोक दी गयी है। दो बीघा जमीन डूब में आयी है तो सारे गांवों का विकास कार्य रोक दिया गया है। इस प्रकार से जिन लोगों ने दस, बीस साल मेहनत कर नव-तोड़ जमीन को उपजाऊ बनाया, उसका रिटर्न भी उन लोगों को नहीं मिल पाया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाये।

नारोरा सम्मेलन में निर्णय किया गया और हिसाब से लाख भू-खंड आदिवासियों को वितरित किए गए हैं। बांसवाड़ा में ये

(श्री नाथूराम)

भू-खंड वितरित किये गये हैं। भू-खंड जो वितरित किए गए हैं उनमें कडाणा पुनर्वास के गांव आते हैं और जो जमीन डूब में नहीं आती है वहां पर बसने के लिए भू-खंड दिए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ये भू-खंड आपने मियाद के अन्दर वितरित किये हैं, परन्तु सरकार की ओर से गलत आर्डर इशु हुआ है। यह आर्डर बंगले में बैठ कर सरकार के अधिकारियों ने इशु किया है। उन्हें यह मालूम नहीं है कि जो भू-खंड आवंटित किये गये हैं, उन गांवों की जमीन डूब में आने वाली नहीं है। गवर्नमेन्ट को सोच समझ कर यह आर्डर इशु करना चाहिए था। इस आर्डर को केन्सिल करना चाहिए और जिन लोगों को भू-खंड दिये गये हैं उनको पट्टे दिए जाने चाहिए। यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने 1975-76 का जो अनुमानित बजट पेश किया है वास्तव में यह बजट एक सन्तुलित बजट है और इसे वास्तविक बजट कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष कर जनता के ऊपर न लगा कर 330 करोड़ 40 लाख रुपये की राजस्व में प्राप्तियां वित्त मंत्री महोदय ने बतायी हैं। यह उनकी सूझबूझ की प्रतीक है इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद अर्पित करती हूं।

मान्यवर, इस बजट में प्रान्त की जो अर्थ व्यवस्था है, उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। वस्तुतः यह बजट गरीबी, अज्ञानता और बीमारी इन तीनों पर आक्रमण करेगा और इनसे संघर्ष छेड़ेगा। मान्यवर, इस बजट में प्रान्त में जो भयावह गरीबी है, उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। यद्यपि कई लोग यह कहते हैं कि पिछले 27 वर्षों में गरीबी निरन्तर बढ़ती जा रही है, गरीबी दूर नहीं हुई है। मान्यवर गरीबी कोई धरती पर खींची हुई लाइन नहीं है, जिसको मिटा दिया जाये, गरीबी कोई पसीना नहीं है जिसको पंखे की हवा से सूखा दिया जाये। मान्यवर, इसको दूर करने के लिए तीव्र गति से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वास्तव में जो गरीबी बढ़ी है उसका मूल कारण मुद्रास्फीति है। अन्य देशों के साथ मुद्रास्फीति की तुलना की जाए तो वास्तव में हमारे देश में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हुई है। उदाहरण के लिए अन्य देशों के कुछ संक्षिप्त आंकड़े मैं यहां प्रस्तुत करना चाहूंगी। जर्मनी में मुद्रास्फीति 7 पर्सेन्ट बढ़ी है, अमेरिका में मुद्रास्फीति 11 पर्सेन्ट बढ़ी है, फ्रांस में 13% तथा ब्रिटेन और इटली में, 16 पर्सेन्ट मुद्रास्फीति बढ़ी है जबकि हमारे यहां पर यह मुद्रास्फीति 28 पर्सेन्ट हुई है। देश में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। वे सब कदम सराहनीय हैं और उससे इस भयावह मुद्रास्फीति को रोक पाये हैं। परन्तु मान्यवर, यह जो गड़ा हुआ धन है, वह भी गरीबी को बढ़ाने के साथ-साथ हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भी आघात करता है। अर्थ-शास्त्रियों का अनुमान है कि इस गढ़े हुए धन का एक तिहाई यदि उत्पादक कार्यों में लगाया जाये जिसमें चांदी, सोने के जेवरात हैं तो उससे 12 हजार करोड़ के अतिरिक्त साधन जुटाये

Page No 112

(112)

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

जा सकते हैं। यद्यपि इस दिशा में सरकार ने प्रयत्न किए हैं और जिनका यह प्रभाव हुआ है कि चीजों के भाव कम हुए हैं। एक समय जब कि भाव सीढ़ियों के ऊपर जा रहे थे अब वे भी नीचे की ओर आने शुरू हो गये हैं। भावों के कदम नीचे की ओर जाने शुरू हो गये हैं।

मान्यवर, गरीबी की जो समस्या है वह अधिकतर रेगिस्तानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में है। रेगिस्तानी इलाकों के लिए तो बजट में प्रावधान रखे गये हैं, उनका मैं स्वागत करती हूं, परन्तु वास्तविक गरीबी की जो तस्वीर है वह आपको उदयपुर डिवीजन के आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। आदिवासी किस तरह से, किस गरीबी में अपना जीवनयापन कर रहे हैं, यद्यपि उनके विकास के लिए कार्यक्रम भी सरकार ने चलाये हैं, परन्तु ये सारे कार्यक्रम सम्पन्न हुए हों ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उनका लाभ आदिवासियों को न मिल कर जो प्रभावशाली व्यक्ति थे वास्तव में उन्होंने इस विकास कार्यक्रम का लाभ उठाया है। कहने का अभिप्राय यह है कि पहले आदिवासी लोग वहां पर कृषि कार्य किया करते थे परन्तु उस समय कृषि योग्य भूमि कम थी और जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गयी उन्होंने वनों के ऊपर अपना आश्रय लगाना शुरु कर दिया, परन्तु ठेकेदारी व्यवस्था की वजह से, वन भी बहुत काटे गये हैं और ऐसी स्थिति में आदिवासी वहां पर गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहाड़ियां और वन नंगे हो गये हैं, वीरान हो गये हैं जो कि आदिवासियों के जीवन के साधन थे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इन आदिवासियों की जो स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिये। भू-आबंटन का कार्य आदिवासियों के लिए किया गया है परन्तु भूमि के मालिक आदिवासी न होकर अन्य व्यक्ति हो गये हैं। आदिवासियों के नाम पर कई लोगों ने फायदा उठाया है, परन्तु अभी तक जो आदिवासियों की स्थिति है, वह एक अर्थ-दास की तरह है। वे दासता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन आदिवासियों के क्षेत्रों में कुछ ऐसे जमींदार हैं, या कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो कि इनको कर्जा देकर, या अन्य कोई आवश्यकता के समय मदद देकर आदिवासियों को एक विशेष प्रकार के शिकंजे में कस लेते हैं और वे इन लोगों के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि वे पीढ़ी-दर पीढ़ी इन लोगों के पास कृषि का कार्य करते हैं। ये लोग इनसे कृषि का काम करवाते हैं।

तो उनके विकास के कार्यों के अतिरिक्त, मान्यवर, मैं एक सुझाव यह पेश करना चाहती हूं कि जिस प्रकार उत्तरप्रदेश में यह निर्णय लिया गया कि इन लोगों को जो कि गरीब व्यक्ति हैं, आदिवासी हैं, उनके कर जो हैं माफ कर देने चाहिए। तो उसी प्रकार का निर्णय हमारी राजस्थान विधान सभा में इसी सत्र में लिया जाना चाहिए ताकि इन कामों से, इन परेशानियों से इन गरीबों को जो हैं, उन आदिवासियों को जो हैं, मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि आदिवासी इतने अधिक शिक्षित नहीं हैं। वह भोले हैं, अनपढ़ हैं यहां तक कि उनका अंगूठा जो है हर कहीं चिपका दिया जाता है, और इस प्रकार ब्याज की दर वह निरन्तर बढ़ती जाती है।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

एक और बात मैं यह कहना चाहती थी कि यदि राज्य सरकार इस प्रकार का निर्णय लेगी तो यह इन आदिवासियों की, इन गरीब व्यक्तियों की, इनके श्रम-ऋणों की जो माला है इससे हमारे प्रान्त के नक्शे को अच्छा आकार दे सकते हैं।

सामान्यतः यह दलील दी जाती है सभी माननीय सदस्यों द्वारा कि आदिवासियों के नाम पर उदयपुर क्षेत्र में मनमाना काम हुआ है, परन्तु वास्तविकता इससे बहुत अधिक दूर है। उदयपुर क्षेत्र की स्थिति आज तक खराब बनी हुई है, और मेरा सुझाव यह है कि आदिवासी क्षेत्र में जहां पर यह निवास करते हैं वहां पर अरावली की श्रृंखलाओं में बहुत अधिक खनिज सम्पदा है तो उस खनिज सम्पदा के आधार पर कुछ खनन के कार्यों पर आदिवासियों को लगाया जा सकता है, कुछ कारखाने लगाये जा सकते हैं। राक फास्फेट इतना अतिरिक्त पड़ा हुआ है कि हम उनको काम में नहीं ले पाये हैं। खाद के कारखाने की बात मैं निरन्तर तीन साल से कहती आ रही हूं। इसके लिए सभी दृष्टियों से चित्तोड़गढ़ का क्षेत्र सर्वाधिक अच्छा है, परन्तु अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि खाद के कारखाने के लिए बड़े पुरजोर शब्दों में केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को कहना चाहिए, और इस कार्य को उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए।

कृषि के विकास में जो है, विद्युत् जो है वह सर्वाधिक महत्व रखती है। विद्युत् की तरंगों के आधार पर गरीबी पर हम प्रहार कर सकते हैं, परन्तु यह बड़ी विडम्बना है कि हमारे पास अतिरिक्त बिजली है लेकिन उसको दूसरे प्रान्तों को देने की सोच रहे हैं, और हमारे गरीब किसान को जो कि अपना खून और पसीना एक करके उस गरीबी को जिससे वह घिरा हुआ है, फंसा हुआ है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है उनके लिए आपने विद्युत् के लिए 12.68 करोड़ का बजट रखा है तो उसको अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए, और यह आसानी से बढाया जा सकता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि आबकारी की रेट अधिक बढा दें और शराब पर अधिक टैक्स लगा दें जिससे विद्युत् के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें।

सिंचाई की वर्तमान में जो चालू योजनाएं हैं उनके अतिरिक्त और भी योजनाओं को हमें अपने हाथ में लेना होगा। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेड़च नदी जो है वहां पर घसूण्डा नाम के स्थान का सर्वेक्षण कार्य हो गया है। उस कार्य को प्राथमिकता इस बजट में अवश्य मिलनी चाहिए ताकि उस जमीन पर हरियाली आ सके और वहां की जनता को राहत मिल सके।

कुछ ऐसे कार्य जो अकाल में अधूरे रह गये थे और राष्ट्र का पैसा वह डेडस्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है उन अधूरे कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

मान्यवर, प्रत्येक गांव की खुशहाली के लिए सड़क का होना अत्यन्त आवश्यक है चाहे वह गांव छोटे से छोटा ही हो। हमने न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत ढाई हजार की जनसंख्या वाले गांवों को इसके अन्दर लिया।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

है। मान्यवर, प्रारम्भिक अवस्था में यह ठीक है, परन्तु धीरे-धीरे हर गांव में सड़क को ले जाना है, और इसके लिए मैं यह सुझाव देना चाहती हूं जैसा कि माननीय नाथूरामजी ने कहा है कि सड़क के निर्माण के अन्दर और अन्य कार्यों में घोटाले बहुत ज्यादा होते हैं। इससे बचने के लिए कार्यक्रम में इस काम के लिए इन लोगों की सोसाइटी बनानी चाहिए और उसके आधार पर वह काम उनको देना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे, एक तो यह कि वह श्रमिक जो कि भूमिहीन हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम मिलेगा और दूसरा यह गांव की उन्नति में अधिक ध्यान दे पायेंगे क्योंकि उनके स्वयं के गांव का कार्य है और इस प्रकार से यह कार्यक्रम पूरा कर सकेंगे।

मान्यवर, शोषण से बचाने के लिए सहकारिता एक साधन है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्रीजी ने 1.17 करोड़ इसके लिए रखे हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि सहकारिता का लाभ अधिकतर व्यापारी वर्ग को मिला है, और सहकारिता के आधार पर गरीबी को दूर करने वाली बात एक भूल-भुलैयां मात्र हो गई है। प्राचीन समय में यह बात कही जाती थी कि किसान जो है वह गरीबी में पैदा होता है, बड़ा होता है और मरता है, परन्तु स्वतन्त्रता के बाद यह देखने को मिला है कि सहकारिता के आधार पर बिना ऋण लिये ही वह ऋणी है उसकी पीढ़ी में किसी ने ऋण नहीं लिया परन्तु वह ऋणी है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि यह ऋण अवस्था जो है वह इस कारण से है कि गरीब का अंगूठा जहां चाहे जिसने चाहा उसने चिपका लिया। गरीब को यदि यह मालूम होता कि मेरे अंगूठे की करामात से इतनी तकलीफ और परेशानी सहन करनी पड़ेगी तो शायद वह अपने अंगूठे को काटकर फेंक देता।

मैं यह कहना चाहती थी, मान्यवर, कि सहकारिता के आधार पर रूस और दूसरे साम्यवादी जो देश हैं उन्होंने बहुत अधिक तरक्की की है, परन्तु हमें सहकारिता का इतना अधिक लाभ नहीं मिल पाया है। इसका लाभ हमारे यहां अधिकतर जैसा कि मैंने बताया जमीदार जो हैं, गांव के मुखिया जो हैं, व्यापारी जो हैं उन्होंने उठाया है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि सहकारिता के आधार को बिल्कुल बदलना होगा ताकि उस सहकारिता के आधार पर वह गरीब लोग अपनी अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकें। जो व्यक्ति सामान्य कृषक हैं या मध्यम श्रेणी के कृषक हैं उन्हें ही सहकारिता समितियों के सदस्य बनाया जाना चाहिये और उन्हें ही ऋण की सुविधा देनी चाहिये। परन्तु आज सहकारी समितियां जो हैं वह गरीबों का पोषण करने वाली नहीं बल्कि व्यापारियों का पोषण करने वाली कही जाती हैं।

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस पर दूसरा प्रहार किया है, गरीबी के अतिरिक्त, वह है अज्ञानता। इस बजट में 1975-76 के लिए 75.74 करोड़ रुपयों का जो है सबसे अधिक प्रावधान इसके लिए रखा है, और 80 पर्सेण्ट जो अज्ञानी या अज्ञानता हमारे प्रान्त में है उसके ऊपर प्रहार करने के लिए जो कुछ साधन जुटाये हैं, जैसे 10 डिग्री कालेजेज होंगे,

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

100 जो हैं वह मिडिल स्कूल होंगे, 125 जो हैं वह माध्यमिक स्कूल होंगे। परन्तु, मान्यवर, मैं यह कहना चाहती थी कि मात्र स्कूल खोल देने से ही कुछ नहीं होगा। हमें खासतौर से यह समझना है कि शिक्षा जो कुछ हम देने जा रहे हैं और जो शिक्षण संस्थाएं इसके लिए हम खोल रहे हैं उनकी व्यवस्था सुचारू हो। आज अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति का मूल कारण हमें जानना चाहिये। उसका यदि विश्लेषण करें तो हमें यही पता लगेगा कि जो शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का बहुमुखी विकास

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं संक्षेप में ही कह देना चाहती हूं।

शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। हमने उन बच्चों के विकास के लिये खेल के मैदान की व्यवस्था नहीं की है। उपाध्यक्ष महोदय; स्कूलों के बच्चों के लिये खेल की सामग्री के लिए सारे बजट में शून्य के बराबर होता है प्रोवीजन। माननीय वित्त मंत्रीजी से मेरा यह कहना है कि यदि हमें आने वाली पीढ़ी को अनुशासित करना है या नागरिक गुणों से विभूषित करना है तो आप खेल के लिए विशेष तौर से प्रावधान रखें। तभी जाकर हम शिक्षा के काम को ठीक प्रकार से चला सकेंगे।

इसके साथ ही वह बच्चे जो हैं पत्र पत्रिकाओं और बाल-साहित्य से अछूते रहते हैं। उनके लिये खास तौर से बजट में प्रावधान होना चाहिये चाहे हम जन-पुस्तकालय के रूप में करें या किसी रूप में करें।

सिंगल टीचर स्कूल जो हैं उनकी सारी देख-रेख हमने अनपढ़ सरपंचों पर छोड़ दी है। तो, मान्यवर, इस प्रकार के टीचर्स जो इन बच्चों का भविष्य बना रहे हैं तो उनका तो भगवान ही मालिक है। उनके बारे में विस्तृत रूप में कुछ नहीं कहना है।

10 डिग्री कालेजेज खोले जायेंगे यह एक ऐतिहासिक निर्णय है कि राजस्थान में पहली बार इतने डिग्री कालेज एक साथ खोले जा रहे हैं। परन्तु, मान्यवर, यह ध्यान देना होगा कि यह डिग्री कालेज बेकार युवक न निकालें, बल्कि ऐसे युवक निकालें जो कि हमारे राज्य और देश के निर्माता हो सकें।

माध्यमिक शिक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बैठाई गई थी उस उच्चस्तरीय कमेटी ने...

श्री उपाध्यक्ष : 8 तारीख को शिक्षा की मांग रखी गई है उस समय बोल लें।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं सिर्फ दो मिनिट ही बोलना चाहती हूं।

निर्णय लिये, लेकिन अभी तक उस दिशा में प्रगति नहीं हुई है। तो, मान्यवर मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आपने 50 सबजेक्ट्स खोलने का प्रावधान रखा है बजट में तो वह 50 सबजेक्ट्स व्यवसायिक शिक्षा के लिये ही खुलने चाहिये ताकि हम उन युवकों को जो कि गावों में निवास करते हैं या शहरों में निवास करते हैं उनको बेरोजगारी की लाइन से निकाल कर काम में लगा सकें, ऐसी शिक्षा हमको लानी होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन बच्चों को हम विशेष प्रकार के उद्योगों में लगायें। इस प्रकार

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

की उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। उनको तकनीकी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके कारण से जो कि ग्रामों से निकल कर नगरों में लोग आ रहे हैं, यह जो प्रवृत्ति है, उसको हम रोक सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं महिला वर्ष के बारे में निवेदन कर देना चाहती हूं कि आज 8.20% महिलाएं ही शिक्षित हैं। महिलाओं की शिक्षा के बारे में इस बजट में अलग से कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इन बच्चियों को जो कि बचपन से ही सहायक गृहणि बन जाती हैं को हमें इन्सेन्टिव देना होगा। उनको निःशुल्क स्टेशनरी, निःशुल्क ड्रेस, और निःशुल्क पुस्तकें दी जायें। इस प्रकार का प्रावधान रखेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि एक पुरुष को शिक्षित करने का अर्थ है, एक व्यक्ति को शिक्षित करना और एक स्त्री को शिक्षित करने का अर्थ है, पूरे एक परिवार को शिक्षित करना। तो मैं आशा करती हूं कि माननीय वित्त मन्त्रीजी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

जैसा कि उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए 75.03 लाख, और छात्रावासों के लिए 57.3 लाख रखा है। मैं एक निवेदन यह करना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए अलग से छात्रावास हम रखते हैं तो उनके अन्दर यह भावना बढ़ती रहेगी कि वह एक समाज के अलग अंग हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के आवासीय छात्रावासों को एक ही रखना चाहिए। उनको अलग न रखकर विशेष छात्रवृत्ति देकर उन्हीं में रखा जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तभी हम उनके साथ में न्याय कर सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : मोर देन 15 मिनिट्स।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : बीमारी निस्सन्देह कम हुई है। 32 वर्ष पहले आयु होती थी, वह बढ़कर अब 50 हो गई है। आपने अभी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। ग्राम स्वास्थ्य-सेवाओं के लिए अनूठा प्रयोग दिखाया गया है। मेडिकल कालेज के डाक्टर जिलों के मुख्यालयों में जायेंगे। जिले के मुख्यालय डाक्टर प्राथमिक केन्द्रों में जायेंगे। पर यह न्यूनतर मानदंड से अभी दूर है यह तभी हो सकती है जबकि एक विकास केन्द्र पर 10 उप केन्द्रों की स्थापना करें। एक व्यक्ति के पीछे एक डाक्टर की व्यवस्था करें। तो मैं आशा करती हूं कि अगले वर्ष में ऐसी व्यवस्था की जायेगी वित्त-मन्त्रीजी ने जो बजट पेश किया है वह गरीबी अज्ञानता और बीमारी के खिलाफ संघर्ष छेड़ने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो पयूचर का जोड़-मेल बिठाकर यह बजट पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। बजट जो बनाया गया है उससे जो हमारी आर्थिक नीति है, सोशलिस्ट पेटर्न को कायम करने की, उससे बहुत कम मेल खाता है। वह इस दृष्टि से कह रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर जो बिग हस्तियां हैं जो

(श्री जगमोहनसिंह)

बड़े बड़े लोग हैं, राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुये उनको टैक्स करना चाहिए था। लग्जरीज को टैक्स करना चाहिए था। इस दृष्टि से इस बजट को नहीं ढाला गया है। मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर अकाल जो कि एक परमानेन्ट फीचर बन गया है, जिसकी विभीषिका से कई वर्षों से हम पिसते चले आ रहे हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले वर्षों अकाल की समस्या से निपटने के लिए शायद अरबों रुपया खर्च कर चुके हैं। लेकिन वह अकाल की विभीषिका की समस्या आज भी हमारे सामने खड़ी हुई है यह एक विचारणीय विषय है। हम अकाल का स्थायी हल नहीं निकाल सके। इसका हमारे प्रदेश की इकोनामी पर इफेक्ट पड़ा है। पहला तो यह है कि यह समस्या भयंकर रूप धारण करके खड़ी हुई है। दूसरे कुछ और भी कारण हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इतने अरबों रुपया खर्च किया गया है, वह किस रूप में खर्च किया गया है। वह एक अहम विचारणीय प्रश्न है। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, पांचवीं पंचवर्षीय योजना को शुरू करना जिसको कि इस मद से 110 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। बजट से जैसा कि पिछले वर्ष वित्तमन्त्री जी ने कहा था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ में जो खर्च करेंगे वह उन लोगों में करेंगे, जहां पर कोई विकास का काम नहीं कर सके हैं। लेकिन बड़ी निराशा हुई इस बजट को देख कर कि वह इलाके जहां पिछले 27 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है उनके अन्दर कुछ भी नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर मान्यवर, मैं निवेदन करूं कि हमारा कोटा जिला है। कोटा जिले के सम्बन्ध में कहा जाता है कि चम्बल घाटी योजना बनाई है। उसमें बहुत कुछ खर्चा किया गया है। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कोटा जिले में 12 तहसीलें हैं। जिसमें से चम्बल घाटी का फायदा कितने लोगों को मिला ? तो मैं कह सकता हूं कि वह बहुत कम है। चम्बल का पानी 3, 4 तहसीलों को दिया गया है, वह भी पूरा नहीं किया गया है। बाकी 8 तहसीलें, छबड़ा, छीपा बड़ोद, शाहबाद, अटरू, सांगोद, बारां आदि हैं, वह वैसे ही पड़ी हैं। कहने को यह कहा जाता है कि चम्बल से विद्युत पैदा होती है वह विद्युत अन्य प्रांतों में भले ही चली जाये, प्रांत के बाहर भी पहुंचा दी गई है। लेकिन खेद है कि कोटा जिले के 2200 गांवों में से 200 गांवों को दी गई है। बाकी 2000 गांव वैसे ही पड़े हैं। मेरे क्षेत्र की दो तहसीलें छबड़ा और छीपा बड़ोद हैं। छाबड़ा तहसील के 145 गांवों में से 8 गांवों को बिजली दी गई है। इस प्रकार से शाहाबाद, अटरू, बारां हैं। इनमें से, यह ठीक है कि वहां पर बिजली पैदा होती है लेकिन वहां वह गांव वैसे ही पड़े हैं। इस वर्ष भी बिजली के लिए कोई प्रावधान नहीं है कितनी खेद पूर्ण और दुख पूर्ण स्थिति है। इससे ज्यादा खेद पूर्ण दूसरी कोई स्थिति नहीं हो सकती है।

सड़कों के बारे में मेरा निवेदन है, पिछले 27 वर्षों से कोटा के अन्दर कोई सड़क नहीं बनाई गई है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूंगा छबड़ा 12 हजार का कस्बा है, लेकिन आज तक सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। जिसके लिए बार-बार

(श्री जगमोहनसिंह)

सदन पटल पर मांग की गई है। आपकी घोषणाओं के अनुसार 25 सौ की आबादी के कस्बे को सड़क से जोड़ने को कहा जाता है। 12 हजार की आबादी का कस्बा किस प्रकार से अलग है ?

इसी तरह से सड़कों की हालत है शाहबाद, किशनगढ़, बारां, अटरू, छबड़ा सभी जगह ऐसी हालत है कि चलना-फिरना भी दुर्लभ है, आज की स्थिति यह है। इस लिए, मान्यवर, किसी भी क्षेत्र में जो रीजनल इम्बेलेन्स की बात कही जाती है, वह एक वास्तविकता है और इसको कहना ही पड़ता है और कहे बिना हम नहीं रह सकते। हर चीज के इन्तजार की एक सीमा होती है, मान्यवर, वह सीमा अब टूट चुकी है और उसके लिए अब ज्यादा इन्तजार हम नहीं कर सकते।

शिक्षा की दृष्टि से ले लीजिये, आज तक इतना बड़ा जिला होते हुए भी और इतना अधिक उत्पादन होते हुए भी कोटा में सिर्फ एक ही कालेज है जो पुराने समय से चला आ रहा है। वहां पर कोई मेडिकल कालेज नहीं खोला गया, कोई इन्जीनियरिंग कालेज नहीं खोला गया, कृषि की दृष्टि से इतना उपयोगी होते हुए भी वहां पर कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं खोला गया है। यही स्थिति, मान्यवर, दूसरे गांवों की है इस जिले के अन्दर। डेढ लाख की आबादी पर एक सेकेण्डरी स्कूल है। छबडा तहसील की ही सवा लाख से ज्यादा की आबादी है, वहां पर एक ही सेकेण्डरी स्कूल है। इस प्रकार से आप इस जिले की स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं।

सिंचाई की दृष्टि से भी आप देखें, राजस्थान कैनाल बने, यह तो ठीक है कि सारे राजस्थान का विकास होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन एक ही प्रोजेक्ट पर राज्य के सारे साधन लगा दिये जायं और दूसरी तरफ जहां पर बारहों महीने पानी उपलब्ध रहता है ऐसे स्थानों की उपेक्षा की जाती है तो इसको पक्षपात ही कहा जायगा। गूगोल नदी पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक कमीशन भारत सरकार का जो था उसके द्वारा सर्वे किया गया उसने रिपोर्ट दी कि इस नदी द्वारा 8 तहसीलों और मध्यप्रदेश के कुछ हिस्से को मिलाकर 4 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। लेकिन दुःख की बात है कि कई बार निवेदन करने पर भी उस योजना की ओर ध्यान नहीं दिया गया और उसको क्रियान्वित नहीं किया गया। इसी तरह से हिरलोंद सिंचाई प्रोजेक्ट के बारे में है, इसका भी कम्पलीट सर्वे हो गया था। 50 लाख की लागत थी इस योजना की, परन्तु, मान्यवर, इसको भी पेंडिंग रख दिया गया और अब उसकी कास्ट कोई 90 लाख की हो गई है। उसके बावजूद भी आज भी उसके बनाने की बात नहीं है। मध्यप्रदेश का और कई तरह के बहाने बनाकर बात की जाती है। मध्यप्रदेश में तो बोर्ड आफ इर्रीगेशन बन गया है तो ऐसी क्या बात हो सकती है जो मध्यप्रदेश सरकार एतराज करेगी ?

तो, मान्यवर, इन सारी परिस्थितियों के अन्दर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि बजट का अवलोकन किया जाय तो जो इसमें विकास की भूमिका दी गई है, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से और राज्य सर-

(श्री जगमोहनसिंह)

कार से, हालांकि वित्त मंत्रीजी नहीं हैं और न वे हैं लेकिन उनकी प्रतिनिधि बैठी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो भी विकास के कार्य हैं उनको मूलभूत आवश्यकताएं मानकर उनकी पूर्ति के लिये रिथिन्किग करके योजनाओं को बनाया जाय जिससे बेलेन्स्ड डेवलपमेन्ट राजस्थान का हो सके।

एक बात मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं ट्राइबल एरियाज के बारे में। इस बजट में बहुत कुछ प्रोवीजन बांसवाड़ा जिले के लिये किया गया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उधर आदिवासी लोग रहते हैं और उनका उत्थान अवश्य होना चाहिए। इसलिए ज्यादा प्रोवीजन उनके लिये रखा गया है। लेकिन, श्रीमान, हमारे कोटा जिले में भी शाहबाद और किशनगंज जो तहसीलें हैं वह सारे का सारा एक आदिवासी इलाका है और वहां भी सारे आदिवासी लोग ही रहते हैं। समाज कल्याण के भारत सरकार के डाइरेक्टर कई बार वहां गये हैं और उन्होंने यह कहा है कि इस आदिवासी एरिया के लिये भी योजना बनायी जानी चाहिए। इसके लिये भी बार-बार राज्य सरकार को लिखा गया, परन्तु बड़े खेद का विषय है कि उनके लिये जो पैसा मिलना चाहिए लेकिन वह नहीं दिया गया। इसलिए इसको पक्षपात और उपेक्षा नहीं कहें तो और क्या कहें ? इन शब्दों के साथ में आपने जो मुझे समय दिया बोलने के लिये उसके लिए बहुत आभारी हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आगे भी ऐसी ही कृपा बनाये रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय समय कम है, इसलिए आप या तो समय एक्सटेन्ड कर दें।

एक माननीय सदस्य : आपको ज्यादा समय मिलेगा, आप तो बोलना शुरू कर दें।

श्री लूणाराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 75–76 के बजट पर सामान्य बहस के सम्बन्ध में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो यह बजट पेश किया है उस बजट का स्वागत तो उस समय ही करना अच्छा होगा जब हम इस बजट के अगले बजट पर विचार करते। इस समय कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि पिछले साल के अन्दर हमने कहा कि हम स्वागत करते हैं और बाद में टेक्स लगा दिये गये। तो स्वागत के बारे में तो बाद में ही कहा जा सकता है, क्योंकि फिर यह बजट दूसरे रूप में बदल जायगा। इसलिए स्वागत की बात तो यहीं पर छोड़ दें तो उचित होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो पंचवर्षीय योजना के आने पर ही हो सकेगा।

श्री लूणाराम सारण : इसलिए मैं जिस रूप में बजट पेश हुआ है उसी पर बात करूंगा। मेरे क्षेत्र की बात नहीं करते हुए, राजस्थान के पश्चिमी इलाके में, जहां पर अकाल मंडरा रहा है, वहां पर राहत देने का सवाल है। कल कोटा डिवीजन के माननीय सदस्य पूर्वी और पश्चिमी इलाके की बात कह रहे थे मैं इतनी हल्की बात को तो नहीं कहना चाहता परन्तु...

श्री रामगोपाल : माननीय सदस्य, यह कोई हल्की बात नहीं है, हमने यह तो नहीं कहा कि पश्चिमी राजस्थान का विकास नहीं होना चाहिए, आप उसको गलत क्यों समझते हैं ? हम तो सारे राजस्थान के विकास की बात करते हैं।

श्री लूणाराम सारण : जो बात पश्चिमी राजस्थान के लिये कही गई थी मैं भी उसी के लिये कह रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि जो समस्या कोटा जिले में है उसके लिये भी माननीय सदस्यों को बोलने का पूरा अधिकार है और हमारे इलाके की समस्या है तो हमको भी बोलने का अधिकार है। सच्ची बात तो यह है कि हमेशा भूखे लोगों में लड़ाई होती है और पश्चिमी राजस्थान व कोटा डिवीजन दोनों भूखे हैं। इसलिए साफ बात है कि पश्चिमी राजस्थान आज अकाल से पीड़ित है भूखा है और दूसरी तरफ यह बात है कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने मामलों में सड़कों का ज्यादा जिक्र किया है, खराब है या नहीं है का, दूसरे रूप में कारखाने लगाने का जिक्र करते हैं। पश्चिमी राजस्थान से आने वाले सदस्य अपने पेट के लिए, भूख के लिए, प्यास के लिए जिक्र करते हैं उनकी यह समस्या बनी हुई है, पेट भरने की और भूख से बचने की।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! सदन की कार्यवाही कल दिनांक 7 मार्च, 1975 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 5 बजे शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 353 की सूची)

पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1971–72, 72–73 व 73–74 में कार्यान्वित की गई राज्य योजनाओं का ब्योरा

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	वित्तीय वार्षिक व्यय (लाख रुपयों में) 1971–72	1972–73	1973–74	जोड़
1	2	3	4	5	6
(क)	विश्रामगृहों का निर्माण				
1.	सरिस्का में पर्यटक विश्रामगृह का निर्माण	0–11	–	–	0–11
2.	जोधपुर में पर्यटक विश्रामगृह का निर्माण	2–06 (–)	0–44 (–)	0–08	1–54
3.	उदयपुर के पर्यटक विश्रामगृह का निर्माण विस्तार	0–43	1–35	0–45	2–23
4.	बहरोड़ में पर्यटक मोटल का निर्माण	0–26	0–05	–	0–31
5.	चित्तौड़ में पर्यटक विश्रामगृह का निर्माण	3–56	2–19	0–06	5–81
6.	आबू पर्वत वर्तमान विश्रामगृह में एक अतिरिक्त टुकड़ी (अडिशनल विंग) का निर्माण	0–82	2–11	1–13	4–06
7.	अजमेर के पर्यटक विश्रामगृह का परिवर्तित परिवर्तन	0–18	0–69	0–48	1–35

1	2	3		5	6
8.	राजस्थान के पर्यटक विश्रामगृहों के सुसज्जित करने हेतु	0–42	1–52 (–)	0–05	1–89
9.	आबू पर्वत पर पर्यटक विश्रामगृह के प्रबन्धक (मैनेजर) का कार्यालय, पहुँच मार्ग, गोदाम पर व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के आवास के निर्माण कार्य पर	0–58	0–50	–	1–08
10.	डाक बगला कोटा के निर्माणार्थ	–	0–59	1–89	2–48
11.	जोधपुर के विश्रामगृह को सुसज्जित करने हेतु	–	0–72	–	0–72
		8–42	9–28	3–88	21–52

(ख) पर्यटक रुचि के विकास कार्य

1.	जोधपुर में मण्डोर उद्यान के विकास कार्य	0–80 (–)	0–18 (–)	0–11	0–51
2.	उदयपुर के नेहरू उद्यान के विकास कार्य	2–71	0–15	–	2–86
3.	जोधपुर की मर्मूरिया की पहाड़ियों का विकास	1–36	0–04	0–04	1–44
4.	जोधपुर की केलाना झील का विकास	0–16	–	–	0–16
5.	उदयपुर के सज्जनगढ़ दुर्ग का विकास	3–69	2–31 (–)	0–03	3–97
6.	उदयपुर के कुम्भलगढ़ दुर्ग का विकास	1–60	0–32	0–32	2–24
7.	जयपुर के सिसोदिया रानी के महलों का विकास	0–49 (–)	0–04	–	0–45
8.	आबू पर्वत के विकास कार्यों पर किया गया व्यय	1–60	–	–	1–60

9. राजसमन्द में नौ चौकी उद्यान का विकास	0—02	—	0—72	0—74
10. बूंदी के भीम खाठ तक पहुँच मार्ग का विकास	0—05	0—21	—	0—26
11. राजकीय सराय चित्तौड़गढ़ का विकास	0—09	—	—	0—09
12. होटल निगम की पूंजी (शेयर केपिटल) के रूप में	—	—	3—00	3—00
13. उदयपुर के सज्जन निवास बाग का विकास	0—34	1—42	1—15	2—91
	12—91	4—23	5—09	22—23
(ग) परिचालक भ्रमण एवं प्रसार	1—63	1—68	1—59	4—90
(घ) त्यौहारों व मेलों आदि पर	0—30	0—15	—	0—45
(ङ) अन्य (कर्मचारियों के वेतन आदि पर)	2—62	1—38	3—27	7—27
कुल जोड़	25—88	16—72	13—83	56—43

Page No 124

(१६५)

तालिका (ख)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटक विश्राम गृहों एवं होटलों के निर्माण की सूची

क्रमांक	योजना का नाम	राशि (लाखों रुपयों में)
1.	पर्यटक विश्रामगृह सरिस्का का निर्माण कार्य	8-50
2.	पर्यटक विश्रामगृह उदयपुर का निर्माण कार्य	5-00
3.	पर्यटक विश्रामगृह आबू पर्वत का निर्माण कार्य	2-52
4.	पर्यटक विश्रामगृह अजमेर का निर्माण कार्य	9-00
5.	राजस्थान के पर्यटक विश्रामगृहों को सुसज्जित किये जाने पर	3-76
6.	जयपुर में नये पर्यटक विश्रामगृह का निर्माण	12-00
7.	जैसलमेर के पर्यटक विश्रामगृह के निर्माण पर	1-10
8.	पुष्कर के पर्यटक विश्रामगृह के निर्माण पर	2-00
9.	नाथद्वारा के पर्यटक विश्रामगृह के निर्माण पर	2-50
10	वर्तमान पर्यटक विश्रामगृहों में परिवर्तन परिवर्धन	3-11
11.	बहरोड़ में मोटल का निर्माण	3-27
12.	आबू पर्वत के वर्तमान पर्यटक विश्रामगृह में कुछ निर्माण कार्य	0-24
13.	कोटा में नये पर्यटक विश्रामगृह का निर्माण	5-00
14.	रणथम्भौर में नये पर्यटक विश्रामगृह का निर्माण	5-00
15.	जयपुर व उदयपुर में होटलों के निर्माण पर	16-00
		75-00

तालिका (ग)
पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटक रुचि के विकास
कार्यों की सूची

क्रमांक	योजना का नाम	राशि (लाख रुपयों में)
1.	कुम्भलगढ़ दुर्ग का विकास	3–00
2.	जयपुर नगर को सुन्दर बनाने हेतु	10–00
3.	रूप निवास व विद्याधर के बाग को रमणीक बनाये जाने हेतु	5–00
4.	चित्तौड़ दुर्ग एवं उसकी सड़क का विकास	1–50
5.	चित्तौड़ में पद्मनी के महलों एवं मीरा मन्दिर के पास शौचालयों व एक जलपान गृह का निर्माण	1–00
6.	चित्तौड़ दुर्ग से दर्शनीय स्थल का विकास एवं दुर्ग पर विभिन्न स्थानों पर पानी की व्यवस्था	0–50
7.	जैसलमेर में स्थित लुधरजा मन्दिर को जाने वाली सड़क के एक छोटे से टुकड़े की मरम्मत हेतु	0–55
8.	जैसलमेर में गड़ीसर तालाब का जीर्णोद्धार जिसमें तालाब की छतरियां भी सम्मिलित हैं।	5–00
9.	मण्डोर उद्यान व बालसमन्द झील का विकास	5–00
10.	राजस्थान के अभ्यारणों का विकास	3–45
11.	आबू पर्वत पर विकास कार्य	25–00
	कुल जोड़	60–00

——

126

परिशिष्ट–2
APPENDIX 'A'

(ता. प्र. सं. 359 की सूची)

LIST OF ASSISTANT ENGINEERS, JUNIOR ENGINEERS, ENGINEERING SUPERVISORS & OVERSEERS POSTED AT JODHPUR.

S.No. 1	Name of Officers 2	Designation 3	Date of Joining 4
1.	Shri D. C. Purohit	AEN	10-2-1971
2.	Shri S. K. Bhatt	AEN	24-7-1972
3.	Shri S. N. Srivastava	AEN	1-6-1974
4.	Shri N. M. Mathur	AEN	10-8-1973
5.	Shri Gulab Singh	AEN	18-7-1974
6.	Shri S. C. Bhandari	AEN	26-11-1973
7.	Shri M. C. Mathur	AEN	7-7-1973
8.	Shri O. P. Mathur	AEN	1-1-1969
9.	Shri Jas Raj	AEN	28-9-1974
10.	Shri Kishori Lal	AEN	10-7-1973
11.	Shri D. C. Gupta	AEN	24-2-1975
12.	Shri A. L. Soni	AEN	7-7-1972
13.	Shri Shiv Kumar Alias	AEN	13-11-1974
14.	Shri M. L. Jain	AEN	16-6-1973
15.	Shri P. C. Dhalwani	JEN	6-7-1974
16.	Shri Achal Pd.	E/S	22-6-1973
17.	Shri Dalpat Singh	JEN	1-7-1973
18.	Shri R. L. Mathur	JEN	3-2-1975
19.	Shri Abdul Laif	E/S	-1965
20.	Shri A. D. Nag	E/S	-1965
21.	Shri Mangi Lal	E/S	1-3-1974
22.	Shri Jeeva Ram	E/S	6-2-1975
23.	Shri P. P. Bhandari	JEN	1-4-1971
24.	Shri B. R. Changani	JEN	2-11-1974
25.	Shri C. P. Pidwa	JEN	19-9-1973
26.	Shri R. K. Kasliwal	JEN	27-11-1973
27.	Shri Umed Roop Rai	E/S	1965

1	2	3	4
28.	Shri Mahesh Chandra	E/S	1-7-1973
29.	Shri S. L. Mathur	JEN	1-1-1971
30.	Shri P. N. Mathur	JEN	6-12-1974
31.	Shri S. N. Gaur	JEN	12-7-1974
32.	Shri K. B. S. Parihar	JEN	13-2-1974
33.	Shri D. D. Mathur	JEN	7-7-1970
34.	Shri Prakash Advani	JEN	21-5-1973
35.	Shri Ghhoga Ram B. kolia	JEN	30-5-1969
36.	Shri S. L. Sharma	JEN	13-9-1974
37.	Shri B. L. Chauhan	JEN	4-12-1972
38.	Shri V. V. Walter	JEN	19-8-1972
39.	Shri Chandmal Mehta	JEN	16-3-1971
40.	Shri K. C. Mathur	JEN	18-9-1974
41.	Shri A. S. Gehlot	E/S	25-7-1973
42.	Shri Gopal Lal Joshi	JEN	1-8-1972
43.	Shri Sardul Singh Rathore	JEN	31-8-1974
44.	Shri Hazari Lal	E/S	4-7-1974
45.	Shri R. C. Purohit	JEN	27-12-1974
46.	Shri Chandal Lal Bhansali	O/S	19-4-1974
47.	Shri Bhanwani Mal Mathur	JEN	30-1-1975
48.	Shri K. S. Mathur	JEN	27-12-1974
49.	Shri P. N. Jasooja	JEN	4-1-1972
50.	Shri K. K. Joshi	O/S	27-10-1972
51.	Shri Karan Raj Mehta	JEN	18-12-1974
52.	Shri Asha Ram	JEN	25-1-1974
53.	Shri Om Prakash Mathur	JEN	1-5-1973
54.	Shri Irshad Ahmad	O/S	11-1-1973
55.	Shri K. L. Lohar	JEN	28-1-1971
56.	Shri S. K. Bhansali	JEN	9-6-1973
57.	Shri K. R. Dhakar	JEN	9-6-1972

(128)

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 362 की सूची)

औद्योगिक क्षेत्र टोंक में जो भूखण्ड आवंटित किये गये हैं उनकी सूची

क्रम संख्या	भूखण्ड जिसे आवंटन किया गया है उसका नाम	भूखण्ड नम्बर	भूखण्ड आवंटन की तिथि
1.	मैसर्स पिक केनिंग कम्पनी	एफ–13	28–1–74
2.	,, कृष्णा मेटल इन्डस्ट्रीज	ई–1	30–1–74
3.	,, एग्रीको ट्रेडर्स	ई–2	30–1–74
4.	,, ज्योति मेटल इन्डस्ट्रीज	ई–3	30–1–74
5.	,, अशोक आयल इन्डस्ट्रीज	ई–4	30–1–74
6.	,, किशन कृषि यंत्र	ई–5	30–1–74
7.	,, बिमल ब्रादर्स	एफ–18	30–1–74
8.	,, भारत मेटल इण्डस्ट्रीज	एफ–19	30–1–74
9.	,, जय किशन लोहा उद्योग	ई, एफ–20	30–1–74
10.	,, टोंक कृषि उद्योग	एफ–22	30–1–74
11.	,, जेम केमीकल्स इन्डस्ट्रीज	एफ–23	30–1–74
12.	,, अशोक सोप इण्डस्ट्रीज	एफ–14	22–2–74
13.	,, मित्तल सोप वर्क्स	एफ–15	22–2–74
14.	,, प्रेम मेटल इण्डस्ट्रीज	एफ–16	22–2–74
15.	,, शील एग्रो सर्विस सेन्टर	ई, एफ–17	22–2–74
16.	,, नूर मोयूद सरदार मोयूद	एफ–21	22–2–74

परिशिष्ट 4

(तारां. प्र. सं. 869 की सूची)

सूची

घास डिपो की सूची

क्र. सं.	नाम घास डिपो
1.	रोहट
2.	वेरा
3.	वेसूरी
4.	खारची
5.	बिलावास
6.	जेतारण (वाई-पीच)
7.	रायपुर

(130)

परिशिष्ट 5

(तारां. प्र. सं. 370 की सूची)

1 अप्रेल, 1972 से 31 जनवरी, 1975 तक निगम की बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने सम्बन्धी सूचना :—

अवधि	दुर्घटना	मृतक	घायल
72--73	91	13	14
73--74	141	27	51
4/74 से 1/75	392	34	49

परिशिष्ट 6

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

किसान आन्दोलन के मृतकों एवं घायलों को मुआवजा

371. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में सन् 70 तथा 71 के किसान आन्दोलन के फैसलों को अभी तक राज्य सरकार ने लागू नहीं किया है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त आन्दोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से मारे गए व घायल लोगों को मुआवजा देने की राज्य सरकार ने घोषणा की थी ? यदि हां, तो कितने लोगों को मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां । 99 व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा चुका है ।

जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर

372. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जावर माइन्स मजदूर संघ उदयपुर के दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के बैलेन्स शीट में आउट स्टेन्डिंग लाइबिलिटी के अन्तर्गत कितनी देनदारी है ? यदि देनदारी है तो उक्त धनराशि किसको देनी है और उसकी क्या विगत है ?

(स्थगित किया गया)

जनाना अस्पताल, राजगढ

373. श्री हरिकिशन (राजगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा राजगढ़ (अलवर) के जनाना अस्पताल में मरीजों के वार्ड में अभी तक खुल्लेदार लेट्रिन है तथा फ्लश की लेट्रिन एवं बाथ रूम नहीं है जिससे मरीजों को बहुत कठिनाई एवं दुर्गन्ध का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार कब तक फ्लश की लेट्रिन व बाथ रूम बनाने का इरादा रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल के भवन के बहुत से कमरों में बिजली के पंखे नहीं लगाये गये हैं जिससे मरीजों को गर्मी के मौसम में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार कब तक बिजली के पंखे लगा सकेगी ?

(3) क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल में चौकीदार व स्टाफ के क्वार्टर्स

(श्री हरिकिशन)
नहीं है जिससे स्टाफ को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार कब तक स्टाफ क्वार्टर बनाने का इरादा रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल में सब मरीजों का एक ही जनरल वार्ड है जब कि चिकित्सा सुविधा के अनुसार जनरल वार्ड, मेटरनिटी वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड अलग-अलग होने चाहिए ? यदि हां, तो जब भवन में कमरे उपलब्ध हैं तो सरकार कब तक अलग-अलग वार्ड कायम करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, योजना मद में वित्तीय सुविधा होने पर अथवा जन सहयोग उपलब्ध होने पर कार्य करवाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जहां तक सम्भव होगा अगले वित्तीय वर्ष में अति आवश्यक स्थानों पर बिजली के पंखे लगवा दिये जायेंगे।

(3) जी हां। राजकीय मद में वित्तीय सुविधा होने पर ही स्टाफ के निवास के लिए भवन व्यवस्था हो सकेगी।

(4) कम शय्याओं वाले अस्पतालों में अलग-अलग वार्डों का निर्माण एवं संचालन सम्भव नहीं है।

सांड की चोरी का मामला

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 24-10-67 को सरपंच, ग्राम पंचायत पुनरासर ने एक रिपोर्ट थाना श्री डूंगरगढ़ में ग्राम बीजासर का सांड चोरी हो जाने की की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और उसकी रिपोर्ट कब दर्ज की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि रिपोर्ट में चोरों के नाम भी दर्ज थे ? यदि हां, तो उनके क्या क्या नाम थे ?

(3) क्या उक्त चोरों की आज तक जांच की गई है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा जांच की गई है ? और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति, श्री डूंगरगढ़ आज तक इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से पत्रव्यवहार करती रही है ? यदि हां, तो उन संस्थाओं को इनके द्वारा की गई कार्यवाही का क्या जवाब आज तक दिया गया ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 24-10-67 को सरपंच ग्राम पंचायत पुनरासर ने सांड के गुम हो जाने की रिपोर्ट थाने पर की थी। सांड की गुमशुदगी का मामला नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस होने से कुछ समय कोई कार्यवाही नहीं की गई। परन्तु इस मामले में सी.आई.डी. से जांच करवाये जाने पर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान वृत अधिकारी द्वारा करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(2) सरपंच ग्राम पंचायत बीजासर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में श्री कुम्भाराम जाट

(श्री लूणाराम)
व श्री तुलछाराम लुहार निवासी दुलमेरा का नाम अंकित किया हुआ है।

(3) जी हां। प्रथम जांच सी. आई. डी. द्वारा की गयी और अब संबंधित वृत अधिकारी को जांच करने के आदेश दिये गये हैं।

(4) जी हां। पंचायत समिति के विकास अधिकारी को स्थानीय एस. एच. ओ. द्वारा अवगत करवाया था कि मामला नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस है।

सरदारगढ़ ग्राम में पाकिस्तानी एजेन्ट

375. श्री गुरदयाल सिंह संधू (करणपुर)–क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गांव सरदारगढ़, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर में स्मगलरों और पाकिस्तानी एजेन्टों का अड्डा है और बहुत से पाकिस्तानियों ने उसके आस पास कृषि भूमि खरीद रखी है? जैसे 7 एस. पी. डी. 1 के, एस. आर., आदि जगहों पर?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त तस्करों का राजस्थान की पुलिस के बहुत से अधिकारियों के साथ गठ-जोड़ है?

(3) क्या यह सही है कि श्री गुलाम अली पुत्र श्री शाह मुहम्मद सादेका जो सरदारगढ में रहता है वह पाकिस्तानी है तथा निजाम जो सरदारगढ में रह रहा है उसने 1960 में पाकिस्तान से आकर भारतीय होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है और इसी तरह मल्ला दिता, मरीदा व मन्जूर आदि पाकिस्तानी भी सरदारगढ में रह रहे हैं?

(4) क्या यह सही है कि मन्जूर व मरीदा का चाचा जो मर चुका है और उसकी औरत जो पाकिस्तान चली गई है के स्थान पर पाक बन्दी की औरत ने मन्जूर व मरीदा के चाचा को भूमि पर कब्जा कर रखा है?

(5) क्या राज्य सरकार उपरोक्त मामलों की जांच सी. बी. आई. द्वारा करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

जयपुर जिले के स्कूलों में अध्यापकों की कमी

376. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले में किस-किस प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सेकेण्ड्री व हायर सेकेण्ड्री स्कूल में, कितने–कितने अध्यापक व छात्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों की संख्या अनुसार अध्यापकों की संख्या निर्धारित कर रखी है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या के हिसाब से अध्यापकों की काफी कमी है? यदि हां, तो सरकार कब तक पूर्ति करने का विचार रखती है?

(श्री सुरेश चन्द्र)

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है।

(2) जी हां, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या के आधार पर निर्धारित है। 40 छात्रों पर एक अध्यापक दिया जाता है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या एवं कक्षा खण्ड के आधार पर अध्यापक दिये जाते हैं। माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या, कक्षाओं के खण्ड तथा ऐच्छिक विषयों को दृष्टि में रख अध्यापक दिये जाते हैं। इसमें बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार अध्यापक दिये जाते हैं।

(3) कुछ विद्यालयों में कमी हो सकती है। सूचना प्राप्त होने पर पूर्ति करदी जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)।

जयपुर जिले में आयुर्वेद औषधालय

377. श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी):–क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले में कुल कितने आयुर्वेद औषधालय हैं? तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील चाकसू एवं फागी में आयुर्वेद औषधालय बहुत ही कम हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार यहां पर और औषधालय खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में आयुर्वेदिक के 208, यूनानी के 5 एवं होम्योपैथिक का 1 औषधालय है। कुल औषधालयों की संख्या 214 है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1975–76 में प्रावधान के अन्तर्गत और औषधालय खोले जावेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लाडनूं क्षेत्र में पानी की व्यवस्था

378. श्री दीपंकर (लाडनूं)––क्या जन स्वास्थ्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं शहर को जल स्रोत मानते हुए लाडनूं शहर की आबादी के अलावा अनेकों गांवों को पीने का पानी लाडनूं से दिया गया है? अगर हां, तो किस किस गांव को प्रति व्यक्ति कितने गेलन के हिसाब से प्रति दिन कितना गेलन पानी कितने व्यक्तियों को दिया जा रहा है? गांव व जनसंख्या तथा दिये जाने वाले पानी की कुल मात्रा की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि लाडनूं शहर की पूरी आबादी को सन् 1961

(श्री दीपंकर)

की जन गणना के आधार पर योजना बना कर पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी जो ना कुछ है और आवश्यकता होते हुए भी पुनर्गठित योजना बढ़ती हुई आबादी को नजर रखते हुए नहीं बनाई गई है? अगर हां, तो इसका क्या कारण है? क्या अब भी सरकार का इरादा पुनर्गठित योजना बनाने का है? अगर हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि लाडनूं को जल स्रोत मानकर अनेकों योजनाओं का लाडनूं से पानी लिये जाने से लाडनूं का वाटर लेवल नीचे जा रहा है? अगर हां, तो अब तक वाटर लेवल कितना कम हुआ है तथा इस लेवल के नीचे जाने की रोक थाम के लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है?

(4) क्या यह भी सही है कि छापर कस्बे की जल योजना का स्रोत लाडनूं ही माना गया था और अब स्रोत दूसरा ढूंढ लिया गया है? अगर हां, तो छापर योजना के लिये लाडनूं क्षेत्र में बने चार कुओं का व एक होद तथा क्वार्टर का उपयोग संशोधित लाडनूं कस्बे की योजना के लिये सरकार करने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। पहले योजना 1961 की जनगणना के आधार पर बनाई थी। बढ़ती हुई मांग के अनुसार उक्त योजना अपर्याप्त है। अब बढ़ती हुई आबादी के अनुसार 45 हजार की आबादी 16.35 लाख रु. की अनुमानित लागत की पुनर्गठित जल प्रदाय योजना बनाई गई है व इसकी तकनीकी जांच की जा रही है।

(3) जी हां। अनुमानतः 5 से 10 फीट तक जल स्तर नीचे गया। नई योजनाओं के लिये लाडनूं की अपेक्षा अन्यत्र जल स्रोत चुनने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(4) छापर कस्बे के लिये अन्यत्र जल स्रोत विचाराधीन है। यदि अन्यत्र स्रोत लिया गया तो छापर योजना के अन्तर्गत बने कुओं इत्यादि को अन्य योजना पर कार्य लेने के लिये विचार किया जायेगा।

सूची

शहर/गांव के नाम	जनसंख्या 1971 जनगणना	वर्तमान में प्रति दिन दिये जाने वाले पानी की मात्रा	प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा प्रति दिन
1	2	3	4
1–सुजानगढ़	39066	4,50,000 गेलन	11 जी.पी.सी.डी.
2–छापर	9864	50,000 ,,	6 ,,
3–गोपालपुरा	2008	20,000 ,,	10 ,,

1	2	3	4
4-चाड़वास	3288	32,000 गैलन	10 ओ.पी.सी.डी.
5-असबन्तगढ	4517	75,000 ,,	17 ,,
6-लेवो	1606	16,000 ,,	10 ,,
7-डाबरी	1055	10,000 ,,	10 ,,
8-कसुम्बी	3352	35,000 ,,	10 ,,

काली सिंध एवं पार्वती नदी पर पुलों का निर्माण

379. श्री शिव नारायण (बारां)-क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या जयपुर से कोटा होते हुए शिवपुरी (राजस्थान सरहद तक) स्टेट हाईवे बनाने का राज्य सरकार का विचार है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर जो कि राजस्थान एवं मध्य भारत दोनों को मिलाता है, बरसात में काली सिन्ध एवं पार्वती नदियों पर पुल न होने के कारण बाढ़ से निरन्तर तीन महिने तक यातायात ठप्प रहता है ?

यदि हां, तो जन सुविधा की दृष्टि से इन पुलों का निर्माण कब तक कराने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर से शिवपुरी वाया कोटा मार्ग स्टेट हाई वे है।

(2) काली सिन्ध एवं पार्वती नदियों में वर्षा ऋतु में कभी 2 अधिक पानी आने से कुछ दिनों के लिये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उक्त पुलों का निर्माण कब तक सम्भव होगा, अर्थाभाव के कारण नहीं कहा जा सकता।

राजकीय कन्या माध्यमिक शाला दौसा का भवन

380. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)-क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) राजकीय कन्या माध्यमिक शाला दौसा में छात्राओं की कुल कितनी संख्या है ? कक्षा व वर्गवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त शाला में कुल कितने कमरे है ? इनमें से कितने कमरे प्रधानाध्यापिका स्टाफ, लाईब्रेरी आदि के लिए हैं और कितने कमरे छात्राओं की पढाई हेतु उपलब्ध हैं ?

(3) क्या छात्रा संख्या व कमरों की संख्या को देखते हुए पढ़ाई सुचारु रूप से

(श्री मूलचन्द सामरिया)

हो सकती है ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं तो सरकार क्या उक्त शाला में पर्याप्त कमरों की व्यवस्था करेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त शाला चारों ओर गंदगी व दम घोटू वातावरण से घिरी हुई है ?

(5) क्या सरकार नये भवन की व्यवस्था करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 283 कक्षा एवं वर्गवार सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) इस भवन में कुल 6 कमरे, एक हाल जावरोदार एक लम्बा बरामदा पार्टीशन सहित एवं 9 कोठरियां हैं। एक कोठरी (8'×8') में प्रधानाध्यापिका कक्ष, एक पुस्तकालय के लिये, एक कमरा विद्यालय कार्यालय के लिये काम आ रहे हैं। 4 कमरे, एक हाल व एक लम्बा बरामदा, जिसके दो पार्टीशन करके कक्षाओं के चलाने के लिए काम में लिये जाते हैं।

(3) जी नहीं। भवन की कमी है। भवन की कमी पूर्ति के लिये राज्य सरकार जनसहयोग पर निर्भर है।

(4) जी हां। गन्दगी अवश्य रहती है।

(5) स्टूडेंट आर्गेनाईजेशन सोसाईटी की ओर से दो कमरे बनाये जा रहे हैं। उसके पश्चात् स्थिति ठीक हो जावेगी। वैसे भी भवन की कमी की पूर्ति के लिये राज्य सरकार जन सहयोग पर निर्भर है।

राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, दौसा में अध्ययनरत छात्राओं का कक्षा व वर्गवार ब्यौरा:–

नाम कक्षा व वर्ग	छात्रा संख्या
1. कक्षा 10	34
2. कक्षा 9 अ	26
3. कक्षा 9 ब	24
4. कक्षा 8 अ	21
5. कक्षा 8 ब	26
6. कक्षा 7 अ	29
7. कक्षा 7 ब	28
8. कक्षा 6 अ	46
9. कक्षा 6 ब	49
कुल छात्रा संख्या..	283

चूरू जिले में पानी की व्यवस्था

381. श्री मोहरसिंह (चूरू)–क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू जिले के कितने गांवों में खारा पानी है ? कितने गांवों में फ्लोराइड की मात्रा पीने के पानी की वर्जित मात्रा से अधिक है ? कितने गांवों में पानी में मिला हुआ नमक वर्जित मात्रा से अधिक है ? कितने गांवों में पेयजल है ही नहीं ? कितने गांवों में नाहरू रोग होता है ?

(2) उपरोक्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की क्या योजना है ? यह कार्य कब चालू होगा और कब तक पूरा होने की सम्भावना है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में खारे पानी के कुल 530 ग्राम हैं, वर्जित मात्रा से अधिक फ्लोराइड वाले 176 ग्राम हैं। जल स्रोत न होने वाले 167 ग्राम हैं व नारू रोग से पीड़ित 83 ग्राम हैं।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में नई जल प्रदाय योजना जिला आयोजना समिति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जाएगी।

भाखरा नहर में कट्स एवं ब्रिचेज

382. श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़)–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भाखरा नहर सिस्टम में 1973-74, 1974–75 में किस-किस नहर, शाखा नहर, माईनर पर कहां-कहां पर कब-कब कितने कट्स और कितने ब्रिचेज हुये ? इसमें से कितने कट्स की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई तथा उनमें से किस किस पर कौन-कौन से केस बने तथा कितनी गिरफ्तारियां की गईं और कितने केसेज के चालान किये गये।

(2) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ फार्म के अधिकारियों द्वारा भी कट्स किये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) कट्स और ब्रिचेज रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण की सूची संलग्न है।

(2) सूरतगढ फार्म के क्षेत्र में भी कट्स हुए हैं, विभाग द्वारा सिचाई एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) कट्स को रोकने के लिऐ विभाग द्वारा सिचाई एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जाती है जिसमें पुलिस में केस देना भी शामिल है। ब्रिचेज को रोकने के लिए विभाग द्वारा नहरों की निगरानी की जाती है। जहां नहर कमजोर हो जाता है। तथा आंधी के कारण मिट्टी से भर जाती है उनकी मरम्मत तथा सफाई की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटपूतली क्षेत्र में लाइम स्टोन की लीज

383. **श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ)**—क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि कोटपूतली क्षेत्र में अनेकों ग्रामों में लाइम स्टोन हैं? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में ?

(2) क्या यह सच है कि विगत वर्षों से अनेकों प्रार्थना-पत्र वास्ते लीज खनिज विभाग में हैं ? यदि हां, तो किस-किस के और कब से ?

(3) क्या यह सच है कि लीज नहीं दिए जाने के कारण सरकार को लाखों रुपयों की वार्षिक हानि हो रही है ? यदि हां, तो यह किस की जिम्मेदारी है ?

(4) कोटपूतली क्षेत्र में किन-किन व्यक्तियों ने तथा कम्पनियों ने किन-किन खानों की कब कब से लीज ले रखी है और किन-किन शर्तों के अनुसार ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटपूतली क्षेत्र में अनेकों ग्राम जैसे, अजीतपुरा, केष्ता, मोहनपुरा, जोधपुरा, भैंसलाना, कांसली पवाना, दूदूवास, चांदोली के निकट लाइम स्टोन के भंडार उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है सूची सं. 1।

(3) राज्य सरकार द्वारा आठ वर्ग मील का क्षेत्र पांच खनन् पट्टों पर स्वीकृत किये हुये हैं शेष उपलब्ध क्षेत्र के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं, ये राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(4) व्योरेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची नं. 2) ये खनन् पट्टे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1959 के तहत स्वीकृत हैं।

सूची सं. 1

स्वीकृत खनन् पट्टे :—

क्र.सं. 1	नाम प्रार्थी 2	खनिज 3	क्षेत्र 4	अवधि 5	स्थिर भाटक 6	विशेष शर्त 7
1.	सर्वश्री राजस्थान मार्बल एण्ड मिनरल	मार्बल	प्लाट नं. 2 (600'×250') निकट मेंसलाना	10 वर्ष दि. 19-7-61 से जिसका नवीनीकरण 18-7-81 तक है	मूल स्थिर भाटक रु. 1500/- सालाना के दुगने 3000/- सालाना पर नवीनीकरण हुआ है।	उक्त क्षेत्र के राज्य वासियों को खान में कार्य करने के लिये नियुक्त करना होगा यदि स्थानीय कार्यकर्ता सुचारु एवं ईमानदारी से कार्य करने में असफल रहने तथा उनके द्वारा कार्य नहीं करने की इच्छा पर पट्टाधारी बाहर से नियुक्ति कर सकेगा।
2.	"	"	प्लाट नं. 3 (600'×250') निकट मेंसलाना	"	"	"
3.	"	"	प्लाट नं. 6 (600'×250') निकट मेंसलाना	10 वर्ष दि. 15-2-62 से जिसका नवीनीकरण 19-2-82 तक है	"	"

4. श्री निर्मल कुमार पाटनी	,,	प्लाट नं. 4 (600'×250') निकट भैंसलाना	10 वर्ष दि. 19-7-61 से जिसका नवीनीकरण 18-7-71 तक है	,,	,,
5. सर्वश्री नेशनल लाइमस्टोन कम्पनी	लाइम-स्टोन एवं मार्बल	4 वर्ग मील मोहनपुरा, जोध-पुरा व भैंसलाना	10 वर्ष दि. 8-9-61 से जिसका नवीनीकरण दि. 7-8-81 तक है	मूल स्थिर भाटक रु. 45,000/- का दुगना सालाना रु. 90,000/- सालाना स्थिर भाटक पर नवीनीकरण हुआ है।	(1) पट्टाधारी एक मान्यता प्राप्त खनि अभियन्ता सेवा योजित करेगा जिसका परिलाभ (ऐमेल्यूमेन्ट) जो कि राज्य सेवा में अनुदेय (एडमिसेबिल) होगा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1959 के संशोधित नियम अनुसार। (2) अन्य किसी पार्ट को स्वीकृत क्षेत्र के केन्द्र से 20 मील अर्द्ध व्यास के परिधि के क्षेत्र में 4 वर्ग मील से कम का क्षेत्र लीज पर नहीं दिया जावेगा और उसका वार्षिक स्थिर भाटक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1959 में निर्धारित से कम नहीं होगा।

1	2	3	4	5	6	7
						(3) पट्टाधारी को मार्बल खनिज पर अलग से अधिशुल्क देय होगी जो कि वार्षिक स्थिर भाटक रु. 90,000/– में समायोजित नहीं होगी।
6.	श्री गणेश कुमार अग्रवाल	मार्बल	4 वर्ग मील चांदोली दूदावास	5 वर्ष दि. 16-2-71 से	स्थिर भाटक रु. 5,400/- सालाना	(1) पट्टे के अधीन सौदा हुआ संगमरमर जलाने के काम के लिये नहीं लिया जावेगा। (2) पट्टेधारी को पट्टे की मियाद शुरू होने के दो वर्ष की अवधि के अन्दर अन्दर संगमरमर को काटने तथा पालिश करने की एक फैक्ट्री उसी क्षेत्र में स्थापित करनी होगी। (3) इस क्षेत्र के संगमरमर के लिये स्टील उद्योग को प्राथमिकता (प्रीएमशन) होगी। इस शर्त की पूर्ण शब्दावली इस कार्यालय में देखी जा सकती है।

सूची नं. 2

विचाराधीन आवेदन-पत्र

क्रमांक 1	नाम पार्टी 2	आवेदन-पत्र दिनांक 3	खनिज 4	क्षेत्रफल 5	नियम 6
1.	श्री कैलाशचन्द पाटनी	18-4-68	मार्बल	4 वर्ग मील	अप्रधान खनिज नियम, 1959
2.	श्री पूनमचन्द जैन	19-4-68	मार्बल	,,	,,
3.	सर्वश्री नेशनल लाइम स्टोन कं.	17-5-68	लाइम स्टोन	,,	,,
4.	,,	7-6-68	लाइम स्टोन डोलोमाइट मार्बल	,,	,,
5.	श्री नन्दलाल अग्रवाल	29-3-70	लाइम स्टोन	2988.666 एकड़	अप्रधान खनिज नियम, 1960
6.	श्री ग्यारसीलाल अग्रवाल	29-3-70	,,	,,	,,
7.	सर्वश्री नेशनल लाइम स्टोन कं.	30-3-70	लाइम स्टोन मार्बल	4 वर्ग मील	अप्रधान खनिज नियम, 1929
8.	श्री भागीरथ प्रसाद	30-3-70	,,	6 वर्ग मील	,,
9.	श्री मोहनलाल अग्रवाल	24-7-70	डोलोमाइट मार्बल	2986.66 एकड़	,,
10.	सर्वश्री नेशनल मार्बल लाइम स्टोन कं	19-12-70	लाइम स्टोन	5446.66 एकड़	,,
11.	श्री अजय कुमार	21-12-70	लाइम स्टोन मार्बल	4 वर्ग मील	,,
12.	,,	11-2-71	,,	,,	,,
13.	सर्वश्री मुरली धर झुंझुनूं वाला	1-6-71	लाइम स्टोन	2986.66 एकड़	अप्रधान खनिज नियम, 1960

बेरोजगार इंजीनियरों एवं ओवरसियरों का पूल

384. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेरोजगार इंजीनियर एवं ओवरसियरों के लिए जो पूल बना हुआ है उसमें कौन-कौन व्यक्ति कब-कब से आज तक रोजगार नहीं मिलने के कारण भत्ता पा रहे हैं ? दिनांक 31–1–75 तक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बेरोजगार इंजीनियरों एवं ओवरसियरों के पूल में से किस-किस व्यक्ति को किस-किस विभाग में या संस्थान आदि में कब-कब से नियुक्ति मिली एवं वे व्यक्ति पूल में किस तारीख को भर्ती हुए ? कृपया दिनांक 31–1–75 तक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) बेरोजगार अभियांत्रिकी स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों को पूल गठन योजना के अन्तर्गत कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने हेतु वृत्तिका दी जाती है न कि भत्ता ताकि वे स्वयं रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने को अधिक उपयुक्त बना सकें। 31–1–75 को पूल गठन योजना के वृत्तिका प्राप्त कर रहे बेरोजगार अभियांत्रिकी कार्मिकों की सूची संलग्न हैं (सूची नं. 1)

(2) सूची संलग्न है (सूची नं. 2)

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निवाई विद्युत सब-स्टेशन का ट्रांसफारमर

385. **श्री मीठालाल** (लालसोट)–क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर–जयपुर के मध्य निवाई विद्युत सब-स्टेशन का ट्रांसफार्मर गत कई सालों से खराब पड़ा है जिससे विद्युत प्रसार में भारी रुकावट आ रही है ? यदि हां, तो क्यों ? भविष्य में कब तक अच्छा ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ट्रांसफार्मर के खराब रहने के कारण कौथून लालसोट विद्युत लाइन जो कि केवल दो खम्भों के गिरने के कारण गत एक साल से खराब पड़ी है ? उसे ठीक नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा कब तक ठीक करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) निवाई ग्रिड सब-स्टेशन पर स्थापित 132 के. वी. ट्रान्सफार्मर के दिनांक 4 जुलाई 1974 को खराब होने के बाद विद्युत प्रसार में आंशिक रुकावट आ रही है। इस स्टेशन पर नये ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य चालू है। इस ट्रांसफार्मर के अप्रेल 1975 में चालू होने की संभावना है।

(2) कौथून लालसोट लाइन गत वर्ष वर्षा काल (अगस्त, 1974) में खराब हो गई थी। अब ठीक करा ली गई है। निवाई पर नये ट्रान्सफार्मर के चालू होने के बाद इस लाइन से फिर विद्युत प्रसार आरम्भ हो जायगा।

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न सं. 365 की सूची)

(सूची–ब)

क्रमांक 1	नाम सड़क 2	आवंटित धन-राशि वर्ष 1974–75 3	व्यय धन-राशि जनवरी 74 4	विवरण 5
1.	पुल बाण गंगा नदी महुवा मण्डावर रोड	20,000	96,785	कार्य प्रगति पर है।
2.	डामर कार्य करौली से सरमथुरा	70,000	43,613	,,
3.	डामर कार्य जस्टाना बोली रोड	30,000	30,877	,,
4.	डामर कार्य बोली निवाई रोड	25,000	35,000	,,
5.	डामर कार्य भांडारेज से नादोती	40,000	91,160	,,
6.	डामर कार्य तालचिड़ी बालघाट वाया मूंडिया (ताल चिडी हिन्डौन महुवा भाग)	40,000	11,489	,,
7.	डामर कार्य दतवास से मित्रपुरा बोली भाग	20,000	300	कार्य रुका हुआ है।
8.	डामर कार्य बंधमोरा सागर से लालसोट (मोरा सागर सुकार भाग)	50,000	35,195	कार्य प्रगति पर है।
9.	डामर कार्य खेड़ला बालघाट वाय तीवारा हीडरोना तागरिया	60,000	14,713	कार्य रुका हुआ है।

1	2	3	4	5
10.	बी.टी. एवं रिन्यूवल गंगापुर भाटोतो सड़क	60,000	74,344	कार्य प्रगति पर है।
11.	एम.मार.टोडाभीम, महावीरजी	30,00)	5,224	,,
12.	बी.टो.टोडाभीम से महन्दीपुर बालाजी	25,000	29,503	,,
13.	बी.टो. हिन्डौन से कोटरी फलीकापुरा	30,000	36,938	,,
14.	एप्रोच रोड बामनवास पंचायत समिति से लालभोट गंगापुर रोड	2),000	9,826	कार्य पुन: चालू कर दिया है।
15.	बामनवास गढ़मोर	45,000	386	,,
16.	बालाहेडो लिंक रोड मय ऐनीकट	32,000	89,642	कार्य प्रगति पर है।
17.	टोडाभीम से महन्दीपुर बालाजी मय सुधारघाटी	20,000	29,303	,,
18.	एम.ग्रार.5 किलोमीटर बामन धोलेटा हिन्डौन की ग्रोर से	80,000	89,197	,,
19.	बी.टी.रोड सवाईमाधोपुर से श्यामपुर वाया खिलचीपुर से कुण्डेरा	3,50,000	----	किलोमीटर 0/0 से 6/0 तक के टेण्डर 22/2/75 को स्वीकार कर दिये हैं।
20.	डामर सड़क भाटोती से खिरनी सड़क	75,000	----	कार्य ग्रादेश 12–2–75 को दे दिये हैं, ग्रौर कार्य प्रगति पर है।
21.	डामर सड़क बामनवास से लिवाली	2,00,000	----	कार्य ग्रादेश 6–2–75 को दे दिये है, ग्रौर कार्य प्रगति पर है। मिट्टी का कार्य 1 किलोमीटर में पूरा हो चुका है।

क्रमांक	नाम सड़क	आवंटित धन-राशि वर्ष 1974-75	व्यय धन-राशि जनवरी 74	विवरण
1	2	3	4	5
22.	गंगापुर-नादोती-गुढ़ा चन्द्रजी रोड	1,25,000	—	16-1-75 को कार्य आदेश दे दिये हैं, और कार्य प्रगति पर है, तथा 10,000 का कार्य पूर्ण हो गया है।

Page No 148

148

क्रमांक	नाम सड़क	कार्य अभी नहीं होने के कारण
1.	डामर रोड़-खेडला-बारघाट वाया तीवारा डीडरोना टीगारोया	भूमि अवाप्तगी की कार्यवाही नहीं होने के कारण कार्य रुका हुआ है ।
2.	एम. आर. टोडा भीम से महावीरजी	फसल खड़ी होने के कारण कृषक कार्य नहीं करने दे रहे हैं ।
3.	डामर कार्य दतवास से मिश्रपुरा	प्रशासनिक स्वीकृति 3.00 लाख रुपये के विपरीत मार्च 1974 तक 1.92 रुपये व्यय हो चुका है । अतः रिवाइज्ड स्वीकृति के अभाव में कार्य रुका हुआ है ।

Page No 149

149

परिशिष्ट 8

(अता. प्र. से 194 की सूची)

द्वितीय, तृतीय एवं तीन सालाना योजनाओं के अन्तर्गत जिलेवार प्रति व्यक्ति व्यय

क्र.सं.	जिले का नाम	द्वितीय योजना 1956–61	तृतीय योजना 1961–66	1966–67	67–68	68–69
1	2	3		4		
1.	अजमेर	66.24	51.33	16.52	15.21	17.48
2.	अलवर	24.20	33.07	14.38	11.95	11.46
3.	बांसवाड़ा	36.56	49.77	18.50	16.80	13.65
4.	बाड़मेर	17.65	28.79	5.21	3.64	3.81
5.	भरतपुर	29.50	44.47	18.58	11.58	18.72
6.	भीलवाड़ा	37.69	40.75	14.33	14.60	16.22
7.	बीकानेर	88.84	77.27	64.55	60.71	93.46
8.	बूंदी	164.94	147.88	22.44	23.14	20 12
9.	चित्तौड़गढ़	32.69	51.63	19.67	15.01	17.68
10.	चूरू	39.09	31.41	98.19	7.45	8.54
11.	डूंगरपुर	42.98	43.15	9.81	10.60	13.23
12.	गंगानगर	113.01	80.16	55.84	41.91	58.71
13.	जयपुर	48.80	65.20	29.98	24.13	31.36
14.	जैसलमेर	43.72	55.78	243.51	174.96	351.21
15.	जालौर	20.57	28.73	8.94	6.18	5.22
16.	झालावाड़	31.48	43.85	16.93	13.54	14.61
17.	झुन्झुनूं	29.67	32.52	18.22	11.18	9.61
18.	जोधपुर	51.91	63.27	35.88	20.61	20.63
19.	कोटा	138.87	117.06	46.92	36.24	43.80
20.	नागौर	23.01	32.56	10.03	9.12	9.89
21.	पाली	25.94	50.08	13.35	11.21	8.67
22.	सवाई माधोपुर	20.97	27.35	11.30	8.75	9.85
23.	सीकर	33.46	29.28	13.03	10.03	13.00

150

1	2	3		4		
24.	सिरोही	42.29	61.23	14.07	11.92	12.24
25.	टोंक	41.50	36.54	12.43	9.96	9.50
26.	उदयपुर	43.47	62.81	22.08	16.70	17.05
कुल राजस्थान		51.15	105.35	24.26	19.79	23.80

परिशिष्ट 9

(अता. प्र. सं. 195 की सूची)

परिशिष्ट (क)

आयुर्वेद विभाग में गत 5 वर्षों में मोअत्तिल एवं बहाल किये गये वैद्यों व अधिकारियों की सूची मय निलम्बन करने, बहाल करने एवं अब तक बहाल नहीं करने के कारणों सहित

नाम अधिकारी/वैद्य	निलम्बन दिनांक/वर्ष	निलम्बन के कारण	बहाल का दिनांक	बहाल के कारण	अब तक बहाल न किये जाने के कारण
1	2	3	4	5	6
अधिकारीगण :					
1. श्री हनुमत प्रसाद नन्दवाना	1–6–1972	पद का दुरुपयोग	15–6–74	इनके विरुद्ध चल रही विभागीय जांच पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले इनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को दृष्टि में रखते हुए बहाल किया गया	—

1	2	3	4	5	6
2. श्री राम नारायण शर्मा	10-5-73	रसायनशाला में सम्भावित अनियमितता	30-9-74	विभागीय कार्यवाही पर बिना प्रतिकूल प्रभाव वाले अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए बहाल किया गया।	—
3. श्री नवनीत लाल व्यास	10-5-73	,,	27-11-74	,, ,,	—
4. श्री ईश्वरदत्त सनाढ्य	1971	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कार्यवाही करने से	—	—	जवाब आ जाने के उपरान्त अब जांच जारी है।
5. श्री दामोदर लाल त्रिवेदी	1-10-72	,,	न्यायालय से इनके पक्ष में निर्णय होने के कारण		—
6. श्री हबीबुल रहमान	11-3-74	,,	—	—	जवाब आ जाने के उपरान्त अब जांच जारी है।
7. श्री पूर्णानन्द शर्मा	9-7-73	औषध पुनर्भरण बिलों में अनियमितता	—	—	,,
8. श्री रामस्वरूप शर्मा	9-7-73	,,	—	—	,,
9. श्री सुखदेव प्रसाद	,,	,,	—	—	,,
10. श्री बाबू राम शर्मा	,,	,,	—	—	,,
11. श्री रमेश चन्द्र शर्मा	,,	,,	—	—	,,
12. श्री गोविन्द सहाय शर्मा	,,	अनुशासनहीन आचरण के कारण।	—	—	,,

Page No 153

13. श्री शांति लाल शर्मा	,,	औषध पुनर्भरण बिलों में अनियमितता	—	—	,,
14. श्री केदारनाथ शर्मा	,,	,,	—	—	,,
15. श्री हरि मोहन शर्मा	,,	औषध पुनर्भरण बिलों में अनियमितता	—	—	बहाल करने के लिये पर्याप्त कारण न होने से।
16. श्रीमती विजय लक्ष्मी	,,	,,	—	—	,,
17. श्री नाथ शर्मा	7–2–75	स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना	—	—	,,
कर्मचारी वर्ग (वैद्य/वैद्या)					
1. श्री दीन दयाल शर्मा	9–7–73	औषध पुनर्भरण बिलों की अनियमितता	—	—	जनवरी व फरवरी 75 में आरोप-पत्रों का उत्तर प्राप्त होने से मामले विचाराधीन हैं।
2. श्रीमती विजया देवी	9–7–73	औषध पुनर्भरण बिलों की अनियमितता	—	—	जनवरी व फरवरी 75 में आरोप-पत्रों का उत्तर प्राप्त होने से मामले विचाराधीन हैं।
3. श्री जमना दास	,,	,,	—	—	,,
4. श्री हरिनारायण	,,	,,	—	—	,,
5. श्री दिनेशचन्द्र चतुर्वेदी	,,	,,	—	—	,,
6. श्रीमती गीतावली देवी	,,	,,	—	—	,,

1	2	3	4	5	6
	9-7-73	औषध पुनर्भरण बिलों की अनियमितता	—	—	जनवरी व फरवरी 75 में आरोप-पत्रों का उत्तर प्राप्त होने से मामले विचाराधीन है।
7. श्री रूप किशोर					
8. श्री रामप्रसाद जोशी	„	„	—	—	„
9. श्री गुलाम नबी	„	„	—	—	„
10. श्री नारायणलाल निराला	„	„	—	—	„
	9-6-73	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कार्यवाही के कारण	—	—	„
11. श्री मोहनलाल भाखरा	13-4-74	स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति	—	—	„
12. श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा	2-8-74	अनुशासनहीनता के कारण	22-2-75	—	शिकायत सार हीन पाये जाने पर बहाल किया गया।
13. श्री विद्याधर	18-5-73	पुलिस अपराध अनुसंधान विभाग के केस के संबंध में	5-11-74	—	कोर्ट के फैसले के आधार पर
14. श्री अब्दुल कयूम	26-6-71	कोटा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के कारण।	2-7-73	—	पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बहाल किये जाने से केस पर कोई प्रभाव न पड़ने के कारण।

परिशिष्ट (ख)

	नाम	वर्ष
1.	वैद्य ईश्वरीदत्त सनाढ्य	1971
2.	श्री रशीद ग्रहमद हकीम	1973
3.	वैद्य नारायणलाल निराला	1973
4.	श्री कृष्ण मोहन शर्मा, उप-वैद्य	1973
5.	श्री हबीबुल रहमान, हकीम	1973
6.	वैद्य मोहनलाल भातरा	1973
	,, प्रेमचन्द	1969
8.	,, दुलीचन्द	1969
9.	,, प्रेमचन्द	1969
10.	,, नवनीतलाल व्यास	1973
11.	,, रामस्वरूप	1973
12.	,, छाबूलाल	1974
13.	,, चक्खनलाल	1974
14.	ग्रायुर्वेद फार्मेसी जोधपुर के कर्मचारी श्री भगवानसहाय व एवं श्री गोकुलेन्द्र शर्मा	

(156)

परिशिष्ट 10

(अता. प्र. सं. 206 की सूची)

न्यूनतम आवश्यकता योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले की स्वीकृत सड़कों की सूची ।

क्रमांक	नाम सड़क	
1.	एप्रोच रोड	सांखू
2.	"	कांचरोदा
3.	"	मानपुर
4.	"	चीथवाडी
5.	"	चूरू
6.	"	रैनवाल
7.	"	गुड़ाकटला
8.	"	चंदलाई
9.	"	बनेठी
10.	"	अलूदा
11.	"	रामगढ़ पचवारा
12.	"	जटवाड़ा
13.	"	मन्डोता
14.	"	जाहोता

(157)

6 मार्च, 1975

शुद्धि-पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	2	नीचे से 1	राणकपुर	रणकपुर
2.	13	नीचे से 5	भावाना	भावना
3	33	नीचे से 16	राजेन्द्र	राजेन्द्र कुमार
			भारतीय	भारतीय
4.	35	नीचे से 6	पा	पास
5.	39	ऊपर से 4	शिड्यूल्ड	शिड्यूल्ड
			कास्टर	कास्टस्
6.	43	ऊपर से 14	प्रासन	प्रशासन
7.	"	नीचे से 7	जिाधीश	जिलाधीश
8.	47	ऊपर से 7	एक्सडेन्ट्स	एक्सीडेन्ट्स
9.	88	नीचे से 12	कि	--
10	103	नीचे से 4	मिटिंग	मीटिंग
11.	123	ऊपर से 18	बनाना	बनना
12.	130	नीचे से 12	चाहत	चाहती
13.	156	नीचे से 13	होल्डिंग	होडिंग
14.	228	नीचे से 16	राी	श्रेणी